



37^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट
2012-13



निगम का दृष्टिकोण

पारम्परिक तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से विद्युत का सतत विकास करने वाला विश्वस्तरीय, बहुविध एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना ।

निगम का लक्ष्य

- पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक स्रोतों एवं बहुविध व्यवसाय के माध्यम से विद्युत के विकास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना ।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत पर और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तौर-तरीके अपनाते हुए तथा सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी निभाते हुए करना ।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा ज्ञान-विज्ञान के बहुविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना ।
- नवीन अनुसंधान व विकास के माध्यम से अत्याधुनिक तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति को अपनाना ।
- कारपोरेट शासन की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा सशक्त निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य आधारित प्रबंधन व्यवस्था अपनाना ।
- आंतरिक निधि जुटाकर तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम धन की व्यवस्था करना ।

विषय सूची

एनएचपीसी

निदेशक मंडल	2
संदर्भ सूचना	3
कारपोरेट प्रोफाइल.....	4
महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (10 वर्ष)	6
अध्यक्षीय वक्तव्य	9
निदेशकों का प्रोफाइल.....	11
निदेशकों की रिपोर्ट	16
कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	25
कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाण पत्र	54
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	55
कार्मिकों का विवरण.....	71
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	73
एनएचपीसी में सतत विकास	82
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन की टिप्पणी.....	85
वित्तीय विवरण	90

समेकित

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.....	132
वित्तीय विवरण.....	134

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट	171
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.....	182
वित्तीय विवरण.....	184

एलडीएचसीएल

निदेशकों की रिपोर्ट	212
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.....	221
वित्तीय विवरण.....	224

सीवीपीपीपीएल

निदेशकों की रिपोर्ट	239
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.....	243
वित्तीय विवरण.....	246



श्री जी. साइ प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल

31.07.2013 को



श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)



श्री डी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)



श्री जे. के. शर्मा
निदेशक (परियोजनाएं)



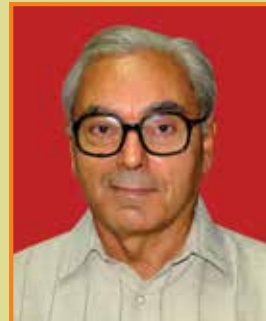
श्री राघेश्याम मीना
निदेशक (कार्मिक)



श्री ए. एस. बवशी
चेयरपर्सन (सी ई ए)



श्री गुरदेव सिंह वेदी
स्वतंत्र निदेशक



श्री अरुण कुमार मागो
स्वतंत्र निदेशक



श्री आर. जयसीलन
स्वतंत्र निदेशक



श्री अशोक कुमार दत्ता
स्वतंत्र निदेशक



श्री अतुल कुमार गर्ग
स्वतंत्र निदेशक



श्री शांतिकाम हजारिका
स्वतंत्र निदेशक



श्री ए गोपालकृष्णन
स्वतंत्र निदेशक



श्री विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कारपोरेट कार्यालय

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003
हरियाणा

कंपनी सचिव

श्री विजय गुप्ता

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

इक्विटी शेयरों हेतु:

मैसर्स कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर,
माधापुर, हैदराबाद-500081
दूरभाष नं.: +91 40 4465 5000
ई-मेल : einward.ris@karvy.com
वेबसाइट : www.karvycomputershare.com

बांड हेतु:

मैसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्राइवेट) लिमिटेड
बी- 106, सेक्टर-2
नोएडा- 201301 (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष सं.: 0120-4015880
ई-मेल : info@rcmcdelhi.com

शेयर निम्नलिखित में सूचीबद्ध है:

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डिपॉजिटरीज

नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड
सेन्ट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड

जन प्रवक्ता

श्री जयंत कुमार : कार्यपालक निदेशक (वित्त)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.नंदा एंड कंपनी

सनदी लेखाकार,
सी-43, पम्पोश एन्क्लेव,
ग्रेटर कैलाश-1,
नई दिल्ली-110048

मैसर्स सिंधी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार,
इमरेल्ड हाउस, चौथा तल,
1-बी, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट,
कोलकाता-700001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स बवेजा एंड कौल

सनदी लेखाकार,
मकान नं.32, सेक्टर-8,
त्रिकुटा नगर, जम्मू,
जम्मू एवं कश्मीर-180012

मैसर्स तिवारी एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार,
टी-8, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110016

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ इंडिया
ड्यूश बैंक
एक्सिस बैंक
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
एचडीएफसी बैंक
बैंक ऑफ भूटान
इंडसइंड बैंक

कारपोरेट प्रोफाइल

वित्तीय	2012-13	2011-12
बिक्री**	5049.13	5509.65
अन्य प्रचालन राजस्व तथा अन्य आय	1490.30	1274.62
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर से पूर्व लाभ ^{\$}	4556.80	4752.02
ब्याज तथा मूल्यह्रास के पश्चात लाभ	3202.13	3517.04
ब्याज, मूल्यह्रास तथा कर के पश्चात लाभ	2348.22	2771.77
प्रस्तावित/अदा किया गया लाभांश	738.04	861.05
कंपनी का स्वामित्व		
सीडब्ल्यूआईपी सहित निवल अचल परिसंपत्तियां	37749.00	35718.06
निवेश (गैर-वर्तमान)	2400.61	2499.14
अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	2183.11	2610.55
वर्तमान परिसंपत्तियां निवल	5813.60	5141.87
	48146.32	45969.62
कंपनी की देयता		
निवल मूल्य	27840.50	26353.53
दीर्घावधि ऋण	17417.52	16272.8
अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	2427.61	3139.25
आस्थगित कर देयता	460.69	204.04
	48146.32	45969.62
प्रचालन कार्य-निष्पादन		
उत्पादन (एम.यू.)	18923	18683
संयंत्र उपलब्धता कारक (%)	85.30	83.30
कारोबार (करोड़ रुपए में)	5306.64	5919.48
जनशक्ति (संख्या)	10410	11036

** बिक्री, टैरिफ समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात निवल है।

\$ पूर्वावधि समायोजन के पश्चात

(करोड़ रुपये में)

2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
4046.59	4218.9	2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09
885.52	673.19	589.64	911.77	433.38	359.55	395.96	551.69
4160.75	3892.41	2201.76	2201.93	1610.04	1454.71	1438.77	1477.37
2877.41	2402.08	1178.34	1146.65	1087.74	812.16	777.53	643.48
2166.67	2090.50	1075.22	1004.09	924.80	742.75	684.58	621.38
738.04	676.54	325.00	300.00	278.00	223.00	140.00	120.00
33063.66	29316.05	27165.66	23884.66	21636.29	19183.08	17608.84	15612.70
2659.96	4394.05	2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87
2491.93	1103.90	976.77	888.17	712.78	667.75	676.57	628.44
3219.44	3903.95	605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76
41434.99	38717.95	31541.79	28535.08	25326.22	23458.30	22193.53	20009.77
24580.68	23273.19	17978.29	17275.49	16548.29	15261.43	14100.58	12222.59
13702.53	13868.22	12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.8	6847.78
2990.45	1437.44	1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.4
161.33	139.1	0	0	0	0	0	0
41434.99	38717.95	31541.79	28535.08	25326.22	23458.30	22193.53	20009.77
18604	16960	16689	14813	13049	12567	11286	11046
85.20	84.10	93.61	96.13	94.11	98.16	95.30	96.82
4225.25	4331.98	2720.82	2570.36	1882.93	1662.92	1475.56	1314.38
11420	11712	12028	12341	12768	13118	13470	13648

महत्वपूर्ण वित्तीय डाटा का डाइजेस्ट (10 वर्ष)

वित्तीय	2012-13	2011-12
ए ऊर्जा की बिक्री	5049.13	5509.65
बी अन्य प्रचालन आय और संविदाओं, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों से राजस्व	257.51	409.83
सी अन्य आय(असाधारण मदों सहित)	1232.79	864.79
डी कुल आय (ए)+(बी)+(सी)	6539.43	6784.27
ई उत्पादन एवं अन्य व्यय	1982.63	2032.25
एफ सकल मार्जिन (डी) - (ई)	4556.80	4752.02
जी मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	969.29	892.74
एच सकल लाभ (एफ) - (जी)	3587.51	3859.28
आई वित्त लागत	385.38	342.24
जे कर पूर्व निवल लाभ (एच) - (आई)	3202.13	3517.04
के कर	853.91	745.27
एल कर पश्चात निवल लाभ (जे) - (के)	2348.22	2771.77
एम प्राधिकृत पूंजी	15000.00	15000.00
एन इक्विटी चुकता पूंजी	12300.74	12300.74
ओ आरक्षित एवं अधिशेष	15539.76	14052.79
पी दीर्घावधि ऋण	17417.52	16272.8
क्यू अन्य दीर्घावधि देयताएं और दीर्घावधि प्रावधान	2427.61	3139.25
आर सकल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां	25720.04	23060.93
एस मूल्यहास	7680.08	6692.61
टी निवल मूर्त तथा अमूर्त परिसंपत्तियां (आर)-(एस)	18039.96	16368.32
यू चाल पूंजीगत कार्य	19709.04	19349.74
वी निवेश (गैर-वर्तमान)	2400.61	2499.14
डब्ल्यू अन्य दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	2183.11	2610.55
एक्स कार्यशील पूंजी	5813.60	5141.87
वाई कुलहानि में न लिया गया विविध व्यय	-	-
जेड सकल पूंजी नियोजित (टी)+(यू)+(वी)+(डब्ल्यू)+(एक्स)	48146.32	45969.62
एए निवल मूल्य (एन)+(ओ)-(वाई)	27840.50	26353.53
एबी पावर स्टेशन में मालसूची उपभोग	27.01	10.14
एसी मूल्यवर्धन (ए)-(एबी)	5022.12	5499.51
अनुपात	2012-13	2011-12
नियोजित सकल पूंजी पर प्रतिफल (एच)/(जेड)	7.45%	8.40%
निवल मूल्य पर प्रतिफल (एल)/(एए)	8.43%	10.52%
नियोजित सकल पूंजी पर बिक्री ((ए)-(जेड)	10.49%	11.99%
बिक्री पर मूल्यवर्धन (एसी)/(ए)	99.47%	99.82%
निवल बिक्री पर निवल लाभ (एल)/(ए)	46.51%	50.31%
प्रति शेयर बही मूल्य	22.63	21.42
प्रति शेयर अर्जन	1.91	2.25
प्रति शेयर लाभांश	0.60	0.70
ऋण तथा इक्विटी अनुपात (पी)/((एन)+(ओ))	0.63	0.62
वर्तमान अनुपात	1.91	1.76

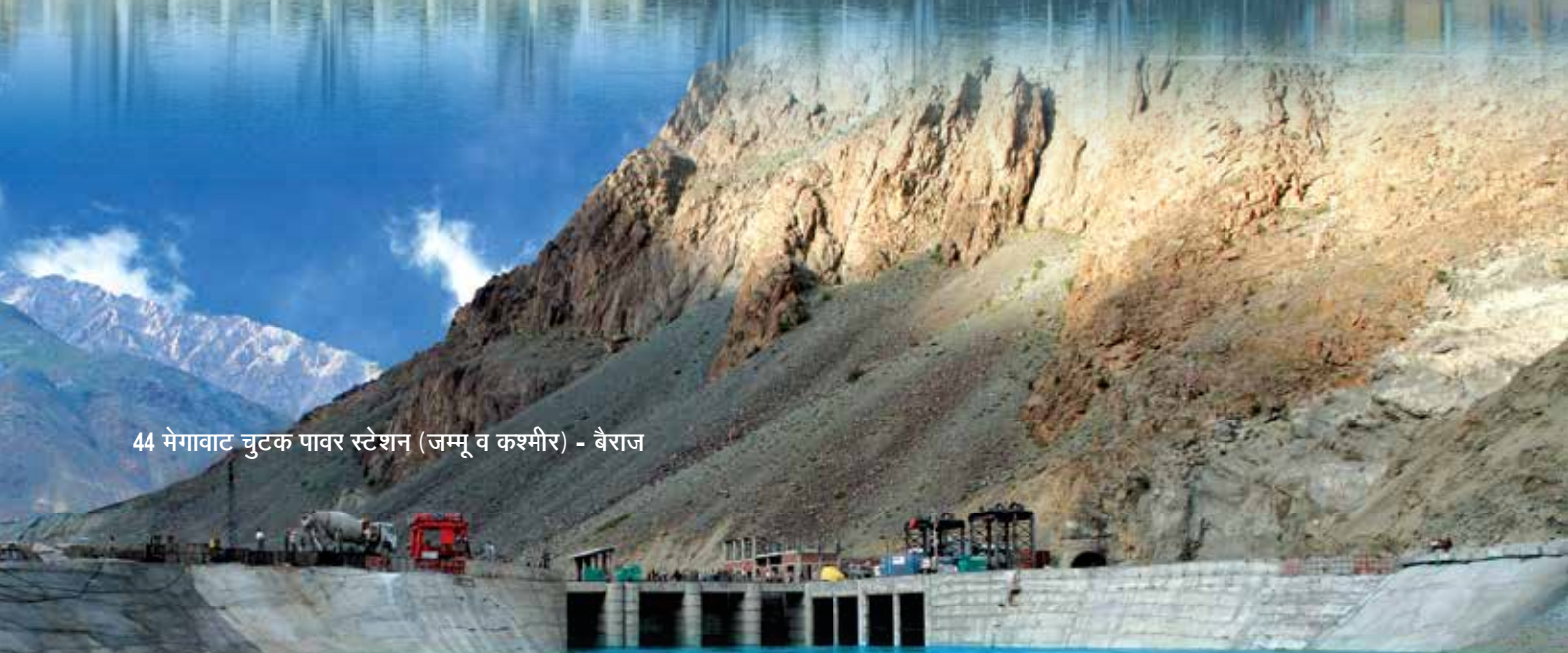
(करोड़ रुपए में)

2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
4046.59	4218.90	2671.85	2243.73	1754.12	1614.11	1449.98	1276.09
178.66	113.08	48.97	326.63	128.81	48.81	25.58	38.29
706.86	560.11	540.67	585.14	304.57	310.74	370.38	513.40
4932.11	4892.09	3261.49	3155.50	2187.50	1973.66	1845.94	1827.78
771.36	999.68	1059.73	953.57	577.46	518.95	407.17	350.41
4160.75	3892.41	2201.76	2201.93	1610.04	1454.71	1438.77	1477.37
916.74	1033.25	518.24	443.74	290.55	269.57	248.97	208.14
3244.01	2859.16	1683.52	1758.19	1319.49	1185.14	1189.80	1269.23
366.60	457.08	505.18	611.54	231.75	372.98	412.27	625.75
2877.41	2402.08	1178.34	1146.65	1087.74	812.16	777.53	643.48
710.74	311.58	103.12	142.56	162.94	69.41	92.95	22.10
2166.67	2090.50	1075.22	1004.09	924.80	742.75	684.58	621.38
15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
12300.74	12300.74	11182.49	11182.49	11207.04	10576.09	9933.27	8629.03
12279.94	10972.45	6798.13	6093.34	5367.05	4709.89	4168.49	3594.27
13702.53	13868.22	12234.03	9956.33	7531.95	7166.69	7021.80	6847.78
2990.45	1437.44	1329.47	1303.26	1245.98	1030.18	1071.15	939.40
22874.93	21302.37	21460.08	20639.51	12943.64	12755.52	10876.28	10342.71
5774.04	4907.44	3816.27	3262.66	2850.92	2527.83	2148.20	1882.95
17100.89	16394.93	17643.81	17376.85	10092.72	10227.69	8728.08	8459.76
15962.77	12921.12	9521.85	6507.81	11543.57	8955.39	8880.76	7152.94
2659.96	4394.05	2793.60	3049.22	3322.75	3832.81	3769.43	3660.87
2491.93	1103.90	976.77	888.17	712.78	667.75	676.57	628.44
3219.44	3903.95	605.76	713.03	-345.60	-225.34	138.69	107.76
-	-	2.33	0.34	25.80	24.55	1.18	0.71
41434.99	38717.95	31541.79	28535.08	25326.22	23458.30	22193.53	20009.77
24580.68	23273.19	17978.29	17275.49	16548.29	15261.43	14100.58	12222.59
3.94	4.28	8.92	6.15	6.56	12.02	7.73	2.67
4042.65	4214.62	2662.93	2237.58	1747.56	1602.09	1442.25	1273.42

2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05	2003-04
7.83%	7.38%	5.34%	6.16%	5.21%	5.05%	5.36%	6.34%
8.81%	8.98%	5.98%	5.81%	5.59%	4.87%	4.85%	5.08%
9.77%	10.90%	8.47%	7.86%	6.93%	6.88%	6.53%	6.38%
99.90%	99.90%	99.67%	99.73%	99.63%	99.26%	99.47%	99.79%
53.54%	49.55%	40.24%	44.75%	52.72%	46.02%	47.21%	48.69%
19.98	18.92	16.08	15.45	14.78	14.94	14.96	15.72
1.76	1.76	0.96	0.90	0.83	0.73	0.73	0.80
0.60	0.55	0.29	0.27	0.25	0.22	0.15	0.15
0.56	0.60	0.68	0.58	0.45	0.47	0.50	0.56
1.52	1.88	1.16	1.21	0.86	1.02	1.04	1.08



120 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखंड) - हेड रेग्युलेटर



44 मेगावाट चुटक पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - बैराज



690 मेगावाट सलाल पावर स्टेशन (जम्मू व कश्मीर) - पावर हाउस और कंक्रीट डैम

एनएचपीसी लिमिटेड

अध्यक्षीय वक्तव्य

अध्यक्षीय वक्तव्य



देवियों और सज्जनों,

एनएचपीसी के निदेशक मंडल की ओर से मैं कंपनी की 37वीं आम वार्षिक बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय आंकड़े तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतियां आप सभी को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। आपकी अनुमति से इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने लाभभोक्ता राज्यों से पिछले वर्ष की राजस्व वसूली के 4415 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 5369 करोड़ रुपये की रिकार्ड वसूली करते हुए 5049.13 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार किया।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान 2348.22 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। कंपनी के इस निष्पादन को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने इस अवधि के लिए प्रति शेयर 0.60 रुपये का लाभांश दिए जाने की संस्तुति की है।

विद्युत उत्पादन

आपकी कंपनी को वर्ष 2012-2013 के लिए वार्षिक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) के आधार पर 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए 18107 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य मिला था। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने निर्धारित वार्षिक एमओयू लक्ष्य प्राप्त करते हुए देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 12 विद्युत उत्पादक पावर स्टेशनों से 18162 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012-13 के दौरान संचालित किए गए अपने नए पावर स्टेशनों से 761 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया।

क्षमता अभिवृद्धि

मुझे आपको सूचित करने हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2012-2013 के दौरान चमेरा-III (231 मेगावाट) तीस्ता लो डैम -III (132 मेगावाट) चुटक (44 मेगा वाट) तथा निम्नो बाजगो परियोजना की सभी तीनों यूनिट (15 मेगावाट x3) को (आंशिक लोड पर) संचालित करके आपकी कंपनी ने अपनी संस्थापित क्षमता में वर्तमान वर्ष के दौरान 452 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि की की है। कुल मिलाकर 4,050 मेगावाट संस्थापित क्षमता की परियोजनाएं वर्तमान योजना अवधि के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ओडिशा हाइड्रो पावर कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की प्रक्रिया में है, जिसके अंतर्गत ओडिशा राज्य में स्थित 4 जलविद्युत परियोजनाओं क्रमशः मध्य कोलाब जलविद्युत परियोजना (285 मेगावाट) बालीझारी जलविद्युत परियोजना (160 मेगावाट), सालकी जलविद्युत परियोजना (125 मेगावाट) तथा बरमुल जलविद्युत परियोजना (200 मेगावाट) का निर्माण किया जाएगा। इन सब के अतिरिक्त आपकी कंपनी देश के अन्य भागों में भी नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य हाथ में लेने हेतु सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

विविधिकरण

आपकी कंपनी ने देश में जलविद्युत के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए विद्युत उत्पादन के नए स्रोतों जैसे थर्मल, सोलर, विंड आदि के क्षेत्रों में भी प्रवेश करने का निर्णय लिया है। इसी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके लिए यूपीएनइडीए के साथ एक संयुक्त उद्यम के तौर पर उत्तर प्रदेश में जिला जालौन की कालपी तहसील में 50 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना स्थापित करने की योजना है।

परामर्श एवं व्यापार विकास

कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता तथा वर्षों के अनुभव के आधार पर आपकी कंपनी को जलविद्युत के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। कंपनी के मुख्य परामर्शी कार्यों में देश की केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की एजेंसियों के साथ-साथ दूसरे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, म्यांमार तथा तजाकिस्तान में मिले कार्य शामिल हैं, जिसमें भूटान में स्थित चमखारछु-। जलविद्युत परियोजना (770 मेगावाट) की डीपीआर, कुरी गोंगुरी बेसिन परियोजना के लिए पीएफआर तथा मांगदेच्छु जलविद्युत परियोजना (720 मेगावाट) की डिजाइन व इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ ही तजाकिस्तान में वारजोब-। जलविद्युत परियोजना की अपरेटिंग, के साथ-साथ नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी पीजीसीआईएल तथा बीएसईएस राजधानी के सहयोग से इथियोपिया इलैक्ट्रिक पावर कंपनी (ईईपीसीओ) को इथियोपिया में प्रबंधन एवं परामर्शी सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़क कार्य

आपकी कंपनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत देश के 5 राज्यों में फैले 27 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कर रही है। 31 मार्च 2013 तक एनएचपीसी ने 9119 ग्रैविद्युतीकृत निर्विद्युतीकृत तथा 18076 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गावों को विद्युतीकृत किया है। इसके अतिरिक्त 18.33 लाख बी पी एल परिवारों को सर्विस कनेक्शन प्रदान किए हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत आपकी कंपनी बिहार राज्य के 6 जिलों में सड़क निर्माण कार्य भी कर रही है इस मद में 1728 करोड़ रुपये की लागत पर 3228 किलोमीटर लम्बी 758 सड़कों के निर्माण कार्य के ठेके अवाई किए गए हैं, जिनमें से 692 सड़कों पर 2990 किलोमीटर लंबाई का निर्माण कार्य 31 मार्च 2013 तक पूरा लिया गया है।

कारपोरेट गवर्नेंस

पारदर्शिता, जवाबदेही, स्पष्टता तथा स्टेकहोल्डर्स के साथ समय से सम्प्रेषण एनएचपीसी की कार्यप्रणति का अभिन्न अंग हैं। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या मौजूद है। आपकी कंपनी कारपोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट की क्लॉज 49 के अंतर्गत निर्धारित जरूरतों का अनुपालन कर रही है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा पर्यावरण संबंधी पक्ष

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता के एक अच्छे कारपोरेट नागरिक के तौर पर आपकी कंपनी ने आंतरिक के साथ-साथ बाह्य स्टेकहोल्डर्स एवं बहुत हद तक समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और आर्थिक विकास में योगदान दिया है। आपकी कंपनी की सीएसआर तथा दीर्घाविधि विकास का नीतियां पूर्ण रूप से परिभाषित और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सीएसआर एवं दीर्घाविधि विकास की गतिविधियों हेतु 24 करोड़ रुपये अर्थात् कर पश्चात लाभ की 1 प्रतिशत धनराशि का बजट चिन्हित किया गया है। कंपनी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ), खेलकूद एवं संस्कृति, रोजगार के अवसरों में बढोत्तरी प्रकृति के संरक्षण आदि क्षेत्रों में अनेक सीएसआर-सीडी पहल की है। ये पहल निर्माणाधीन परियोजनाओं और पावर स्टेशनों के आसपास रहने वाले समुदाय हेतु पवित्र है। आपकी कंपनी ने हर्बल पार्कों का सृजन, वनारोपण, कैचमेंट क्षेत्र सुधार (सीएटी), मत्स्यपालन प्रबंधन, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, चिकित्सा शिविर, मूलभूत सुविधाओं का विकास आदि जैसी विविध पहल भी की है।

एनएचपीसी द्वारा चलाई जा रही विशिष्ट पहलों में कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति तथा बोर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से आईटीआई को अंगीकार करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार कार्यक्रमों में, उत्कृष्ट योजनाओं के केंद्र महिलाओं के लिए मातृत्व केंद्र, निशुल्क चिकित्सा शिविर तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां शामिल की गई हैं।

मानव संसाधन विकास

कर्मचारी किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति और जीवन रेखा है। आपकी कंपनी, कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनकी प्रतिभा को सही दिशा देने हेतु सभी प्रयास कर रही है। हमारे कर्मचारियों की क्षमता को पोषित करने के लिए अनेक नवीनतम योजनाएं / नीतियां लागू की गई हैं तथा उनके कौशल की बढाने के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

आपको यह बताना हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्ष के दौरान संगठन में सौहार्दपूर्ण और मधुर औद्योगिक संबंध बनाए रखे गए हैं तथा किसी कार्य दिवस की कोई हानि नहीं हुई है। आपकी कंपनी कार्यालयीन कार्यों के निष्पादन में राजभाषा को अत्याधिक महत्व देती है तथा विभिन्न नवीनतम योजनाओं के माध्यम से इसके प्रयोग को बढावा दे रही है।

पुरस्कार व सम्मान

आपकी कंपनी की गई उत्कृष्ट पहलों से वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से प्रशस्तियां और सराहना मिली हैं। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के क्षेत्र में अनुकरणीय पहल के लिए आपकी कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज (आईपीई) द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया है। संगठन में राजभाषा के प्रयोग को बढावा देने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच आपकी कंपनी को राजभाषा को बढावा देने हेतु प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

एनएचपीसी को 'बेस्ट पावर प्रोड्यूसर' (हाइड्रो) का आईपीपीआई पावर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (आईआईआईई) द्वारा प्रदान किया जाने वाला परफार्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण उत्कृष्टता में प्रतिष्ठित सिल्वर अवार्ड के साथ प्रदान किया गया है।

आभार

मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग के प्रति उनके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और समर्थन के लिए आभार प्रकट करता हूँ। मैं विद्युत मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण व वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग आदि तथा विद्युत बोर्डों/कंपनियों सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भी उनसे प्राप्त हुए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

मैं एनएचपीसी को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिखाई गई नेकनीयती और विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

आपकी कंपनी भविष्य की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कटिबद्ध है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एनएचपीसी की टीम का समर्पण और उसकी शक्ति आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से आपकी कंपनी को और अधिक उंचाईयों पर ले जाएगी।

अंत में आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और कर्मचारियों की ओर से अपने सम्मानित शेयरधारकों को उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

जी साइ प्रसाद

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशकों का प्रोफाइल

निदेशकों का प्रोफाइल



श्री जी. साइ प्रसाद,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या: 00325308

श्री जी. साइ प्रसाद (आयु 47 वर्ष), 20.12.2011 से एनएचपीसी के बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक हैं। आपने आंध्र विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, आईआईटी दिल्ली से और ड्यूक यूनिवर्सिटी, अमेरिका से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

श्री प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी हैं। आप आंध्र प्रदेश राज्य के कई पदों पर काम कर चुके हैं, जिनमें उप-कलेक्टर (पदेस), परियोजना अधिकारी (आईटीडीए पदेस), नगर आयुक्त (गुंटूर), संयुक्त कलेक्टर (कडप्पा) और कलेक्टर एवं कुरनूल एवं चित्तूर जिलों में जिला मजिस्ट्रेट जैसे पद शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय में नियुक्ति से पहले श्री प्रसाद सेन्ट्रल पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड और इस्टर्न पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद पर रह चुके हैं।

24.07.2012 से आपके पास एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार है।

डीआईएन संख्या : 001601682

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव (आयु 58 वर्ष) व्यापार वित्त और वाणिज्य में स्नाकोत्तर डिग्री धारक हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) फेलो सदस्य भी हैं। श्री श्रीवास्तव ने एनएचपीसी के विकास और उसकी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप परियोजना वित्त पोषण के दायित्व का निर्वाह करते रहे हैं, जिसमें संसाधन जुटाना, वित्तीय पुनर्व्यवस्थापन और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से धन उगाहना तथा उसका ईष्टतम उपयोग करना शामिल है। आप समुचित विभागीय नियंत्रण प्रणालियां तैयार करने में सक्रिय रहे हैं जिससे एनएचपीसी कारपोरेट अभिशासन पद्धतियों को अपनाने में सक्षम रही है। एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आप ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) में परियोजना वित्त, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्रोतों से संसाधन जुटाने से संबंधित विभिन्न पदों पर काम किया। आप आरईसी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी के बोर्ड में भी रह चुके हैं। श्री श्रीवास्तव पीटीसी इंडिया लिमिटेड और एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में एनएचपीसी के नामित निदेशक के रूप में भी रहे हैं। आप आरईसी और एनएचपीसी लिमिटेड, दोनों के विनिवेश कार्यक्रम में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

श्री श्रीवास्तव को "अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एसोसिएशन" (आईपीएमए) द्वारा "प्रमाणित परियोजना निदेशक" (सीपीडी), आईपीएमए स्तर ए से भी नवाजा गया था। "परियोजना प्रबंधन प्रमाणीकरण संस्थान" (आईपीएमसी) परियोजना प्रबंधन एसोसिएट्स का एक प्रमाणीकरण निकाय है जो आईपीएमसी तथा राष्ट्रीय दक्षता आधारलाइन के विनियमों के अंतर्गत कार्य करता है। श्री श्रीवास्तव भारत में सीपीडी प्राप्त करने वाले वित्त पृष्ठभूमि के पहले व्यक्ति हैं। आप इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड-2010 प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों के लिए दिया गया। श्री श्रीवास्तव 1.1.2011 से 23.07.2012 तक एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। श्री श्रीवास्तव ने 11 फरवरी, 2008 से एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला है।



श्री ए बी एल श्रीवास्तव,
निदेशक (वित्त)



श्री डी. पी. भार्गव,
निदेशक (तकनीकी)

डीआईएन संख्या : 01277269

श्री डी. पी. भार्गव (आयु 57 वर्ष) रुड़की विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक हैं और उनके पास जल विद्युत क्षेत्र में 34 वर्षों का अनुभव है। श्री भार्गव विभिन्न गतिविधियों के प्रभारी हैं, जिनमें परियोजनाओं की डिजाइन और इंजीनियरी, विद्युत गृहों का प्रचालन एवं अनुरक्षण, संविदा और प्रापण, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य, वाणिज्यिक मुद्दे, अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) क्रियाकलाप शामिल हैं।

श्री भार्गव ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के नाथपा झाकरी जल विद्युत केन्द्र में भी कार्य किया है।

एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व श्री भार्गव ने एनएचपीसी में विभिन्न पदों पर कार्य किया जिसमें कार्यपालक निदेशक (परियोजना) शामिल है। आप एनएचपीसी लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक निदेशक भी रह चुके हैं। आपने 26 मार्च, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

निदेशकों का प्रोफाइल



श्री जे. के. शर्मा,
निदेशक (परियोजनाएं)

डीआईएन संख्या : 00387785

श्री जे. के. शर्मा (आयु 55 वर्ष) इंदौर विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री धारक हैं और अमेरिकी सिविल इंजीनियरी सोसायटी के एक सदस्य हैं। आप इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) एंड चार्टर्ड इंजीनियर के भी फेलो सदस्य हैं। आप वर्तमान में निर्माणधीन परियोजनाओं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी), निर्माण उपकरण आयोजना (सीईपी), कारपोरेट आयोजना और परियोजना मानीटरिंग सेवा समूह (पीएमएसजी) के प्रभारी हैं।

श्री शर्मा के पास भारत तथा विदेश में मुख्य रूप से जल विद्युत के क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा ने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड में निदेशक (सिविल) के रूप में काम किया है। आप राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और मदर टेरेसा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। आप 27 सितम्बर, 2011 से प्रमाणित परियोजना निदेशक, आईपीएमए स्तर-ए हैं। आपने 10 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

डीआईएन संख्या : 00149956

श्री राधेश्याम मीना (आयु 56 वर्ष) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी महाविद्यालय (अब एमएएनआईटी के रूप में विख्यात), भोपाल से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री धारक तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से वित्तीय प्रबंधन एवं मानव संसाधन विकास में विशेषज्ञता के साथ एम.बी.ए. डिग्री धारक हैं।

श्री मीना ने विद्युत क्षेत्र में तकनीकी तथा शासन स्तर पर अपने 30 वर्ष से अधिक के अनुभव के दौरान, डिजाइन, इंजीनियरी, निर्माण, कार्यान्वयन, परीक्षण एवं ट्रांसमिशन लाइनों तथा जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने जैसे विविध कार्यों को संभाला है। आप एनएचपीसी लिमिटेड में कई अन्य विभागों के प्रमुख भी रहे हैं।

वर्तमान में आप मानव संसाधन प्रबंधन, राजभाषा, मानव संसाधन विकास, विधि, कारपोरेट संचार, परामर्शी एवं संयुक्त उद्यम, व्यापार विकास तथा तापीय सेवाओं का दायित्व संभाल रहे हैं।

श्री मीना कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों तथा सम्मानों के विजेता हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है जैसे श्री आर.एस.मीना को संगठनात्मक विकास, नेतृत्व, नवाचार एवं परिवर्तन प्रबंधन एप्रोच के माध्यम से मानव संसाधन क्षेत्र में अपने असाधारण योगदान के लिए आईपीई (इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइस) द्वारा संस्थापित एचआर नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिल कर मानव संसाधन लीडर के रूप में स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है।

श्री मीना को विद्युत एचआर फोरम का अध्यक्ष चुना गया है जिसे "मानव संसाधन में उत्कृष्टता के माध्यम से भारतीय विद्युत क्षेत्र की सेवा करने" के उद्देश्य से गठित किया गया है और आप 2013-15 की अवधि हेतु सार्वजनिक उद्यमों संबंधी स्थायी समिति (स्कोप) के सदस्य हैं। एनएचपीसी के प्रबंध निदेशक का प्रभार भी आपके पास है।

श्री मीना ने 1981 में एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और 1991 से 1998 तक आप पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में थे। आपने 1998 को फिर से एनएचपीसी में कार्यभार ग्रहण किया कार्यपालक निदेशक (परामर्श एवं व्यापार विकास) और कार्यपालक निदेशक, क्षेत्र-III, कोलकाता के रूप में भी कार्य किया। आपने 28 अप्रैल, 2009 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।



श्री राधेश्याम मीना,
निदेशक (कार्मिक)



श्री ए एस बक्शी,
चेयरपर्सन, सीईए,
सरकार द्वारा मनोनित

डीआईएन संख्या : 05175439

श्री ए एस बक्शी (आयु 59 वर्ष), ने 28 अक्टूबर, 2010 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आयोजना) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। आप इंजीनियरी में स्नातक हैं और आपने एमबीए डिग्री भी प्राप्त की है। आपको विद्युत क्षेत्र में 38 वर्ष से अधिक का बहुमुखी अनुभव है और ताप विद्युत इंजीनियरी एवं विद्युत उत्पादन आयोजना जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं। श्री बक्शी ने सीईजीबी, ब्रिटेन (1987) और एनआईई, आयरलैंड, ब्रिटेन (1981) से ताप संयंत्र प्रचालन और ऊर्जा लेखा-परीक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

श्री बक्शी ने अनेक ताप विद्युत संयंत्रों में ऊर्जा संरक्षण/ऊर्जा लेखापरीक्षण के क्षेत्रों में काम किया है। आपने संगठन में निदेशक (ए-1) का कार्यभार संभाला और कम्पनी के प्रशासनिक कार्य की देखरेख की। 2004 में आपको मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया और आप देश की विद्युत उत्पादन आयोजना (लघु एवं दीर्घावधि, दोनों) से संबद्ध रहे हैं। श्री बक्शी का राष्ट्रीय विद्युत योजना 2007 को तैयार करने में विशेष योगदान रहा है। आपने 17.01.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला है।

निदेशकों का प्रोफाइल



श्री गुरुदेव सिंह वेदी,
स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 002286126

श्री गुरुदेव सिंह वेदी (आयु 63 वर्ष) विज्ञान में स्नातक उपाधि और कला में स्नाकोत्तर उपाधि धारक हैं और आपने नवम्बर 1969 में पंजाब एंड सिंध बैंक में सेवा प्रारंभ की और निरंतर तरक्की करते हुए 2004 में बैंक के महाप्रबंधक पद पर पहुंच गए।

आपको देश भर में बैंकिंग उद्योग में, प्रशासनिक कार्यालयों तथा प्रचालनगत कार्यालयों, दोनों के अंतर्गत विभिन्न पदों पर काम करने का 40 वर्ष से अधिक का अनुभव है। आपने मुम्बई, चण्डीगढ़, जयपुर और गुवाहाटी में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों के प्रमुख के रूप में काम किया है। श्री वेदी विदेशी मुद्रा, कार्मिक, निरीक्षण एवं मर्चेन्ट बैंकिंग के क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। महाप्रबंधक के रूप में आपने लेखा, ट्रेजरी, सूचना प्रौद्योगिकी और आयोजना एवं विकास प्रभागों के प्रमुख के रूप में काम किया है। आपने पंजाब एंड सिंध बैंक को तेजी से विकास करने वाले और लाभ कमाने वाले संस्थान के रूप में परिवर्तित करने के लिए कार्यनीतियां तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

भारत सरकार ने श्री वेदी को 07 नवम्बर 2007 को केनरा बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया। केनरा बैंक में काम करते हुए आपने ट्रेजरी और अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों, सूचना प्रौद्योगिकी, वसूली, लेखा, आयोजना एवं विकास, सामान्य प्रशासन, निरीक्षण और कार्मिक सहित बैंक के लगभग सभी प्रमुख विभागों के प्रभारी के रूप में कार्य किया।

अक्टूबर, 2008 में श्री वेदी को एक बार फिर से पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में भारत सरकार द्वारा उन्हें 26 अगस्त 2009 को बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। आपके कार्यकाल के दौरान बैंक ने हर वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करते हुए अपने कार्यव्यापार में 35 प्रतिशत से अधिक का इजाफा किया, जबकि बैंकिंग उद्योग की औसत वृद्धि करीब 20 प्रतिशत थी।

श्री वेदी ने बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स प्रारंभ करने और बैंक को एनएसई के साथ सूचीबद्ध कराने के लिए रिजर्व बैंक/भारत सरकार की मंजूरी हासिल करने में भी सक्रिय भूमिका अदा की।

श्री वेदी एनएचडीसी बोर्ड और एमएमटीसी बोर्ड में एक अंशकालिक सदस्य हैं।

आपने 08.11.2011 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार संभाला है।



श्री अरुण कुमार मागो,
स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 01624833

श्री अरुण कुमार मागो (आयु 68 वर्ष) भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और सामाजिक विज्ञान में एम.फिल. उपाधि धारक हैं। श्री मागो ने पेरिस से प्रबंधन एवं लोक वित्त में डिप्लोमा और दिल्ली से लोक प्रशासन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया है।

श्री मागो ने 1967 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला और प्रशासन एवं प्रबंधन में 37 वर्ष का दीर्घावधि अनुभव प्राप्त किया। श्री मागो ने केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत ऊर्जा, विद्युत, बंदरगाह, शहरी ढांचा, उद्योग, पर्यावरण एवं वन जैसे अनेक क्षेत्रों में विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने बिजली, बंदरगाहों और शहरी ढांचे के क्षेत्र में नीति, आयोजना एवं कार्यान्वयन जैसे विषयों में विशेषज्ञता हासिल की है।

श्री मागो महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड और मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप महाराष्ट्र पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पद पर रह चुके हैं। आप मैसर्स येस बैंक में भी स्वतंत्र निदेशक हैं और इंटर-कनेक्टिड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के जन-प्रतिनिधि निदेशक भी हैं। आप येस सिक्सो रिटीज लिमिटेड में अंशकालिक निदेशक हैं।

श्री मागो 2004 में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए और 09.11.2011 को आपको फिर से एनएचपीसी बोर्ड में नियुक्त किया गया है।

निदेशकों का प्रोफाइल

डीआईएन संख्या : 02143850

श्री आर जयसीलन (आयु 67 वर्ष), ने मद्रास विश्वविद्यालय से बीई (सिविल इंजीनियरी) डिग्री, आईआईटी (मद्रास) से एम.टेक (स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग) डिग्री और नॉर्वेजियन टेक्निकल इंस्टिट्यूट, ट्रोंडेहम, नॉर्वे से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (जल-विद्युत विकास) प्राप्त किया है। आपको जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में 43 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

श्री जयसीलन ने दिसम्बर 1969 में केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यभार संभाला था और 37 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आप चार वर्ष तक भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। आप भारत के अलावा लाओस, म्यांमार अफगानिस्तान, मोजाम्बिक, सलतनत आफ ओमान, इंडोनेशिया और रवांडा में जल संसाधन विकास से संबंधित कई परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। श्री जयसीलन इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एण्ड ड्रेनेज (आईसीआईडी) के उपाध्यक्ष, जल संसाधन डिविजन काउंसिल, बीआईएस के अध्यक्ष और तोक्यो, जापान में संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी और केन्द्र-राज्य संबंध पर राष्ट्रीय आयोग के आधारभूत ढांचा विकास संबंधी कार्य बल के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपने लगभग 25 तकनीकी पेपरों में योगदान दिया है और आप विभिन्न मंचों पर कई व्याख्यान दे चुके हैं।

श्री जयसीलन सरकारी शिफ्टमंडलों के सदस्य के रूप में और व्याख्यान देने तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए 25 से अधिक देशों की व्यापक यात्राएं कर चुके हैं। श्री जयसीलन जल संसाधन, विशेषकर विभिन्न जल विद्युत विकास परियोजनाओं के सिविल पहलुओं के बारे में भारत और विदेश में सलाहकार/परामर्शदाता के रूप में भी काम कर रहे हैं। आप एपीजीईएनसीओ, आंध्र प्रदेश सरकार और एसएसएनएनएल, गुजरात सरकार के लिए कुछ तकनीकी समितियों के अध्यक्ष भी हैं।

श्री जयसीलन की 12.11.2011 को एनएचपीसी बोर्ड में पुनः नियुक्ति हुई है।



**श्री आर जयसीलन,
स्वतंत्र निदेशक**



**श्री अशोक कुमार दत्ता,
स्वतंत्र निदेशक**

डीआईएन संख्या : 00045170

श्री अशोक कुमार दत्ता (आयु 66 वर्ष), आईआईटी खडगपुर में बिजनेस स्कूल के संस्थापक डीन रहे हैं। श्री दत्ता भारत में सबसे पुराने बिजनेस स्कूल, इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर सोशल वेल्फेयर एण्ड बिजनेस मैनेजमेंट, का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद मेघालय की राजधानी शिलांग स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), में निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। श्री दत्ता स्वास्थ्य प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान में एक परामर्शदाता और चीन की ओशियन युनिवर्सिटी में परामर्शी प्रोफेसर हैं।

श्री दत्ता ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, भारतीय व्यापार घरानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 40 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव प्राप्त किया है। जहाजरानी और परिवहन, तेजी से चलन में आने वाले उपभोक्ता उत्पादों, फार्मास्युटिकल्स, मीडिया और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आपने व्यापक अनुभव प्राप्त किया है।

श्री दत्ता वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार परिषद के सदस्य एवं अनेक बिजनेस ग्रुपों में सलाहकार रह चुके हैं। इनमें मित्तल इस्पात, जवाहर उषा मार्टिन ग्रुप, एसके बजोरिया ऑफ द मेकलियोडस ग्रुप, पीयरलेस और सेलवेल शामिल हैं। वर्तमान में आप खादिम्स इंडिया लिमिटेड और एबीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्डों में सेवारत हैं और आल इंडिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारत सरकार की कई विशेषज्ञ समितियों में काम कर रहे हैं। प्रोफेसर दत्ता ने डीसेल्स यूनिवर्सिटी, यूएसए के ट्रस्टी के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल प्रारंभ किया है। आप असम विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, गुवाहाटी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईआईएम) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आईआईएम लखनऊ की सोसायटी के सदस्य हैं। श्री दत्ता वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय प्रत्यक्षकर सलाहकार परिषद के भी सदस्य हैं।

आप 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में शामिल हुए हैं।

निदेशकों का प्रोफाइल

डीआईएन संख्या : 02281287

श्री अतुल कुमार गर्ग (आयु 63 वर्ष), राजनीति विज्ञान और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं और आपने ब्रिटेन की हुली यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। श्री गर्ग ने 1976 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के रूप में राजस्थान काडर के अंतर्गत कैरियर की शुरुआत की। आप राजस्थान वित्तीय निगम के प्रबंध निदेशक, राजस्थान के राज्यपाल के सचिव और राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सचिव/विशेष सचिव सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

सीएडी कमिशनर, चम्बल कमान कोटा के रूप में कार्य करते हुए श्री गर्ग को दो बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का प्रथम पुरस्कार जीतने का गौरव प्राप्त हुआ।

आपने कनाडा की सहायता से बड़े पैमाने पर सिंचाई नहर कार्यक्रम के कार्यान्वयन को समयबद्ध रूप में पूरा करने का दायित्व निभाया। कनाडा की सहायता से चलाया गया यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था और इसके अंतर्गत कवर किया गया क्षेत्र देश में किसी भी एजेंसी के कार्य क्षेत्र से बड़ा था।

आपने 30.03.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में पदभार ग्रहण किया है।



श्री अतुल कुमार गर्ग,
स्वतंत्र निदेशक



श्री शांतिकुमार हजारीका,
स्वतंत्र निदेशक

डीआईएन संख्या : 00523656

श्री शांतिकुमार हजारीका (आयु 65 वर्ष) ब्रिटिस, पिलानी से स्नातक उपाधि और आईआईएम अहमदाबाद से स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं और वर्तमान में असम के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। श्री हजारीका विभिन्न संगठनों को भी अपनी सेवा दे रहे हैं। आपके वर्तमान विविध उत्तरदायित्वों में डॉक्टर बी. बरुआ कैंसर इंस्टिट्यूट, की प्रबंधन परिषद और असम राज्य परिषद / पूर्वोत्तर परिषद, सीआईआई के सदस्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ (एफआईएनईआर) के निदेशक असम राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के निदेशक के पद शामिल हैं।

श्री हजारीका असम इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गुवाहाटी के संस्थापक निदेशक हैं और इस पद पर उन्होंने 22 वर्ष तक कार्य किया है। आप ऑयल इंडिया लिमिटेड दुलियाजान, असम के वरिष्ठ कार्यपालक और असम राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य (वित्त) भी रहे हैं। एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री हजारीका असम राज्य वेतन आयोग के सदस्य और गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे हैं। आप हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक भी रह चुके हैं। श्री हजारीका के अन्य अनुभवों में असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के निदेशक, प्रीमियर क्रायोजेनेक्स लिमिटेड के निदेशक और और नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यानुभव शामिल हैं। आपने 24.05.2012 को एनएचपीसी बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

डीआईएन संख्या : 02880344

श्री ए. गोपालकृष्णन (आयु 60 वर्ष) एक सनदी लेखाकार और सनदी लेखाकारों की सबसे पुरानी फर्म में से एक अत्यंत प्रतिष्ठित संगठन मैसर्स वेंकटचलम अय्यर एंड कंपनी में वरिष्ठ पार्टनर हैं, जिसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। श्री गोपालकृष्णन ने मई, 1974 में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित सीए फाइनल परीक्षा में 13वां और मई, 1973 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट में 36वां स्थान प्राप्त किया था।

श्री गोपालकृष्णन भारतीय उद्योग परिसंघ की राज्य परिषद, केरल क्षेत्र और कराधान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम के सदस्य रहे हैं। आप एनकुलम में सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक विद्यालयों से जुड़े चिन्मय मिशन एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट नाम के शैक्षिक न्यास के साथ मुख्य सेवक के रूप में सम्बद्ध रहे हैं। आप चिन्मय विद्यालय, कोट्टायम के संस्थापक अध्यक्ष हैं। श्री गोपालकृष्णन इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की कोट्टायम शाखा के अध्यक्ष (1999-2000) और सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की कोचिंग बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रशिक्षक भी रहे हैं।

आप वर्ष 2007-08 के लिए सीआईआई केरल क्षेत्र के आर्थिक मामलों और कराधान पैन्ल के संयोजक और दिसम्बर 2009 तक देना बैंक के निदेशक तथा देना बैंक बोर्ड की लेखा-परीक्षक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

श्री ए. गोपालकृष्णन ने विभिन्न व्यवसाय संबंधी विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए हैं तथा लेख लिखे हैं। लेख के विषय विविध मानकों से संबंधित रहे हैं जिनमें आईएफआरएस, कराधान, लेखांकन तथा वित्त शामिल है और आप आईसीएआई, चैंबर ऑफ कामर्स, बैंकर्स क्लब आदि जैसे व्यावसायिक निकायों द्वारा आयोजित कई सम्मेलनों और सेमिनारों में व्याख्यान दिए हैं। आपने 10.03.2013 को एनएचपीसी बोर्ड में पुनः कार्यभार ग्रहण किया है।



श्री ए. गोपालकृष्णन,
स्वतंत्र निदेशक

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण

एनएचपीसी लिमिटेड,

निदेशकों के तौर पर हमें 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी 37वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2012-13 से संबंधित कंपनी के प्रमुख निष्पादन क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं, और साथ ही लेखों का अंकेक्षित विवरण, लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा शामिल है।

1. वित्तीय निष्पादन

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों को सारणी 1 में सार रूप में दर्शाया गया है।

सारणी 1 वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2012-13	2011-12
बिक्री	5049.13	5509.65
मूल्यहास, ब्याज और कर-पूर्व लाभ	4556.80	4749.00
मूल्यहास	969.29	893.86
मूल्यहास के उपरान्त परन्तु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	3587.51	3855.14
ब्याज एवं वित्त प्रभार	385.38	338.10
मूल्यहास और ब्याज के उपरान्त परन्तु कर से पूर्व लाभ	3202.13	3517.04
कर	853.91	745.27
मूल्यहास, ब्याज और कर-उपरान्त लाभ	2348.22	2771.77
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि लेखों के विवरण का अधिशेष	5963.10	4336.18
बांड विमोचन रिजर्व से पश्च लिखित राशि	14.25	14.25
स्व बीमा रिजर्व से पश्च लिखित राशि	0.92	-
लाभांश पर कर-पश्च लिखित	4.88	3.25
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	8331.37	7125.45
विनियोजन		
बांड विमोचन रिजर्व को अंतरण	249.17	129.13
स्व-बीमा निधि को अंतरण	48.84	32.48
सीएसआर रिजर्व को अंतरण	23.50	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	738.05	861.06*
प्रस्तावित लाभांश पर कर	125.43	139.68
रिजर्व एवं अधिशेष में अग्रणीत शेष राशि	7146.38	5963.10

* इसमें पिछले वर्ष का रु. 0.01 करोड़ का राउंड ऑफ से आने वाला अंतर भी शामिल है।

2. विद्युत उत्पादन

देश के विभिन्न भागों में स्थित और प्रचालित एनएचपीसी के 12 विद्युत गृहों द्वारा 2012-13 के दौरान 18162 मि.यू. विद्युत का उत्पादन किया गया। यह उत्पादन समझौता ज्ञापन (एमओयू) में दिए गए 18,107 मि.यू. के लक्ष्य से अधिक रहा, इसके लिए एनएचपीसी को "उत्कृष्टता" रेटिंग प्राप्त हुई। उक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के दौरान चालू की गई नई परियोजनाओं से 761 मि.यू. का भी उत्पादन किया गया था।

वर्ष 2012-13 के दौरान चूटक विद्युत स्टेशन तथा चमेरा-III विद्युत स्टेशन को वाणिज्यिक रूप से प्रचालनशील घोषित किया गया था। 33 मेगावाट प्रत्येक की क्षमता वाली टीएलडीपी III (पश्चिम बंगाल) की तीन यूनिटों को 2012-13 में चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त, निम्नो बाजगो जल विद्युत परियोजना (जम्मू एवं कश्मीर) की दो यूनिटों को आंशिक लोड पर चालू किया गया है।

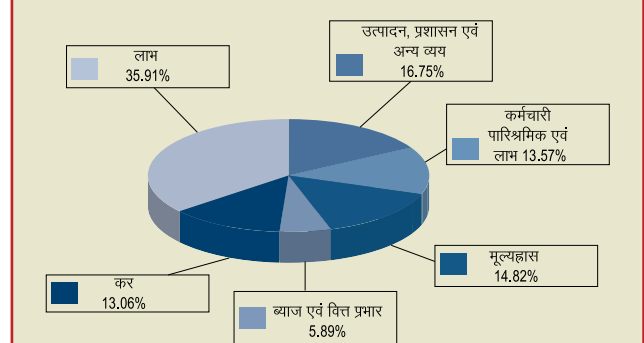
3. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2012-13 के लिए रु. 0.60 प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक आम बैठक में आपके अनुमोदन के बाद किया जायेगा। अनुमोदन होने पर, वर्ष के लिए लाभांश के कुल भुगतान की राशि 738.04 करोड़ रूपए बैठता है।

4. पूंजीगत ढांचा तथा निवल मूल्य

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 12300.74 करोड़ रही है। 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य बढ़ कर रु. 27,840.50 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के अंत में रु. 26,353.53 करोड़ था।

राजस्व का विश्लेषण 2012-13



5. निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति

वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भूवैज्ञानिक बाधाएं, प्राकृतिक आपदाएं और स्थानीय समस्याएं शामिल थीं। किन्तु, इन सभी चुनौतियों के बावजूद निर्माण गतिविधियां संतोषजनक गति से जारी रहीं और परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान, आपकी कंपनी 4502 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली 10 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में लगी है, जिनका विवरण सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी 2 : वर्ष 2012-13 के दौरान निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

जल विद्युत परियोजना का नाम	राज्य	प्रस्तावित संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
चमेरा-III*	हिमाचल प्रदेश	231
चूटक**	जम्मू एवं कश्मीर	44
तीस्ता लो डैम-III***	पश्चिम बंगाल	132
उड़ी-II	जम्मू एवं कश्मीर	240
तीस्ता लो डैम-IV	पश्चिम बंगाल	160
निम्नो बाजगो****	जम्मू एवं कश्मीर	45
पार्वती-III	हिमाचल प्रदेश	520
पार्वती-II	हिमाचल प्रदेश	800
सुबानसिरी लोवर	असम/अरुणाचल प्रदेश	2,000
किशनगंगा	जम्मू एवं कश्मीर	330
कुल		4,502

* हिमाचल प्रदेश में चमेरा-III (231 मेगावाट) को जुलाई, 2012 में चालू किया गया।

** जम्मू एवं कश्मीर में चूटक (44 मेगावाट) को जनवरी, 2013 में चालू किया गया।

*** पश्चिम बंगाल स्थित तीस्ता लो डैम एचईपी (132 मेगावाट) की चार यूनिटों में से, तीन यूनिटों (99 मेगावाट) को मार्च, 2013 में चालू किया जा चुका है और मई, 2013 में चौथी यूनिट से भी वाणिज्यिक प्रचालन चालू किए गए थे।

**** जम्मू एवं कश्मीर में निम्नो बाजगो जल विद्युत परियोजना (3X15 मेगावाट) की तीन यूनिटों में से, दो यूनिटों को वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान आंशिक लोड पर चालू किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश की सुबानसिरी लोवर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) पर निर्माण क्रियाकलाप 16 दिसम्बर, 2011 से स्थानीय विरोध प्रदर्शन के कारण अस्थाई रूप से प्रभावित हुए हैं और वर्तमान में परियोजना का कार्य जारी रख पाने में समर्थता नहीं मिल पा रही है। दिसम्बर, 2011 से पार्वती-II जल विद्युत परियोजना में, हैडरेस टनल के उत्खनन हेतु संविदा को समाप्त कर दिया गया था और एक नए संविदाकार को नियोजित करने के लिए नई निविदा पहले ही आमंत्रित की जा चुकी है।

6. वाणिज्यिक निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी का वाणिज्यिक निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष के दौरान बिक्री से 5,369 करोड़ रुपये की प्राप्ति में हुई जबकि पिछले वर्ष 4,415 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। कुल 5,184 करोड़ रुपये के बिल पेश किए गए (जिनमें शुल्क, जल उपयोग प्रभार, कर आदि संशोधन होने के कारण पिछले वर्ष की बकाया राशि के 1,055 करोड़ रुपये के बिल भी शामिल हैं), जबकि पिछले वर्ष 6,101 करोड़ रुपये के बिल पेश किए गए थे। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने 2009-14 की अवधि के लिए 8 प्रचालनशील विद्युत स्टेशनों के संदर्भ में समीक्षा याचिकाओं के प्रति संशोधित शुल्क (टैरिफ) आदेश जारी किए हैं।

31.03.13 की स्थिति के अनुसार 60 दिन से अधिक अवधि का लंबित बकाया राशि 830 करोड़ रुपये थी जबकि 31.03.2012 को यह 1176 करोड़ रुपये थी। आपकी कंपनी ने बकाया शुल्कों की वसूली के लिए, चूक करने वाली कंपनियों को विद्युत की आपूर्ति नियंत्रित करने सहित सभी उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप, लाभार्थी राज्यों में से अधिकतर अब अपने देयों की राशि की अदायगी परिसमापन योजना के अनुसार कर रहे हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने एनएचपीसी को मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित 120.81 करोड़ रूपए की राशि के पुराने बकाया देयों तथा साथ में 240.01 करोड़ रूपए ब्याज के भुगतान हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया है, और उक्त राशियों को शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

सीईआरसी ने पम्पड स्टोरेज जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों और तालाब के साथ रन ऑफ रिवर उत्पादन स्टेशनों सहित स्टोरेज प्रकार के उत्पादन स्टेशनों के मामले में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) (कर-पूर्व) हेतु आधार दर में वृद्धि करके इसे 15.5 प्रतिशत से 16.5 करने हेतु अपने विनियम में संशोधन किया है।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि अर्थात् - 31.12.2012 से प्रभावी हुए थे।

7. परियोजना प्रबंधन

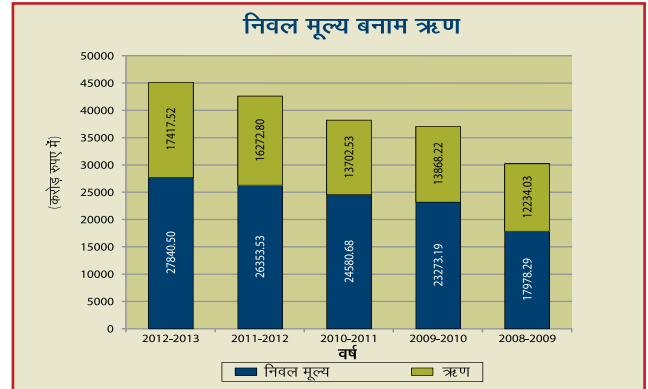
विभिन्न चालू परियोजनाओं की प्रगति के प्रबोधन के लिए तकनोलॉजी का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। कारपोरेट कार्यालय में एक ऑन लाइन परियोजना निगरानी केन्द्र की स्थापना की गयी है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा सके और निर्माणाधीन परियोजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यस्थलों पर लगाए गए कैमरों से लाइव वीडियो फीड्स उपलब्ध कराए जा सकें।

8. नई योजनाएं

विद्युत अर्थव्यवस्था की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कोयले तथा अन्य जीवाश्म ईंधनों की कमी ने फोकस पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत के पक्ष में कर दिया है। आपकी कंपनी वर्तमान में अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए वृद्धि योजना को क्रियान्वित कर रही है। स्वीकृति तथा अनुमोदन हेतु प्रतीक्षित परियोजनाओं का विवरण सारणी-3 में दिया गया है।

सारणी 3 : स्वीकृति/अनुमोदन चरण के अंतर्गत परियोजनाएं

एनएचपीसी द्वारा अकेले निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं:



क्र.स.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	कोटली भेल I-ए उत्तराखंड	195
2	तीस्ता IV,-सिक्किम	520
3	दिबांग, अरुणाचल प्रदेश	3,000
4	तवांग-I, अरुणाचल प्रदेश	600
5	तवांग-II, अरुणाचल प्रदेश	800
	योग	5,115 मेगावाट

संयुक्त उद्यमों के ज़रिए निष्पादित की जाने वाली परियोजनाएं

6	लोकतक डाउनस्ट्रीम, मणिपुर	66
7	पकल दुल और अन्य, जम्मू-कश्मीर	2,120
8	तिपाइमुख, मणिपुर	1,500
	योग	3,686 मेगावाट
	कुल योग	8,801 मेगावाट

उपरोक्त सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई हैं और उनमें से अधिकतर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी की प्रतीक्षा है। आवश्यक मंजूरी मिलते ही निर्माण गतिविधियां शुरू हो जायेंगी।

मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना को संस्थापित किया जा चुका है। जम्मू एवं कश्मीर में परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक जेवीसी को भी संस्थापित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, तिपाइमुख परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) बनाने हेतु एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और मणिपुर सरकार के मध्य एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) और प्रमोटर समझौते पर भी वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, अब सक्षम प्राधिकारी ने प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में एसजेवीएन के स्थान पर संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में नीपको को शामिल किए जाने को अनुमोदित किया है। तदनुसार, एनएचपीसी, नीपको और मणिपुर सरकार के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में एनएचडीसी, मणिपुर में लोकतक डाउनस्ट्रीम जलविद्युत निगम लिमिटेड और जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के विभिन्न क्रियाकलापों की स्थिति पर प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट तथा कारपोरेट शासन रिपोर्ट में विचार-विमर्श किया गया है।

उपरोक्त के अलावा उत्तराखंड में दो परियोजनाओं नामतः कोटली भेल चरण-1बी (320 मेगावाट) और कोटली भेल चरण-दो (530 मेगावाट) - को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनभूमि के अपवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की गई (तालिका में शामिल नहीं)। इसके अतिरिक्त कोटली भेल-1बी को प्रदान की गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी भी पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वापस ले ली गई जिसके पश्चात एनएचपीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील दाखिल की है।

9. डीपीआर/एफआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं

परियोजनाओं हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर्स), व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर्स) तैयार करने और उनके सर्वेक्षण एवं अन्वेषण का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा उसका विवरण सारणी 4 में दिया गया है।

तालिका-4 डीपीआर, एफआर, और सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

क्र.स.	परियोजनाएं	क्षमता (मेगावाट)
1	बरसर, जम्मू-कश्मीर	1,020
2	धौलीगंगा इंटरमीडिएट, उत्तराखंड*	210
3	गौरीगंगा ।।। ए, उत्तराखंड*	120
	कुल	1,350 मेगावाट

* एनएचपीसी तथा उत्तराखंड सरकार के मध्य क्रियान्वयन समझौते पर 23.01.2013 को हस्ताक्षर किए गए थे।

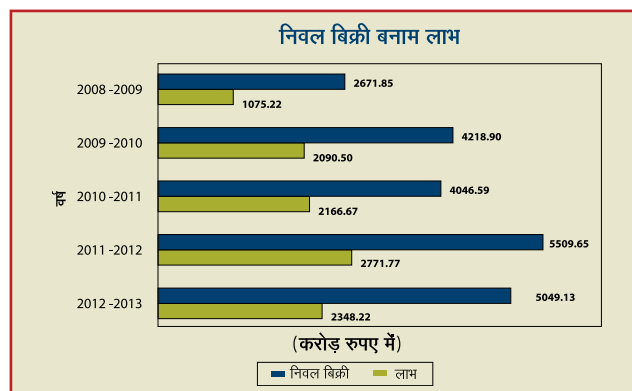
उक्त के अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर में दुलहस्ती चरण-।। (350 मेगावाट) को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

10. परामर्शी एवं व्यवसाय विकास सेवाएं

वर्षों से कंपनी द्वारा प्राप्त की गई भिन्न विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर एनएचपीसी समूचे विश्व में वैश्विक रूप से प्रमुख संगठनों को जल विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों जैसे नदी घाटी अध्ययन, सर्वेक्षण कार्य, डिजाइन एवं इंजीनियरी, भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी अध्ययन, जलीय क्षणभंगुरता अध्ययन (हाइड्रोलिक टैन्सिएंट स्ट्रेंडिज), जलविज्ञान अध्ययन, संविदा प्रबंधन, निर्माण प्रबंधन, उपस्कर नियोजन, भूमिगत निर्माण, संयंत्र परीक्षण और उत्पादन प्रारंभ कराना तथा प्रचालन एवं रखरखाव में परामर्शी सेवाओं की पेशकश करती हैं।

प्रमुख परामर्शी कार्यों में भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों की दी जा रही एजेंसियों तथा भूटान, म्यांमार और ताजिकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को दी जा रही परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

एनएचपीसी अभी तक 84 परामर्शी कार्य पूरे कर चुकी है और 17 कार्य प्रगति पर हैं।



11. वैश्विक पहलें

वर्ष 2012-13 के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने दीर्घावधि रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई वैश्विक पहलों के प्रति सतत प्रयास किए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान पूरे किए गए/प्रगति पर चल रहे प्रमुख विदेशी कार्य निम्नानुसार हैं:

- कुरी गोंगरी बेसिन परियोजना हेतु पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) जुलाई, 2012 में शाही भूटान सरकार/भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी।
- एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा भूटान में मंगडेचू जल विद्युत परियोजना (720 मेगावाट) के क्रियान्वयन हेतु मंगडेचू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अथॉरिटी (एमएचपीए) को डिजाइन एवं इंजीनियरी परामर्श की पेशकश की जा रही है।
- तजाकिस्तान में वारजोब-1 जल विद्युत परियोजना के पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और अपरेटिंग (आरएमयू) से संबंधित कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना को विदेश मंत्रालय, भेल तथा एनएचपीसी के मध्य हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत किया गया था।
- मैसर्स डैन्टोट इन्डस्ट्रीज लिमिटेड हेतु नाईजीरिया में शिरोरो जल विद्युत स्टेशन का तकनीकी उचित ज्ञान अध्ययन एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा किया गया था।
- पीजीसीआईएल और बीएसईएस राजधानी के साथ मिल कर ईथोपिया इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (ईपको) को प्रबंधन परामर्श मुहैया करवाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

12. आरजीजीवीवाई-ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं

आपकी कंपनी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ और ओडीशा) में फैले 27 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत लगभग 2,837 करोड़ रुपये की है।

इस योजना के अंतर्गत, एनएचपीसी 9,310 गैर-विद्युतीकृत/निर्विद्युतीकृत (यूई/डीई) गांवों, 19,939 आंशिक विद्युतीकृत (पीई) गांवों के विद्युतीकरण और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे वाले) 19,939 परिवारों को विद्युत को सर्विस कनेक्शन प्रदान करेगी।

31 मार्च, 2013 तक आपकी कंपनी ने 9,119 यूई/डीई गांवों, 18,076 पीई गांवों का विद्युतीकरण और 18.33 लाख बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को विद्युत के कनेक्शन मुहैया करवाए हैं।

13. ग्रामीण सड़क परियोजना

आपकी कंपनी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता-ज्ञापन के अनुसार, इन सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायित्व पांच वर्ष तक एनएचपीसी का होगा।

31 मार्च, 2013 तक 2990.14 किलोमीटर कवर करने वाली 692 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 3228.82 किलोमीटर कवर करने वाली 758 सड़कों हेतु 1,728.61 करोड़ रुपये की लागत पर संविदाएं दी गई थीं।

14. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार (आईटी एंड सी)

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार ढांचे का 54 से अधिक स्थलों पर उन्नयन किया गया है। एमपीएलएस-वीपीएन / वीसेट-क्यूबैंड / ब्रॉडबैंड तकनालॉजियों का उपयोग करते हुए मल्टी-मोड, फेल-सेफ कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सभी स्थलों को निगम मुख्यालय से जोड़ दिया गया है।

एनएचपीसी ने वर्तमान में दिल्ली में एनआईसीएसआई (भारत सरकार का एक उद्यम) के टियर-1 डेटा सेंटर पर प्रमुख सर्वरों को सह-स्थापित किया है। आपदा रिकवरी (डीआर) साइट ने भी कोलकाता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रचालनों को प्रारंभ कर दिया है।

एनएचपीसी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के ईष्टतम और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों के प्रबंधन हेतु एक नीतिगत ढांचा बनाया गया है।

प्रमुख व्यापार कार्यों को कवर करने वाले कई सारे साफ्टवेयर ऐप्लीकेशनों को क्रियान्वित करने और इंटरनेट, इंट्रानेट, ई-मेल, वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब-कास्टिंग, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन आदि जैसी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए आईटी तथा संचार ढांचे का उपयोग किया गया है।

आपकी कंपनी ने सुयोजित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ काफी हद तक कागज के उपयोग को कम करने, डाटा के मानकीकरण तथा सूचना की सटीकता को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है।

सहज सेवा पोर्टल का उन्नयन किया गया है तथा उसे बेहतर बनाते हुए कर्मचारी अनुकूल बनाया गया है ताकि उपयोगकर्ता अपनी व्यक्तिगत जानकारी आदि पर आसानी से पहुंच प्राप्त कर सकें।

वर्ष के दौरान, सरकारी निदेशों के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली के माध्यम से प्रापण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है।

15. प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

तेजी से बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य और प्रौद्योगिकीय नवाचार एक अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार परिवेश बना रहे हैं। आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों का सतत मूल्यांकन करती है तथा उन्हें प्रशिक्षित करती है जिससे वे अपनी उत्पादकता तथा कार्य दक्षता में वृद्धि करने के लिए नवीनतम परिवर्तनों तथा संगत ज्ञान से अवगत रहे।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आंतरिक तथा बाहरी रूप से बहु विधा कार्यक्रमों के माध्यम से कंपनी के भीतर प्रतिभा को विकसित करने या निखारने के लिए चलाया जाता है।

आंतरिक प्रशिक्षण कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी नीतिगत गठबंधन के माध्यम से अग्रणी तथा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईएम/एक्सएलआरआई/आईआईटी आदि के साथ सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाती है ताकि इसके कर्मचारियों हेतु उन्नत प्रबंधन और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों को सुलभ बनाया जा सके।

16. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं/स्टेशनों/यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण रहे।

17. अनुसंधान एवं विकास

आपकी कंपनी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों पर विशेष ध्यान देती है ताकि कंपनी के प्रचालन के क्षेत्रों में नवाचार और परिष्कार लाया जा सके। कुछ विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान एवं विकास किया गया है, उनमें निम्नांकित शामिल हैं :

- जलाशयों/संरचनाओं में रिसाव की समस्या से निपटने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) तकनीकें आंतरिक रूप से विकसित की गईं।
- हार्ड कोटिंग फैसिलिटी का विकास जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।
- पेनस्टाक के माध्यम से बहने वाले जल का कम्प्यूटेशनल फ्लुइड डायनामिक्स जिससे विद्यमान बांधों में सीपेज को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों और निर्माणाधीन बांधों में निवारात्मक उपाय करने के लिए कदमों को क्रियान्वित करना।
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए एक राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) तैयार की गई - “हाईड्रो जेनरेटर्स की टरबाइन के लिए गाद कटाव प्रतिरोधी सामग्री का विकास”।
- “उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल बहुलतावाले क्षेत्रों में सुरंगें बनाने” में अनुसंधान एवं विकास के लिए सीपीआरआई द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय संदर्श योजना (एनपीपी) परियोजनाएं शुरू करना।

18. पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर)

एनएचपीसी ने विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श से राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 के अनुरूप पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है।

कंपनी अपनी नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। आपकी कंपनी की नीति का लक्ष्य किसी परियोजना के निर्माण के कारण प्रभावित परिवारों की भूमि, मकानों, अन्य संसाधनों, जीवन निर्वाह के साधनों या सामाजिक सहायता प्रणालियों, आदि की हानि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

परियोजना प्रभावित परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति में प्रावधान किए अनुसार किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा पुनर्वास जोन और प्रभावित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली समुदायिक एवं सामाजिक विकास योजना (सीएसडीपी) के लिए निर्धारित किया गया है।

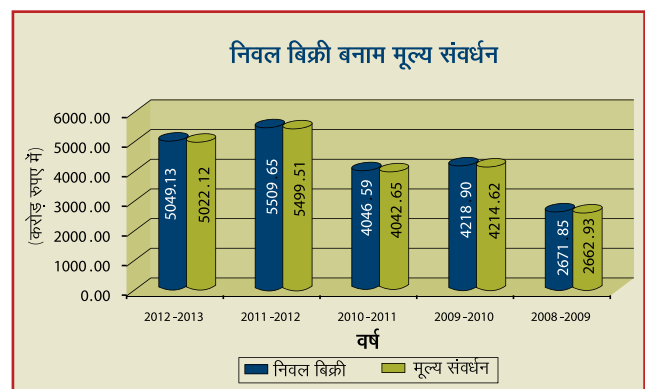
इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति को उसकी मूल भावना के अनुसार कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन गतिविधियों के प्रभावकारी निष्पादन हेतु एक प्रचालनात्मक नियमावली तैयार की गयी है।

19. नई परियोजनाओं का वित्त पोषण

केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क निर्धारण के प्रयोजन के लिए परियोजनाओं के वित्त पोषण में ऋण और इक्विटी का अनुपात 70 : 30 का होना चाहिए।

आपके निदेशकों के मतानुसार आपकी कंपनी की आंतरिक प्राप्तियां नई परियोजनाओं के इक्विटी घटक को वित्त-पोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। कंपनी की ऋण पूंजी का अनुपात कम होने और कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊंची होने, जो सम्पूर्ण रेटिंग के अनुरूप है, को देखते हुए अपेक्षित ऋण जुटाने में आपकी कंपनी की स्थिति बेहतर है।

कंपनी योजनाबद्ध क्षमता विस्तार कार्यक्रम के लिए अपेक्षित ऋण जुटाने हेतु द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता सहित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण हासिल करने के विकल्प तलाश कर रही है।



20. सतर्कता कार्यकलाप

एनएचपीसी के निगम मुख्यालय के सतर्कता विभाग को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा आईएसओ 9001:2008 प्रदान किया गया है। समूची प्रक्रिया को प्रलेखित किया गया है और विलंब से बचने के लिए सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों के प्रबोधन की प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है।

सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर नियमित एवं औचक निरीक्षण किए जाते हैं। परियोजना सतर्कता अधिकारियों द्वारा चिन्हित कार्रवाई योग्य बिंदुओं को सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए परियोजना प्रमुख को सूचित किया जाता है।

समय-समय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) द्वारा कार्यों का गहन जांच भी की जाती है।

कंपनी में 15 करोड़ रूपए तथा उससे अधिक वाले कार्यों और 25 लाख रूपए तथा उससे अधिक मूल्य की वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रापण हेतु सीवीसी दिशा-निर्देशों पर आधारित सत्यनिष्ठा समझौते को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है।

पारदर्शी प्रापण प्रणाली के एक भाग और विद्युत मंत्रालय तथा सीवीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में एनएचपीसी ने बड़ी खरीदों में ई-प्रापण समाधान का विकल्प चुना है। निरीक्षण/गहन जांच पर आधारित परिपत्रों तथा दिशा-निर्देशों को जारी करके निवारात्मक सतर्कता पर बल दिया गया है।

विद्यमान प्रणाली में पारदर्शिता, कार्य संस्कृति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आपकी कंपनी ने सतर्कता अधिकारियों हेतु एक कार्यशाला भी आयोजित की थी।

21. जालसाजी निवारक नीति का कार्यान्वयन

एनएचपीसी ने अपने प्रचालनों का ईमानदारीपूर्वक करने और देश की वृद्धि में योगदान देने के लिए एक जालसाजी निवारक नीति तैयार की है।

22. राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी में वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों और नियमों का अनुपालन किया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

संसदीय राजभाषा उपसमिति द्वारा तीस्ता लो डैम-4 और पार्वती परियोजना का निरीक्षण किया गया और समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन की सराहना की। निगम मुख्यालय के विभागों और पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा के प्रयोग की प्रगति के संबंध में निरीक्षण किया गया।

निगम मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया गया जहां निदेशकों की मौजूदगी में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। राजभाषा के प्रोत्साहन के संबंध में कई पहलें की गई थी जैसे कि राजभाषा सम्मेलन, हिन्दी पखवाड़ा, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, हिन्दी काव्य पाठ और भाषण प्रतियोगिता, हिन्दी 'पुस्तक पठन सप्ताह', हिन्दी काव्य गोष्ठी आदि का आयोजन। 'राजभाषा ज्योति' नामक पत्रिका का भी विमोचन निदेशकों द्वारा किया गया था।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान निगम मुख्यालय में 31 कार्यशालाएं आयोजित की गईं और कर्मचारियों को हिन्दी भाषा तथा कम्प्यूटर टंकण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। कंपनी के भीतर हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

एनएचपीसी को विद्युत क्षेत्र के मध्य राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत लगातार दो वर्षों अर्थात् 2011-12 तथा 2012-13 हेतु प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड तथा प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। एनएचपीसी को वर्ष 2010-11 हेतु भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना' के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किया गया था। यह राजभाषा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है।

23. जन-संपर्क अभियान/जागरूकता गतिविधियां

समय-समय पर प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपकी कंपनी की उपलब्धियों का देश भर में समुचित प्रचार किया गया ताकि एनएचपीसी को देश में एक अग्रणी एवं दृढ़ जल विद्युत के विकासकर्ता के रूप में दर्शाया जा सके।

एनएचपीसी द्वारा प्रारंभ किए गए छवि निर्माण प्रयासों में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेना और दर्शकों के विभिन्न वर्गों को कंपनी के विकासात्मक क्रियाकलापों को दर्शाने वाली फिल्मों को प्रदर्शित करना शामिल है। एनएचपीसी ने समय-समय पर विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में खेलकूद क्रियाकलापों का आयोजन किया तथा उनमें प्रतिभागिता भी की।

ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और इसके संदेश को प्रसारित करने के लिए, एनएचपीसी के समन्वय से जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में, स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं। इनका आयोजन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और विद्युत मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया।

24. पुरस्कार तथा सम्मान

कंपनी तथा इसके कर्मचारियों द्वारा की गई उत्कृष्ट पहलों को वर्ष 2012-13 के दौरान कई पक्षों से सम्मान तथा सराहना प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ पुरस्कारों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- **आईपीई निगमित शासन पुरस्कार:** एनएचपीसी को लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) द्वारा 28 नवम्बर, 2012 को कारपोरेट शासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट पहलों हेतु 'आईपीई कारपोरेट शासन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।
- **राजभाषा प्रोत्साहन हेतु प्रथम पुरस्कार:** दिनांक 24 सितम्बर, 2012 को श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए एनएचपीसी को सभी पीएसयू में से प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **आईपीपीआई विद्युत पुरस्कार में 'श्रेष्ठ विद्युत उत्पादक (हाइड्रो)' का विजेता:** एनएचपीसी को 24 अगस्त, 2012 में गोवा में आयोजित '13वें नियामक तथा नीति-निर्माता रीट्रीट 2012' समारोह में "श्रेष्ठ विद्युत उत्पादक (हाइड्रो)" का पुरस्कार प्रदान किया गया था।

- **कार्यनिष्ठादन उत्कृष्टता पुरस्कार:** भारतीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान (आईआईआईई) द्वारा संस्थापित, यह पुरस्कार जून, 2012 में वित्त वर्ष 2010-11 के लिए एनएचपीसी को प्रदान किया गया था।
- एनएचपीसी को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के साथ मिल कर ग्रीनटेक फाउन्डेशन द्वारा संस्थापित प्रशिक्षण उत्कृष्टता में रजत पुरस्कार प्रदान किया गया था।

25. कारपोरेट अभिशासन

सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन पर एक पृथक सेक्शन **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के पालन के संबंध में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव से एक प्रमाण-पत्र **अनुबंध-II** में दिया गया है जो कि निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

समय-समय पर यथा संशोधित सूचीकरण समझौते के खंड 49(VI)(च) और कारपोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक पृथक रिपोर्ट **अनुबंध-III** में दी गई है जो कि निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

27. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेदन और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (च), जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा जाता है, के संदर्भ में अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेदन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय सम्बन्धित जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुबंध-IV** में दी गयी है, जो कि निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

28. कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (2क) जिसे कंपनी (निदेशक मंडल सम्बन्धी विवरण का प्रकटीकरण) नियमावली, 1975, यथा संशोधित, के साथ पढ़ा जाता है, की अनुपालन में अपेक्षित सूचना **अनुबंध-V** में दी गयी है जो कि निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है। यह सूचना एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (संयुक्त उद्यमों एवं अनुषंगियों को छोड़कर) में 31 मार्च 2013 को 10,418 कर्मचारी थे। पूरे वर्ष के दौरान 60 लाख रुपये वार्षिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले दो कर्मचारी थे और और वर्ष के किसी एक भाग हेतु नियोजित पांच लाख रुपये महीना से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों की संख्या 55 थीं।

29. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

सूचीकरण समझौते के खंड 55 के अनुपालन में, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट पर एक पृथक खंड इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

30. एनएचपीसी में धारणीय विकास

धारणीय विकास पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में विहित किए अनुसार, एनएचपीसी में धारणीय विकास पर एक पृथक अध्याय **अनुबंध-VII** में दिया गया है जो कि इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

31. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

नैतिक तथा सामाजिक रूप से प्रेरित एनएचपीसी ने समाज के आर्थिक विकास और भीतर तथा बाहरी दोनों हितबद्धों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के प्रति योगदान दिया है। एनएचपीसी की लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक धारणीय विकास नीति है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कई सामुदायिक विकास पहलें की गई हैं:

शिक्षा:

शिक्षा के मामले में एनएचपीसी बढ़-चढ़ कर आगे आती है, विशेष रूप से निर्धन तथा वंचित महिलाओं के मामले में।

विभिन्न परियोजना/विद्युत स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार केन्द्र/उत्कृष्टता योजना केन्द्र (सीओई) के माध्यम से कुल 11 आईटीआई (जम्मू एवं कश्मीर में पांच, उत्तराखंड में चार और अरुणाचल प्रदेश में दो) को अंगीकार गया है।

महिला सशक्तिकरण: एनएचपीसी ने कई प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सराहनीय कार्य किया है। यह निकटवर्ती सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समाज के पिछड़े तबके की मेधावी, पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। आपकी कंपनी ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किए हैं।

परियोजना/विद्युत स्टेशन/टाऊनशिप के आसपास के क्षेत्रों में स्कूल खोले गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे अपनी शैक्षणिक महत्वाकांक्षा और स्वपनों को बिना किसी आर्थिक बाधा के प्राप्त कर सकें।

स्वास्थ्य:

स्वास्थ्य एक प्रमुख मुद्दा है जिसे आपकी कंपनी काफी गंभीरता से लेती है। इसने वर्ष के दौरान परियोजना/विद्युत स्टेशनों के आस-पास के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों/व्यक्तियों को निःशुल्क दवाएं वितरित की।

महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए, एनएचपीसी द्वारा एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है जो महिलाओं को आधारभूत सुविधा दिए जाने तथा उनकी उपयोगिताओं का ध्यान रखता है। एनएचपीसी परियोजनाओं, विद्युत स्टेशनों तथा टाऊनशिप के आसपास स्कूल, स्वच्छता से लेकर मातृत्व केन्द्र तक मुहैया करवाए गए हैं। आपकी कंपनी ने अपनी पहुंच के भीतर सभी संभव कदम उठाए हैं। इन कदमों से इन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है।

ग्रामीण खेल: ग्रामीण खेलों को प्रायोजकता/उपकरण तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवा कर बढ़ावा दिया जा रहा है।

32. सूचना अधिकार अधिनियम 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने विभिन्न दस्तावेज/रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किए थे।

इस जानकारी पर राष्ट्रव्यापी पहुंच सुलभ बनाने के लिए प्रत्येक विद्युत स्टेशन/परियोजना/क्षेत्रीय कार्यालय/यूनिट के स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।

33. सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिए मैसर्स एस.एन.नन्दा एण्ड कम्पनी, दिल्ली, मैसर्स सिंघी एण्ड कम्पनी, कोलकाता, मैसर्स बवेजा एण्ड कौल, जम्मू और मैसर्स तिवारी एण्ड एसोसिएट्स, दिल्ली को संयुक्त रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

34. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कम्पनी द्वारा टिप्पणी संख्या 30 द्वारा शामिल की गई विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां से संबंधित है, जो स्वतः स्पष्ट हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ उस पर प्रबंधन का उत्तर **संलग्नक-VIII** में दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां **संलग्नक-IX** में दी गयी है। कम्पनी का समेकित वित्तीय विवरण लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ **संलग्नक-X** में दिया गया है।

35. लागत लेखा परीक्षक

लागत लेखांकन रिकार्ड (विद्युत उद्योग) नियमावली 2001 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखों का रखरखाव कंपनी के सभी विद्युत केंद्रों द्वारा 2002-03 से रखा जा रहा है। 2012-13 के लिए लागत लेखा-परीक्षा प्रगति पर है। लागत लेखा परीक्षक की निम्न लिखित फर्मों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के तहत वित्त वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्येक फर्म के सामने दर्शाए गए विद्युत केन्द्र के लागत लेखांकन रिकार्डों की लेखा-परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है।

फर्म का नाम	विद्युत केन्द्र का नाम
मैसर्स चन्द्रा वधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली	धौलीगंगा पावर स्टेशन और टनकपुर पावर स्टेशन
मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, फरीदाबाद, (हरियाणा)	बैरास्यूल पावर स्टेशन एवं चमेरा-II पावर स्टेशन
मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली	सलाल पावर स्टेशन और दुलहस्ती पावर स्टेशन
मैसर्स रवि साहनी एंड कंपनी, नई दिल्ली	उडी-I पावर स्टेशन और लोकतक पावर स्टेशन
मैसर्स बहादुर मुराओ एंड कंपनी, दिल्ली	रंगित पावर स्टेशन और तीस्ता-V पावर स्टेशन
मैसर्स आर एम बंसल एंड कम्पनी, कानपुर	सेवा-II पावर स्टेशन और चमेरा-I पावर स्टेशन
मैसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएट्स, भुवनेश्वर	चूटक पावर स्टेशन और चमेरा-III पावर स्टेशन

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क, लीड लेखा परीक्षक द्वारा समेकित की गई लागत लेखा परीक्षक रिपोर्ट 28 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत की गई थी। उक्त को फाइल करने की निर्धारित तारीख 31 दिसम्बर, 2012 थी। जिन लागत परीक्षा फर्मों के ब्योरे वित्त वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तुत किए गए, उन्हें नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	पावर स्टेशन	लागत लेखा परीक्षक का नाम	सदस्यता संख्या	पता
1.	उडी I	मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी	13848	बीएल-4, पश्चिमी, शालीमार बाग - 110 088, नई दिल्ली
2.	दुलहस्ती	मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी	13848	बीएल-4, पश्चिमी, शालीमार बाग - 110 088, नई दिल्ली
3.	सलाल	मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी	56	31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली-110 052
4.	चमेरा-I	मैसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी	3323	ए-201, टिवन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024
5.	बैरा स्यूल	मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क	2724	365, सेक्टर-15, फरीदाबाद - 121 007 (हरियाणा)
6.	चमेरा-II	मैसर्स कृष्ण सिंह बर्क	2724	365, सेक्टर-15, फरीदाबाद - 121 007 (हरियाणा)
7.	लोकतक	मैसर्स आर.जे.गोयल एंड कंपनी	56	31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-1, नई दिल्ली- 110 052
8.	रंगित	मैसर्स डी. दत्त एंड एसोसिएट्स	11633	58, क्रीक रो, कोलकाता-700014
9.	तीस्ता-V	मैसर्स डी. दत्त एंड एसोसिएट्स	11633	58, क्रीक रो, कोलकाता- 00014
10.	धौलीगंगा	मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी	6797	204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भरत राम रोड़, दरियागंज-110002, नई दिल्ली
11.	टनकपुर	मैसर्स चन्द्रा वाधवा एंड कंपनी	6797	204, कृष्णा हाऊस, 4805/24, भरत राम रोड़, दरियागंज-110002, नई दिल्ली
12.	सेवा-II	मैसर्स आर.एम.बंसल एंड कंपनी	3323	ए-201,टिवन टावर्स, लखनपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208024

36. समेकित वित्तीय विवरण:

लेखांकन मानक एएस-21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण, जिसे एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन मानक एएस-23 और संयुक्त उद्यमों में हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में लेखांकन मानक एएस-27 के साथ पढ़ा जाता है, वार्षिक रिपोर्ट में लेखा-परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के अंतर्गत दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसार धारक कंपनी का अनुषंगी कंपनी में हित संबंधी विवरण वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

37. अनुषंगी कंपनियां

आपकी कंपनी की दो अनुषंगी कंपनियां एनएचडीसी लिमिटेड और लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड हैं। इन कंपनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

मैसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एनएचपीसी द्वारा 31.03.2013 को इसकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक धारित होने के चलते इसकी एक अनुषंगी बन गई है। विस्तृत जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

एनएचडीसी लिमिटेड, लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखे कंपनी के तुलन-पत्रक के साथ संबद्ध नहीं किए गए हैं। भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र के अनुसार कोई भी शेयरधारक, जो अनुषंगी कंपनियों से संबंधित इन रिपोर्टों की प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो, एनएचपीसी लिमिटेड के कंपनी सचिव को पत्र लिख सकता है। यह जानकारी एनएचपीसी वेबसाइट www.nhpcindia.com पर भी उपलब्ध है।

अनुषंगी कंपनियों के वार्षिक लेखे निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और संबंधित अनुषंगी कंपनी के कार्यालय में भी रखे गए हैं।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय परिणाम भी शामिल हैं।

38. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशक एतद्वारा निम्न की पुष्टि करते हैं:

- वार्षिक लेखों की तैयारी में प्रयोज्य लेखांकन मानदंड का अनुसरण किया गया है और तत्संबंधी महत्वपूर्ण विचलन के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो इतने युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हैं, कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित झलक प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने पूरी क्षमता एवं सत्यनिष्ठा से परिसंपत्तियों के संरक्षण और जाल-साजी के निवारण तथा उसका पता लगाने और अन्य अनियमितताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकार्ड के रखरखाव के लिए उचित उपाय किए हैं; और
- निदेशकों ने “अनवरत सरोकार” आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

39. हाल की घटनाएं

उत्तराखंड में हाल में बादल फटने और भारी बाढ़ से, धौलीगंगा विद्युत स्टेशन (280 मेगावाट) में बाढ़ का पानी भर गया जिससे 17 जून, 2013 के प्रातःकालीन घंटों में सभी प्रणालियां डूब गईं। परिणामस्वरूप, संयंत्र से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ है और जल्द से जल्द विद्युत उत्पादन को पुनः चालू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पानी से परियोजना के विभिन्न सहायक ढांचों जैसे सड़कों, आवासीय तथा गैर-आवासीय भवनों को क्षति पहुंची है। विद्युत स्टेशन को जल विद्युत स्टेशन हेतु मेगा सभी जोखिम बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है।

40. निदेशक मंडल

वर्तमान निदेशक मंडल का विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है।

पिछली रिपोर्ट से, श्री ए.गोपालाकृष्णन को 10 मार्च, 2013 को निदेशक के रूप में पुनःनियुक्त किया गया था, जो 3 दिसम्बर, 2012 को उनके पूर्व के कार्यकाल को पूर्ण करने के पश्चात था।

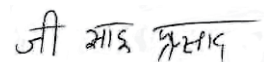
41. आभार

आपका निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न स्कन्धों, विशेष कर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों, हमारे पावर स्टेशनों से विद्युत प्राप्त करने वाले लाभार्थियों और परामर्श कार्यों से सम्बद्ध अन्य बहुमूल्य ग्राहकों का कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और भारतीय वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, ऋणदाताओं और निवेशकों से मिले सहयोग एवं एनएचपीसी पर किए गए विश्वास के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल कंपनी के वांछित लक्ष्यों को हासिल करने में ठेकेदारों, विक्रेताओं, परामर्शदाताओं और अन्य लोगों द्वारा दिए गए योगदान की भी सराहना करता है और उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल सांविधिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभार व्यक्त करता है तथा उनसे प्राप्त सतत सहायता एवं सहयोग हेतु कृतज्ञता व्यक्त करता है।

इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल एनएचपीसी के सभी कर्मचारियों के कठिन परिश्रम, समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना करता है, जिनसे आपकी कंपनी सफलता के शिखर पर पहुंची है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से



(जी. साइ प्रसाद)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या 00325308

तारीख : 23.07. 2013

स्थान : नई दिल्ली

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. अभिशासन संहिता पर कंपनी का विचार

एनएचपीसी ने कारपोरेट अभिशासन के एक ऐसे ढांचे को स्थापित किया है जो शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण, शेयरधारकों की सम्पत्ति में अधिकतम वृद्धि और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देता है। आपकी कंपनी का प्रबंधन कंपनी के शेयरधारकों की ओर से अपनी न्यायी की भूमिका को स्वीकार करता है। एनएचपीसी में प्रबंधन अपनी प्रतिबद्धता को एक विवेकसम्मत, उचित तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। प्रबंधन का यह मानना है कि यह वैधानिक मजबूरी मात्र नहीं है, बल्कि इन्हें एक जीवन शैली के रूप में अपनाया जाता है।

एक सूचीबद्ध निकाय होने के नाते, आपकी कंपनी सूचीकरण करार में यथानिर्धारित कारपोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं के अनुपालन के अतिरिक्त, भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करती है।

2. निदेशक मंडल

(i) **बोर्ड का आकार:** एनएचपीसी कंपनी अधिनियम, 1956, की धारा 617 के अर्थों के तहत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की संख्या 4 निदेशकों से कम तथा 15 से अधिक नहीं होगी, परंतु, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में बोर्ड की वास्तविक संख्या के आधे से कम नहीं होनी चाहिए।

(ii) **बोर्ड का गठन:** वर्तमान में, कंपनी के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के बोर्ड (निदेशक मंडल) में 13 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा सात स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री जी.साइ प्रसाद, एक सरकारी नामित निदेशक, संयुक्त सचिव (हाइड्रो) के रूप में अपने कार्यभार के अतिरिक्त 24 जुलाई, 2012 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी धारण किए हुए है।

निदेशकों के नाम तथा उनकी श्रेणी, वर्ष के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति, और साथ ही साथ अन्य सभी कंपनियों में सूचीकरण करार के तहत निदेशकों की संख्या और विभिन्न समितियों (लेखापरीक्षा समिति और अंशधारक शिकायत समिति) में उनके द्वारा धारित पदों का ब्योरा नीचे तालिका-1 में दिया गया है।

तालिका-1 : निदेशकों की श्रेणियां और उनके द्वारा धारित डायरेक्टरशिप तथा समिति पद

निदेशक का नाम	निदेशकों से सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें हिस्सा लिया	पिछली एजीएम (17.09.12 को हुई) में उपस्थिति	31.03.2013 को धारित अन्य निदेशक पद#		31.03.2013 को अन्य समितियों की संख्या, जिनकी सदस्यता धारित की हो##	
				सार्वजनिक	निजी	अध्यक्ष	सदस्य
कार्यपालक निदेशक							
श्री ए बी एल श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) *	12	12	हां	शून्य	शून्य	शून्य	1
श्री डी पी भार्गव, निदेशक (तकनीकी)	12	11	हां	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री जे के शर्मा, निदेशक (परियोजनाएं)	12	12	हां	शून्य	1	शून्य	शून्य
श्री आर एस मीना, निदेशक (कार्मिक)	12	12	हां	1	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक							
श्री जी साइ प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय	12	12	-	5	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए एस बख्शी, अध्यक्ष, सीईए	12	04	-	-	-	-	-
स्वतंत्र निदेशक							
श्री जी एस वेदी	12	12	-	2	शून्य	1	2
श्री ए के मागो	12	12	हां	1	शून्य	1	शून्य

निदेशक का नाम	निदेशकों से सम्बद्ध कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या, जिनमें हिस्सा लिया	पिछली एजीएम (17.09.12 को हुई) में उपस्थिति	31.03.2013 को धारित अन्य निदेशक पद#		31.03.2013 को अन्य समितियों की संख्या, जिनकी सदस्यता धारित की हो##	
				सार्वजनिक	निजी	अध्यक्ष	सदस्य
श्री आर जयसीलन	12	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री अशोक कुमार दत्ता	12	07	-	3	1	शून्य	2
श्री अतुल कुमार गर्ग	12	12	-	शून्य	शून्य	शून्य	1
श्री शांतिकम् हज़रिका	10	08	हां	1	2	1	शून्य
श्री ए गोपालकृष्णन**	09	08	हां	1	शून्य	शून्य	1

टिप्पणी:

- * श्री ए बी एल श्रीवास्तव के पास निदेशक (वित्त) के प्रभार के अलावा दिनांक 23 जुलाई, 2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार भी था।
- ** श्री ए.गोपालकृष्णन 3 दिसम्बर, 2012 से निदेशक नहीं रहे थे और उन्हें 10 मार्च, 2013 से बोर्ड में पुनःनियुक्त किया गया था।
- # इस सारिणी में उल्लिखित निदेशकों के अन्य निदेशक पद धारण में वैकल्पिक निदेशक पद, विदेशी कंपनियों में निदेशक पद और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत कंपनियों में निदेशक पद को शामिल नहीं किया गया है।
- ## अन्य समिति सदस्यता के अंतर्गत केवल लेखा-परीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति की सदस्यता शामिल है।
- कंपनी के निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।

- (iii) **निदेशकों की आयु सीमा और कार्य अवधि:** पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से 5 वर्ष की अवधि अथवा उम्मीदवार की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आगामी आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, तक के लिए होती है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले, सरकार द्वारा नामित निदेशक नामित करने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार के अनुसार अथवा विद्युत मंत्रालय के अधिकारी न रहने पर बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा सामान्यतः 3 वर्ष तक के लिए की जाती है।
- (iv) **निदेशकों का जीवन-वृत्त:** चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, उन कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक का पद धारित किए हुए हैं, और बोर्ड की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता को वार्षिक आम बैठक को बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी निदेशकों की संक्षिप्त रूप-रेखा रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं पर दी गई है।
- (v) **गैर कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण:** कंपनी ने गैरकार्यकारी सरकारी नामित निदेशकों को किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया है। तथापि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के निदेशक मंडल तथा समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 15,000 रुपये प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल तथा विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के रूप में किए गए भुगतान का विवरण नीचे तालिका 2 में दिया गया है:

तालिका 2: स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का ब्योरा

स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क (रुपये में)*		कुल (रुपये में)
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
श्री जी एस वेदी	1,80,000	2,85,000	4,65,000
श्री ए के मागो	1,80,000	3,30,000	5,10,000
श्री आर जयसीलन	1,65,000	2,10,000	3,75,000
श्री अशोक कुमार दत्ता	1,05,000	75,000	1,80,000
श्री अतुल कुमार गर्ग	1,80,000	1,50,000	3,30,000
श्री शांतिकम् हज़रिका	1,20,000	1,50,000	2,70,000
श्री ए गोपालकृष्णन	1,20,000	2,10,000	3,30,000

* बैठक शुल्क में निदेशक मंडल द्वारा गठित सभी समितियों का शुल्क शामिल है।

31 मार्च 2013 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका 3: 31 मार्च 2013 को निदेशकों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री जी.साइ प्रसाद	शून्य
श्री ए बी एल श्रीवास्तव	49,875
श्री डी पी भार्गव	20,000
श्री जे के शर्मा	4,550
श्री आर एस मीना	42,000
श्री ए एस बख्शी	शून्य
श्री जी एस वेदी	शून्य
श्री ए के मागो	शून्य
श्री आर जयसीलन	शून्य
श्री अशोक कुमार दत्ता	शून्य
श्री अतुल कुमार गर्ग	शून्य
श्री शांतिकम् हज़रिका	शून्य
श्री ए गोपालकृष्णन	शून्य

(vi) बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाविधि:

(क) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:** कंपनी ने समस्त कारपोरेट मामलों के व्यावसायीकरण की संवीक्षा के साथ निदेशक मंडल के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया है। इन दिशा-निर्देशों का लक्ष्य बोर्ड की बैठकों में निर्णय करने की प्रक्रिया को विवेकपूर्ण एवं सक्षमतापूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित करना है।

(ख) **बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यवृत्त का निर्धारण और चयन:**

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन लेने के उपरांत संगत नोटिस जारी करने के बाद बैठकें आयोजित की जाती हैं। विस्तृत कार्य सूची नोट, प्रबंधन रिपोर्ट, और अन्य व्याख्यात्मक विवरण बैठक से पूर्व सभी सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, विवेकसम्मत एवं संकेन्द्रित निर्णय किए जा सकें। जब किसी तात्कालिक मुद्दे का समाधान करना हो, तो संक्षिप्त नोटिस पर बैठक बुलाई जाती है अथवा परिपत्र द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण अथवा विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, किसी अतिरिक्त अथवा पूरक दस्तोवज को कार्यसूची नोट के साथ संलग्न करना व्यावहारिक न हो, तो ऐसे कागजात बैठक में टेबल पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
- कार्य सूची दस्तावेज कार्यकारी निदेशक/सीएमडी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद परिचालित किए जाते हैं।
- बैठकों का आयोजन फरीदाबाद अथवा नई दिल्ली स्थित कंपनी के कार्यालयों में किया जाता है।
- जब और जैसी आवश्यकता हों, वित्त, कार्य प्रणाली, मानव संसाधन इत्यादि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतिकरणों को बोर्ड/समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है ताकि सदस्य विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।
- बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की समस्त सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। बोर्ड/समिति के सदस्यों को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे मुद्दे की अनुशंसा कर सकता है जो वह कार्यसूची में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण समझता हो। आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड/समिति द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बैठक में बुलाया जा सकता है ताकि विचारित मुद्दों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके।

(ग) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:** बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त-पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त अगली बोर्ड की बैठक में पुष्टि के लिए सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

(घ) **अनुवर्ती तंत्र:** बोर्ड/समिति के मार्ग दर्शन के आधार पर, बोर्ड/समिति के सदस्यों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को अगली बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है जो निर्णयों पर एक प्रभावी अनुवर्तन, समीक्षा एवं रिपोर्टिंग में सहायता करता है।

(ङ) **अनुपालन करना:** कार्यवृत्त टिप्पणी तैयार करते समय हमारा यह प्रयास होता है कि विधि के प्रावधानों, नियमों, और दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी दिशा-निर्देशों, सूचीबद्ध करार एवं विभिन्न अन्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। निदेशक मंडल कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की जाने वाली विधि अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

बोर्ड को निम्नांकित जानकारी नियमित रूप से प्रदान की जाती है:

- वार्षिक संचालन योजनाएं, बजट तथा तत्संबंधी कोई अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन जानकारी।
- कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
- बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- विभिन्न स्थलों/यूनिटों पर घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी इकाइयों, संयुक्त उद्यमों और कार्यनीतिक भागीदारों का गठन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/प्रतिष्ठानों में उनके द्वारा धारित किए गए निदेशक पदों और समिति पदों के बारे में उनके हितों का प्रकटीकरण।
- संयुक्त उद्यमों/सहभागिता करारों, आदि का विवरण।
- बड़ी संविदाएं प्रदान किया जाना।
- नामांकन आधार पर प्रदान किए गए खरीद/निर्माण/अनुबंधों के संदर्भ में तिमाही जानकारी।
- विधि एवं लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्य मदें।

वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की 12 बैठकें हुईं। कंपनी ने प्रत्येक 3 माह के दौरान बोर्ड की कम से कम एक बैठक की और बोर्ड की दो बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने से अधिक का अंतराल नहीं रहा। वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का ब्योरा नीचे तालिका-4 में दिया गया है।

तालिका-4 : वर्ष 2012-13 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकें

क्र.सं.	बोर्ड बैठक संख्या	तारीख	बोर्ड सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	345	10 अप्रैल, 2012	12	11
2.	346	4 मई, 2012	12	12
3.	347	25 मई, 2012	13	12
4.	348	6 जुलाई, 2012	13	10
5.	349	7 अगस्त, 2012	13	11
6.	350	31 अगस्त, 2012	13	11
7.	351	26 सितम्बर, 2012	13	10
8.	352	20 अक्टूबर, 2012	13	12
9.	353	31 अक्टूबर, 2012	13	11
10.	354	12 दिसम्बर, 2012	12	11
11.	355	5 जनवरी, 2013	12	11
12.	356	5 फरवरी, 2013	12	11

(vii) **आचार संहिता:** कंपनी व्यापार नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यापार करने और प्रचलित कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। एतद्वारा इस बात की पुष्टि की जाती है कि निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए निर्धारित कार्य व्यापार आचार संहिता तथा नैतिकता सभी संबद्ध पक्षों के बीच परिचालित की गयी और वर्ष 2012-13 के दौरान उन सभी का अनुपालन किया गया।

सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 और लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित घोषणा

बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

जी. साइ प्रसाद

(जी. साइ प्रसाद)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन संख्या : 00325308

दिनांक : 4 जून, 2013

स्थान : नई दिल्ली

(viii) **कपट निवारण और जोखिम प्रबंधन नीति:** जोखिम प्रबंधन प्रणाली कारपोरेट एवं प्रचालनगत उद्देश्यों के अनुरूप एवं एकीकृत है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यापार प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाता है और विभिन्न समयों पर एक अलग कार्य के रूप में नहीं देखा जाता। जालसाजी निवारण और जोखिम प्रबंधन के बारे में कंपनी ने अलग से नीतियां निर्धारित की हैं।

(ix) **बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:** जब भी बोर्ड द्वारा नए निदेशकों की नियुक्ति की जाती है, तो उन्हें कंपनी के लक्ष्य, रणनीतिक दिशा, वित्तीय मामलों सहित बुनियादी मूल्यों और व्यापार प्रचालनों के संबंध में औपचारिक प्रारंभिक एवं अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें कंपनी की प्रक्रियाओं और पद्धतियों को समझने में मदद पहुंचाने के लिए आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर्स, रिपोर्ट तथा विभागीय नीति दस्तावेज भी मुहैया कराए जाते हैं। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बोर्ड सदस्यों हेतु प्रशिक्षण पर एक नीति निरूपित की गई है। इस नीति का उद्देश्य बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों को जोखिम प्रोफाइल सहित कंपनी के व्यापार मॉडल में अपने कौशलों की वृद्धि करने का एक अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में समर्थ हो सकें। यह नीति बोर्ड सदस्यों पर लागू होने वाले निगमित शासन के श्रेष्ठ व्यवहारों और व्यापार आचरण तथा नीति-शास्त्र संहिता के साथ उनके संपर्क को समृद्ध करने का भी प्रयास है।

उक्त के अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के लिए कार्यस्थल निरीक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने पर विचार किया जाता है।

(x) **एनएचपीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए संहिता:** भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम) विनियम, 1992 की अपेक्षा के अनुसार एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी प्रतिभूतियों में आंतरिक ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक संहिता कार्यान्वित की है। बोर्ड के समक्ष मूल्य संवेदी सूचना को रखे जाते समय निर्धारित कर्मचारियों हेतु व्यापार खिड़की बंद रहती है।

3. निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां:

बोर्ड ने व्यापार के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख के लिए समितियों का गठन किया है। बोर्ड द्वारा निम्नांकित स्थायी समितियों का गठन किया गया है:

1. लेखा-समिति
2. शेयरधारक शिकायत समिति
3. संविदाओं से संबंधित निदेशक समिति
4. पारिश्रमिक समिति
5. एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन पश्चात गतिविधियों से संबंधित निदेशक समिति
6. आईपीओ की निवेश प्राप्तियों से संबंधित निदेशक समिति
7. स्वबीमा निधि से संबंधित निदेशक समिति
8. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति
9. परियोजनाएं एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति

(i) लेखा-परीक्षा समिति:

लेखा-परीक्षा समिति का संविधान, कोरम, कार्य क्षेत्र आदि कंपनी अधिनियम, 1956, सूचीबद्ध समझौते और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। 31 मार्च, 2013 के अनुसार लेखा-परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार था:

i)	श्री ए के मागो	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्री जी एस वेदी	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री अतुल कुमार गर्ग	स्वतंत्र निदेशक
iv)	श्री ए. गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति: समिति की बैठक वर्ष में 11 बार अर्थात् 2 अप्रैल, 2012; 24 मई, 2012; 5 जुलाई, 2012; 6 अगस्त, 2012; 17 सितम्बर, 2012, 19 अक्टूबर, 2012; 30 अक्टूबर, 2012; 27 नवम्बर, 2012, 4 जनवरी, 2013; 5 फरवरी, 2013 और 25 मार्च, 2013 को हुई। लेखा समिति की बैठकों में सदस्यों के भाग लेने संबंधी ब्योरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है:

तालिका-5: लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें

क्र.स.	2012-13 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए गोपालकृष्णन	9*	8
2	श्री ए के मागो	11	11
3	श्री जी एस वेदी	11	11
4	श्री अतुल कुमार गर्ग	9**	7

* श्री ए.गोपालाकृष्णन 3 दिसम्बर, 2012 से निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के पूर्ण होने के चलते लेखा-परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे थे और उन्हें बाद में दिनांक 20 मार्च, 2013 के परिपत्र प्रस्ताव को पारित करते हुए बोर्ड द्वारा लेखा-परीक्षा समिति में नियुक्त किया गया था।

** श्री अतुल कुमार गर्ग को 25 मई, 2012 को आयोजित 347वीं बैठक में बोर्ड द्वारा लेखा-परीक्षा समिति में नियुक्त किया गया था।

लेखा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त) और विभागीय लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष/प्रतिनिधि और सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लिया। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 4 महीने से अधिक समय का अंतराल कभी नहीं रहा। कंपनी सचिव ने लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में काम किया।

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें: लेखा-परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 1956, सूचीबद्ध करार, समय-समय पर यथा संशोधित, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं:

- 1 कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण और उसकी वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त, और विश्वसनीय है।
- 2 लेखा-परीक्षा शुल्क निर्धारित करने की सिफारिश बोर्ड को भेजना।
- 3 सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी देना।
- 4 वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, विशेषकर निम्नांकित के संदर्भ में प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना:
 - क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड (2कक) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करने के लिए अपेक्षित मामले;
 - ख) लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उनके लिए कारण;
 - ग) प्रबंधन द्वारा अपने विवेक के आधार पर लगाए गए अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
 - घ) लेखा-परीक्षा निष्कर्षों के कारण वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
 - ङ) वित्तीय विवरण से संबंधित वैधानिक अपेक्षाओं को अनुपालन;
 - च) संबंधित पक्ष लेन-देन से संबद्ध कोई प्रकटीकरण; और
 - छ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में शर्तें (क्वालिफिकेशन्स)।
- 5 तिमाही वित्तीय विवरण को मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रबंधन के साथ मिलकर उसकी समीक्षा करना।
- 6 आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ मिलकर समीक्षा करना।
- 7 आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के ढांचे सहित, उसमें कर्मचारियों की संख्या, और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग ढांचे की कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई हो, की पर्याप्तता की समीक्षा।
- 8 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श।
- 9 ऐसे मामलों में, जहां किसी धोखेबाजी या अनियमितता अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की महत्वपूर्ण विफलता का संदेह हो और विभागीय लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की जांच के बाद निष्कर्ष सामने आए हों, तो उनकी समीक्षा करना और मामले की जानकारी बोर्ड को देना।
- 10 कंपनी की लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा के स्वरूप और क्षेत्र के बारे में बातचीत करना तथा लेखा-परीक्षा पूरी हो जाने पर फिर से उनके साथ बातचीत करना ताकि किसी महत्वपूर्ण सरोकार का पता लगाया जा सके।
- 11 जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयर होल्डरों और ऋणदाताओं को भुगतान में कोई बड़ी चूक होने के कारणों का पता लगाना।
- 12 व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कार्यकरण की समीक्षा करना।
- 13 लेखा-परीक्षा समिति की संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना।
- 14 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखापरीक्षा में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 15 लोक उद्यमों से सम्बद्ध संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
- 16 स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार के लिए एक मुक्त आयाम प्रदान करना।
- 17 कम्पनी में सम्बन्धित पक्ष के सभी प्रकार के कारोबार को पूर्व-मंजूरी देना और उसकी समीक्षा करना। इस प्रयोजन के लिए लेखा-परीक्षा समिति, किसी सदस्य का नाम निर्दिष्ट कर सकती है, जो सम्बन्धित पक्ष के कारोबार को पूर्व-मंजूरी प्रदान करेगा।
- 18 स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ मिलकर लेखा-परीक्षा प्रयासों में समन्वय की समीक्षा करना ताकि विषयों के कवरेज की पूर्णता सुनिश्चित की जा सके, व्यर्थ के प्रयासों में कमी लायी जा सके, और सभी लेखा-परीक्षा संसाधनों का प्रभावकारी इस्तेमाल किया जा सके।

19 स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और प्रबंधन के साथ मिलकर निम्नांकित विषयों पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना:

- कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षक और आंतरिक लेखा-परीक्षक की सिफारिशों और निष्कर्षों तथा उन पर प्रबंधन द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना।

20 निम्नांकित विषयों पर प्रबंधन, आंतरिक लेखा-परीक्षक और स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के साथ विचार करना और उनकी समीक्षा करना:

- पिछली लेखा परीक्षा सिफारिशों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण निष्कर्ष, और
- अपेक्षित जानकारी तक पहुंच या तत्सम्बन्धी गतिविधियों के क्षेत्र पर किसी प्रकार के प्रतिबंधों सहित, लेखा परीक्षा कार्य के दौरान सामने आयी किसी प्रकार की कठिनाइयां।

(ii) शेयर धारक शिकायत समिति:

संघटन: 31, मार्च 2013 को समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री शांतिकम हज़ारिका	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
ii)	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
iii)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठकें- 20 अक्टूबर, 2012; 5 फरवरी, 2013 और 21 मार्च 2013 को हुईं। शेयरधारक शिकायत समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-6 में दिया गया है।

तालिका-6: शेयर धारक शिकायत समिति की बैठकें

क्र.स.	समिति के सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री शांतिकम हज़ारिका	3	3
2	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	3	3
3	श्री अशोक कुमार दत्ता	3	2

समिति की संदर्भ की शर्तें: शेयरधारक शिकायत समिति को अन्य बातों के अलावा शेयर धारकों और/या निवेशकों की शिकायतों और/या शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश भुगतान, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र न मिलने सम्बन्धी शिकायतों, शेयरों के ट्रांसमिशन (कानूनी प्रतिनिधि के साथ या के बिना) और अन्य विविध शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार होगा।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री विजय गुप्ता, कम्पनी सचिव सूचीबद्ध समझौते के खंड के 47(क) के संदर्भ में समिति के अनुपालन अधिकारी हैं।

शेयर धारकों से प्राप्त शिकायतें: 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरधारकों की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की सिवाय विवादों अथवा कानूनी बाधाओं से बाधित मामलों के वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई शिकायतों का ब्योरा तालिका-7 में दिया गया है।

तालिका-7: शेयर धारकों की शिकायतें:

विवरण	1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभिक शेष	31, मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	31, मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निपटारा की गई शिकायतें	31, मार्च 2013 को लंबित शिकायतें
रिफंड ऑर्डर प्राप्त न होना	शून्य	177	177	शून्य
लाभांश वारंट प्राप्त न होना	शून्य	2986	2986	शून्य
सेबी शिकायतें	1	132	126	7
स्टॉक एक्सचेंज शिकायतें	शून्य	17	17	शून्य
उपभोक्ता मंच/अदालती मामले	3	शून्य	1	2
वकील के नोटिस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	4	3312	3307	9

31 मार्च, 2013 को लंबित निवेशक शिकायतों पर बाद में कार्रवाई की गई है।

सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (स्कोर्स) - सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु सेबी की ऑनलाइन पोर्टल

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) “स्कोर्स” नामक एक वेब आधारित शिकायत समाधान प्रणाली प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से कोई शेयरधारक किसी कंपनी के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ही कोई शिकायत दर्ज होती है, उसे भविष्य के संदर्भ तथा ट्रैकिंग हेतु एक अनूठी पंजीकरण संख्या आवंटित की जाती है। संबंधित निकाय (मध्यस्थ या सूचीबद्ध कंपनी) इलेक्ट्रॉनिक रूप से कृत कार्रवाई रिपोर्ट को अपलोड करता है जिसे सेबी तथा

साथ ही साथ शिकायतकर्ता द्वारा भी देखा जा सकता है। संबंधित निकाय और शिकायतकर्ता एक-दूसरे को ऑनलाइन से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और/अथवा स्पष्टीकरण मुहैया करवा सकते हैं। सेबी शिकायत के पर्याप्त समाधान हेतु संतुष्ट होने पर उसका निपटान कर देती है।

कोई निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है अथवा जिसकी स्कोर्स पर पहुंच नहीं है, वह अपनी शिकायत भौतिक रूप में दर्ज करवा सकता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान स्कोर्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की गई। सेबी के दिनांक 3 जून, 2011 के परिपत्र सं.सीआईआर/ओआईई/2/2011 और दिनांक 13 अगस्त, 2012 के परिपत्र सं. सीआईआर/ओआईई/1/2012 के अनुपालन में रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट से यथा प्राप्त इन शिकायतों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) स्कोर्स के माध्यम से सेबी को प्रस्तुत की गई हैं।

अदा न की गई/अदावाकृत राशियों का निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में अंतरण: निवेशक शिक्षा तथा बचाव निधि (कंपनियों के पास अदान की गई तथा अदावाकृत राशि के संबंध में सूचना की अपलोडिंग) नियमावली, 2012 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी ने इसके पास पड़ी हुई अदा न की गई तथा अदावाकृत राशि के संबंध में ब्यौरे 17 सितम्बर, 2012 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की तिथि के अनुसार कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com), और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं।

शेयर अंतरण हेतु लंबित मामलों की संख्या: 31 मार्च, 2013 को शेयर अंतरण हेतु कोई अनुरोध लंबित नहीं था। सभी शेयर अंतरणों का अनुपालन स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा विहित समय के भीतर पूरा किया गया था; और एक प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के प्रमाण-पत्रों को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया है।

उचिन्त खाते में विद्यमान शेयरों का ब्योरा:

उचिन्त खाते में विद्यमान शेयरों का ब्योरा तालिका-8 में दिया गया है।

तालिका-8: उचिन्त खाते में शेयर

विवरण	मामलों की संख्या	शेयरों की संख्या
वर्ष के प्रारंभ में उचिन्त खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	511	211125
वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क करने वाले शेयर धारकों की संख्या	50	29173
उन शेयर धारकों की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान उचिन्त खाते से शेयर अंतरण किए गए	50	29173
वर्ष के अंत में उचिन्त खाते में शेयर धारकों की कुल संख्या और बकाया शेयर	461	181952

नोट : इन शेयरों के संदर्भ में वोटिंग का अधिकार तब तक प्रतिबंधित रहेगा जब तक कि सही मालिकों द्वारा ऐसे शेयरों पर दावा नहीं किया जाता।

(iii) संविदाओं संबंधी निदेशकों की समिति

संघटन: 31 मार्च, 2013 को संविदा संबंधी निदेशकों की समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :

i) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) - अध्यक्ष
ii) श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
iii) श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
iv) श्री आर. जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक
v) श्री शांतिकाम हजारिका*	स्वतंत्र निदेशक

* बोर्ड ने 6 जुलाई, 2012 को हुई अपनी 348वीं बैठक में श्री शांतिकाम हजारिका को उक्त समिति में नियुक्त किया था।

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की तीन 17 मई, 2012 को एक बैठक हुई थी। बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

समिति के संदर्भ की शर्तें: संविदाओं संबंधी निदेशकों की समिति की संदर्भ की शर्तें निम्नांकित हैं:

(क) एलओआई/संविदा सौंपना अथवा वादा करना जो 100 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 200 करोड़ रुपये के कम मूल्य के हैं, ये संलग्नक- क (सीएमडी, एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपे गए अधिकारों से बाहर/के सिवाय अधिकार) के मद संख्या 5 (क) (1), (2) एवं (3) में दिए गए हैं।

(ख) संविदा समझौते के बीओक्यू में इंगित मात्राओं के सम्बन्ध में मात्रा विविधता, नई मदों को शुरू करना, बीओक्यू के एक मद के स्थान पर दूसरे मद को प्रतिस्थापित करना, संविदा शर्तों से विचलन जिससे बोर्ड द्वारा अनुमोदित संविदाओं के संविदा मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक या 75 करोड़ रुपये से अधिक संघयी वृद्धि परन्तु यह 200 करोड़ रुपये सीमा के अंदर होगी, मूल्य विविधता के कारण संविदा समझौते में पहले से ही हुई बढ़ोतरी को छोड़कर जो भी कम है, आकस्मिकता के प्रावधान इत्यादि तथा नई सांविधिक आवश्यकताओं या वर्तमान सांविधिक आवश्यकताओं के कारण मूल्य विविधता।

(ग) ठेकेदारों की वजह से न होने वाले विलम्बों हेतु ठेकेदारों को निरर्थक शुल्कों, भाड़ा शुल्क तथा ब्याज का भुगतान जो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का नहीं होगा, जिसे बाध्यकारी कारणों में शामिल नहीं किया गया हो।

(घ) विवादित दावों की स्वीकृति, जो 10 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के न हो।

(iv) पारिश्रमिक समिति:

एनएचपीसी एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्तियां, उनके कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तथापि, निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, एक पारिश्रमिक समिति का गठन वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यपालकों तथा गैर-यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के मध्य विहित सीमाओं को भीतर वितरण हेतु नीति का निर्णय लेने के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2013 के अनुसार पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री जी. एस. वेदी	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्री शांतिकाम हजारिका	स्वतंत्र निदेशक
iii)	श्री अशोक कुमार दत्ता	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की पांच बैठकें- 17 मई, 2012, 22 जून, 2012, 6 अगस्त, 2012, 17 सितम्बर, 2012 और 4 जनवरी, 2013 को हुईं। पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-9 में दिया गया है।

तालिका-9: पारिश्रमिक समिति की बैठकें

क्र.स.	2012-13 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए. गोपाल कृष्णन	1*	1
2	श्री आर. जयसीलन	1*	1
3	श्री जी. एस. वेदी	5	5
4	श्री शांतिकाम हजारिका	4	4
5	श्री अशोक कुमार दत्ता	4	2

*श्री ए. गोपाल कृष्णन और श्री आर. जयसीलन 25 मई, 2012 से पारिश्रमिक समिति के सदस्य नहीं रहे थे।

समिति की संदर्भ की शर्तें:

- वार्षिक बोनस/कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) के वितरण और बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों में वितरण सम्बन्धी नीति की अनुशंसा करना।
- अन्य भत्ते और परिलब्धियों पर विचार करना और उन्हें निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए भेजना।

(v) एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति:

संघटन: 31 मार्च, 2013 के अनुसार एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी समिति में निम्नांकित सदस्य थे :

i)	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त) एवं - अध्यक्ष
ii)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
iii)	श्री आर. एस. मीना	निदेशक (कार्मिक)

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 18 बैठकें - 27 अप्रैल, 2012; 17 मई, 2012; 13 जून 2012; 26 जून, 2012; 10 जुलाई, 2012; 17 जुलाई, 2012; 26 जुलाई, 2012; 8 अगस्त, 2012; 28 अगस्त, 2012; 11 सितम्बर, 2012; 05 अक्टूबर, 2012; 22 अक्टूबर, 2012; 09 नवम्बर, 2012; 20 नवम्बर, 2012; 10 दिसम्बर, 2012; 08 जनवरी, 2013, 1 मार्च, 2013 और 15 मार्च, 2013 को हुईं। एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आवंटन और आवंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-10 में दिया गया है।

तालिका-10 : एनएचपीसी प्रतिभूतियों के आबंटन और आबंटन-परवर्ती गतिविधियों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2012-13 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	18	18
2	श्री डी. पी. भार्गव	18	13
3	श्री आर. एस. मीना	18	18

समिति के संदर्भ की शर्त: समिति के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं:

1. शेयर प्रमाण पत्र जारी करना;
2. शेयरों का ट्रांसफर और ट्रांसमिशन;
3. शेयर प्रमाण पत्रों का री-मेटेरियलाइजेशन;
4. डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना
5. एचएचपीसी शेयरों का समेकन/पृथक्करण

(vi) आईपीओ प्राप्तियों के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति:

समिति का संघटन: 31 मार्च, 2013 को आईपीओ प्राप्तियों के निवेश संबंधी निदेशकों की समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| i) श्री अतुल कुमार गर्ग | स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष |
| ii) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव | निदेशक (वित्त) |
| iii) श्री डी. पी. भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें- 11 जुलाई, 2012 और 11 मार्च, 2013 को हुईं। आईपीओ प्राप्तियों के निवेश संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-11 में दिया गया है।

तालिका-11: आईपीओ प्राप्तियों के निवेश संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2012-13 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री अतुल कुमार गर्ग	2	2
2.	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	2	2
3.	श्री डी. पी. भार्गव	2	1

(vii) स्व-बीमा निधि के निवेश सम्बन्धी निदेशकों की समिति:

संघटन: 31 मार्च, 2013 को समिति में निम्नांकित सदस्य थे:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| i) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव | निदेशक (वित्त) - अध्यक्ष |
| ii) श्री डी. पी. भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| iii) श्री जे. के. शर्मा | निदेशक (परियोजनाएं) |
| iv) श्री आर. एस. मीना | निदेशक (कार्मिक) |

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक - 27 नवम्बर, 2012 को हुई। बैठक में श्री जे.के.शर्मा के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

समिति की संदर्भ की शर्त: समिति को स्व-बीमा निधि में उपलब्ध राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बांड्स, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की सावधि जमा योजनाओं में करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति को ऐसे निवेश की बिक्री/वसूली के लिए भी अधिकृत किया गया है ताकि वह उठाई गयी हानियों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता उपयुक्त ढंग से पूरी कर सके।

(viii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति

सीपीएसई हेतु सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिनमें अध्यक्ष और/अथवा प्रबंध निदेशक या किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड स्तरीय समिति का प्रावधान है, बोर्ड ने 29 जून, 2013 को आयोजित अपनी 359वीं बैठक में विद्यमान धारणीय विकास संबंधी निदेशकों की समिति के स्थान पर एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और धारणीयता संबंधी समिति गठित की है।

संघटन: समिति का गठन निम्नांकित सदस्यों के साथ किया गया था:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| i) श्री ए. के. मागो | स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष |
| ii) श्री डी. पी. भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| iii) श्री अतुल कुमार गर्ग | स्वतंत्र निदेशक |

भंग करते समय धारणीय विकास संबंधी समिति का संघटन निम्नानुसार था:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| i) श्री ए. के. मागो | स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष |
| ii) श्री डी. पी. भार्गव | निदेशक (तकनीकी) |
| iii) श्री जे. के. शर्मा | निदेशक (परियोजनाएं) |

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठक - 30 अगस्त, 2012, 9 नवम्बर, 2012 तथा 25 मार्च, 2013 को हुई। धारणीय विकास संबंधी निदेशकों की समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के ब्यौरे तालिका 12 में दिए गए हैं।

तालिका-12: धारणीय विकास संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	2012-13 के दौरान समिति के सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1.	श्री ए. के. मागो	3	3
2.	श्री डी. पी. भार्गव	3	2
3.	श्री जे. के. शर्मा	3	3

(ix) परियोजनाएं एवं निष्पादन समीक्षा समिति:

बोर्ड ने 20 अक्टूबर, 2012 को आयोजित 352वीं बैठक में परियोजना एवं निष्पादन समीक्षा समिति को समाप्त कर दिया था क्योंकि परियोजना की प्रगति की समीक्षा बोर्ड बैठक में की जाती है। भंग किए जाने के समय परियोजना एवं निष्पादन समीक्षा समिति में निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

i)	श्री आर. जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
ii)	श्री जी. साइ. प्रसाद	सरकारी नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
iii)	श्री ए. एस. बख्शी	सरकारी नामिती निदेशक
iv)	श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
v)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
vi)	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
vii)	श्री ए. के. मागो	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति: भंग किए जाने से पूर्व वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना एवं निष्पादन समीक्षा समिति की एक बैठक 22 जून, 2012 को हुई। बैठक में श्री जी.साइ प्रसाद तथा श्री ए.एस.बख्शी के अलावा सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया था।

(x) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक: किसी कार्यकारी निदेशक, सरकारी नामिती निदेशक और एनएचपीसी लिमिटेड के प्रबंधन कार्मिकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक 22 मार्च, 2013 को श्री ए.के.मागो की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। श्री ए.गोपाल कृष्णन के सिवा सभी स्वतंत्र निदेशक इस बैठक में उपस्थित थे।

उक्त के अतिरिक्त, बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित मुद्दा आधारित बोर्ड स्तरीय समितियां भी गठित की गई थी। इन समितियों को बाद में उनकी रिपोर्ट/सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने पर भंग कर दिया गया था:

(i) सिविल कार्यों, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कार्यों और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के संबंध में दावों के निपटान हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के परीक्षण संबंधी निदेशकों की समिति:

संघटन: इस समिति का गठन बोर्ड द्वारा 4 मई, 2012 को आयोजित अपनी 346वीं बैठक में किया गया और इसमें निम्नांकित सदस्य शामिल थे :

(i)	श्री आर. जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
(ii)	श्री जी. एस. वेदी	स्वतंत्र निदेशक
(iii)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
(iv)	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)

6 जुलाई, 2012 को हुई अपनी 348वीं बैठक में बोर्ड ने श्री जी.एस.वेदी के स्थान पर श्री ए.के.मागो, स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करके उक्त समिति का पुनर्गठन किया।

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें- 17 मई, 2012; 17 जुलाई, 2012; 17 अगस्त, 2012; 30 अगस्त, 2012 तथा 19 अक्टूबर, 2012 को हुई। समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-13 में दिया गया है।

तालिका-13: समिति की बैठकें

क्र.स.	समिति के कार्यकाल के दौरान इसके सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री आर. जयसीलन	5	5
2	श्री जी. एस. वेदी	1	1
3	श्री ए. के. मागो	4	4
4	श्री डी. पी. भार्गव	5	5
5	श्री जे. के. शर्मा	5	5

समिति को 12 दिसम्बर, 2012 को आयोजित बोर्ड की 354वीं बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात भंग कर दिया गया था।

(ii) कंपनी के कार्यकरण में प्रणाली तथा प्रक्रियाविधि की समीक्षा और सुधार हेतु उपाय सुझाने संबंधी निदेशकों की समिति:

संघटन: इस समिति का गठन बोर्ड द्वारा 25 मई, 2012 को आयोजित अपनी 347वीं बैठक में किया गया और इसमें निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

(i)	जी. साइ प्रसाद	सरकारी नामिति निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री ए. गोपालकृष्णन	स्वतंत्र निदेशक
(iii)	श्री आर. जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक
(iv)	श्री जे. के. शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
(v)	श्री डी. पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें- क्रमशः 8 जून, 2012; 6 अगस्त, 2012 और 31 अगस्त, 2012 को हुईं। समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-14 में दिया गया है।

तालिका-14: समिति की बैठकें:

क्र.स.	समिति के कार्यकाल के दौरान इसके सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री जी. साइ प्रसाद	3	1
2	श्री ए. गोपालकृष्णन	3	3
3	श्री आर. जयसीलन	3	3
4	श्री जे. के. शर्मा	3	2
5	श्री डी. पी. भार्गव	3	1

समिति को 26 सितम्बर, 2012 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात भंग कर दिया गया था।

(iii) सतर्कता मामलों संबंधी निदेशकों की समिति:

संघटन: सतर्कता मामलों संबंधी निदेशकों की समिति का गठन बोर्ड द्वारा 7 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी 349वीं बैठक में किया गया और इसमें निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

(i)	श्री आर. जयसीलन	स्वतंत्र निदेशक
(ii)	श्री शांतिकाम हजारिका	स्वतंत्र निदेशक
(iii)	श्री ए. के. मागो	स्वतंत्र निदेशक

इसके अतिरिक्त, 31 अगस्त, 2012 को हुई अपनी 350वीं बैठक में बोर्ड ने श्री आर. एस. मीना, निदेशक(कार्मिक) को समिति का सदस्य-सचिव नियुक्त किया।

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति की 2 बैठकें- क्रमशः 12 दिसम्बर, 2012 तथा 5 फरवरी, 2013 को हुईं। समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का ब्योरा नीचे तालिका-15 में दिया गया है।

तालिका-15 : सतर्कता मामलों संबंधी निदेशकों की समिति की बैठकें:

क्र.स.	समिति के कार्यकाल के दौरान इसके सदस्य	सदस्य के संबंधित कार्यकाल में हुई कुल बैठकें	बैठकें, जिनमें उपस्थिति दर्ज हुई
1	श्री आर. जयसीलन	2	2
2	श्री शांतिकाम हजारिका	2	2
3	श्री ए. के. मागो	2	2
4	श्री आर. एस. मीना	2	2

सतर्कता मामलों संबंधी समिति को 22 अप्रैल, 2013 को आयोजित बोर्ड की 357वीं बैठक में भंग कर दिया गया था।

(iv) वित्तीय पुनर्संरचना संबंधी निदेशकों की समिति:

संघटन: इस समिति का गठन बोर्ड द्वारा 7 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी 349वीं बैठक में किया गया और इसमें निम्नांकित सदस्य शामिल थे:

(i)	श्री ए. गोपाल कृष्णन	स्वतंत्र निदेशक
(ii)	श्री ए. बी. एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)
(iii)	श्री जी. एस. वेदी	स्वतंत्र निदेशक

बैठकें और उपस्थिति: वर्ष के दौरान समिति ने 31 अगस्त, 2012 को एक बैठक की थी जिसमें इसके सभी सदस्यों द्वारा भाग लिया गया।

समिति ने 20 अक्टूबर, 2012 को आयोजित बोर्ड की 352वीं बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और उसके पश्चात इसे भंग कर दिया गया था।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

जैसा कि ऊपर पारिश्रमिक समिति शीर्ष के अंतर्गत पहले ही बताया जा चुका है, कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित सीमा के भीतर स्वतंत्र निदेशकों को देय बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया है। तदनुसार, निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार बोर्ड अथवा बोर्ड की समितियों की प्रत्येक बैठक हेतु 15,000/-रुपए के बैठक शुल्क का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक को तालिका 16 में दिया गया है।

तालिका 16: वर्ष 2012-13 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक

(रुपए में)

निदेशक	पदनाम	वेतन/भत्ते	लाभ*	बकाया सहित कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)**	सकल जोड़
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	24,56,350	16,51,405	25,92,567	67,00,322
श्री डी.पी.भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	21,56,280	24,28,139	18,13,750	63,98,169
श्री जे.के.शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)	21,05,820	12,62,172	16,99,699	50,67,691
श्री आर.एस.मीना	निदेशक (कार्मिक)	23,77,836	10,27,647	16,49,941	50,55,424

कार्यात्मक निदेशकों को अदा किया जाने वाला कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन कंपनी की प्रोत्साहन योजना पर आधारित है। कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान कोई स्टाक विकल्प जारी नहीं किया था।

टिप्पणी: * लाभों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश नकदीकरण, अनुलाभ, लीज किराया, ईपीएफ (एमसी), पेंशन निधि शामिल है।

** बकाया सहित पीआरपी वित्त वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 से संबंधित है।

वर्ष 2012-13 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के प्रति किए गए भुगतान के ब्यौरे रिपोर्ट की मद सं.2(v) में दिए गए हैं।

5. अनुषंगी कम्पनियां

(i) **एनएचडीसी लिमिटेड:** एनएचडीसी लिमिटेड एनएचपीसी लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी है जिसमें एनएचपीसी के पास इसके चुकता इक्विटी शेयर का 51 प्रतिशत हैं। वर्ष के दौरान, एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त को एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था। सहायक कम्पनी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कारोबार तथा व्यवस्थाओं की जानकारी समय-समय पर एनएचपीसी बोर्ड को दी गई थी।

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएचडीसी "भौतिक सहायक कम्पनी" की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तदनुसार, एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक श्री जी.एस.वेदी को 16 जनवरी, 2013 से एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति से पूर्व, 3 दिसम्बर, 2012 तक श्री ए. गोपालकृष्णन एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक थे।

वित्त-वर्ष 2012-13 के दौरान एनएचडीसी लिमिटेड की भौतिक प्रगति:

(क) **विविधीकरण:** एनएचडीसी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित 1320 मेगावाट (2X660 मेगावाट) रीवा तापीय विद्युत परियोजना (आरटीपीपी) की स्थापना हेतु मध्य प्रदेश सरकार के साथ 29 जून, 2009 को एनएचडीसी लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कोयला लिंकेज हेतु प्रस्ताव पहले से ही भारत सरकार के विचाराधीन है। एनएचडीसी ने रीवा तापीय विद्युत परियोजना हेतु कोयले की व्यवस्था करने के अपने प्रयास में कोयला ब्लाक के आंबटन हेतु भी आवेदन किया है। कंपनी मध्य प्रदेश में पवन और सौर ऊर्जा विकास हेतु संभावित स्थलों की संभाव्यता का भी पता लगा रही है।

(ख) **अन्य क्रियाकलाप:** मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी) ने एनएचडीसी को ऊपरी नर्मदा बेसिन में 10 से 25 मेगावाट के मध्य की अल्प तथा लघु जल विद्युत योजनाओं के निष्पादन की पेशकश की है। इन योजनाओं की सकल क्षमता 100 से 150 मेगावाट के मध्य होने की प्रत्याशा है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले ही एनएचडीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य मसौदा समझौता ज्ञापन को अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है, तथापि, मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम स्वीकृति प्रतीक्षित है।

(ii) **लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड:** लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसीएल) का निगमन 23 अक्टूबर, 2009 को हुआ था। यह कंपनी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में प्रोन्नत की गई, जिसमें दोनों की शेयर भागीदारी क्रमशः 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत थी। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट अभिशासन

सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह कंपनी भौतिक सहायक कम्पनी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। परियोजना में सर्वेक्षण और पुष्टिकारक अन्वेषण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, परियोजना को जनवरी, 2013 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(iii) **चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड:** चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीपी) को 13 जून, 2011 को एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत), जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड (जेकेएसपीडीसी) (49 प्रतिशत) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत) के मध्य 5 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ चिनाब नदी बेसिन में 2120 मेगावाट की संचित संस्थापित क्षमता वाली पाकल दुल, कीरू तथा कवार जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु एक संयुक्त उद्यम निकाय है, के रूप में अधिनिगमित किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान एनएचपीसी ने सीवीपीपीपी में अपने अनुपातिक अंश के प्रति 77.55 करोड़ रूपए का योगदान दिया है, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा अपने अनुपातिक अंश का योगदान अभी दिया जाना है जो सीवीपीपीपी में एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता में 49 प्रतिशत से 81.60 प्रतिशत की वृद्धि में परिणत हुआ है। 31.03.2013 को सीवीपीपीपी को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम मानने के बजाए इसकी अनुषंगी माना गया है।

6. आम सभा बैठक:

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तारीखें, समय और स्थानों का ब्योरा तालिका-17 में दिया गया है।

तालिका-17: वार्षिक आम बैठकें:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2009-10	22.09.2010	पूर्वाह्न 11: 00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा
2010-11	19.09.2011	अपराह्न 03: 30 बजे	मेगपी टूरिस्ट रिजॉर्ट, सेक्टर-16ए मथुरा रोड, फरीदाबाद
2011-12	17.09.2012	पूर्वाह्न 11: 00 बजे	एमसीएफ सभागार, फरीदाबाद, हरियाणा

एनएचपीसी लिमिटेड की पिछली तीन वार्षिक आम बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव का विवरण: एनएचपीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान डाक मतपत्र प्रक्रिया के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करके अपने संगम ज्ञापन के उद्देश्य खंड में संशोधन किया है। डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के ब्यौरे मतदान पैटर्न के साथ पहले ही पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में शेरधारकों को समाहित तथा सूचित किए जा चुके हैं।

7. प्रकटीकरण

(i) **संबंधित पक्ष कारोबार:** वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान ऐसे कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष कोई कारोबार नहीं थे, जिनका कंपनी के हितों के साथ संभावित विरोध होता हो। संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के ब्यौरे को कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित किए गए लेखांकन मानक-18 के अनुसार लेखाओं का भाग होने वाली टिप्पणियों में शामिल किया गया है।

(ii) **सूचीकरण समझौते और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताएं:** कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड तथा लोक उद्यम विभाग सहित, कानून के प्रावधानों और नियामक प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

कंपनी ने सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले या सरकार द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के लिए कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज अथवा सेबी अथवा अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दंड/जुर्माना नहीं लगाया गया है।

आवधिक परिणाम तथा अन्य सूचनाएं नियमित तौर पर एनएचपीसी लि. की आधिकारिक वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रकाशित की जाती हैं। सूचीकरण समझौते और निगमित अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को स्वीकार करने संबंधी सूचना **संलग्नक-क** में प्रदान की गई है।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान जारी राष्ट्रपति के निदेशों के साथ अनुपालन की अनुसूची **संलग्नक-ख** में प्रदान की गई है।

(iii) **लेखांकन व्यवहार:** प्रबंधन के मतानुसार, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में सभी लागू लेखांकन मानकों का पालन किया जा रहा है और लेखांकन मान में विहित से भिन्न कोई उपचार नहीं किया गया है।

8. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण समझौते के खंड-49 की अपेक्षा के अनुसार श्री जी.साइ प्रसाद, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव, निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिनांक 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया और यह कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में **संलग्न-ग** में प्रदान किया गया है।

9. संचार के साधन

कम्पनी के आवधिक वित्तीय परिणामों को सूचीकरण समझौते के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में घोषित किया जाता है। ये परिणाम राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कम्पनी आवधिक परिणाम/रिकॉर्ड प्रत्येक शेरधारक को नहीं भेजती बल्कि ये परिणाम कम्पनी के वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

कम्पनी ने महत्वपूर्ण निगमित निर्णयों और कार्यकलापों पर अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की और उन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला।

कम्पनी द्वारा प्रकाशित लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का ब्योरा तालिका-18 में दिया गया है।

तालिका-18: लेखापरीक्षित/अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम:

समाचार पत्र	निम्नांकित तारीखों को समाप्त हुई अवधि के परिणामों के प्रकाशन की तारीख			
	30.06.2012	30.09.2012	31.12.2012	31.03.2013
फाइनेंशियल एक्सप्रेस (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	01.11.2012	06.02.2013	-
टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी)	08.08.2012	-	-	30.05.2013
नवभारत टाइम्स (हिन्दी)	08.08.2012	-	-	-
द इकोनोमिक्स टाइम्स (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	08.08.2012	-	-	-
मेल टुडे (अंग्रेजी)	-	01.11.2012	06.02.2013	-
जनसत्ता (हिन्दी)	-	01.11.2012	07.02.2013	-
हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी)	-	-	-	30.05.2013
मिंट (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	-	-	30.05.2013
बिजनेस लाइन (सभी संस्करण/अंग्रेजी)	-	-	-	30.05.2013
दैनिक जागरण (हिन्दी)	-	-	-	30.05.2013
अमर उजाला (हिंदी)	-	-	-	30.05.2013

संस्थागत निवेशकों अथवा विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रस्तुतीकरण दिए गए और वे कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

10. शेयरधारकों की सूचना

(i) वार्षिक आम सभा:

दिनांक: 16 सितम्बर, 2013

समय: दोपहर 12:00 बजे

स्थान: म्यूनिसिपल कारपोरेशन आडिटोरियम, एनआईटी-नजदीक बीके चौक, फरीदाबाद-121001

(ii) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए वित्तीय कलेंडर:

विवरण	तारीख
लेखांकन अवधि	1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014
पहली तीन तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम।	बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी। बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिवस के भीतर आयोजित की जाएगी।
चौथी तिमाही के परिणाम/31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों की सूचना 15 मिनट में स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी। बोर्ड की बैठक 30 मई, 2014 को या उससे पहले आयोजित की जाएगी।
एजीएम (वार्षिक आम बैठक)-2014	सितम्बर, 2014 (परिवर्तनशील)

(iii) बही का बंद किया जाना/रिकॉर्ड की तिथि

क) **लाभांश के भुगतान के लिए:** सदस्यों के रजिस्टर एवं कम्पनी की शेयर अंतरण बुक को दिनांक 03.09.2013 से 16.09.2013 तक (दोनों दिवसों को शामिल करते हुए) बंद रखा जायेगा।

ख) **बांडों पर ब्याज का भुगतान:**

बांड सीरीज	ब्याज भुगतान की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-ई से स्ट्रुप-जे)	30.06.2012	14.06.2012
एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड	28.02.2013	12.02.2013
एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्क्योर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड	12.03.2013	25.02.2013

ग) बांडों का विमोचन: वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान विमोचित किए गए बांडों का विवरण नीचे दिया गया है:

बांड सीरीज	आईएसआईएन	स्क्रिप कोड	विमोचन की नियत तिथि	रिकॉर्ड तिथि
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-ई)	आईएनई 848 ई 08078	एनएचपीसी13	31.03.2013	15.03.2013

(iv) लाभांश इतिहास:

वित्तीय वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु . में)	वार्षिक आम बैठक की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	लाभांश भुगतान की तिथि
2007-08	300.00 (100 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	05.08.2008	13.08.2008
2008-09	325.00 (125 करोड़ रु. के अंतरिम लाभांश सहित)	31.07.2009	13.08.2009
2009-10	676.54	22.09.2010	01.10.2010
2010-11	738.04	19.09.2011	28.09.2011
2011-12	861.05	17.09.2012	26.09.2012

(v) स्टॉक एक्सचेंजों का सूचीकरण:

क) इक्विटी शेयर:

कम्पनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है:

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड
स्क्रिप कोड: 533098	स्क्रिप कोड: एनएचपीसीईक्यू
आईएसआईएन: आईएनई848E01016	आईएसआईएन: आईएनई848E01016

ख) बांड:

एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	बॉण्डों का विवरण
1.	एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड
2.	एनएचपीसी 9 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'पी' सीरीज बांड
3.	एनएचपीसी 9.25 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'क्यू' सीरीज बांड
4.	एनएचपीसी 8.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'आर1' सीरीज बांड
5.	एनएचपीसी 8.85 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'आर2' सीरीज बांड
6.	एनएचपीसी 8.78 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'आर3' सीरीज बांड

उक्त सूची में उल्लिखित सभी बॉण्ड निम्न में सूचीबद्ध किए गए हैं:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

डब्ल्यूडीएम सेगमेंट, एक्सचेंज प्लाजा, भूतल,

बांद्रा-कुर्ला परिसर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई

स्टॉक कोड:

सिक्कोरिटी का नाम	एनएसई स्क्रिप कोड	आईएसआईएन
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-एफ)	एनएचपीसी 14	आईएनई848E08086
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-जी)	एनएचपीसी 15	आईएनई848E08094
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-एच)	एनएचपीसी 16	आईएनई848E08102
एनएचपीसी 7.70 प्रतिशत सिक्कोर्ड रिडीमेबल, नॉन-क्यूमेलेटिव, टैक्सेबल, 'ओ' सीरीज बांड (स्ट्रुप-आई)	एनएचपीसी 17	आईएनई848E08110

[illegible]

[illegible]

(vi) बाजार मूल्य डाटा:

(क) इक्विटी शेयर:

एनएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	20.75	18.20	18.90
मई, 12	19.85	17.15	18.30
जून, 12	19.00	17.65	18.25
जुलाई, 12	19.25	17.80	18.25
अगस्त, 12	18.70	17.45	17.90
सितम्बर, 12	19.75	17.30	19.30

बीएसई में एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	20.80	18.55	18.90
मई, 12	19.85	17.45	18.35
जून, 12	18.80	17.70	18.25
जुलाई, 12	19.35	17.75	18.25
अगस्त, 12	18.70	17.50	17.75
सितम्बर, 12	19.75	14.65	19.35

एनएसई में एनएचपीसी			
अक्टूबर, 12	23.00	19.30	21.55
नवम्बर, 12	23.80	18.75	23.25
दिसम्बर, 12	26.05	23.00	25.45
जनवरी, 13	29.05	24.80	29.00
फरवरी, 13	29.40	25.55	27.05
मार्च, 13	27.90	18.15	19.85

बीएसई में एनएचपीसी			
अक्टूबर, 12	22.25	19.25	21.55
नवम्बर, 12	23.80	21.30	23.25
दिसम्बर, 12	26.05	23.10	25.45
जनवरी, 13	29.00	24.85	28.90
फरवरी, 13	29.40	25.60	27.00
मार्च, 13	27.85	17.90	19.90

ख) बांड (ओ सीरीज): वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई।

ग) बांड (पी सीरीज): वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुई।

घ) बांड: (क्यू सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	100	100	100
मई, 12 से मार्च, 13	शून्य	शून्य	शून्य

ड) बांड: (आर 1 सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12 से जनवरी, 13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 13	100.22	100	100.22
मार्च, 13	100.20	100.07	100.20

टिप्पणी: आर 1 सीरीज को फरवरी, 2013 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था।

च) बांड: (आर 2 सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12 से जनवरी, 13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 13	100.24	100	100.24
मार्च, 13	100.19	100.19	100.19

टिप्पणी: आर 2 सीरीज को फरवरी, 2013 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था।

छ) बांड: (आर 3 सीरीज)

एनएसई			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12 से जनवरी, 13	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
फरवरी, 13	100.20	100.18	100.20
मार्च, 13	100.18	99.93	99.93

टिप्पणी: आर 3 सीरीज को फरवरी, 2013 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था।

(vii) सूचकांक की तुलना में निष्पादन:

इक्विटी शेयर

बीएसई सेंसेक्स और एनएचपीसी मूल्य:

सेंसेक्स			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	17,664.10	17,010.16	17,318.81
मई, 12	17,432.33	15,809.71	16,218.53
जून, 12	17,448.48	15,748.98	17,429.98
जुलाई, 12	17,631.19	16,598.48	17,236.18
अगस्त, 12	17,972.54	17,026.97	17,429.56

बीएसई पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	20.80	18.55	18.90
मई, 12	19.85	17.45	18.35
जून, 12	18.80	17.70	18.25
जुलाई, 12	19.35	17.75	18.25
अगस्त, 12	18.70	17.50	17.75

सेंसेक्स			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
सितम्बर, 12	18,869.94	17,250.80	18,762.74
अक्टूबर, 12	19,137.29	18,393.42	18,505.38
नवम्बर, 12	19,372.70	18,255.69	19,339.90
दिसम्बर, 12	19,612.18	19,149.03	19,426.71
जनवरी, 13	20,203.66	19,508.93	19,894.98
फरवरी, 13	19,966.69	18,793.97	18,861.54
मार्च, 13	19,754.66	18,568.43	18,835.77

बीएसई पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
सितम्बर, 12	19.75	14.65	19.35
अक्टूबर, 12	22.25	19.25	21.55
नवम्बर, 12	23.80	21.30	23.25
दिसम्बर, 12	26.05	23.10	25.45
जनवरी, 13	29.00	24.85	28.90
फरवरी, 13	29.40	25.60	27.00
मार्च, 13	27.85	17.90	19.90

निफ्टी और एनएचपीसी मूल्य:

निफ्टी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	5,378.75	5,154.30	5,248.15
मई, 12	5,279.60	4,788.95	4,924.25
जून, 12	5,286.25	4,770.35	5,278.90
जुलाई, 12	5,348.55	5,032.40	5,229.00
अगस्त, 12	5,448.60	5,164.65	5,258.50
सितम्बर, 12	5,735.15	5,215.70	5,703.30
अक्टूबर, 12	5,815.35	4,888.20	5,619.70
नवम्बर, 12	5,885.25	5,548.35	5,879.85
दिसम्बर, 12	5,965.15	5,823.15	5,905.10
जनवरी, 13	6,111.80	5,935.20	6,034.75
फरवरी, 13	6,052.95	5,671.90	5,693.05
मार्च, 13	5,971.20	5,604.85	5,682.55

एनएससी पर एनएचपीसी			
महीना	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)
अप्रैल, 12	20.75	18.20	18.90
मई, 12	19.85	17.15	18.30
जून, 12	19.00	17.65	18.25
जुलाई, 12	19.25	17.80	18.25
अगस्त, 12	18.70	17.45	17.90
सितम्बर, 12	19.75	17.30	19.30
अक्टूबर, 12	23.00	19.30	21.55
नवम्बर, 12	23.80	18.75	23.25
दिसम्बर, 12	26.05	23.00	25.45
जनवरी, 13	29.05	24.80	29.00
फरवरी, 13	29.40	25.55	27.05
मार्च, 13	27.90	18.15	19.85

बांड: चूंकि 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि में एनएचपीसी की कुछ ऋण प्रतिभूतियों में कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई अथवा एनएचपीसी की कुछ अन्य ऋण प्रतिभूतियों में बहुत थोड़ी खरीद फरोख्त हुई, इसलिए बांड सूचकांक के संदर्भ में तुलनात्मक निष्पादन प्रासंगिक नहीं है।

(viii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट:

क) इक्विटी शेयर हेतु:

मेसर्स कार्बी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड,

लाट नं. 17-24, विट्टलराव नगर,

माधापुर, हैदराबाद- 500081

दूरभाष नं.: +91 40 4465 5000

फैक्स नं. 0 +91 40 2343 1551

ई-मेल: einward.ris@karvy.com

टोल फ्री नं.: 1-800-3454001

ख) नॉन रीडमेबल क्यूमिलेटिव बांड हेतु:

मेसर्स आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्रा.) लिमिटेड.

बी- 106, सेक्टर-2

नोएडा- 201301 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष सं.: 0120-4015880

ई-मेल: info@rcmcldelhi.com

(ix) **शेयर/बांड अंतरण प्रणाली:** शेयर/बांड के अंतरण के रूटीन मामलों, की देखरेख करना संबंधित रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट की जिम्मेदारी है, परंतु यह निदेशक मंडल/निदेशक समिति के निरीक्षण, नियंत्रण एवं अनुमोदन के अध्वधीन होता है।

(x) शेयर पूंजी के वितरण का पैटर्न:

(क) **इक्विटी शेयर:** 31 मार्च 2013 को शेयर धारकों के पास विभिन्न श्रेणियों के शेयर तथा शेयर पूंजी के अनुसार उनका आकार:

i) **आकार के अनुसार:** 31 मार्च 2013 को शेयर पूंजी के आकार तथा प्रतिशत के अनुसार उनका वितरण:

श्रेणी (राशि)	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	शेयरों का प्रतिशत
1-5,000	660914	61.11	148104876	1.20
5,001-10,000	308566	28.53	230473963	1.87
10,001-20,000	62089	5.74	92863352	0.76
20,001-30,000	19210	1.78	49228645	0.40
30,001-40,000	7952	0.74	28489572	0.23
40,001-50,000	6454	0.60	30515476	0.25
50,001-1,00,000	9404	0.87	68261662	0.56
1,00,001- 5,00,000	5565	0.51	109300830	0.89
5,00,001 – 10,00,000	613	0.06	44288234	0.36
10,00,001 और उससे ज्यादा	637	0.06	11499216163	93.48
कुल	1081404	100	12300742773	100

(ii) 31 मार्च, 2013 को शेयर धारण पैटर्न:

श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	10623368758	86.36
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	265141997	2.16
निवासी व्यक्ति और एचयूएफ	805093672	6.55
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	334463517	2.73
कारपोरेट निकाय	186115830	1.51
म्युचल फंड्स	59479934	0.48
एनआरआई/ओसीबीज	16238712	0.13
विदेशी नागरिक	2800	0.00
अन्य:		
न्यास	2540926	0.02
क्लिअरिंग सदस्य	8296627	0.06
कुल	12300742773	100

iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख शेयरधारण: 31 मार्च, 2013 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक मूल्य के शेयर रखने वालों का विवरण इस प्रकार है:-

शेयर धारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	श्रेणी
राष्ट्रपति के माध्यम से भारत सरकार	10,62,33,68,758	86.36	केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार
भारतीय जीवन बीमा निगम	18,87,48,880	1.53	बीमा कंपनी

iv) 31 मार्च, 2013 के अनुसार 10 शीर्ष शेयरधारक: 31 मार्च, 2013 को एनएचपीसी लिमिटेड के 10 शीर्ष शेयरधारक निम्नानुसार है:

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	कुल शेयर	इक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत के राष्ट्रपति	10623368758	86.36
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	188748880	1.53
3.	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	35942981	0.29
4.	वैनगार्ड इमरजिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, असेरी	35053695	0.28
5.	यूको बैंक	33154836	0.27
6.	फीडिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फीडिलिटी सीरीज इमरजिंग	31344270	0.25
7.	जे पी मार्गन फंडस - जे पी पैसिफिक बैलेन्सड फंड	29000000	0.24
8.	कारपोरेशन बैंक	16822014	0.14
9.	स्विस फाइनेन्स कारपोरेशन (मॉरीशियस) लिमिटेड	15688257	0.13
10.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	13907798	0.11
	कुल	11023031489	89.60

ख) बांड: (ओ सीरीज)

i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को आकार एवं प्रतिशत के आधार पर बांड धारण का विवरण निम्न प्रकार है:

बांडों की संख्या	बांड धारकों की संख्या	बांड धारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5,000	65	100	285	100
5,001-10,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10,001-20,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20,001-30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30,001-40,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40,001-50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50,001-1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1,00,001 और उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	65	100	285	100

ii) 31 मार्च, 2013 को बांड धारण पैटर्न:

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	16	5.60
प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्यूचल फंड्स/यूटीआई	शून्य	शून्य
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	112	39.29
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	157	55.11
कुल	285	100

iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड धारक: 31 मार्च, 2013 को कम्पनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांड धारकों का विवरण निम्न प्रकार है:

क्र.स.	बांड धारक का नाम	बांडों की संख्या	सभी सीरीज के कुल बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
1	जनरल इश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, सुरक्षा, 170, टाटा रोड, चर्च गेट, मुंबई, पिन-400 020	65	1.32	बीमा कम्पनी

(ग) बांड: (पी सीरीज)

i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है:

बांडों की संख्या	बांड धारकों की संख्या	बांड धारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5,001-10,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10,001-20,000	1	100	20000	100
20,001-30,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30,001-40,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40,001-50,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50,001-1,00,000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1,00,001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	1	100	20000	100

ii) 31 मार्च, 2013 को बांड होल्डिंग पैटर्न:

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य
प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्युचल फंड्स/यूटीआई	शून्य	शून्य
एनआरआई/ओसीबी	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	20000	100
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	शून्य	शून्य
कुल	20000	100

iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न: 31 मार्च, 2013 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है:

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांडमूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
भारतीय जीवन बीमा निगम	20000	40.76	बीमा कम्पनी

(घ) बांड: (क्यू सीरीज)

i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है:

बांडों की संख्या	बांड धारकों की संख्या	बांड धारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	10	58.82	20032	15.82
5001-10000	2	11.77	12864	10.16
10001-20000	4	23.53	70664	55.82
20001-30000	1	5.88	23040	18.20
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	17	100	126600	100

ii) 31 मार्च, 2013 को बांड होल्डिंग पैटर्न:

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	3564	2.82
प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	1800	1.42
म्युचल फंड्स/यूटीआई	1440	1.14
एनआरआई/ओसीबी	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	720	0.57
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	119076	94.05
कुल	126600	100

- iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न: 31 मार्च, 2013 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है:

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी भविष्य निधि	7056	1.44	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-डी-डीएम	5808	1.18	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-डी-डीएम	15972	3.75	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-ए-डीएम	23040	4.70	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-बी-डीएम	18816	3.83	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-11-सी-डीएम	16078	3.28	भविष्य निधि/ट्रस्ट
सीबीटी ईपीएफ-05-सी-डीएम	19808	4.04	भविष्य निधि/ट्रस्ट

(ड) बांड: (आर1 सीरीज)

- i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है:

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	5	100	8220	100
5001-10000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10001-20000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20001-30000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	5	100	8220	100

- ii) 31 मार्च, 2013 को बांडहोल्डिंग पैटर्न

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य
प्राइवेट कारपोरेट निकाय	1100	13.38
म्यूचल फंड्स/यूटीआई	6000	72.99
एनआरआई/ओसीबी	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	शून्य	शून्य
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	1120	13.63
कुल	8220	100

- iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड होल्डिंग पैटर्न: 31 मार्च, 2013 को कंपनी में कुल बांड मूल्य के 1 प्रतिशत से ज्यादा को धारित करने वाला कोई बांडधारक नहीं था।

(च) बांड: (आर 2 सीरीज)

- i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है:

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	14	82.35	12904	33.77
5001-10000	2	11.77	12000	31.40
10001-20000	1	5.88	13304	34.83
20001-30000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	17	100	38208	100

ii) 31 मार्च, 2013 को बांड होल्डिंग पैटर्न:

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	19308	50.51
प्राइवेट कारपोरेट निकाय	4610	12.07
म्युचल फंड्स	6000	15.70
एनआरआई/ओसीबी	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	7500	19.63
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	790	2.09
कुल	38208	100

iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड होल्डिंग: 31 मार्च, 2013 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है:

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
एक्सिस बैंक लिमिटेड	13380	2.71	बैंक तथा वित्तीय संस्थान
आईसीआईसीआई बैंक	6000	1.22	बैंक तथा वित्तीय संस्थान
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इन्श्योरेंस लिमिटेड	6000	1.22	बीमा कंपनी

(छ) बांड: (आर 3 सीरीज)

i) आकार के अनुसार: 31 मार्च, 2013 को होल्डिंग के आकार और प्रतिशतता के अनुसार बांड होल्डिंग का वितरण निम्नलिखित है:

बांडों की संख्या	बांडधारकों की संख्या	बांडधारकों का प्रतिशत	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
1-5000	10	66.67	17600	19.73
5001-10000	2	13.33	20000	22.42
10001-20000	2	13.33	28000	31.39
20001-30000	1	6.67	23600	26.46
30001-40000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
40001-50000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
50001-100000	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
100001 एवं उससे ज्यादा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	15	100	89200	100

ii) 31 मार्च, 2013 को बांड होल्डिंग पैटर्न:

श्रेणी	कुल बांड	बांडों का प्रतिशत
केन्द्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	शून्य
एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशक)	शून्य	शून्य
भारतीय जनता	शून्य	शून्य
बैंक और वित्तीय संस्थान	36600	41.03
प्राइवेट कॉर्पोरेट निकाय	शून्य	शून्य
म्युचल फंड्स/यूटीआई	39000	43.74
एनआरआई/ओसीबीज	शून्य	शून्य
अन्य:		
(i) बीमा कम्पनियां	7000	7.84
(ii) भविष्य निधि/न्यास आदि	6600	7.39
कुल	89200	100

iii) 31 मार्च, 2013 को प्रमुख बांड होल्डिंग: 31 मार्च, 2013 को कंपनी में 1 प्रतिशत बांड मूल्य से ज्यादा वाले बांडधारकों का विवरण निम्न प्रकार है:

बांडधारक का नाम	बांडों की संख्या	कुल बांड मूल्य का प्रतिशत	श्रेणी
रिलायन्स कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लि. - लेखा रिलायन्स डाइनेमिक बॉण्ड फंड	15000	3.06	म्युचुअल फंड/यूटीआई
रिलायन्स कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लि. - लेखा रिलायन्स इन्कम फंड	10000	2.04	म्युचुअल फंड/यूटीआई
एक्सिस बैंक लिमिटेड	23600	4.81	बैंक तथा वित्तीय संस्थान
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल इन्कम प्लान	10000	2.04	म्युचुअल फंड/यूटीआई
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	13000	2.65	बैंक तथा वित्तीय संस्थान

(xi) शेयर एवं लिक्विडिटी का डीमैटीरियलाइजेशन: कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं।

कंपनी की शेयर पूंजी के संबंध में जमाकर्ताओं के पास डीमैटीरियलाइजेशन रूप में उपलब्ध कुल जारी पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा धारित पूंजी के समाधान के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से प्राप्त की गई और उसे निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंजों को उपलब्ध कराया गया।

कंपनी के बांड भी अनिवार्य रूप से डीमैटीरियलाइजेशन सेगमेंट में हैं और दोनों जमाकर्ताओं अर्थात् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के पास ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हैं। एनएसडीएल/सीडीएसएल में सूचीबद्ध कुल स्वीकृत बांडों और कुल जारी तथा सूचीबद्ध बांडों के समाधान के प्रयोजन के लिए शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट कार्यकारी कंपनी सचिव से प्राप्त की गई।

(xii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट्स, कंवर्जन तिथि तथा इक्विटी पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव:

एनएचपीसी ने जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबल इंस्ट्रुमेंट्स जारी नहीं किए हैं।

(xiii) संयंत्र स्थल

बैरास्थूल	एनएचपीसी लि., सुरंगनी, जिला-चंबा, हिमाचल प्रदेश-176 317
लोकतक	एनएचपीसी लि., डाकघर-लोकतक, कोमकरेप, मणिपुर-795 124
सलाल-1 और 2	एनएचपीसी लि., डाकघर ज्योतिपुरम, वाया रियासी, जिला रियासी, जम्मू एवं कश्मीर-182 312
टनकपुर	एनएचपीसी लि., डाकघर टीपीएस कैम्पस, बानबासा, जिला चम्पावत, उत्तराखंड- 262 310
चमेरा- I	एनएचपीसी लि., खैरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 325
उड़ी- I	एनएचपीसी लि., जिंजल, डाकघर-मोहरा, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर -193 122
रंगित	एनएचपीसी लि., डाकघर-रंगित नगर, दक्षिण सिक्किम-737 111

चमेरा- II	एनएचपीसी लि., करियां, जिला-चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176 310
धौलीगंगा	एनएचपीसी लि., पोस्ट बॉक्स सं. 1, तपोवन, धारचुला, जिला-पिथौरागढ़, उत्तराखंड-262 545
दुलहस्ती	एनएचपीसी लि., चेनाब नगर, सेक्टर- II, किशतवाड़, जिला किशतवाड़, जम्मू-कश्मीर-182 206
तीस्ता- V	एनएचपीसी लि., डाकघर-सिंगताम, पूर्वी सिक्किम- 737 134
सेवा- II	एनएचपीसी लि., माश्का, जिला कटुआ, (जम्मू-कश्मीर)
चमेरा- III	एनएचपीसी लि., ग्राम धारवाला, पीओ-9, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176311
चूटक	एनएचपीसी लि., पीओ-मिंजी, जिला कारगिल (लद्दाख), जम्मू एवं कश्मीर-194103
तीस्ता लो डैम परियोजना - III	एनएचपीसी लि., रम्बी बाजार, डाकघर-रियांग, जिला-दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)-734321

(xiv) पत्राचार के लिए पता:

श्री विजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी,
प्रथम तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003
ई-मेल: companysecretary@nhpc.nic.in

संप्रेषण हेतु टेलीफोन नम्बर तथा ई-मेल संदर्भ नीचे दिया गया है:

	टेलीफोन नम्बर	फैक्स नम्बर
पंजीकृत कार्यालय :-	0129-2278421	0129-2277941
निवेशक संबंध प्रकोष्ठ :-	0129-2250437	
ई-मेल आईडी	investorcellnhpc@gmail.com, investorcell@nhpc.nic.in	
जन प्रवक्ता - श्री जयंत कुमार, कार्यपालक निदेशक (वित्त):-	0129-2278232	
ई-मेल आईडी	jayantkumar@nhpc.nic.in	

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्णतः समर्पित ई-मेल आईडी: companysecretary@nhpc.nic.in है।

11. अनुपालन प्रमाणपत्र:

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए समय-समय पर यथा निर्धारित डीपीई दिशा-निर्देश 2010 और सूचीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में पूर्ण कालिक कार्यकारी कम्पनी सचिव मैसर्स पी.सी.जैन एण्ड कंपनी, से प्राप्त प्रमाण-पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। (कृपया निदेशकों की रिपोर्ट का पैराग्राफ संख्या 25 देखें)

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

जी साइ प्रसाद

जी. साइ प्रसाद
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00325308

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.07.2013

संलग्नक-क

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं: पूर्व पृष्ठों पर दी गई अधिदेशित अपेक्षा के अलावा, सूचीकरण समझौते और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशा-निर्देशों की गैर अधिदेशित आवश्यकताओं के साथ अनुपालन की स्थिति निम्न प्रकार से है:

- क) **बोर्ड:** कंपनी की अध्यक्षता श्री जी.साइ प्रसाद द्वारा की जा रही है जो संयुक्त सचिव(हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय के अपने कार्यभार के अलावा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए है। वे एनएचपीसी लिमिटेड के बोर्ड में एक सरकारी नामिति निदेशक है। कम्पनी के बोर्ड में कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।
- ख) **पारिश्रमिक समिति:** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-3(iv) का संदर्भ ग्रहण करें।
- ग) **शेयर धारकों के अधिकार:** पिछले छह माह में हुई प्रमुख घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिकी घोषणा प्रत्येक शेयर धारकों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भेजी गई। तथापि, यह घोषणा कम्पनी की अधिकारिक वेब-साइट पर उपलब्ध है। आवधिक वित्तीय परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं जैसा कि इस रिपोर्ट में "संचार के साधन" के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।
- घ) **लेखा परीक्षा अर्हता:** एनएचपीसी लिमिटेड के संयुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु एनएचपीसी लिमिटेड के वार्षिक वित्तीय विवरणों पर अर्हक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट दी हैं।
- ङ) **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण:** कृपया इस रिपोर्ट के पैरा-2(ix) का संदर्भ ग्रहण करें।
- च) **बोर्ड के गैर कार्यपालक सदस्यों का मूल्यांकन तंत्र:** वर्तमान में, कम्पनी के बोर्ड में दो सरकारी नामितियों सहित 9 गैर कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। तथापि, एक सरकारी नामिति निदेशक अर्थात् श्री जी.साइ प्रसाद एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुए है। ये सभी विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये गये हैं, इसलिए इन सभी का मूल्यांकन कम्पनी के बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है।
- छ) **व्हिसल ब्लोअर नीति:** एनएचपीसी ने अनैतिक/अनुचित आचरण की घटनाओं की सूचना देने और उक्त की जांच करने तथा उसमें सुधार करने हेतु उचित कदम उठाने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति परिभाषित तथा स्थापित की है। किसी भी कार्मिक को लेखा-परीक्षा समिति पर पहुंच से इंकार नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने अपने कर्मचारियों, विक्रेता प्रतिनिधियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, परामर्श दाताओं, सेवा प्रदाताओं अथवा एनएचपीसी के साथ किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले किसी अन्य पक्ष के बारे में कपट या संदिग्ध धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट करने के लिए पहले ही एक कपट निवारण नीति अपनाई है। छल-कपट अथवा संदिग्ध धोखा-धड़ी की समस्त रिपोर्टों की जांच शीघ्रता से की गई है। छल-कपट की रोकथाम के लिए तंत्र बनाना इस नीति में शामिल है।

संलग्नक-ख

वित्त वर्ष 2012-13 और पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के साथ अनुपालन की अनुसूची निम्नानुसार है:

वर्ष	राष्ट्रपति के निदेश का सार तत्व	अनुपालन
2012-13	शून्य	शून्य
2011-12	शून्य	शून्य
2010-11	शून्य	शून्य
2009-10	दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के राष्ट्रपति के निदेश सं.11/17/2009-एनएचपीसी के माध्यम से, भारत सरकार ने एनएचपीसी लिमिटेड को बोर्ड स्तर और एनएचपीसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों हेतु वेतन एवं भत्ते के संशोधन को पूर्णतः लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के का.ज्ञा. सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएलXVI/08, दिनांक 09.02.2009 के सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल -IV/09, दिनांक 02.04.2009 के सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जीएल-VII/09 और दिनांक 02.04.2009 के सं. 2(76)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-VIII/09 में समाविष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू करने के निदेश दिए थे।	राष्ट्रपति के निदेश के अनुसार, संशोधित वेतनमान तथा भत्तों को दिनांक 02.11.2010 के कार्यालय आदेश सं.46/2010 के माध्यम से लागू किया गया है।

संलग्नक - ग

सूचीकरण समझौते के खंड 49(v) के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन सेवा में
निदेशक मंडल
एनएचपीसी लिमिटेड,
फरीदाबाद

- (क) हमने दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हम अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि:
- इन विवरणों में भौतिक दृष्टि से कोई असत्य जानकारी नहीं है या किसी भौतिक तथ्य को छिपाया नहीं गया है अथवा कोई भ्रमित करने वाली सामग्री शामिल नहीं की गई है।
 - इन विवरणों से कंपनी के कार्यों का सत्य एवं न्यायोचित, दोनों ही तरह के स्वरूप का पता चलता है और ये मौजूदा लेखा मानकों, प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के अनुरूप हैं।
- ख) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया, जो कपटपूर्ण, गैरकानूनी हो अथवा कंपनी की आचार संहिता के विपरीत हो।
- ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को कायम करने और बनाए रखने का दायित्व स्वीकार करते हैं और यह भी कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की सक्षमता का मूल्यांकन किया है और हमने इन आंतरिक नियंत्रणों के संचालन में पायी गई खामियों, यदि कोई हो, जिसका हमें पता चला हो, तथा ऐसी खामियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को दी है।
- घ) हमने लेखा-परीक्षकों और लेखा-परीक्षा समिति को निम्नांकित जानकारी दी है:
- वर्ष 2012-13 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण बदलाव।
 - वर्ष 2012-13 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनकी जानकारी वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों में भी दी गई है; और
 - धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले जो हमारे सामने आये हों और उनमें प्रबंधन या कोई ऐसा कर्मचारी शामिल रहा हो जिसकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

हस्ता/-

(ए.बी.एल श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)
स्थान: फरीदाबाद
तारीख: 21 मई, 2013

हस्ता/-

(जी.साइ प्रसाद)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

अनुबंध -II

कारपोरेट अभिशासन का अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में

एनएचपीसी लिमिटेड, के सदस्यगण

1. हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ एनएचपीसी लि. के सूचीकरण करार की धारा 49 में वर्णित की अपेक्षाओं के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
2. कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उसके कार्यान्वयन के तरीकों तक ही सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न तो लेखा-परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति।
3. हमारी राय में तथा अपनी पूर्ण जानकारी और हमें उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपरोक्त सूचीकरण करार में वर्णित कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।
4. हमारा यह भी मानना है कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की किसी भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही ऐसी सक्षमता या प्रभावकारिता का, जिसके साथ प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाता है।

कृते पी.सी.जेन एंड कंपनी
कंपनी सचिव

हस्ता./-
पी.सी.जेन
(स्वामी)

सीपी सं. 3349

स्थान: फरीदाबाद

दिनांक: 24.07.2013

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा और विकास

विद्युत सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा है; यह किसी भी देश के निरंतर औद्योगिक तथा आर्थिक विकास हेतु एक प्रमुख पूर्व आवश्यकता भी है। वृद्धि को बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र में आत्म-निर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण है।

भारत ने विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शानदार प्रगति की है। 31 मार्च, 2013 को इसकी कुल संस्थापित क्षमता 2,23,626 मेगावाट हो गयी है जिसमें ताप विद्युत, पनविद्युत, परमाणु ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का योगदान क्रमशः 1,51,680 मेगावाट, 39,623 मेगावाट, 4,780 मेगावाट और 27,542 मेगावाट दर्ज किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र, जिसमें राज्य और केन्द्र सरकार शामिल हैं, कोयला, जल, परमाणु ईंधन, सूर्य, सौर एवं पवन जैसे भिन्न स्रोतों को उपयोग करते हुए विद्युत के एक बड़े अंश का उत्पादन करता है।

पिछले दो दशकों के दौरान, जलविद्युत में समूचे विश्व ने काफी गति प्राप्त की है।

अर्थक्षम जल विद्युत क्षमता होने वाले देशों में समूचे विश्व में भारत शीर्ष देशों में आता है, जिसमें से काफी अनप्रयुक्त पड़ी है। उक्त को देखते हुए, भारत का जल विद्युत उत्पादन आशाजनक तथा एनएचपीसी लिमिटेड की भूमिका महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।

एनएचपीसी लिमिटेड अनुसूची-‘क’ के तहत एक मिनीरत्न उद्यम है जिसकी 15,000 करोड़ रुपये की प्राधिकृत अंश पूंजी और लगभग 50,000 करोड़ रुपये का निवेश आधार है। कंपनी जलविद्युत का उत्पादन करती है और समूचे देश में विद्युत संयंत्रों का विकास करती हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने 18,923 एमयू का उत्पादन किया, जो कंपनी की स्थापना से अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है।

आने वाले वर्षों में एनएचपीसी आशा करती है कि जलविद्युत उत्पादन से इसकी भूमिका कई गुणा बढ़ेगी और यह काफी हद तक भारत की कृषि, औद्योगिक तथा घरेलू विद्युत आवश्यकताओं का समाधान कर पाएगी।

कार्यनीतिक विविधीकरण

एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी है तथा कुल स्थापित क्षमता का 14 प्रतिशत इसके पास है। यह अपने कार्यक्षेत्र में तापीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को शामिल करने के प्रारंभिक चरणों में है।

क्षमता, कमजोरी, अवसर, खतरा (एसडब्ल्यूओटी) विश्लेषण

क) क्षमताएं - एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कई नई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की और अधिक मजबूत बन कर उभरी है। इसकी प्राथमिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताएं निम्नलिखित हैं:

- **परियोजना डिजाइन प्रबंधन और जलविद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विशेषज्ञता:** एनएचपीसी को जल विद्युत परियोजना कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता हासिल है, जिससे यह प्रतिस्पर्धा में शानदार बढ़त हासिल कर सकी है। डिजाइन एवं इंजीनियरींग के क्षेत्र में कम्पनी की बुनियाद भी बड़ी मजबूत है और उसे भू-विज्ञान, भू-भौतिकी, भू-तकनीकी, निर्माण और सामग्री सर्वेक्षण के क्षेत्र में उसके पास अपनी विशेषज्ञता मौजूद है।

एनएचपीसी की इंजीनियरींग क्षमताओं में परियोजनाओं की परिकल्पना से लेकर उनके चालू होने तक के तमाम चरणों में काम आने वाली विशेषज्ञताएं अर्थात् स्थल पहचान, पूर्व-व्यवहार्यता तथा व्यवहार्यता अध्ययन, परियोजना डिजाइन तथा क्रियान्वयन से पर्यावरणीय अनुमति, परियोजना निरूपण और हाइड्रो तकनीकी तथा आर्थिकी पर मूल्यांकन प्रशिक्षण शामिल हैं। एनएचपीसी की टीम की मदद के लिए उसके पास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना परामर्शदाता हैं।

- **दूर-दराज/दुर्गम इलाकों, भू-तकनीकी दृष्टि से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण और प्रचालन का अनुभव तथा प्रबंधन:** एनएचपीसी की लगभग सभी परियोजनाएं दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं जिनमें संभारतंत्र, जलवायु और प्रौद्योगिकी संबंधी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तथापि, सही प्रबंधन एप्रोच और प्रणाली अभियांत्रिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों की सहायता से, एनएचपीसी ने मार्च, 13 तक 17 जल विद्युत स्टेशनों को सफलतापूर्वक विकसित और चालू किया है (एनएचपीसी के माध्यम से इसकी दो सहायक कम्पनी सहित)।

हिमाचल प्रदेश में चमेरा-1। और मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर तथा ओमकारेश्वर को निर्धारित कार्यक्रम से पहले चालू किया गया था। आपकी कंपनी ने अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र, राज्य, विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य किया है।

- **उपभोक्ताओं के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौते:** एनएचपीसी की ज्यादातर आमदनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं को विद्युत की बिक्री से होती है। विभिन्न पावर स्टेशनों से विभिन्न लाभार्थियों को विद्युत का आबंटन भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस समय राज्यों की संस्थाओं को दी जाने वाली विद्युत के लिए भुगतान ऋण-पत्रों के माध्यम से किया जाता है जो भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और संबंधित राज्य सरकारों के बीच त्रिपक्षीय समझौतों के अनुसार होता है।

इसके अतिरिक्त, निवेश का निर्णय लेते समय आपकी कंपनी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों तथा उनकी उत्तरवर्ती संस्थाओं से, जैसा भी मामला हो, नई परियोजनाओं से विद्युत के क्रय हेतु समझौते के साथ प्रतिबद्धता प्राप्त करती है। इस प्रकार, निवेश पर प्रतिफल को परियोजना के समूचे जीवन-काल हेतु प्रतिभूत किया जाता है।

- **मजबूत संचालन कार्य निष्पादन:** बीते वर्षों में एनएचपीसी के विभिन्न विद्युतघरों के प्रचालन में लगातार सुधार हुआ है। इसके चालू विद्युतघरों ने 2012-13 में 18,923 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया, जो अब तक का सबसे अधिक है।

- **सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों:** एनएचपीसी के पास सक्षम एवं प्रतिबद्ध कर्मियों का दल है जो हर कदम पर इसकी प्रगति को संभालते एवं देखते रहते हैं। इसके अधिकारियों को इस उद्योग में काम करने का व्यापक अनुभव है। उनके कौशल, उद्योग संबंधी ज्ञान और प्रचालन-अनुभव से कम्पनी को प्रतिस्पर्धा में काफी आगे रहने में मदद मिलती है।

ख) अवसर:

देश के कुल विद्युत उत्पादन में जलविद्युत और तापविद्युत के अनुपात में असंतुलन, विद्युत की सबसे अधिक जरूरत वाले समय में मांग और आपूर्ति के अंतर में वृद्धि और विद्युत फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव जैसे कारणों से नीति निर्माताओं को जल-विद्युत जैसे वैकल्पिक विकल्पों के विकास की ओर की ओर ध्यान देने को मजबूर होना पड़ा है। भारत की इस्तेमाल नहीं हो रही विशाल जल विद्युत संभाव्यता (कुल संभाव्यता के 74 प्रतिशत से अधिक), खास तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता के कारण आने वाले समय में एनएचपीसी के पास अपने कोर क्षेत्र या अन्यथा में अपनी क्षमता बढ़ाने के पर्याप्त अवसर हैं।

इसके अतिरिक्त, तापीय विद्युत में निवेश के अनुमोदन के साथ, एनएचपीसी ने अपने संसाधनों के ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यापार संभाव्यताओं का विस्तार किया है।

ग) खतरे एवं कमजोरियाँ: - एनएचपीसी प्रबंधन को जल-विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में निम्नांकित खतरे/जोखिम/कमजोरियों नज़र आती हैं:

पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति: पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी (जहां-कहीं लागू हो) प्राप्त करने हेतु कड़ी सरकारी नीतियों तथा मानदंडों की वजह से जलविद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में देरी होती है जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ाने के कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

भूमि अधिग्रहण: जलविद्युत परियोजना से जुड़े आधारभूत ढांचे संबंधी कार्य तथा जलमग्न होने वाले क्षेत्र सहित परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है।

भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं: परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान/पश्चात सामने आने वाली सभी बाधाओं में भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं सबसे बड़ी तथा सबसे अप्रत्याशित बाधाएं हैं। परियोजना से पूर्व किए गए विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के बावजूद जलविद्युत परियोजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे हेड रेस टनल, भूमिगत विद्युतघर, प्रेशर शॉफ्ट, और सर्ज शॉफ्ट बनाते समय अक्सर प्रतिकूल स्थितियाँ सामने आ जाती हैं।

एनएचपीसी अपने अनुभव, विशेषज्ञता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बल बूते अतीत में ऐसी अप्रत्याशित बाधाओं से निपटने में कामयाब रहा है। तथापि, इनके अक्सर होने से परियोजना लागत और इसे पूरा करने की अवधि बढ़ने की पूरी आशंका बनी रहती है।

अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी विवाद: भारत में जल राज्य का विषय है, नदियाँ हमेशा ही किसी न किसी अंतर-राज्य नदी विवाद में उलझी रहती हैं; और इसीलिए कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती या उन्हें छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों की कुछ परियोजनाओं पर अन्तर्ग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का असर पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाएं: चूंकि अधिकतर जल परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित हैं, अतः चट्टानें खिसकने, पहाड़ों की ढलानों के ढहने, मार्ग बंद होने, बाढ़ तथा बादल फटने जैसी घटनाओं से निर्माण कार्यक्रम पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है।

अप्रत्याशित जटिलताएं: परियोजनाओं में अप्रत्याशित जटिलताओं और स्वीकृति मिलने/क्रियान्वयन में विलम्ब जैसे कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से अनुमानित लागत में बढ़ोतरी की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विद्युत-प्रभार संबंधी विनियमों में परिवर्तन से भी नकदी प्रवाह प्रभावित होता है।

घ) जोखिम और चिंताएं:

जलविद्युत परियोजनाएं पूंजी-प्रधान होती हैं, इनके पूरा होने में अधिक वक्त लगता है। देश में उपलब्ध विशाल जलविद्युत संभाव्यता के दोहन हेतु निधियों की उपलब्धता एक बड़ी बाधा है। चूंकि भारत के संविधान के अंतर्गत जल तथा नदियां राज्य का विषय होने के चलते राज्य सरकारें बड़ी मात्रा में मुफ्त विद्युत और इसी तरह के अन्य फायदों की मांग करती हैं जिससे विद्युत शुल्क बहुत बढ़ जाता है।

परिदृश्य:

विद्युत तथा वृद्धि हेतु वार्षिक मांग को सफलतापूर्वक व्यवस्थित करने और सतत रूप से बनाए रखने के लिए एनएचपीसी ने कुछ प्रभावी पहलों की हैं। इसने आयोजना तथा अन्वेषण में सुधार; निर्माण विलंबों और गाद समस्याओं को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल तथा सिविल इंजीनियरिंग तकनिकलॉजी के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया है।

निर्माण को सुव्यवस्थित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को ईष्टतम करना, परियोजना प्रारंभ करते समय क्रियाकलापों का प्रबोधन, बाधा-मुक्त प्रचालनों को सुनिश्चित करना और चालू किए जाने के पश्चात पर्यवेक्षण।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता:

एनएचपीसी ने अपने सभी कार्य और प्रचालनगत क्षेत्रों में एक सुपरिभाषित तथा सुनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कायम की है। अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाएं शक्तियों के प्रत्यायोजना, प्रलेखबद्ध नीतियों, दिशा-निर्देशों और मैनुअलों पर आधारित प्रणाली द्वारा निर्देशित होती हैं। इसके पास अधिकारियों के पदक्रम पर आधारित सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचा है और पदक्रम के विभिन्न स्तरों के अधिकार और दायित्व भी सुपरिभाषित हैं।

एनएचपीसी के कॉरपोरेट मुख्यालय में इसका अपना एक स्वतंत्र और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो कारपोरेट कार्यालय में निदेशक (वित्त) को रिपोर्ट करता है और क्षेत्रीय कार्यालयों में इसके आंतरिक लेखा-परीक्षा स्कंध हैं। विभाग में समय-समय पर लेखा-परीक्षा करने के लिए दक्ष और अनुभवी लेखाकर्मियों हैं जो लेखा-परीक्षा टिप्पणियों और उनके अनुपालन संबंधी रिपोर्टों के एक सार को लेखा-परीक्षा समिति को प्रस्तुत करते हैं। लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों का उचित पालन किया जाता है।

प्रचालनगत कार्य निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चा:

वित्तीय विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रचालन परिणाम

वित्त वर्ष 2012 की तुलना में वित्त वर्ष 2013 के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे दिया गया है।

आय

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
बेची गई विद्युत इकाइयां (मिलियन यूनिट)	16,397	16,357
आय		
ऊर्जा की बिक्री	5,049.13	5,509.65
अन्य प्रचालनशील आय	141.24	264.79
अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श संबंधी कार्यों से प्राप्त राजस्व	116.27	145.04
अन्य आय	992.78	802.40
कुल (अपवादजनक मदों से आय के अतिरिक्त)	6,299.42	6,721.88

कंपनी की आमदनी में, विद्युत की बिक्री से होने वाली आय, अन्य प्रचालनशील आय, अनुबंधों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाओं से होने वाली आय तथा अन्य आय शामिल हैं। अन्य प्रचालनशील आय में लाभग्राहियों से ब्याज शामिल है। अन्य आय में मुख्य रूप से अधिशेष निधियों के निवेश से प्राप्त ब्याज, प्रतिभूति बांड्स/दीर्घवधि अग्रिमों पर ब्याज तथा लाभान्श आय शामिल है। कंपनी की कुल आय में वित्त वर्ष 2012 की तुलना में 6.28 प्रतिशत की कमी आई, जो 2012 के दौरान 6,721.88 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2013 में 6,299.42 करोड़ रुपये रह गई; जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2012 में ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन सामान्य निगमित कर दर पर इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) को सकल रूप दिए जाने, अधिकांश विद्युतगृहों के प्रशुल्क को अंतिम रूप दिये जाने के चलते बकाया, जल उपकरण और आरएलडीसी प्रभार के बकाया की वापसी, लाभार्थी राज्यों से प्राप्त ब्याज के आंशिक रूप से वर्ष 2013 में अधिशेष नकदी के निवेश पर ब्याज आय में वृद्धि से समायोजित होने, लाभग्राहियों से विलंब भुगतान अधिभार, मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) के पुराने बकाया देयों के प्रति प्रावधान के प्रवर्तन और चमेरा-III तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के कारण हुआ।

प्रभार

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) विभिन्न विद्युत स्टेशनों के विद्युत प्रभार का निर्धारण अलग-अलग करता है। आयोग ने 19 जनवरी, 2009 को अधिसूचना संख्या एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी जारी करके 2009-14 की अवधि के लिए एक नया आदेश/विनियम जारी किया।

प्रभार का निर्धारण वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) के आधार पर किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्य हास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन एवं रख-रखाव के खर्च को शामिल किया जाता है। इक्विटी पर लाभ (आरओई) में लागू दर पर आयकर (सामान्य कारपोरेट कर दर या न्यूनतम वैकल्पिक कर दर) को जोड़ा जाता है ताकि आयकर की राशि को भी हिसाब में लिया जा सके। क्षमता शुल्क की वसूली विद्युत उत्पादन हेतु मशीनों के वास्तविक उपयोग पर निर्भर करती है। क्षमता का निर्धारण वार्षिक संयंत्र उपलब्धता मानदंड घटक (नॉर्मेटिव एनुअल प्लांट एवैलेबिलिटी फैक्टर - एनएपीएफ) को ध्यान में रख कर किया जाता है जो प्रत्येक विद्युत गृह की प्रकृति के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एनएपीएफ से अधिक संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त करने और साथ ही साथ संयंत्र के डिजाइन ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा उत्पादन हेतु भी प्रोत्साहन प्राप्त किए जाते हैं।

ऊर्जा की बिक्री

एनएचपीसी विद्युत की बिक्री थोक खरीदारों को करता है जिनमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों की विद्युत कंपनियां शामिल हैं। विद्युत की बिक्री दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों के आधार पर और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित प्रभार के अनुसार की जाती है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए 14 पावर स्टेशनों के संबंध में प्रभार निर्धारित किये जा चुके हैं। तथापि, तीस्ता-V, चमेरा-III और चूटक विद्युत स्टेशन के संबंध में बिक्री अनंतिम प्रभार के आधार पर मानी जा रही है।

उक्त विनियम में अन्य बातों के अलावा यह भी व्यवस्था है कि प्रभार संबंधी याचिकाएं दायर करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वित्त वर्ष 2008-09 के लिए लागू न्यूनतम दर से वैकल्पिक/कार्पोरेट आयकर को आरओई में जोड़ा जाए। इसके अलावा सीईआरसी ने अपनी अधिसूचना सं. एल-7/145/(160)/2008-सीईआरसी दिनांक 21.06.2012 के द्वारा इस बात की व्यवस्था की है कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनी हर वर्ष के लिए ईओई के वार्षिक निश्चित शुल्क में आयकर की दर के घटने या बढ़ने से होने वाली कमी या आधिक्य की वसूली या वापसी आयोग को आवेदन किये बिना सीधे कर सकती है।

वित्त वर्ष 2013 में, एनएचपीसी ने अपनी संस्थापित क्षमता यानी 4,024.20 मेगावाट से 16,397 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की जबकि वित्त वर्ष 2012 में कम्पनी ने 3,749.20 मेगावाट संस्थापित क्षमता में से 16,357 मिलियन यूनिट विद्युत की बिक्री की थी। इससे विद्युत बिक्री में 0.24 प्रतिशत यूनिटों की वृद्धि का पता चलता है। वर्ष 2013 में औसत बिक्री मूल्य (पिछले साल की बिक्री के घटकों को समायोजित करके) 3.06 रुपये प्रति यूनिट रहा जबकि 2012 में यह 2.95 रुपये प्रति यूनिट था।

वित्त वर्ष 2013 में ऊर्जा की बिक्री में 8.36 प्रतिशत की कमी हुई और यह वित्त वर्ष 2012 के 5,509.65 करोड़ रुपये से घट कर 5,049.13 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई, जो मुख्यतः वित्त वर्ष 2012 में ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन सामान्य निगमित कर दर पर इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) को सकल रूप दिए जाने, अधिकांश पावर स्टेशनों के प्रभार को अंतिम रूप दिये जाने के चलते बकाया, जल उपकरण और आरएलडीसी प्रभार के बकाया की वापसी के कारण हुआ। वित्त वर्ष 2013 में कंपनी का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) 85.30 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 83.30 प्रतिशत रहा था।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

ऊर्जा की बिक्री से होने वाली आमदनी में पिछले वर्षों से संबंधित वह बिक्री भी शामिल रहती है जिसे चालू वर्ष में हिसाब में लिया गया है। इसमें ग्रिड अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्धारित विनियमों में निर्धारित फ्रीक्वेंसी की दरों पर शेडयूल (देय या प्राप्य) के संबंध में उत्पादन में विपथन हेतु अनशेडयूल्ड इंटरचेंजेज (यूआई) प्रभार और विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन (एफईआरवी) के कारण प्रतिपूर्ति भी शामिल होती है।

सीईआरसी प्रभार विनियमों के अनुसार विदेशी ऋणों और उनके लिए ब्याज के भुगतान और ऋण पुनर्भुगतान पर विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले परिवर्तनों को भी पावर स्टेशनों/विद्युत इकाइयों के हिसाब से लिया जाता है और लाभार्थियों से उसकी वसूली की जाती है या उन्हें वसूली गयी राशि की वापसी की जाती है। आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार तुलनपत्र जारी करने की तारीख में विदेशी मुद्रा ऋणों पर हुए विनियम दर में बदलाव की वजह से होने वाले परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी लेख में समायोजित करने की बजाय लेख में आस्थगित देयता/परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाता है और बाद में उपभोक्ताओं से उसकी वसूली/या उसका पुनर्भुगतान करके हिसाब में ले लिया जाता है।

वर्ष दर वर्ष तुलना की दृष्टि से विगत वर्षों की बिक्री में जल उपकर और आरएलडीसी शुल्क को छोड़ दिया गया है ताकि समायोजित ऊर्जा बिक्री के स्तर पर पहुंचा जा सके।

इस प्रकार के समायोजन के पश्चात बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
सकल बिक्री	5,407.06	5,462.49
जोड़े: मूल्यहास पर अग्रिम का पश्चलेखन(एएडी)	50.17	47.16
घटाएं: विनियमित बिक्री समायोजन	195.82	57.38
निवल बिक्री	5,261.41	5,452.27
घटाएं:		
(क) पिछले वर्ष की बिक्री (एएडी का निवल)	80.66	467.28
(ख) वित्त वर्ष 2013 में लेखांकित 01.01.2007 - 31.03.2009 तक की अवधि से संबंधित सीआईएसएफ/ केवी स्टाफ आदि का वेतन संशोधन	161.66	-
(ग) वित्त वर्ष 2013 में लेखांकित वर्ष 2010-11 के लिए जल उपकर प्रभार	-	138.99
(घ) पिछले वर्षों से संबंधित आरएलडीसी प्रभार		23.34
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	5,019.09	4,822.66

पिछले वर्ष की बिक्री मुख्यतः पावर स्टेशनों के लिए टैरिफ को अंतिम रूप देने तथा संशोधन के कारण हुई है।

समायोजित बिक्री में 4.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मुख्य कारण चमेरा- I।। तथा चूटक पावर स्टेशनों को चालू किए जाने के कारण था।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श कार्यों से राजस्व

एनएचपीसी को निर्माण परियोजनाओं के ठेकों, परियोजना प्रबंधन और परामर्श संबंधी कार्यों से भी आमदनी होती है इन कार्यों में मुख्य रूप से ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा स्थापित करने, विशेषकर प्राथमिक विद्युत वितरण लाइनों के निर्माण संबंधी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संबंधी कार्य शामिल है। इन दो कार्यक्रमों की देखरेख भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती है और इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान तथा सरकारी विभाग लागू करते हैं। एनएचपीसी को पूरे भारत में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में आवंटित परियोजनाओं के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

ठेकों, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवा संबंधी कार्यों से आय में 18.82 प्रतिशत की कमी आई है और यह वित्त वर्ष 2013 में कम क्रियाकलापों के चलते वित्त वर्ष 2012 में 145.04 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2013 में 116.27 करोड़ रुपये हो गयी।

अन्य आय

अन्य आय में मुख्य रूप से एकल निपटान योजना के तहत जारी पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों का प्रतिभूतीकरण, अतिशेष नकदी के निवेश से आय, सहायक कंपनी की इक्विटी में निवेश से मिला लाभांश, लाभग्राहियों से विलंब भुगतान अधिभार, पूर्व अवधि में की गई देयताओं/प्रावधानों की वापसी और विविध स्रोतों से हुई आमदनी शामिल है।

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी की अन्य आय बढ़कर 992.78 करोड़ रुपये हो गयी जो वर्ष 2012 में 802.40 करोड़ रुपये के मुकाबले 23.73 प्रतिशत अधिक है। अन्य आय के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये में)

अन्य आय	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
प्रतिभूतीकृत पावर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज	120.35	141.50
आवधिक जमा राशियों पर ब्याज	536.17	436.27
लाभांश	32.03	22.03
तीस्ता-V पावर स्टेशन के प्रावधान में बदलाव से मूल्यहास का पश्च लेखन	0	42.97
विलंब भुगतान अधिभार	75.12	21.67
पश्च लेखन की आवश्यकता न होनी वाली देयताएं/प्रावधान	192.87	68.04
अन्य विविध आय	36.24	69.92
कुल	992.78	802.40

प्रतिभूतीकृत पॉवर बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों पर ब्याज से होने वाली आय में 21.15 करोड़ रुपये की कमी का कारण 263.43 करोड़ के बांडों/दीर्घावधि अग्रिमों का परिशोधन था।

सावधि जमा राशियों पर ब्याज वित्त वर्ष 2012 में 436.37 करोड़ रुपये था जो 2013 में बढ़कर 536.17 करोड़ रुपये हो गया। ऐसा वर्ष के दौरान अधिशेष नकदी के एक वर्ष से कम की परिपक्वता में निवेश के कारण हुआ।

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान की गई 6038.55 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) प्राप्तियों में से, 2012.85 करोड़ रुपये की बिक्री प्राप्तियों का भुगतान विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को किया गया था और 4025.70 करोड़ रुपये कंपनी द्वारा प्रतिधारित किए गए थे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 2897.65 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग, 31.03.2013 तक उपयोग हेतु निर्दिष्ट परियोजनाओं पर आंतरिक प्रोदभवनों से पहले ही व्यय किए गए पूंजीगत व्यय की पुनःप्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया गया है, 1089.34 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त राशि का कंपनी की विद्यमान निवेश नीति के अनुसार बैंक जमा में निवेश किया गया है और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ व्यय को पूरा करने के लिए रखे गए हैं।

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी ने अपनी सहायक कंपनियों में निवेश से 32.03 करोड़ रुपये लाभान्वित प्राप्त किया जबकि 2012 में उसे इससे 22.03 करोड़ रुपये मिले थे।

वित्त वर्ष 2013 के दौरान, 120.01 करोड़ रुपये हेतु मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित पुराने बकाया प्रायों के प्रति पहले के वर्षों में किए गए प्रावधान को, उक्त बकाया देयों के भुगतान हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 05.02.2013 के अनुमोदन के मद्देनजर वापिस कर दिया गया है।

व्यय

(करोड़ रुपये में)

व्यय	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	505.05	514.99
जल उपकरण	590.28	552.70
कर्मचारी लाभ व्यय	887.41	915.76
वित्त लागत	385.38	338.10
मूल्यहास एवं परिशोधन	969.29	893.86
कुल व्यय	3,337.41	3,215.41

वर्ष 2013 में एनएचपीसी का व्यय 3.80 प्रतिशत बढ़ कर 3,337.41 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 3,215.41 करोड़ रुपये था। व्यय में यह वृद्धि मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में स्थित विद्युत स्टेशनों पर जल उपकरण (वित्त वर्ष 2013 में 590.28 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2012 में 552.70 करोड़ रुपये) लगाये जाने और चमेरा-।।। तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के कारण मूल्यहास तथा परिशोधन (वित्त वर्ष 2013 में 969.29 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2012 में 893.86 करोड़ रुपये) में वृद्धि के कारण हुई। वित्त वर्ष 2013 में आय की तुलना में हमारा कुल व्यय 52.98 प्रतिशत था जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 47.83 प्रतिशत रहा था।

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय (जल उपकरण छोड़कर)

उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों के अंतर्गत मुख्य रूप से भवनों, संयंत्रों तथा मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव, सुरक्षा खर्च तथा बीमा व्यय, प्रावधान आदि शामिल हैं। ये व्यय वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी के कुल व्यय के 15.13 प्रतिशत के बराबर हैं जबकि वित्त वर्ष 2012 में ये 16.02 प्रतिशत रहे थे। वास्तविक रूप में, इन व्ययों में लगभग 1.93 प्रतिशत की कमी आई और यह वित्त वर्ष 2012 में 514.99 करोड़ रुपये से वित्त वर्ष 2013 में 505.05 करोड़ रुपये रह गए थे। उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्ययों में कमी वित्त वर्ष 2012 में कोटली भेल 1बी तथा कोटली भेल।। परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जांच में किए गए व्यय के कारण 85.30 करोड़ रुपये से प्रावधान में कमी के निवल प्रभाव के कारण है, जो वित्त वर्ष 2013 के दौरान उत्पादन, प्रशासन तथा व्ययों में 75.35 करोड़ रुपये की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से समायोजित हो गया है, जिसमें चमेरा।।। तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के चलते 15.45 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अगर बिक्री योग्य ऊर्जा पर प्रति यूनिट व्यय की गणना की जाए तो यह वित्त वर्ष 2013 तथा 2012 में समान अर्थात् 0.31 रुपये थे।

जल उपकरण

जल उपकरण वित्त वर्ष 2012 के 552.70 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्तमान वित्त वर्ष में 590.28 करोड़ रुपये हो गया जो मुख्यतः जल के उपयोग और जम्मू एवं कश्मीर में चूटक विद्युत स्टेशन को चालू किए जाने के कारण था।

कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ व्यय के अंतर्गत उनका वेतन और पारिश्रमिक, भत्ते, प्रोत्साहन, कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना तथा अन्य निधियों में योगदान तथा कल्याण व्यय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2013 में ये सभी व्यय एनएचपीसी के कुल व्यय का 26.59 प्रतिशत हैं जबकि वित्त वर्ष 2012 में ये लगभग 28.48 प्रतिशत रहे थे। सीधे तौर पर कहे तो वित्त वर्ष 2013 में कर्मचारी-लागत में 28.35 करोड़ रुपये की कमी हुई है, जो मुख्यतः बीमांकक मूल्यांकन में कमी के कारण है जिसे आंशिक रूप से चमेरा-।।। तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के कारण कर्मचारी लागत में वृद्धि से आंशिक रूप से समायोजित किया गया है। यह प्रति इकाई बिक्री योग्य ऊर्जा के सदर्भ में कर्मचारी लागत में कमी में परिणत हुआ है और यह वित्त वर्ष 2012 में 0.56 रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में 0.54 रुपये हो गयी है।

31 मार्च, 2013 को एनएचपीसी के पे-रोल में 10,410 कर्मचारी थे जबकि 31 मार्च, 2012 को इनकी संख्या 11,036 थी। इनमें से वित्त वर्ष 2013 और वित्त वर्ष 2012 में क्रमशः 5,123 और 4,974 कर्मचारी प्रचालन एवं रखरखाव क्षेत्रों में कार्यरत थे। कर्मचारी हित पर व्यय जो वित्त वर्ष 2012 में 915.76 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2013 में कम होकर 887.41 करोड़ रुपये हो गया था।

केवल आय के प्रतिशत के रूप में, कर्मचारी हित व्यय वित्त वर्ष 2012 में 13.62 प्रतिशत था जो 2013 में बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गया।

मूल्यहास और बंधक मोचन

कंपनी की परिकलन नीति के अनुसार, मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन पद्धति से हिसाब में लिया जाता है जो परिसंपत्तियों की लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होता है। इसके लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत निर्धारित दरों और विधि का अनुसरण किया जाता है। परंतु इसमें अपवाद वाली कुछ ऐसी मदें भी शामिल नहीं हैं जिन पर मूल्यहास कंपनी द्वारा मूल्यांकित दरों से लिया जाता है।

वित्त वर्ष 2013 में मूल्यहास लागत 8.44 प्रतिशत बढ़कर 969.29 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि वित्त वर्ष 2012 में यह 893.86 करोड़ रुपये थी। मूल्यहास संबंधी व्यय में निवल वृद्धि का मुख्य कारण वित्त वर्ष 2013 के दौरान चमेरा-III तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के चलते 90.71 करोड़ रुपये के उच्चतर मूल्यहास प्रभार है, जिन्हें आंशिक रूप से चालू किए जाने के 12 वर्ष पूर्ण होने के चलते रंगित विद्युत स्टेशन के संबंध में मूल्यहास प्रभार में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

कंपनी की कुल आय के प्रतिशत के रूप में गणना करने पर मूल्यहास वित्त वर्ष 2012 में 13.30 प्रतिशत था जो 2013 में बढ़कर 15.39 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय-प्रभार

“वित्तीय प्रभारों” में मुख्य रूप से बांडों तथा आवधिक ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल हैं। लेखा प्रयोजनों के लिए कंपनी के ऋणों को रुपये में दर्शाया जाता है, इसमें विदेशी मुद्रा में लिए गए उधार भी शामिल हैं, जो मुख्य रूप से जापानी येन और कनेडियन डॉलर में हैं। इसके अलावा एनएचपीसी को विदेशी बाजार से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी शुल्क के तौर पर कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है।

वित्त प्रभार वित्त वर्ष 2012 में 338.10 करोड़ रुपये से 13.98 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 2013 में 385.38 करोड़ रुपये हो गए थे। वित्तीय प्रभार में वृद्धि 81.30 करोड़ रुपये से चमेरा-III तथा चूटक विद्युत स्टेशनों को चालू किए जाने के कारण वृद्धि का निवल प्रभाव है जिसे ऋणों की चुकौती के कारण 34.02 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय में कमी द्वारा आंशिक रूप से समायोजित किया गया था।

पूर्वावधि मदें (निवल)

पूर्वावधि मदें (निवल) वित्त वर्ष 2013 में 58.40 करोड़ रुपये से कम हुई जो मुख्यतः पूर्व के वर्षों में बगलीहार परियोजना के राजस्व तथा पूर्व के वर्षों से संबंधित कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना के प्रति किए गए प्रावधान के वित्त वर्ष 2012 में वापिस लौटाए जाने और आंशिक रूप से अन्य पूर्वावधि आय द्वारा समायोजित किए जाने के कारण हुई।

अपवादात्मक मदें

अपवादात्मक मदों से वित्त वर्ष 2013 में 240.01 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2012 में 68.86 करोड़ रुपये की राशि की आय मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित पुराने बकाया देयों पर ब्याज को मान्यता प्रदान किए जाने के कारण विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान हेतु अनुमोदित किए जाने और क्रमशः वित्त वर्ष 2013 तथा 2012 में सुबानसीरी मिडिल परियोजना की बिक्री से लाभ प्राप्त होने के चलते हुई है।

कर पूर्व लाभ

ऊपर बताये गये कारणों से एनएचपीसी का कर-पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2013 में 8.95 प्रतिशत कम होकर 3,202.13 करोड़ रुपये हो गया है जो वित्त वर्ष 2012 में 3,517.04 करोड़ रुपये था।

कर व्यय

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी ने कर के लिए 853.91 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि वित्त वर्ष 2012 में इसके लिए 745.27 करोड़ रुपये दिए गए थे। वित्त वर्ष 2013 में कर में बढ़ोतरी का कारण विलंबित कर देयता में 213.94 करोड़ रुपये की वृद्धि था, जो मुख्यतः चमेरा-III तथा चूटक परियोजनाओं को चालू किए जाने के कारण आय कर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास में वृद्धि (अतिरिक्त मूल्यहास सहित) और अनुमोदित न्यास में उपदान तथा पेंशन निधि के निवेश के कारण है, जो कर पूर्व लाभों में कमी के कारण 105.30 करोड़ रुपये के वर्तमान वर्ष में कर में कमी से आंशिक रूप से समायोजित हो गई है।

लिविडिटी तथा पूंजीगत संसाधन

लिविडिटी

एनएचपीसी कार्यशील पूंजी जुटाने और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर है। आमतौर पर एनएचपीसी इसके लिए आवधिक ऋणों या बांडों को जारी करके लम्बी अवधि के उधार लेती है, जो भारतीय रुपये अथवा विदेशी मुद्राओं में हो सकते हैं। एनएचपीसी के पास नकद राशि या नकदी समकक्ष राशि 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 5,616.07 करोड़ रुपये और 6,003.97 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 361.37 करोड़ रुपये और 466.87 करोड़ रुपये की राशि ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 3.92 करोड़ रुपये और 2.43 करोड़ रुपये का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

नकदी प्रवाह

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2012	वित्त वर्ष 2011
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी अन्तर-प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	1,897.59	2,080.34
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(1,294.53)	(1,975.69)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(बाह्य-प्रवाह)	(991.02)	549.24

प्रचालनों से कुल नकदी

प्रचालन संबंधी गतिविधियों से वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी को कुल 1,897.59 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को वित्त वर्ष 2013 में 3,202.13 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। प्रचालन संबंधी गतिविधियों से कंपनी की निवल नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों जिनमें 984.67 करोड़ रुपये के मूल्यहास (पूर्व अवधि सहित), 385.38 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय, टैरिफ समायोजन के चलते 56.60 करोड़ रुपये, मूल्यहास के प्रति अग्रिम के कारण 49.34 करोड़ रुपये के विलंबित व्यय, पञ्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधानों/देयताओं के कारण 192.87 करोड़ रुपये, जमा/निवेश पर अर्जित ब्याज के प्रति 658.66 करोड़ रुपये तथा तथा अन्य गैर-प्रचालनगत मदें शामिल हैं, को समायोजित करने के बाद किया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन, जिनका वर्तमान अवधि नकदी पर 1,289.03 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा, जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा अन्य देयताओं में परिवर्तन के निवल प्रभाव के कारण आया था।

प्रचालन गतिविधियों से वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी को कुल 2,080.34 करोड़ रुपये की विशुद्ध नकदी प्राप्त हुई। कर पूर्व तथा असाधारण मदों के पश्चात कंपनी को 3517.04 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ। हमारी प्रचालन गतिविधियों से कंपनी की विशुद्ध नकदी का परिकलन गैर-नकदी मदों में 918.22 करोड़ रुपये के मूल्यहास (पूर्व अवधि सहित), 338.09 करोड़ रुपये के ब्याज खर्च, 93.41 करोड़ रुपये के प्रावधान, टैरिफ समायोजन के कारण 34.60 करोड़ रुपये, विनिमय दर अंतर के कारण 264.42 करोड़ रुपये, परियोजनाओं/परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ के कारण 77.24 करोड़ रुपये, मूल्यहास के विरुद्ध 47.16 करोड़ रुपये की आस्थगित आय, जमा/निवेश पर अर्जित 627.55 करोड़ रुपये के ब्याज और अन्य गैर-प्रचालनगत मदों की राशियों को समायोजित करके किया जाता है। चालू आस्तियों और चालू देयताओं में परिवर्तन से नकदी बाह्य-प्रवाह पर 1294.03 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा जो इनवेंट्री, प्राप्तियों और व्यापार तथा देयताओं में बदलाव का समग्र परिणाम था।

निवेश गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 1294.53 करोड़ रुपये की निवल राशि का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 2,083.75 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 98.53 करोड़ रुपये की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 658.66 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 32.03 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी ने निवेश गतिविधियों में 1,975.69 करोड़ रुपये की निवल रोकड़ का इस्तेमाल किया। यह मुख्य रूप से स्थिर आस्तियों में 2,788.17 करोड़ रुपये के व्यय, निवेश में 162.90 करोड़ रुपये की कमी और जमा/निवेश पर ब्याज के रूप में होने वाली आय में 627.55 करोड़ रुपये और लाभांश आय में 22.03 करोड़ रुपये की मामूली कमी के समायोजन को दर्शाता है।

वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी

वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी को वित्त पोषण गतिविधियों से कुल 991.02 करोड़ रुपये की नकद आमदनी हुई। कंपनी ने नए घरेलू सावधि ऋणों और बॉण्ड जारी करके 2,526.65 करोड़ रुपये जुटाए और कंपनी ने 1,200.66 करोड़ रुपये के उधार चुकता किये और 1,321.14 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त-प्रभार के रूप में अदा किये। वित्त वर्ष 2013 में एनएचपीसी ने वित्त वर्ष 2012 के लिए 995.87 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) का भुगतान किया।

वित्त वर्ष 2012 में एनएचपीसी की वित्त पोषण गतिविधियों के लिए कुल 549.24 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह था। कंपनी ने नये उधार से 3418.44 करोड़ रुपये जुटाए जिसमें घरेलू सावधि ऋण और बॉण्ड जारी किया जाना शामिल है। हमने 909.89 करोड़ रुपये की ऋणों को चुकता किया और 1,104.78 करोड़ रुपये ब्याज और वित्त प्रभार के रूप में चुकता किये। वित्त वर्ष 2012 में कंपनी ने वित्त वर्ष 2011 के लिए 854.53 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित) चुकता किया।

तुलन-पत्रक मदों पर चर्चा

तुलन-पत्रक की मुख्य बातें

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च को	
	2013	2012
चालू आस्तियों से इतर आस्तियां		
निवल स्थिर आस्तियां	37,749.00	35,718.06
चालू निवेश से इतर निवेश	2,400.61	2,499.14
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	1,238.74	1,428.62
चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां	944.37	1,181.93
चालू आस्तियां		
चालू निवेश	250.74	250.74

	31 मार्च को	
	2013	2012
मालसूची	57.07	43.81
व्यापारिक प्राप्य	2,049.05	2,052.18
नकदी और बैंक शेष	5,616.01	6,003.97
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	2,099.56	1,890.06
अन्य चालू आस्तियां	2,099.85	1,691.25

वित्तीय स्थिति

कुल मूल्य

वित्त वर्ष 2013 के अंत में कंपनी के निवल मूल्य में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 5.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ये 26,353.53 करोड़ रुपये बढ़कर 27,840.50 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इसका मुख्य कारण कर भुगतान के बाद के लाभ और प्रस्तावित लाभांश तथा लाभांश कर में बढ़ोतरी था।

निवल अचल आस्तियां

मूल्यहास के बाद एनएचपीसी की स्थिर आस्तियां जिन्हें निवल स्थिर आस्तियां कहा जाता है, 31 मार्च, 2013 को 37,749.00 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2012 को 35,718.06 करोड़ रुपये थी। कंपनी की स्थिर आस्तियों में भूमि, बांध, सुरंगें और भवन जिसमें विद्युतघर भवन, संयंत्र और मशीनरी, कार्यालय उपकरण, कम्प्यूटर तथा स्थूल परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2012 की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में अचल परिसंपत्तियों के निवल मूल्य में 5.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण निर्माणाधीन पूंजीगत कार्यों में बढ़ोतरी होना था।

निवेश (चालू और चालू से इतर)

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और इन्हें लागत आधार पर पूरा किया जाता है। दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वता को वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाता है। 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को एनएचपीसी के निवेश क्रमशः 2,651.35 करोड़ रुपये और 2,749.88 करोड़ रुपये था जिसमें 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 250.74 करोड़ रुपये और 250.74 करोड़ रुपये के वर्तमान निवेश (8.50 प्रतिशत कर मुक्त राज्य सरकार के विशेष बॉण्ड) शामिल है।

निवेश में गिरावट का प्रमुख कारण प्रतिभूतीकृत पावर बांडों के मोचन के कारण कमी का निवल प्रभाव है, जिसे भारत सरकार की प्रतिभूतियों, स्व-बीमा निधि में निवेश, अन्य दीर्घावधि जमा राशियों, तथा संयुक्त उद्यमों/अनुषंगी कंपनियों में दीर्घावधि निवेश के समायोजन से किया गया।

एकमुश्त निपटान योजना के अनुपालन में प्राप्त विद्युत बाण्डों को भी निवेश के रूप में लेखांकित किया जाता है। 31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2012 के अनुसार इन निवेशों की राशि क्रमशः 760.56 करोड़ रुपये और 1,011.52 करोड़ रुपये थी। विद्युत बॉण्ड में कमी इसका मोचन किए जाने के कारण है।

ऋण एवं अग्रिम (चालू और चालू के अलावा)

एनएचपीसी के ऋण और अग्रिम 31 मार्च, 2013 को 3,338.30 करोड़ रुपये थे जो 31 मार्च, 2012 को 3,318.68 करोड़ रुपये के ऋण और अग्रिम के मुकाबले 0.59 प्रतिशत पर मामूली रूप से अधिक हैं। ऋण और अग्रिम में अग्रिम आयकर, कर्मचारियों, संविदाकारों तथा आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम शामिल है।

चालू आस्तियों से इतर अन्य आस्तियां

31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को एनएचपीसी की चालू आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां क्रमशः 944.37 करोड़ रुपये और 1,181.93 करोड़ रुपये थीं। वित्त वर्ष 2012 के मुकाबले 2013 में 20.10 प्रतिशत की कमी मुख्य कारण विदेशी मुद्रा में घट-बढ़ से प्रभावित होने वाली आस्थगित विदेशी मुद्रा आस्तियों में कमी होना था।

माल-सूची

माल-सूचियों का मूल्यांकन सम-लागत पर अथवा उनके वसूली योग्य कुल मूल्य, में से जो भी कम हो, उस के आधार पर किया जाता है। 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को किये गये मूल्यांकन में माल-सूचियों का मूल्य क्रमशः 57.07 करोड़ रुपये और 43.81 करोड़ रुपये आंका गया था।

व्यापारिक लेनदारियां

इसके अंतर्गत विद्युत की बिक्री से संबंधित प्राप्त होने वाली राशियां शामिल हैं। 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को व्यापारिक लेनदारियां (यानी संदिग्ध ऋणों के लिए निवल प्रावधान) के रूप में क्रमशः 2049.05 करोड़ रुपये और 2052.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें 31 मार्च, 2013 और 31 मार्च, 2012 को क्रमशः 1,203.55 करोड़ रुपए और 1,161.32 करोड़ रुपए की राशि के बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2012 तथा 2013 के मध्य व्यापार प्राप्य में 0.15 प्रतिशत की नामितिक कमी हुई है।

नकद और बैंक जमा राशि

एनएचपीसी की नकदी और बैंक जमा राशि के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं: (i) कंपनी के चालू खाते में तुलन पत्र जारी करने की तारीख को रोकड़ अधिशेष और अल्पावधि जमा राशियां; तथा (ii) ग्रामीण सड़कों के विकास की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना की स्थापना से संबंधित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की निर्माण लागत के रूप में सरकारी संस्थाओं से प्राप्त अग्रिमों में से खर्च नहीं हो सकी अतिशेष राशि।

31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2012 को कंपनी के पास नकद और बैंक जमा राशि के रूप में क्रमशः 5616.01 करोड़ रुपये और 6,003.97 करोड़ रुपये थे। वित्त वर्ष 2013 में इसमें 387.96 करोड़ रुपये की कमी निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों के जरिए क्रमशः 1,294.53 करोड़ रुपये और 991.04 करोड़ रुपये की नकदी की प्राप्ति में वृद्धि और प्रचालन गतिविधियों में लगाये गये 1897.59 करोड़ रुपये को उसमें समायोजित करने से हुई। हमारे नकदी तथा बैंक शेष में 361.37 करोड़

रुपये (पिछले वर्ष 466.87 करोड़ रुपये) शामिल है, जो ग्रामीण सड़क तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए रखी गई थी जिन्हें कंपनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किया जा रहा है और इसमें 3.92 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.43 करोड़ रुपये) का अदा न किया गया लाभांश शामिल है जो कंपनी के व्यापार हेतु मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं था।

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2012 को एनएचपीसी की अन्य वर्तमान आस्तियां क्रमशः 2099.85 करोड़ रुपये और 1,691.05 करोड़ रुपये की थीं, यानी वित्त वर्ष 2012 की तुलना में वित्त वर्ष 2013 में इन परिसंपत्तियों में 24.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

	31 मार्च के अनुसार	
	2013	2012
चालू देयताओं से इतर देयताएं		
दीर्घावधि उधार	17,417.52	16,272.80
आस्थगित कर देयताएं	460.69	204.04
अन्य दीर्घावधि देयताएं	1,705.69	1,951.80
दीर्घावधि प्रावधान	721.92	1,187.45
चालू देयताएं		
अल्पावधि उधार	-	180.00
व्यापारिक देयताएं	179.41	218.95
अन्य वर्तमान देयताएं	2,766.60	2,801.26
अल्पावधि प्रावधान	3,412.67	3,589.93

दीर्घावधि उधार

दीर्घावधि उधार के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को क्रमशः 4,850.28 करोड़ रुपये, 8,754.59 करोड़ रुपये और 3,812.65 करोड़ रुपये के बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012 में बांड, सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण क्रमशः 3,551.00 करोड़ रुपये, 8,747.49 करोड़ रुपये और 3,974.31 करोड़ रुपये के रहे थे।

सुरक्षित ऋणों में घरेलू बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार के साथ-साथ पूंजी बाजार में कार्पोरेट बांड से प्राप्त राशियां भी शामिल हैं जो कंपनी की आस्तियों के तहत सुरक्षित हैं।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दीर्घावधि उधार में 7.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी का कारण आर श्रेणी के नये बांडों जारी किया जाना है जिसके जरिए निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत खर्चों की भरपाई और पहले से जमा हुए आंतरिक खर्च की भी भरपाई की जाएगी।

दीर्घावधि देनदारियां

एनएचपीसी की दीर्घावधि देनदारियों में जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यहास से निपटने के लिए अग्रिम (एएडी) और विदेशी मुद्रा की दर में उतार-चढ़ाव से होने वाली आस्थगित आमदनी शामिल है। इन सब का भुगतान/समायोजन 12 महीनों में करना होता है।

अन्य दीर्घकालीन देयताएं 1,705.69 करोड़ रुपये की थीं जबकि इससे पहले के वित्त वर्ष में ये 1,951.80 करोड़ रुपये थीं। इनमें से एएडी 31 मार्च, 2013 और 2012 को क्रमशः 1,259.88 करोड़ रुपये और 1,312.67 करोड़ रुपये था। 01.04.2009 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस अवधारणा को हटाए जाने के बाद खातों में बकाया एएडी को व्यवस्थित तरीके से हिसाब में लिया जा रहा है।

अन्य चालू देनदारियां

एनएचपीसी के वर्तमान दायित्वों यानी चालू देनदारियों में वर्तमान में परिपक्व होने वाले दीर्घावधि ऋण, उधार पर लगा ऐसा ब्याज जो फिलहाल देय नहीं है, जमा/रिटेंशन मनी, मूल्यहास के एवज में प्राप्त राशि (एएडी) से हुई अग्रिम आमदनी, और परियोजना प्रबंधन/परामर्श सेवा लागत के लिए प्राप्त अग्रिम में से बची राशि जिसका 12 महीनों में भुगतान/समायोजन किया जाना है।

एनएचपीसी की वर्तमान देनदारियां 2,766.60 करोड़ रुपये की हैं जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये 2,801.26 करोड़ रुपये थीं। पिछले साल के मुकाबले चालू साल की देनदारियों में 1.24 प्रतिशत की मामूली कमी परियोजना/प्रबंधन परामर्श कार्य के प्रति अग्रिम में कमी के कारण थी जिसे आंशिक रूप से पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों तथा दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता में वृद्धि से समायोजित किया गया था।

प्रावधान

एनएचपीसी के प्रावधानों में कर्मचारियों के निष्पादन से जुड़े वेतन, अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान, कर्मचारियों के हित (बीमा संबंधी) के लिए प्रावधान और कर, लाभांश तथा लाभांश कर संबंधी प्रावधान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012 में इन प्रावधानों (अल्पावधि तथा दीर्घावधि) के लिए 4,777.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जो वित्त वर्ष 2013 में 13.45 प्रतिशत की कमी के बाद 4,134.59 करोड़ रुपये कर दी गयी है। प्रावधानों में कमी का मुख्य कारण कर्मचारी लाभों के प्रति 737 करोड़ रुपए की कर्मचारी लाभ के प्रावधानों में कमी करना है, जो मुख्यतः उपदान तथा पेंशन निधि को अनुमोदित न्यासों में निवेश किए जाने के कारण हुई है।

तुलनपत्र से इतर मदे

आकस्मिक देनदारियां

निम्नलिखित सूची में वित्त वर्ष 2013 और 2012 के लिए एनएचपीसी की आकस्मिक देनदारियां दिखायी गयी हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण नहीं माने गये हैं		
पूँजीगत कार्य	10,322.99	7,615.68
जमीन के मुआवजे के मामले	38.37	28.18
विवादित आयकर, बिक्री कर और अन्य मद	459.95	420.09
कुल	10,821.31	8,063.95

आकस्मिक देयताएं 31 मार्च, 2012 के 8,063.95 करोड़ रुपये के मुकाबले 31 मार्च, 2013 को 34.19 प्रतिशत बढ़कर 10,821.31 करोड़ रुपए हो गयीं जो मुख्यतः पूँजीगत कार्यों के संदर्भ में आकस्मिक देयताओं की वृद्धि के कारण था।

सहायक/संयुक्त उपक्रम कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

एनएचपीसी की सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

एनएचडीसी लिमिटेड

एनएचडीसी लिमिटेड का कंपनी के रूप में पंजीकरण 01.08.2000 को एनएचपीसी के संयुक्त उपक्रम के रूप में किया गया था। 3,000 हजार करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूँजी वाली इस कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की 51 प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश सरकार की 49 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एनएचडीसी ने इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (1,000 मेगावाट) और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना (520 मेगावाट) का निर्माण किया है। 31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2012 को कंपनी की कुल आय क्रमशः 1,338.19 करोड़ रुपये और 1,450.51 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2013 तथा 31 मार्च, 2012 को कंपनी का कर पश्चात लाभ क्रमशः 575.64 करोड़ रुपये और 646.90 करोड़ रुपये था।

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 23.10.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (74 प्रतिशत हिस्सापूँजी) और मणिपुर सरकार (26 प्रतिशत हिस्सापूँजी) के संयुक्त उद्यम के रूप में 230 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी से की गयी थी। इसके निगमित होने के बाद एनएचपीसी के पूर्ववर्ती लोकतक डाउन स्ट्रीम एच.ई. पावर प्रोजेक्ट की सभी परिसंपत्तियां और देयताएं कंपनी को सौंप दी गयी।

चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी के रूप में गठन 13.06.2012 को 500 करोड़ रुपये की हिस्सा पूँजी से एनएचपीसी लिमिटेड (49 प्रतिशत हिस्सापूँजी), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत हिस्सापूँजी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड (2 प्रतिशत हिस्सापूँजी) ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य चेनाब नदी बेसिन में 2120 मेगावाट क्षमता की पक्कल दुल, किरुऔर कवार जल-विद्युत परियोजनाओं को पूरा करना था।

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एनपीईएक्स)

एनपीईएक्स की स्थापना 11.12.2008 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत के आदान-प्रदान को संचालित करने वाले एक्सचेंज के तौर पर की गयी थी। एनएचपीसी की इस संयुक्त उपक्रम कंपनी में 16.67 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह विद्युत एक्सचेंज विद्युत की खरीद-फरोख्त का एक ऐसा तटस्थ और पारदर्शी इलेक्ट्रॉनिक मंच है, जिस पर 'एक दिन पूर्व' के आधार पर विद्युत की ट्रेडिंग की जा सकेगी। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी सौदे तटस्थ, पारदर्शिता और मुक्त रूप से निपटाए जा सकें और विद्युत बाजार से जुड़े सभी पक्षों की इस तक पहुंच हो।

नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)

एनएचपीटीएलपी की स्थापना 22.05.2009 को एनएचपीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पावर ग्रिड) और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के संयुक्त उद्यम के रूप में की गयी थी। वित्त वर्ष 2013 के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान प्रतिष्ठान भी इस संयुक्त उद्यम में शामिल हो गया है जिससे इक्विटी भागीदारी प्रत्येक संयुक्त उद्यम भागीदार हेतु 20 प्रतिशत हो गई है। कंपनी की स्थापना का उद्देश्य देश में शॉर्ट-सर्किट परीक्षण सुविधा वाली एक ऑन-लाइन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना करना है।

एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी सहायक और संयुक्त उपक्रम कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण:

समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन मानदंड (एएस-21)--"समेकित वित्तीय विवरणटट और लेखांकन मानदंड (एएस-27)--"संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार तैयार किये गये हैं।

परिणामों का संक्षिप्त सार समेकित रूप में नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

ब्यौरा	वित्त वर्ष 2013	वित्त वर्ष 2012
कुल आमदनी (अपवादी मदों को छोड़कर)	7,617.23	8158.72
कर पूर्वी लाभ	3,922.88	4,351.26
कर पश्चात लाभ (माइनोरिटी इंटररेस्ट को समायोजित कर)	2,617.41	3,085.58

परियोजनाओं और पावर स्टेशनों का कार्यनिष्पादन:

पावर स्टेशन	2012-13 के लिए उत्पादन लक्ष्य (एमयू) एसओयू रेटिंग "बहुत अच्छा"	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2012-13	वास्तविक उत्पादन (एमयू) 2011-12	2012-13 में "बहुत अच्छी" एमओयू रेटिंग के लिए पीएएफ लक्ष्य (प्रतिशत)	2012-13 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)	2011-12 में वास्तविक पीएएफ (प्रतिशत)
बैरास्यूल	772	722	731	92	98.3	94.9
लोकतक	500	581	523	92	92.7	80.1
सलाल	3082	3277	3219	62	65.8	63.7
टनकपुर	452	481	488	60	64.6	64.8
चमेरा-I	2276	2442	2660	95	97.8	87.3
उड़ी	2587	2967	2704	72	80.7	75.9
रंगित	339	328	353	92	94.0	93.1
चमेरा-II	1485	1434	1522	95	96.7	96.7
धौलीगंगा	1135	1136	1157	92	93.8	93.8
दुलहस्ती	2200	2043	2199	91	85.4	96.2
तीस्ता-V	2573	2268	2568	92	86.7	87.6
सेवा-II	529	484	562	85	81.9	85.3
विद्यमान स्टेशन	17930	18162	18683	79.0	85.3	83.3
नई परियोजनाएं*	2420	761	..			
समग्र	20350	18923	18683			

* एमओयू 2012-13 के अनुसार उत्पादन लक्ष्य विद्यमान तथा नई परियोजनाओं हेतु पृथक थे। तथापि, पीएएफ लक्ष्य एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं हेतु समग्र लक्ष्य को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: 2012-13 के पीएएफ आंकड़े अस्थायी हैं और संबंधित आरपीसी द्वारा प्रमाणित किये जाने हैं।

मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में वास्तविक विकास

एनएचपीसी अपने सभी विभागों में सभी स्तर पर अपने स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करती है ताकि उनकी उत्पादकता, कुशलता, दक्षता और मनोबल को ऊंचा रखा जा सके। ये कार्यक्रम कर्मचारियों की प्रचालन, तकनीक, मानव संसाधन, अभियांत्रिकी आदि के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं तथा परिवर्तनों से अवगत रहने में सहायता करते हैं।

एनएचपीसी ने अपने चार विद्युत केन्द्रों- टनकपुर (उत्तराखंड), चमेरा-1 (हिमाचल प्रदेश) तथा सलाल और उड़ी-1 (जम्मू कश्मीर) पावर स्टेशनों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है।

प्रशिक्षण

एनएचपीसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिगम कार्यों का आयोजन देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों जैसे आईआईएम बंगलौर, आईआईएम कोलकाता, एएससीआई हैदराबाद, सीपीआरआई बंगलौर, एनसीबी बल्लभगढ़, आईएसएम धनबाद, राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे, आईआईटी रुड़की और दिल्ली, केएलजी सिस्टेल गुड़गांव आदि के साथ मिल कर करती है।

कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय-III में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्र क्षेत्र-III के अधीन विद्युत स्टेशनों/परियोजनाओं में तैनात, तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में तैनात कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

अजा/अजजा/अपिव श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति के विभिन्न पहलुओं और विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए अन्य आवश्यक प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसके अलावा कर्मचारियों को संबंधित विषयों पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

एनएचपीसी ने कार्यपालकों को उच्चतर योग्यताएं प्राप्त करने और आईआईटी से ढांचागत अभियांत्रिकी, जल संसाधन विकास तथा विद्युत प्रणालियों में विशेषज्ञता के साथ एम.टेक करने के लिए प्रायोजित करते हुए उच्चतर योग्यताओं के माध्यम से उन्हें अपनी दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

महिला कर्मचारी

दिनांक 31.03.2013 के अनुसार एनएचपीसी में महिला कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत नीचे दिया गया है:

	31.03.2013 को कर्मचारियों की कुल संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	समग्र स्टाफ संख्या का प्रतिशत
कुल	10,418	967	9.28%

महिला कर्मचारियों के कल्याण के लिए निम्नांकित कदम उठाये गए:

- इस बात का खास ध्यान रखा गया कि महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तीकरण और महिलाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनार में भाग लेने के लिए नामित किया जाए।
- कारपोरेट कार्यालय में बहुत छोड़े बच्चे वाले कर्मचारियों के लिए शिशु सदन सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।
- महिला कर्मचारियों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायतों/परिवादों की जांच के लिए तृतीय पक्ष के प्रतिनिधि को शामिल करके विशेष समितियों का गठन किया गया है।
- नवजात शिशुओं/बहुत छोटे बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारियों को "चाइल्ड केयर लीव" यानी बच्चों की देखरेख के लिए अवकाश प्रदान किया जाता है।
- किसी महिला कर्मचारी द्वारा बच्चे को अपनाए जाने पर बाल देखरेख अवकाश।
- नियमानुसार मातृत्व अवकाश की व्यवस्था।
- चिकित्सा नियमों के तहत माता-पिता/सास-ससुर को अपने आश्रितों में शामिल करने की घोषणा करने का विकल्प।
- कारपोरेट कार्यालय में महिला कर्मचारियों को उपस्थिति समय में छूट।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

एनएचपीसी दूर-दराज के इलाकों में स्थित अपनी विभिन्न परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रति सजग है। कंपनी उन सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए बजट आवंटित करती है, जहां इसकी परियोजनाओं/पावर रू के आसपास अजा/अजजा/अपिव समुदायों की आबादी अधिक है। सभी कमजोर वर्गों और अजा/अजजा/अपिव समुदायों को आवश्यकता अनुसार चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। प्राकृतिक आपदाओं/महामारी के दौरान एनएचपीसी कई तरीकों से सहायता करती है और यह चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन करती है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीधे भर्ती में अजा/अजजा और अपिव के लिए आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। अजा/अजजा कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर विचार करते समय भी मानदंडों में रियायतें दी जाती हैं। एनएचपीसी अजा/अजजा कर्मचारियों के साथ समय-समय पर बैठकों का भी आयोजन करती है। अजा/अजजा और अपिव श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के कल्याण के लिए अलग-अलग संपर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में अजा/अजजा और अपिव प्रकोष्ठ बनाए गए हैं।

एनएचपीसी में अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

	31.03.2013 को कर्मचारियों की कुल संख्या	आरक्षण					
		अजा	%	अजजा	%	अपिव	%
कुल	10,418	1,367	13.1	560	5.4	960	9.2

विकलांग व्यक्तियों का कल्याण:

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

	31.03.2013 को कर्मचारियों की कुल संख्या	शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारी			शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों का प्रतिशत	
		दृ.बा	श्र.बा.	अ.वि.	कुल	%
कुल	10,418	9	3	73	85	0.8

दृ.बा.: दृष्टि बाधित, श्र.बा.: श्रवण बाधित, अ.वि.: अस्थि विकलांग।

शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शारीरिक दृष्टि से बाधित कर्मचारियों को सीधे भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण और रियायतें प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा निम्नांकित कल्याण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं:

- सेवा काल में शारीरिक विकलांग हुए व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- दृष्टि बाधित और अस्थि विकलांग कर्मचारियों को मासिक वाहन भत्ता अदा किया जाता है।
- श्रवण बाधित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कान की मशीन खरीदने पर उसकी कीमत का भुगतान कर दिया जाता है और कृत्रिम अंगों की लागत की प्रतिपूर्ति तथा इसके लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।
- शारीरिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के संबंध में आश्रित मानते समय आयु की सीमा मान्य नहीं होती है।

पर्यावरण बचाव एवं संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा बचत

एनएचपीसी देश को आर्थिक वृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए जलविद्युत निर्माण कार्य को करते हुए देश की विरासत, प्राकृतिक संसाधनों के बचाव और संरक्षण के प्रति समर्पित है।

कंपनी एक ऐसे परिवेश को तैयार करने का प्रयास करती है जहां आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संरक्षण दीर्घावधि में सुसंगत बन सके। एनएचपीसी यह सुनिश्चित करती है कि ईष्टतम वृद्धि और धारणीयता के मध्य संबंध और वृद्धि हेतु पर्यावरणीय नीति के प्रभाव परस्पर न टकराएं।

निर्माण गतिविधियों के दुष्प्रभावों की प्रतिपूर्ति प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र सुधार, वन्यजीव संरक्षण, हरित पट्टी विकास, मत्स्य प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, खदान तथा भराव क्षेत्र में सुधार, पुनर्स्थापना, पुनर्वास आदि जैसे उपायों के द्वारा की जाती हैं।

एनएचपीसी परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की समस्याओं तथा आकांक्षाओं के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता व्यक्त करती है। इस प्रकार, विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श के पश्चात एनएचपीसी ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 की तर्ज पर स्वयं की पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति 2007 तैयार की है, जिसकी सभी द्वारा सराहना की गई है।

नीति परियोजना प्रभावित परिवारों के भूमि, घर तथा आजीविका के अन्य साधनों के वंचन जैसे मुद्दों का आकलन करती है। यह आय सृजन के मुद्दों को और स्थानीय तथा संवेदनशील तबकों की चिंताओं के समाधान पर गंभीर विचार-विमर्श को सुकर बनाती है। परियोजना प्रभावित परिवारों को आत्म-निर्भर और स्थिर बनाने पर मुख्य बल दिया जाता है।

कंपनी अपनी नीति में राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 में प्रस्तावित लाभों से कुछ अधिक लाभ प्रदान करती है। इसमें सिंचाई सहायता प्रणाली, लोगों को उनके स्वामित्व वाली भूमि के खोने के एवज में प्रावधान, गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को अविवाहित बालिकाओं के लिए विवाह अनुदान, परिसंपत्ति-विहीन युवाओं को निर्वाह अनुदान, स्व-सहायता समूहों का गठन, अनाथों हेतु सुविधाएं, पुनर्वास अनुदान के रूप में अधिक राशि और किसी भी परियोजना की लागत का 0.75 प्रतिशत हिस्सा समुदाय एवं सामाजिक विकास योजना के लिए आवंटित करना शामिल है।

इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी परियोजना के निर्माण के दौरान क्रियान्वित प्रबंधन योजनाओं की प्रभावोत्पादकता के मूल्यांकन के लिए निर्माण-पश्च पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययनों का आयोजन करती है।

सचेतक वक्तव्य

इस रिपोर्ट में निहित विचार और आशाजनक वक्तव्य युक्तिसंगत मान्यताओं पर आधारित हैं और कुछ जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की वजह से वास्तविक परिणाम ऊपर बतायी गयी बातों से भिन्न हो सकते हैं।

पाठकों को इस रिपोर्ट तथा कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी जाने वाली अन्य सूचनाओं की भी सावधानी से समीक्षा करने का अनुरोध किया जाता है। कंपनी भविष्य में होने वाली किसी भी घटना के परिणामस्वरूप या किसी और वजह से प्राप्त हुई नई सूचनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से इन आशाजनक वक्तव्यों को अद्यतन करने या इन में संशोधन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

वित्तीय आंकड़े कंपनी के लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ई) के साथ पढ़ी जाने वाली कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाने वाला विवरण) नियमावली, 1998 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण:

क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय:

एनएचपीसी के पावर स्टेशनों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन और अनुकूलतम क्षमता उपयोग को देखने के लिए विद्युत स्टेशनों की ऊर्जा जांच सीपीआरआई के माध्यम से की गई थी। ऊर्जा की बचत में सुधार के लिए सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ख) ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई हो, कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

पावर स्टेशनों से कहा जा रहा है कि वे उन सभी ऊर्जा जांच उपायों को लागू करें जिनकी सिफारिश सीपीआरआई ने अपनी ऊर्जा परीक्षा रिपोर्ट में की है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर वर्णित उपायों का ऊर्जा की खपत में कमी लाने पर प्रभाव और वस्तुओं की उत्पादन लागत में परवर्ती प्रभाव.

ऊर्जा में बचत के बारे में सीपीआरआई द्वारा अपनी ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अनुशंसित उपायों को बैरास्थूल, सलाल, लोकतक, टनकपुर, चमेरा-1, रंगित, उड़ी-1, चमेरा-2, धौलीगंगा, दुलहस्ती, तीस्ता-5 और सेवा-1। पावर स्टेशनों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के बाद हर वर्ष 13,431,185 एमडब्ल्यूएच प्रति वर्ष की ऊर्जा बचत की संभावना है। इससे बिजली की उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

ख. प्रौद्योगिकी आमेदन

(ड) प्रौद्योगिकी आमेदन के लिए किए गए प्रयास फॉर्म बी में दिए गए हैं जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(च) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप, निर्यात में वृद्धि करने के लिए की गई पहलें; उत्पादों और सेवाओं हेतु नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं: ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं किया गया था।

(छ) इस्तेमाल और अर्जित की गई कुल विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12
1.*	सीआईएफ के आधार पर परिगणित आयात का मूल्य:		
	i) पूंजीगत सामान	17.43	53.65
	ii) हिस्से पुर्जे	1.74	0.21
2.*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	(0.57)	4.84
	ii) ब्याज	53.36	58.49
	iii) अन्य विविध	108.64	47.37
3.*	प्रचालन इकाइयों में काम में लाए गए हिस्से-पुर्जे और घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	2.51 (9.29%)	0.18 (1.78%)
	ii) स्वदेशी	24.50 (90.71%)	9.96 (98.22%)
4.*	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज आय	---	---
	ii) अन्य	3.03	---

* वास्तविक आधार

फार्म-बी

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा 2012-13 के दौरान अनुसंधान एवं विकास कार्य किया गया:

क. 2012-13 के दौरान विद्युत मंत्रालय द्वारा सौंपे गए समझौता ज्ञापन लक्ष्य:

- बिड़डा, जम्मू एवं कश्मीर में पवन विद्युत ऊर्जा का विकास - कार्य हेतु आदेश प्राप्त।
- एक जलविद्युत परियोजना के पेनस्टॉक/प्रेसर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट तथा एचआरटी का सीएफडी विश्लेषण।
- सलाल पावर स्टेशन में हार्ड कोटिंग सुविधा का विकास - कार्य हेतु आदेश प्राप्त।
- धारणीय विकास क्रियाकलाप - तीस्ता-V विद्युत स्टेशन के अप्रैल-08 से सितम्बर-09 की उत्पादन अवधि हेतु जारी 1/3 बीईआर की बिक्री।

ख. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्श योजना:

- हाइड्रो जेनरेटर्स की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास;
- उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगें बनाना।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यों के नतीजों से प्राप्त लाभ:

- **बिड़डा, जम्मू एवं कश्मीर में पवन विद्युत ऊर्जा का विकास - कार्य हेतु आदेश प्राप्त:-** यह परियोजना एनएचपीसी द्वारा नवीकरणीय व्यापार के विकास, एनचपीसी की विद्यमान परियोजना/विद्युत स्टेशनों के आसपास स्थापित किए जाने हेतु नवीकरणीय व्यापार के स्कोप तथा परिदृश्य की पहचान करने की योजनाओं की दिशा में उठाया गया एक कदम है।
- **एक जलविद्युत परियोजना के पेनस्टॉक/प्रेसर शाफ्ट, सर्ज शाफ्ट तथा एचआरटी का सीएफडी विश्लेषण:-** सीएफडी विश्लेषण को जल विद्युत के संघटकों और डिजाइन धारणाओं की प्रामाणिकता की जांच के लिए किया जाता है। आमतौर पर लेआउट के वैधीकरण को निष्पादित किया जाता है और प्रस्तावित लेआउट की भौतिक मॉडल अध्ययनों की तुलना करके वैधीकरण किए जाने के लिए यह एक तीव्र साधन है।
- **सलाल विद्युत स्टेशन पर हार्ड कोटिंग सुविधा का विकास - (इस शुरुआत हेतु पुरस्कृत):** इस परियोजना के फलस्वरूप टरबाइन कल-पुर्जों पर हार्ड कोटिंग की सुविधा की इन-हाउस स्थापना की जा सकेगी और इससे गाद वाले पानी के कारण एरोजन की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी, जिसका प्रभाव एनएचपीसी के अनेक विद्युत स्टेशनों पर पड़ रहा है। इस प्रकार टरबाइन उपलब्धता में सुधार किया जा सकेगा।
- **स्थायी विकास संबंधी कार्यकलाप:- तीस्ता-V पावर स्टेशन में अप्रैल-08 से सितंबर-09 की उत्पादन अवधि के लिए 1/3 बीईआरएस की बिक्री:-** कंपनी मार्च, 2013 के लक्ष के विरुद्ध अगस्त, 2012 में एमओयू 10.20 लाख बीईआरएस की बिक्री के कारण उत्कृष्टता .श्रेणी प्राप्त हुई है।
- **एनपीपी परियोजना:- हाइड्रो जेनरेटर्स की टरबाइन के लिए सिल्ट एरोजन प्रतिरोधी सामग्री का विकास**

नेशनल मेटलॉर्जिकल लैबोरेटरी (एनएमएल), जमशेदपुर ने एक नई मिश्रधातु विकसित की है जिसने उन्नत कटाव तथा कैविटेशन प्रतिरोधिता, स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशियेन्ट तथा प्रभाव रफनेस को दर्शाया है। एनएमएल ने इस नवविकसित मिश्रधातु के पेटेंट पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। इस पदार्थ का परीक्षण लघु उपकरणों पर किया जा रहा है। इसके मिश्रधातु के गुण प्रमाणित हो जाने के बाद, यह हमें भावी हाइड्रो परियोजनाओं में अंडरवाटर टरबाइन के संघटकों के विनिर्माण में मददगार हो सकती है। इन नव विकसित मिश्र धातु का फील्ड परीक्षण बैरास्यूल विद्युत पावर स्टेशन में प्रगति पर है।

निष्पादन के अधीन होने वाली इस परियोजना में नेशनल मेटलॉर्जिकल लैबोरेटरी (एनएमएल), जमशेदपुर लीड एजेंसी है और एनएचपीसी, एसजेवीएनएल तथा सीपीआरआई के साथ प्रतिभागी एजेंसी है। इस संबंध में, प्रतिभागी एजेंसियों के मध्य एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप जल के भीतर के घटकों के प्रचालन काल में वृद्धि करने के लिए अध्ययनों पर केन्द्रित है।

- **उच्च हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में सुरंगें बनाना:** प्रमुख लाभ उच्च हाइड्रोस्टैटिक दबाव के अंतर्गत जल प्रभारित क्षेत्रों में तीव्र एवं सुरक्षित सुरंग हेतु एक पद्धति स्थापित करने में परिणत होंगे।

3. 2013-14 के लिए भावी योजना

- क. स्पिलवे, ग्लेसिस आदि हेतु उच्च एब्रेसिव स्ट्रेन्थ वाली सामग्री का विकास।
- ख. पावर स्टेशनों पर ईएचवी ट्रांसफार्मर (400 केवी तक) की स्थल पर मरम्मत हेतु प्रक्रियाविधि का विकास।
- ग. सुबानसिरी नदी हेतु नदी अन्तर्वाह/डिस्चार्ज मापन में जीआईएस/जीपीएस का प्रयोग।
- घ. विक्रेताओं में माध्यम से तथा बैंक अभियांत्रिकी द्वारा प्रायोगिक आधार पर प्रचालनों के अंतर्गत मशीनों हेतु गाद जल के लिए शाफ्ट सील का विकास।
- ड. तीस्ता-V विद्युत स्टेशन के बीईआर की बिक्री।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

वित्त वर्ष 2012-13 में अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय 3,65,55,379 रुपए था।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास संक्षेप में निम्नानुसार है:

मिट्टी के कटाव के प्रति अंडरवाटर टरबाइन संघटकों की क्षमता में सुधार के लिए उनकी हार्ड कोटिंग और संभावित समाधान के रूप में थर्मल स्प्रे तकनीकों की पहचान के क्षेत्र में विगत में विशेषज्ञता पूर्ण संगठनों के सहयोग से अनेक प्रयोगात्मक अध्ययन तथा परीक्षण किए गए।

2. उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप हासिल किए गए लाभ, उदाहरण के लिए उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास और आयात प्रतिस्थापन के रूप में लाभ निम्नानुसार है:

हार्ड कोटिंग एक सतत प्रक्रिया है और इससे प्राप्त लाभों का आकलन तभी किया जा सकेगा जब हाइड्रो टरबाइन के अंडरवाटर संघटकों के लिए फायदेमंद कोटिंग सामग्री को अंतिम रूप मिल जायेगा। टंगस्टेन कारबाइड कोबाल्ट कोटिंग के साथ एचवीओएफ प्रक्रिया के उत्पादनक परिणाम सामने आ रहे हैं।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई प्रौद्योगिकी: पिछले पांच वर्षों के दौरान आयात की गई कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विवरण इस प्रकार है:

क्र.स	आयात की गई प्रौद्योगिकी	आयात करने का वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह आमेलित किया गया।	यदि पूरी तरह आमेलित नहीं किया गया, तो उस क्षेत्र का नाम जहां उसे नहीं अपनाया गया, तत्संबंधी कारण और भावी कार्ययोजना
1.	बिड्डा पवन बिजली परियोजना, जम्मू कश्मीर	2011	नहीं	जम्मू कश्मीर में बिड्डा पवन बिजली परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, परियोजना के कार्यान्वयन के बाद प्रौद्योगिकी आमेलन की संभावना है।
2.	सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में 3.75 मेगावाट क्षमता की पवन विद्युत परियोजना का विकास	2008	नहीं	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2007 में एनएचपीसी द्वारा विदेशी परामर्शदाता मैसर्स हाइड्रो तस्मानिया, आस्ट्रेलिया की मदद से अद्यतन बनायी गई।
3.	हाइड्रो जनरेटर के टरबाइन हेतु गाद प्रतिरोधी सामग्री का विकास	2008	नहीं	प्रौद्योगिकी आमेलन बैरस्यूल विद्युत स्टेशन में एनएमएल द्वारा विकसित एलॉय के फील्ड परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात प्रत्याशित है।

क) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष भर के दौरान नियोजित ऐसे कर्मचारियों जिन्हें 60 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक का पारिश्रमिक दिया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र दिए गए कर्मचारियों को अदा किया गया बकाया शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम एम/श्री	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक (रुपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	पिछला धारित रोजगार
1.	ए बी एल श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त)	11 फरवरी, 2008	-	67,00,322	आर	एम.कॉम, एफसीए, मास्टर इन बिजनेस फाइनेन्स, सीएस (इंटर)	57	36	आरईसी
2.	डी पी भार्गव	निदेशक (तकनीकी)	20 फरवरी, 1979	-	63,98,169	आर	बी.ई. इलेक्ट्रिकल	57	34	लागू नहीं

ख) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान वर्ष के एक भाग के दौरान नियोजित ऐसे कर्मचारियों जिन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह से अधिक का पारिश्रमिक दिया गया था, जिसमें सेवानिवृत्त/त्याग-पत्र दिए गए कर्मचारियों को अदा किया गया बकाया शामिल है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम एम/श्री	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक (रुपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	पिछला धारित रोजगार
1.	ओपिन्दर रे	बेलदार स्पेशल ग्रेड ।	16 जनवरी 1984	8 अप्रैल 2012	8,83,845	आर	अनपढ़	53	28	लागू नहीं
2.	धरम सिंह	व. फोरमैन (एम) स्पेशल	14-जून 1978	12 मई 2012	15,78,455	आर	आईटीआई, मैट्रिक / एसएसएलसी	59	34	लागू नहीं
3.	पूरन सिंह	मास्टर टेक्नियन (ड्रिलर) ग्रेड-।।	20 मई 1977	12 अप्रैल 2012	11,78,854	आर	अनपढ़	59	35	लागू नहीं
4.	चन्द्रकांत पाण्डेय	इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-।।	1 जनवरी 1987	8 अप्रैल 2012	8,30,850	आर	मैट्रिक से कम	59	25	लागू नहीं
5.	वी एम गोविंदन	एसपीएस (ई-2)	10-फरवरी-1986	24 सितंबर 2012	46,47,318	आर	डिप्लोमा सेक्टेरियल प्रैक्टिस, सीनियर सैकेन्ड्री/12वीं	51	27	लागू नहीं
6.	देव राज	बेलदार स्पे. ग्रेड-।	15 जनवरी 1986	6 सितंबर 2012	31,63,863	आर	5वीं	51	27	लागू नहीं
7.	विजय सिंह यादव	एम ऑपरेंटर ग्रेड-।।	1 जुलाई 1987	15 सितंबर 2012	35,24,901	आर	सीनियर सैकेन्ड्री/12वीं, आईटीआई	51	25	लागू नहीं
8.	हंस राज	बेलदार स्पे. ग्रेड-।	16 जनवरी 1986	14 अगस्त 2012	30,60,233	आर	दूसरी	51	27	लागू नहीं
9.	एन शांति सिंह	क्लीनर ग्रेड-।	16 फरवरी 1982	19 अगस्त 2012	40,03,276	आर	6वीं	52	31	लागू नहीं
10.	मो. जाकिर	ऑपरेंटर (यूटीएल) ग्रेड-III	19 अगस्त 1980	9 सितंबर -2012	41,81,245	आर	7वीं	52	32	लागू नहीं
11.	रविंदर सिंह	वरि. हैम ऑपरेंटर ग्रेड-।।	16 अगस्त 1980	31 जुलाई -2012	48,73,241	आर	8वीं	52	32	लागू नहीं
12.	विजय कुमार	ऑपरेंटर (नोज.) स्पे. ग्रेड-।।	15 सितम्बर 1982	7 नवंबर 2012	49,00,785	आर	अनपढ़	53	30	लागू नहीं
13.	आर के बिनय सिंह	एम. टेक (एसबीटी) ग्रेड-।।	1 जून 1979	18 दिसंबर -2012	51,87,588	आर	हायर सैकेन्ड्री	53	34	लागू नहीं
14.	मेकू लाल	बेलदार स्पे.	1 जुलाई 1987	26 जुलाई 2012	29,74,738	आर	मैट्रिक से कम	53	25	लागू नहीं
15.	आर रंगा राव	वेल्डर स्पे. ग्रेड-।	21 सितम्बर 1979	17 अगस्त 2012	43,08,550	आर	3RD	54	33	लागू नहीं
16.	टी मंगू कोम	दफतरी ग्रेड ।	1 मार्च 1979	19 अगस्त 2012	40,84,350	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	54	33	लागू नहीं
17.	कैलाश शाह	बेलदार स्पे. ग्रेड-।	2 अप्रैल 1983	18 अगस्त 2012	33,05,429	आर	मैट्रिक से कम	54	29	लागू नहीं
18.	भूपिनर बहादुर	हैल्पर स्पे. ग्रेड-।	23 अगस्त 1980	31 जुलाई, 2012	31,02,077	आर	मैट्रिक से कम	55	32	लागू नहीं
19.	मुख्तार राज	कार्य सहायक स्पे. ग्रेड-।	1 मार्च 1975	31 अगस्त 2012	41,26,474	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	55	38	लागू नहीं
20.	मोहिंदर सिंह	वरि. हैम ऑपरेंटर ग्रेड ।	24 फरवरी 1981	31 जुलाई 2012	42,59,020	आर	मैट्रिक से कम	55	31	लागू नहीं
21.	कृपेश पॉल	क्लीनर स्पे.	21 अगस्त 1980	31 जुलाई 2012	33,12,873	आर	मैट्रिक से कम	55	32	लागू नहीं
22.	कर्ण सिंह	ऑपरेंटर (हैम) स्पे. ग्रेड-।	3 नवंबर 1978	31 जुलाई 2012	44,50,377	आर	8वीं	55	34	लागू नहीं
23.	विजय कुमार	ड्राइवर स्पे. ग्रेड-।	24 नवम्बर 1981	31 जुलाई 2012	37,09,993	आर	8वीं	55	31	लागू नहीं
24.	शंकर कपरी	बेलदार स्पे. ग्रेड-।	16 जनवरी, 1980	20 अगस्त 2012	36,14,898	आर	अनपढ़	55	33	लागू नहीं
25.	रामगोपाल खीचेर	वरि. अधीक्षक (एचके) ग्रेड-।	7 सितम्बर 1981	3 अगस्त 2012	36,84,837	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	56	31	लागू नहीं
26.	पाखोलाल हमार	सुरक्षा गार्ड स्पे.	1 अप्रैल 1983	19 अगस्त 2012	27,90,871	आर	7वीं	56	29	लागू नहीं
27.	धर्म चन्द	ड्राइवर ग्रेड ।	22 सितम्बर 1982	11 अगस्त 2012	32,30,477	आर	अनपढ़	56	30	लागू नहीं
28.	एस टी नायर	वरि. हैम ऑपरेंटर ग्रेड ।।	18 नवंबर 1977	30 नवम्बर 2012	53,54,420	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	56	35	लागू नहीं
29.	बलबीर सिंह	ऑपरेंटर (हैम) स्पे. ग्रेड-।	31 अगस्त 1984	31 अगस्त 2012	35,38,277	आर	8वीं	56	28	लागू नहीं

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम एम/श्री	पदनाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा छोड़ने की तिथि	कुल पारिश्रमिक (रुपए में)	डी-प्रतिनियुक्ति आर-नियमित	योग्यता	आयु (वर्षों में)	अनुभव (वर्षों में)	पिछला धारित रोजगार
30.	पी इंगो सिंह	स्टोर कीपर स्पे.	1 दिसम्बर 1979	19 अगस्त 2012	28,14,797	आर	हायर सैकेन्ड्री	57	33	लागू नहीं
31.	हरीश चन्दर	एम. टेक (ड्रिलर) ग्रेड- II	25 अप्रैल 1977	30 सितम्बर 2012	39,34,314	आर	मैट्रिक से कम	57	35	लागू नहीं
32.	जी एस ठाकुर	वरि. सहायक. ग्रेड- I	27 जुलाई 1979	30 अप्रैल 2012	17,54,246	आर	स्नातक	60	33	लागू नहीं
33.	फकीर चन्द	फिटर स्पे.	19 जून 1979	30 अप्रैल 2012	15,58,023	आर	मैट्रिक से कम	60	33	लागू नहीं
34.	श्यामा प्रसाद दत्ता	प्रबंधक (एम)	6 जुलाई 1978	31 मई 2012	22,07,609	आर	विज्ञान स्नातक, डिप्लोमा मेक. इंजी.	60	34	डकबेक (डब्ल्यूबी)
35.	जगदीश राज	एम. टेक (लाइनमैन) ग्रेड- II	14 जुलाई 1981	31 मई 2012	15,10,151	आर	मैट्रिक से कम	60	31	लागू नहीं
36.	घनश्याम शर्मा	वरि. अधीक्षक (संचार)	5 जुलाई 1975	30 अप्रैल 2012	12,34,649	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी, आईटीआई	60	37	लागू नहीं
37.	जसबीर सिंह	एम. टेक (मैकेनिक) ग्रेड- I	2 जून 1980	30 अप्रैल 2012	20,65,611	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी, आईटीआई	60	32	लागू नहीं
38.	गुर प्रसाद	एम. टेक (मैकेनिक) ग्रेड- II	30 नवम्बर 1981	30 अप्रैल 2012	11,75,065	आर	हायर सैकेन्ड्री	60	30	लागू नहीं
39.	जय प्रकाश सिंह	ऑपरेटर (नोज) स्पे. ग्रेड- II	19 जून 1978	31 मई 2012	15,29,892	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी, अनपढ़	60	34	लागू नहीं
40.	उत्तम चन्द	एम. टेक (मैकेनिक) ग्रेड- I	2 जनवरी 1975	30 अप्रैल 2012	19,52,690	आर	9वीं	60	37	लागू नहीं
41.	ऐनम गुरिया	वरि. सहायक. ग्रेड- I	30 मई 1981	31 मई 2012	19,45,570	आर	सीनियर सैकेन्ड्री/ 12वीं	60	31	लागू नहीं
42.	गुलाम नबी वानी	एजी- I	4 जुलाई 1977	30 अप्रैल 2012	12,99,374	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	60	35	लागू नहीं
43.	सुरेन्द्र कुमार	वरि. हैम ऑपरेटर ग्रेड I	21 अगस्त 1977	31 मई 2012	20,44,893	आर	8वीं	60	35	लागू नहीं
44.	रमेश चन्द्र	कार्य सहायक स्पे. ग्रेड- I	28 फरवरी 1979	30 अप्रैल 2012	16,13,277	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	60	33	लागू नहीं
45.	जी बी थापा	एम. टेक (ड्रिलर) ग्रेड- II	1 जूलाई 1985	30 अप्रैल 2012	11,36,971	आर	अनपढ़	60	27	लागू नहीं
46.	बेली राम	एम. टेक (लाइनमैन) ग्रेड- II	10 मार्च 1975	30 अप्रैल 2012	15,34,180	आर	अनपढ़	60	37	लागू नहीं
47.	कश्मीर सिंह	एमटेक (फिटर) - द्वितीय	21 अगस्त 1980	30 अप्रैल 2012	16,83,521	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी, आईटीआई	60	32	लागू नहीं
48.	कर्मजीत सिंह	वरि. फोरमैन (एम)	16 मई 1974	31 मई 2012	17,80,533	आर	मैट्रिक से कम	60	38	लागू नहीं
49.	विशम्बर नाथ	एम. टेक (फिटर) ग्रेड- I	1 जुलाई 1978	30 अप्रैल 2012	20,18,691	आर	आईटीआई, 8वीं	60	34	लागू नहीं
50.	पारस राम	एम. इलेक्ट्रिक ग्रेड- II	31 मार्च-1979	30 अप्रैल 2012	16,77,271	आर	मैट्रिक से कम	60	33	लागू नहीं
51.	बाबा सिंह	एस एम (ई)	24 फरवरी 1976	31 मई 2012	24,95,749	आर	डिप्लोमा इलेक्ट्रोनिक. इंजी.	60	36	लागू नहीं
52.	ओ मनहार सिंह	प्रबंधक (सी)	3 जुलाई 1978	31 जूलाई 2012	31,69,438	आर	डिप्लोमा सिविल इन्जिनियरिंग.	60	34	आईएफसी विभाग (मणिपुर)
53.	सोम राज	वरि. अधीक्षक (सी) I	30 नवम्बर 1981	31 मई 2012	15,46,633	आर	मैट्रिक / एसएसएलसी	60	31	लागू नहीं
54.	गुरचरण सिंह	ई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड. 'एट'	12 जून 1978	30 अप्रैल 2012	16,98,895	आर	आईटीआई ड्राफ्ट्समैन (सिविल), मैट्रिक / एसएसएलसी	60	34	लागू नहीं
55.	एम एल शर्मा	वरि. अधीक्षक (सर्वे) एस-3	6 जनवरी 1975	31 मई 2012	20,19,591	आर	आईटीआई सर्वे, सीनियर सैकेन्ड्री/ 12वीं	60	37	लागू नहीं

टिप्पणियां:

- पारिश्रमिक में वेतन, कैफेटेरिया भत्ता, अवकाश नकदीकरण, कार्यपालकों तथा पर्यवेक्षकों/कामगारों को पीपीआर/पीएलजीआई, अनुलाम मूल्य, आर्थिक सहायता प्राप्त पट्टे वाला आवास, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में कर्मचारी तथा नियोक्ता अंशदान शामिल होता है। तथापि, इसमें परियोजना स्थलों पर कंपनी की डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार का मौद्रिक मूल्य शामिल नहीं होता है क्योंकि इसे कर्मचारी-वार मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी कंपनी के नियमों के अनुसार उपदाना/समूह बीमा हेतु पात्र होते हैं।
- ऊपर उल्लिखित पारिश्रमिक में वर्ष के दौरान अदा किए गए सेवानिवृत्ति/पृथकीकरण लाभ शामिल होते हैं और यह कंपनी के कर्मचारियों के नियमित पारिश्रमिक ढांचे को नहीं दर्शाता है।
- ऊपर सूचीबद्ध कोई भी कर्मचारी कंपनी के किसी निदेशक से संबंधित नहीं है।
- उपर्युक्त में से कोई भी कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खंड 2ए के उप खंड (I) के अर्थ के भीतर कंपनी में इक्विटी शेयर के प्रतिशत को धारित नहीं किए हुए है।

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

खण्ड क: कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. कम्पनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
एल40101एचआर1975 जीओआई 1032564
2. कम्पनी का नाम
एनएचपीसी लिमिटेड
3. पंजीकृत पता
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003 (भारत)
4. वेबसाइट
www.nhpcindia.com
5. ईमेल आईडी
brr@nhpc.nic.in
6. रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष
2012-13
7. क्षेत्र, जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड बार)

*समूह	वर्ग	उपवर्ग	विवरण
351	3510	35101	जल विद्युत संपन्नों द्वारा विद्युत उत्पादन

* राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

8. तीन महत्वपूर्ण उत्पाद/सेवाएं, जिनका कम्पनी निर्माण करती है/प्रदान करती है

- (i) ऊर्जा (जल विद्युत)
- (ii) परामर्शी सेवाएं

9. उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कम्पनी व्यवसायिक कार्यकलाप करती है

- 9.1. अन्तरराष्ट्रीय स्थानों की संख्या (5 बड़े स्थानों का ब्यौरा दें)

एनएचपीसी, भूटान के व्यावसायिक कार्यकलाप करता है जहां यह जलविद्युत परियोजनाओं के पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएमआर) तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर रहा है।

- 9.2. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

हमारे पास सारे देश में 7 राज्यों में 15 पावर स्टेशन तथा 7 निर्माण परियोजनाएं हैं।

राज्य	स्थान (जिले)	
	प्रचालनाधीन	निर्माणाधीन
जम्मू एवं कश्मीर	बारामूला, कथुआ, कारगिल, रियासी, किश्तवार	बारामूला, लेह, बांदीपुरा
हिमाचल प्रदेश	चम्बा (4)	कुल्लू और मण्डी
उत्तराखण्ड	चम्पावत और पिथौरागढ़	
पश्चिम बंगाल	दाजर्लिंग	दाजर्लिंग
अरुणाचल प्रदेश		लोअर सुबानसिरी
सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम	
मणिपुर	बिशनपुर	

10. कम्पनी द्वारा सेवित बाजार- स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय

निम्न वर्णित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राष्ट्रीय लाभग्रहियों को बिजली बेची जाती है।

जम्मू एवं कश्मीर	राजस्थान	सिक्किम
हिमाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मणिपुर
पंजाब	बिहार	मेघालय
चण्डीगढ़	ओड़ीशा	मिजोरम
उत्तराखण्ड	पश्चिम बंगाल	त्रिपुरा
हरियाणा	असम	नागालैण्ड
दिल्ली	अरुणाचल प्रदेश	झारखण्ड

खण्ड ख: कम्पनी का वित्तीय ब्यौरा

1. प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये में)
12,300.74 करोड़ रुपये (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
2. कुल कारोबार (भारतीय रुपये में)
5,306.64 करोड़ रुपये (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
3. कर भुगतान के बाद कुल लाभ (भारतीय रुपये में)
2,384.22 करोड़ रुपये (31.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
4. कर भुगतान के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर कुल व्यय
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर हमारा कुल व्यय 1573.16 लाख रुपये है जो कर भुगतान के बाद लाभ का 0.67 प्रतिशत है ।
5. उन कार्यकलापों की सूची, जिनमें उपरोक्त 4 में व्यय किया गया है ।
 - i. शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण
 - ii. स्वास्थ्य रक्षा
 - iii. सामाजिक और भौतिक अवसंरचना
 - iv. सामुदायिक विकास तथा आजीविका समर्थन

खण्ड ग: अन्य ब्यौरा

1. क्या कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी/कम्पनियां है ?
हां, 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी की तीन सहायक कम्पनियां हैं, नामतः
 - i. एनएचडीसी लिमिटेड
 - ii. लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
 - iii. चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड (सीवीपीपीवीवीलि)
2. क्या सहायक कम्पनी/कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती हैं ?
यदि हां, तो ऐसी सहायक कम्पनी(यों) की संख्या बतायें ?
नहीं, सहायक कम्पनियां मूल कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेती हैं ।
3. क्या कोई अन्य निकाय/निकायों (उदाहरणार्थ, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) के साथ कम्पनी व्यवसाय करती है, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेते हैं ? यदि हां, तो ऐसे निकाय/निकायों की संख्या बताएं (30% से कम 30-60%] 60% से अधिक);
कोई भी निकाय, जो कम्पनी के साथ व्यवसाय करते हैं, कम्पनी के व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग नहीं लेते हैं ।

खण्ड घ: व्यावसायिक उत्तरदायित्व सूचना

1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
 - 1.1. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का ब्यौरा
 - डीआईएन नम्बर: 01601682
 - नाम: श्री ए बी एल श्रीवास्तव
 - पदनाम: निदेशक (वित्त)
 - 1.2. व्यावसायिक उत्तरदायित्व प्रमुख का ब्यौरा
 - डीआईएन नम्बर: लागू नहीं
 - नाम: श्री विजय गुप्ता
 - पदनाम: कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
 - दूरभाष: (0129) 2278421
 - ईमेलआईडी: companysecretary@nhpc.nic.in

2. सिद्धान्तवार (एनबीजी के अनुसार) व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या संबंधित हित धारकों के साथ परामर्श करके नीतियां बनाई जाती हैं ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होते हैं ? यदि हां, तो स्पष्ट करें ? (नीतियां आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएस 18001 जैसे अन्तरराष्ट्रीय मानकों की भावना के अनुरूप के अलावा, एमबीजी दिशानिर्देशों पर आधारित होती है)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
4	क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है ? यदि हां,	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5	क्या कम्पनी के पास नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बोर्ड/निदेशकों/अधिकारियों की एक निर्दिष्ट समिति होती है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑन-लाइन देखने के लिए नीति हेतु लिंक दर्शाएं ?*	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां
7	क्या नीति को सम्बद्ध आन्तरिक और बाह्य हितधारकों को संप्रेषित किया जाता है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
8	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए आन्तरिक ढांचा है ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9	क्या कम्पनी के पास नीति/नीतियों से सम्बद्ध हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए नीति/नीतियों से सम्बद्ध कोई शिकायत निवारण तन्त्र है ?	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
10	क्या कम्पनी ने आन्तरिक/बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्याकरण का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन करवाया है ?	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

*सीएसआर नीति www.nhpcindia.com/csr-policy.htm पर उपलब्ध है। www.nhpcindia.com/r-andr-policy.htm पर उपलब्ध है। सतत विकास नीति www.nhpcindia.com/sustainable-development.htm पर उपलब्ध है। धोखाधड़ी नीति, कार्पोरेट शासन अनुपालन तथा व्यावसायिक सौदा प्रतिबंध संबंधी नीति www.nhpcindia.com/corporate-governance.htm पर उपलब्ध है। व्यवसाय आचरण संहिता तथा आचार, व्हिसल ब्लोवर नीति, सत्यनिष्ठा करार, समचित प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र और एनएचपीसी आचार, अनुशासन तथा अपील नियम कम्पनी के इंटरनेट पर उपलब्ध है।

2क. यदि किसी सिद्धान्त पर क्रम संख्या 1 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है:

क्र.सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कम्पनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है	लागू नहीं								
2	ऐसा कोई भी चरण नहीं है, जहां कम्पनी स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों पर नीतियां बनाने तथा उनके कार्यान्वयन की स्थिति में पाती हो।									
3	कम्पनी के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या जनशक्ति के संसाधन नहीं हैं।									
4	अगले 6 महीने के भीतर ऐसा करने की योजना है									
5	अगले 1 महीने में भीतर ऐसा करने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. व्यावसायिक उत्तरदायित्व से सम्बद्ध शासन

- निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा कितने अन्तराल के बाद कम्पनी के व्यावसायिक कार्य निष्पादन का आकलन करना होता है।
कम्पनी के व्यावसायिक कार्य-निष्पादन का आकलन वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रतिवर्ष किया जायेगा।
- क्या कम्पनी व्यावसायिक उत्तरदायित्व या प्रतिधारणीय रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है। यह कितने समय बाद प्रकाशित की जाती है ?
यह पहली व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट है। आगे से यह प्रतिवर्ष प्रकाशित की जायेगी और वार्षिक प्रतिवेदन का भाग होगी। यह रिपोर्ट एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpc-reports.nic.in/annual_report/NHPC_full_annual_report_1213.pdf पर उपलब्ध है।

खण्ड ड: सिद्धान्त वार कार्यनिष्पादन

सिद्धान्त 1

1. क्या आचार, रिश्ततखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कम्पनी को ही कवर करती हैं ? हां/नहीं, क्या इसे समूह/संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू किया जाता है ?

कम्पनी कार्पोरेट शासन को अच्छे प्रबंधन का अटूट हिस्सा मानती है। कम्पनी का व्यावसायिक आचरण क्या आचार संहिता है जो इसके बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिकों पर लागू होती है। इसके अलावा, कम्पनी के पास या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी संबंधी नीति है, व्हिसल ब्लोवर

नीति भी अपनाई गई है। इसके अलावा, कम्पनी ने 15 करोड़ या इससे अधिक के मूल्य के सभी प्रापण कार्य तथा 25 लाख या इससे अधिक मूल्य के माल या सेवाओं के प्रापण के लिए सत्यनिष्ठा नीति कार्यान्वित की है। इसके अतिरिक्त, एनएचपीसी के पास अनैतिक व्यवहार की स्थिति में बोलीदाताओं (अर्थात् समूह, संयुक्त उद्यम, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार) के साथ व्यावसायिक लेन-देन बन्द करने के लिए नीति तथा प्रक्रिया भी है।

2. विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें मिली तथा प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से समाधान किया गया ?

हमें कार्पोरेट शासन मानकों तथा व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। कम्पनी के समक्ष 2012-13 में, अपनी व्हिसल ब्लोवर नीति और बोलीदाताओं के बाद व्यावसायिक सौदों को बन्द करने संबंधी किसी नीति के अन्तर्गत कोई शिकायत नहीं आई है।

कम्पनी को वित्तीय वर्ष 2012-13 में, अपनी धोखाधड़ी नीति के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध 1 शिकायत प्राप्त हुई है। जांच का काम चल रहा है और जांच पूरी होने के बाद समुचित कार्यवाही की जायेगी।

सिद्धान्त 2

1. अपने तीन उत्पादों या सेवाओं को बताएं जिनके डिजाइन से सामाजिक या पर्यावरणीय चिन्ताएं, खतरे और/अवसर पैदा हुए हैं।

जलविद्युत उत्पादन।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति यूनिट (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री इत्यादि) संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

जल के गैर उपभोग द्वारा जलविद्युत परियोजनाओं से बिजली उत्पादन होता है इसलिए संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जल विद्युत अक्षय ऊर्जा का स्रोत है।

3. क्या कम्पनी के पास सतत स्रोत (परिवहन सहित) की प्रक्रिया है? यदि हां, तो आपके आदानों का कितना प्रतिशत सतत रूप से स्रोत किया गया? लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।

कम्पनी अपने विक्रेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने पर बल देती है और उन्हें अपनी वृद्धि की गाथा में शामिल करती है। कम्पनी जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण निष्पादन के लिए एजेंसियों का चयन करने हेतु अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) का अनुपालन करती है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की आईसीबी प्रक्रियाओं, सीवीसी दिशानिर्देशों तथा सुरक्षित कार्य दशाओं, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन पर्यावरणीय नीतियों इत्यादि जैसे विभिन्न अन्य विक्रेता व्यवहारों की तरह जांच की जाती है। कम्पनी के अधिकारी पारदर्शी तरीके से सभी एजेंसियों/एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित आधार पर परामर्श करते हैं।

तथापि, कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए इन आपूर्तिकर्ताओं से लिए गए कुल आदानों के प्रतिशत का पता लगाना कठिन है।

4. क्या कम्पनी ने अपने कार्यस्थल के आस-पास समुदायों सहित स्थानीय तथा लघु उत्पादकों से माल और सेवाओं की अधि प्राप्ति के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल विद्युत उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ऐसे जल का उपयोग होता है जो पीने योग्य न हो। किन्तु वाहन किराये पर लेने, सामग्री की हैंडलिंग, हाउसकीपिंग, अपशिष्ट हैंडलिंग तथा बागवानी के लिए परियोजना के आस-पास स्थानीय लोगों के साथ अनुबंध किए गए हैं। इन अनुबंधों से परियोजना स्थल के आस-पास उद्यम विकास हुआ है और स्थानीय जनता के लिए अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

5. क्या कम्पनी के पास उत्पादों और अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का तन्त्र उपलब्ध है? यदि हां, तो उत्पादों तथा अपशिष्ट के पुनर्चक्रण का प्रतिशत कितना है (अलग-अलग <5%, 5-10% >10%)।

जल विद्युत उत्पादन से कोई अपशिष्ट नहीं निकलता है और उपभोग वाले पानी द्वारा उत्पादित जलविद्युत संयंत्रों का उत्पाद बिजली है। इसके अलावा, परियोजनाओं हेतु सुरक्षित तथा टिकाऊ ढांचों के लिए सुदृढ़ और इष्टतम डिजाइन से संबंधित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है।

सिद्धान्त 3

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

2. कृपया अस्थाई/संविदात्मक/नैमित्तिक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।

3. कृपया स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या बतायें।

4. कृपया स्थाई रूपसे विकलांग कर्मचारियों की संख्या बतायें।

5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?

6. आपके इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य कितने स्थाई कर्मचारी हैं?

7. कृपया यह बतायें कि वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें कीं और वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितनी शिकायतें लंबित थीं?

8. निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कर्मचारियों को विगत वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया ?

1.	कर्मचारियों की कुल संख्या	10,418
2.	अस्थाई/संविदात्मक/वैमित्तिक आधार पर लिए गये कर्मचारियों की कुल संख्या	एनएचपीसी प्रत्यक्ष रूप से संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित नहीं करता है ।
3.	स्थाई महिला कर्मचारियों की संख्या	967
4.	कुल विकलांग कर्मचारियों की संख्या	85
5.	कर्मचारी संघ	कार्पोरेट से किसी एसोसिएशन या संघ को औपचारिक रूप में मान्यता नहीं दी गई है
6.	कर्मचारी संघ में स्थाई कर्मचारियों की सदस्यता का प्रतिशत	लागू नहीं
7.	वर्ष 2012-13 में बाल श्रम, जबरन श्रम, अनैच्छिक श्रम से संबंधित शिकायतों तथा 2012-13 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	इस श्रेणी में कोई भी शिकायत न तो प्राप्त हुई और न लम्बित है ।
	2012-13 में यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या तथा 2012-13 के अन्त तक लम्बित शिकायतों की संख्या	दर्ज शिकायत: 1 लम्बित शिकायत: 0
	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल के प्रतिशत के रूप में (2012-13))	इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और कोई शिकायत लम्बित नहीं है
8.	उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया (संबंधित प्रत्येक श्रेणी में कुल प्रतिशत के रूप में (2012-13))	
	स्थाई कर्मचारी	84%
	स्थाई महिला कर्मचारी	89%
	अस्थाई / संविदात्मक/नैमित्तिक	लागू नहीं
	विकलांग कर्मचारी	92%

सिद्धान्त 4

1. क्या कम्पनी ने अपने आन्तरिक और बाह्य हितधारकों का चित्रण किया है ? हां/नहीं ।

हां, हमने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हितधारकों सहित बाह्य हितधारकों का चित्रण तथा पहचान की है । हमारे हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, स्थानीय, समुदाय, आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार, निवेशक और शेयर होल्डर, सरकार तथा विनियामक और समकक्ष व्यक्ति तथा उद्योग पारिस्थितिकी प्रणाली शामिल हैं ।

2. उपरोक्त में से क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों की पहचान की है ?

हमारे वंचित तथा सुभेद्य हितधारकों में विकलांग कर्मचारी, लड़कियां/महिलाएं अजा/अजजा समुदाय और ग्रामीण/परियोजनाओं के आस-पास परियोजना विस्थापित समुदाय शामिल हैं ।

3. क्या कम्पनी ने वंचित, सुभेद्य तथा उपेक्षित हित धारकों से सम्पर्क करने के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो लगभग 50 या इसके आस-पास के शब्दों में इसका ब्योरा दें ?

- **विकलांग कर्मचारी** कम्पनी का प्रयास एनएचपीसी को ऐसा कार्यस्थल बनाने का है जो विकलांग कर्मचारियों और विशेष आवश्यकता वाले कर्मचारियों के अनुकूल हो । इसका उद्देश्य ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई प्रतियोगिताओं, मंचों तथा प्रशिक्षण के अध्ययन से उनमें आत्म विश्वास जगाना है ।
- **बालिका/महिला और अजा/अजजा समुदाय** कम्पनी परियोजनाओं के स्थल में शिक्षा के लिए अजा/अजजा और छात्राओं को छात्रवृत्ति देती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम चलाती है । प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके और कोचिंग केन्द्र स्थापित करके स्थानीय समुदायों के प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का कार्य करती है । कम्पनी ग्रामीण युवकों/महिलाओं की नियोजनीयता को बढ़ाने तथा उनकी उद्यमशीलता के विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है ।
- **ग्रामीण/परियोजना विस्थापित समुदाय** कम्पनी निर्माण कार्यों के लिए तथा उपयुक्त सीमा तक समुचित अर्हताप्राप्त और अनुभवी कर्मचारियों और श्रमिकों को नियोजित करने की सलाह देती है । निविदा के लिए श्रमिक केवल स्थानीय क्षेत्र से ही भर्ती किए जायें । इसके अतिरिक्त, सिविल निर्माण

कार्यों और सेवा संविदाओं संबंधी संविदा पुस्तिका में एनएचपीसी में श्रेणी 'घ' और 'ड' के रूप में पंजीकरण हेतु परियोजना प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों में छूट देने का प्रावधान है।

सिद्धान्त 5

- क्या मानवाधिकारों पर कम्पनी की नीति केवल कम्पनी पर ही लागू होती है या यह नीति समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है ?

कम्पनी एसए 8000 मानकों की सभी अपेक्षाओं के अनुरूप सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेवार तरीके से व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में "एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील नियम" केवल कर्मचारियों पर लागू होते हैं, हालांकि हम अपने हित धारकों से आशा करते हैं कि वे उसमें निर्विघ्न मापकों का पालन करेंगे तथा उन्हें बनाए रखेंगे। 'एनएचपीसी आचरण, अनुशासन और अपील' नियम किसी कर्मचारी के अधिकार या विशेषाधिकार के तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन बनाए गए नियम से, या सेवा की शर्तों और निबंधनों द्वारा या ऐसे व्यक्ति या कम्पनी के बीच हुए किसी समझौते से संरक्षण के लिए है।

- गत वित्तीय वर्ष में हित धारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया ? कर्मचारी शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की संख्या इस प्रकार हैं:

अधिशेष वित्तीय वर्ष '12	2012 के दौरान प्राप्त	2012 के दौरान समाधान	इति शेष वित्तीय वर्ष 2012-13
8	13	18	3

सिद्धान्त 6

- क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति कम्पनी पर ही लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है। क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ?

एनएचपीसी के पास समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र है जो अपने कार्पोरेट कार्यालय तथा परियोजनाओं/बिजली घरों के लिए गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली को कवर करता है।

- क्या कम्पनी के पास जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए कार्यनीतियां/पहलें हैं ?

हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वैबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

हां, कम्पनी जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, जोकि स्वच्छ बिजली है तथा विद्युत उत्पादन के अन्य पारम्परिक पद्धतियों की तुलना में ग्रीन हाउस गैसों को कम करती है। यह जहां कहीं ऊर्जा की कमी हो तथा अधिकतम मांग को पूरा करना हो, देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाती है।

इसके अलावा, एनएचपीसी समन्वित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) प्रमाणीकृत कम्पनी है, जो एनएचपीसी कार्पोरेट कार्यालय के लिए पीएस 99:2006 के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय मानकों आईएसको 9001:2000 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 14001:2004 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) तथा ओएसएसएस 18001:2007 (व्यवसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा आकलन श्रृंखला) की आवश्यकताओं को पूरा करती है। आईएसएस प्रमाणीकरण पर्यावरण अनुकूल तरीके के विकास हेतु किये जाने वाले प्रयासों के लिए सचमुच में अन्तरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को परिलक्षित करता है। एनएचपीसी द्वारा अपनाई गई पर्यावरणीय नीति का उद्देश्य जल विद्युत क्षेत्र में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करना, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखना और इसमें निरन्तर सुधार लाना है।

पर्यावरण प्रबंध के क्षेत्र में एनएचपीसी के लिए ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जल ग्रहण क्षेत्र सुधार (सीएटी)
- प्रतिपूरक वन रोपण/स्वैच्छिक वन रोपण
- ग्रीन बेल्ट विकास व लैंडस्केपिंग
- जलाशय रिम शोधन
- मक डम्पिंग और खान स्थलों को पुनर्जीवित करना
- जैव विविधता संरक्षण
- मत्स्य संरक्षण और प्रबंधन
- निर्माण उपरान्त मूल्यांकन प्रभाव

इन प्रमुख क्षेत्रों का ब्योरा <http://www.nhpcindia.com/key-areas.htm> पर उपलब्ध है।

3. क्या कम्पनी संभावित पर्यावरणीय खतरों की पहचान और उनका आकलन करती है ? हां/नहीं ।

हां, एनएचपीसी जलविद्युत के सतत उत्पादन के प्रति प्रतिबद्ध है । पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन पर्यावरण पर संभावित प्रभाव (सकारात्मक और नकारात्मक) की पहचान के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय किया जाता है । पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित, पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का प्रस्ताव किया जाता है और प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए परियोजना निर्माण के दौरान उन्हें कार्यान्वित किया जाता है ।

4. क्या कम्पनी के पास स्वच्छ विकास तन्त्र से सम्बद्ध कोई परियोजना है ? यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई है ?

हां, मार्च, 2009 के दौरान जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की स्वच्छ विकास तन्त्र कार्यकारी बोर्ड द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित निम्नो बाजगो और चुटक नामक एनएचपीसी की दो जल विद्युत परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं ।

इन परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए चयन की प्रक्रिया विधि एसीएम 0002 थी: नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली उत्पादन हेतु समेकित प्रक्रिया विधि । पहले इस प्रक्रिया विधि का चयन परियोजना बीडीपीआर में उल्लिखित सूचना के आधार पर किया गया था । अब परियोजना के निष्पादन के दौरान कई परिवर्तन किए गए हैं जैसे राष्ट्रीय ग्रिड से स्थानीय एकल ग्रिड में परियोजना के संयोजन में परिवर्तन, 33 किलोवाट से 66 किलोवाट पावर इवैक्वेशन वोल्टेज स्तर में परिवर्तन । उपरोक्त परिवर्तनों को समाविष्ट करने के लिए प्रक्रिया विधि एएमओ 103: आइसोलेशन ग्रिडों में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के अंतर्गत परियोजनाओं के पुनः पंजीकरण के लिए प्रयास जारी है ।

आज की तारीख तक पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है ।

5. क्या कम्पनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के संबंध में कोई अन्य पहलें की हैं । हां/नहीं, यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि लिए हाइपरलिंक दें ।

जलविद्युत उत्पादन अपने आप में एक नवीकरणीय ऊर्जा पहल है । किन्तु, कम्पनी ने सौर ऊर्जा के संबंध में अतिरिक्त पहलें की हैं । ऐसी पहलों की विस्तृत सूची <http://www.nhpcindia.com/renewable-energy-sources.htm> पर उपलब्ध है ।

6. सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कम्पनी द्वारा उत्सर्जन/निकले अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किया जा रहा है ?

हां, जलविद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन के दौरान ठोस अपशिष्ट, तरल बहिष्साव या गैसों का उत्सर्जन नहीं हुआ, इसके अलावा, जलविद्युत उत्पादन के समय पानी में कोई सन्दूषण नहीं हुआ । तथापि, विद्युत उत्पादन के बाद, नदी जल की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आकलन के लिए नदी जल की गुणवत्ता का निरन्तर विश्लेषण किया जाता है । इन्हें सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है ।

7. सीपीसीबी/एसपीसीबी से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त हुए, जो लम्बित हैं (अर्थात् जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया)

वित्तीय वर्ष 2012-13 में ऐसे कोई नोटिस नहीं मिले ।

सिद्धान्त 7

1. क्या आपकी कम्पनी किसी व्यापार, मंडल या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल उन शीर्ष संस्थाओं का नाम बताएं जो आपके साथ व्यवसाय करते हैं ।

एनएचपीसी लोक उद्यम के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) का सदस्य है । सदस्य का मूल उद्देश्य 'सरकारी क्षेत्र के व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान के बारे में जनता की बेहतर समझदारी' को बढ़ाना है ।

2. क्या आपने उन्नति या जनता की बेहतरी की वकालत की है । उपरोक्त एसोसिएशनों के माध्यम से लॉबिंग की है ? हां/नहीं, यदि हां, तो विस्तृत क्षेत्रों को स्पष्ट करें (ड्राफ्ट बाक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल खाद्य सुरक्षा, सतत व्यावसायिक सिद्धान्त, अन्य)

हम जनता की बेहतरी के लिए शासन व प्रशासन का दृढ़ता से समर्थन करते हैं ।

सिद्धान्त 8

1. क्या कम्पनी के पास सिद्धान्त 8 से सम्बद्ध नीति को आगे बढ़ाने में कोई कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो इसका ब्योरा दें ।

हां, 1 अप्रैल, 2013 से कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और चिरकालिकता संबंधी सरकारी उद्यम विमान के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएचपीसी को सीएसआर और सतत विकास परियोजनाओं पर पीएटी का 1 प्रतिशत खर्च करने की आवश्यकता है । एनएचपीसी ने डीईपी के दिशानिर्देशों की तरह ही सीएसआर संबंधी ढांचागत योजना 2010-11 में अपनाई है । वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, सीएसआर कार्यक्रमों पर 1431.62 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

एनएचपीसी के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) तथा चिरकालिक पहलों में ध्यान वंचित, सुभेद्य और उपेक्षित हितधारकों तथा जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों में परियोजना क्षेत्रों में और उसके आस-पास केन्द्रित किया गया है। एनएचपीसी शिक्षा, स्वास्थ्य, आस-पास के क्षेत्र के विकास, स्वरोजगार संबंधी प्रशिक्षण आदि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक विकास की कई पहलें करता है।

इसके अलावा, सीएसआर और दीर्घकालिक गतिविधियों के लिए वार्षिक बजट का यह 5 प्रतिशत आपातकालीन आवश्यकताओं, जिसमें (क) प्राकृतिक आपदाओं/त्रासदियों के दौरान शुरूकिये जाने वाले राहत कार्य, और (ख) प्रधान मंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष और/या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अंशदान शामिल है, के लिए रखा गया है।

2. क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आन्तरिक दल/अपने प्रतिस्थान/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी संस्थाओं/या अन्य संगठनों के माध्यम से चलाये जाते हैं ?

कम्पनी की सीएसआर योजनाएं आन्तरिक दलों, गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सरकारी संस्थाओं/स्थानीय निकायों की भागीदारी से कार्यान्वित की जाती है।

3. क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव आकलन किया है ?

हमारी सीएसआर पहल संबंधी प्रभाव आकलन आज की तारीख तक नहीं किया गया है।

4. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आपकी कम्पनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - धनराशि भारतीय रुपये में और शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा ?

कार्यक्रम	वर्ष 2012-13 के लिए धनराशि (भारतीय राष्ट्रीय रुपए)
शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण	443.97 लाख
स्वास्थ्य रक्षा	179.27 लाख
सामाजिक और भौतिक अवसंरचना विकास	686.58 लाख
सामुदायिक विकास और आजीविका समर्थन	263.34 लाख
कुल व्यय	1573.16 लाख

एनएचपीसी द्वारा शुरू की गई सीएसआर कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

1. शिक्षा/व्यावसायिक प्रशिक्षण

- ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम को सुकर बनाना, स्थानीय समुदाय के लिए कोचिंग केन्द्र खोलना तथा प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना।
- व्यवहारात्मक विकास पर विशेष बल देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करके प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधार।
- ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार परक बनाने तथा उनमें उद्यमशीलता के विकास के लिए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
- शिक्षा के लिए अजा/अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति देना।
- शिक्षा के लिए छात्राओं को छात्रवृत्ति देना।

2. स्वास्थ्य सेवा

- नई डिस्पेंसरियां खोलकर/दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूदा डिस्पेंसरियों का उन्नयन करके समुदायों के समग्र स्वास्थ्य दशाओं में सुधार लाने के लिए सहायता दी गई।
- एनएचपीसी के दूरस्थ स्थानों में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मातृत्व केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन।
- ग्रामीण नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना।
- बच्चों में कुपोषण तथा उनके खराब स्वास्थ्य के संबंध में माता-पिता के लिए जागरूकता कार्यक्रम और कुपोषण से पीड़ित बच्चों के लिए विटामिन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण।

3. सामाजिक और भौतिक अवसंरचना विकास

- गांवों में अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए अवसंरचना और समुदाय विकास निर्माण कार्य किया।
- महिलाओं के लिए शौचालयों के प्रावधान पर विशेष ध्यान देते हुए सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के माध्यम से गांवों में स्वच्छता सुविधाओं में सुधार।
- कृषि उत्पादों, उदाहरणार्थ फलों, सब्जियों आदि को सुरक्षित रखने के लिए शीतागारों की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों की पहलों के साथ कार्यवाही/सहयोजन करना।

4. सामुदायिक विकास और आजीविका अर्जन में सहयोग।

- क. कृषि उत्पादकता आदि बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण सहायता दी गई ।
- ख. ग्रामीण खेलों/स्थानीय संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय उत्सवों आदि को प्रायोजित को प्रोत्साहित करने के लिए ।
- ग. कृषि वैज्ञानिकों के साथ जुड़कर जैविक कृषि में किसानों को जागरूक करने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना ।
- घ. कृषि उत्पादों/खाद्य प्रसंस्करण एककों के विपणन के लिए राज्य सरकार(रों)/अन्य स्थानीय निकायों करना ।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है ? कृपया 50 शब्दों या इसके आसपास उत्तर दें ।

हां, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि हमारी सामुदायिक पहलों को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया जाये । पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में और इनके आस-पास स्थानीय आवश्यकताओं का उचित आकलन कम्पनी के अनुभवी आन्तरिक दल द्वारा किया जाता है । सामुदायिक विकास पहलें करने से पूर्व हमारी आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण का समुचित विश्लेषण किया जाता है । हमारी सामुदायिक पहलों की निगरानी तथा मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों/विशेषज्ञों/स्थानीय निकायों/स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है । हमारी पहलों के संबंध में और आगे जानकारी भावी योजना प्रयोजन हेतु मीडिया स्रोतों के माध्यम से भी एकत्रित की जाती हैं ।

सिद्धान्त 9

1. वित्तीय वर्ष के अन्त तक कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लम्बित हैं ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्त तक ग्राहक/उपभोक्ता शिकायतों का कोई भी मामला लम्बित नहीं है ।

2. क्या कम्पनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अधिदेशित के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है ? हां/नहीं/लागू नहीं/टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं ।

3. क्या गत पांच वर्षों के दौरान किसी हित धारक ने अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर जिम्मेदाराना विज्ञापन और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक लम्बित है ?

किसी हित धारक ने ऐसा कोई मामला दायर नहीं किया है ।

4. क्या आपकी कम्पनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता सन्तुष्टि प्रवृत्तियों का अध्ययन कराया था ?

एनएचपीसी ग्राहकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए वार्षिक ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है । अंतिम ग्राहक बैठक 25 सितम्बर से 27 सितम्बर, 2012 तक आयोजित की गई, जिसमें डब्ल्यूबीएसईडीसीएल (पश्चिम बंगाल), एचपीएसईबी(हिमाचल प्रदेश), एपीडीसीएल(असम), पीडीडी(जम्मू-कश्मीर), बीवाईपीएल(दिल्ली), एवीवीएनएल(राजस्थान), आरडीपीपीसी(राजस्थान), एमईसीएल(मेघालय), सिक्किम, जीयूवीएनएल(गुजरात) ने भाग लिया ।

एनएचपीसी में सतत विकास

प्राक्कथन

जलविद्युत विश्व का एक व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने वाला, निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत है। यह विश्व भर में समुदायों की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भारत में, एनएचपीसी लिमिटेड जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे बड़े संगठनों में गिना जाता है जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं की अवधारणा से लेकर उनके चालू होने तक सभी कार्यकलाप करने की क्षमता है।

एनएचपीसी आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और उत्तरदायी पर्यावरण प्रबंध प्राप्त करने के लिए सन्तुलित दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एनएचपीसी की प्रतिबद्धता पर्यावरण प्रबंधन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, आईएमएस-आईएसओ प्रमाणीकरण, बिजली घरों के ऊर्जा लेखा परीक्षा तथा स्वच्छ विकास प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए सारे संगठन में अपनायी जो इसके कार्यकलापों में झलकती है।

एनएचपीसी द्वारा पहल-विकास हेतु समावेशी वृद्धि

1) हरित ऊर्जा

सतत विकास के अन्तर्गत विश्वभर में मुख्य बल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों या हरित ऊर्जा पर दिया जाता है। यह सुनिश्चित तथ्य है कि जल विद्युत परियोजनाएं, बिजली के अन्य स्रोतों जो मुख्य रूप से जीवाष्म ईंधन पर निर्भर रहते हैं, की तरह बिजली उत्पादन के समय कोई प्रदूषक/ग्रीन हाउस गैस नहीं छोड़ती है। हरित ऊर्जा वैश्विक तापमान वृद्धि से धरती का संरक्षण करती है जो जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। एनएचपीसी ने वर्ष 2012-13 में ग्रीड से जुड़े अपने तेरह पावर स्टेशनों से 18,878 एमयू ऊर्जा का उत्पादन किया है। उत्सर्जन से बचने के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन को रोकने में यह इसका बहुत बड़ा योगदान है।

2) पर्यावरण प्रबंधन

एनएचपीसी द्वारा सतत विकास की अवधारणा को जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों तथा निर्माण उपरान्त के चरणों में अन्तर्निहित किया गया है। कम्पनी के पास विभिन्न परियोजनाओं में विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षोपायों/उपायों के पर्यावरणीय पक्ष तथा निगरानी का कार्य देखने के लिए बहु-विधाओं वाला अपना एक दल है।

कम्पनी की परियोजनाओं को सही भावना से पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों का कम्पनी अनुपालन करती है और इसने हमेशा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा अन्य सम्बद्ध अधिनियमों/नीतियों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है।

चूंकि एनएचपीसी की अधिकांश परियोजनाएं देश के दूर-दराज के स्थानों में स्थित हैं जहां कि इतने बड़े पैमाने पर पहले विकास नहीं देखा गया है, इसलिए वहां पर पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को पूरा करना महत्वपूर्ण मुद्दा है। एनएचपीसी का उद्देश्य न्यूनतम विनाश और दोहन है तथा यह प्रकृति की रमणीयता की बहाली के लिए विभिन्न संरक्षण उपायों को अपनाता है। एनएचपीसी का प्रतिपूरक वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण उपायों से प्रकृति के पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने में सहायता मिली है। जल ग्रहण क्षेत्र तथा जलाशय रिम सुधार का उद्देश्य जलाशयों के जीवनकाल को बढ़ाना है, कम्पनी की सुविधाओं के आस-पास हरित क्षेत्र कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है, आस-पास की हवा को शुद्ध करता है। खान स्थलों की लैंडस्केपिंग तथा बहाली से आसपास के क्षेत्र का सौन्दर्य बढ़ता है।

एनएचपीसी ने बड़े पैमाने पर वनीकरण शुरू किया है जो भूकटाव को रोकने, पर्यावरण को समृद्ध बनाने का प्रभावी साधन है। वृक्षारोपण का कार्य करते समय, एनएचपीसी ने पादप प्रजातियों की पसंद पर खासा ध्यान दिया है। कम्पनी ने आर्किट प्रजातियों के संरक्षण के लिए अपनी परियोजना में आर्किडेरियम का विकास भी किया है।

3) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

एनएचपीसी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता इसके कॉर्पोरेट मिशन वक्तव्य में परिलक्षित होता है जिसमें कहा गया है कि "परियोजनाओं का निष्पादन और प्रचालन लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल तथा सामाजिक-आर्थिक अनुक्रियात्मक रूप से किया जाने वाला" कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, एनएचपीसी की अपने हितधारकों के हितों को सामने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है। कम्पनी ने अपनी सीएसआर नीति बनाई और बेहतर इरादों तथा उद्देश्यों के साथ इसे कार्यान्वित कर रही है।

4) आईएमएस-आईएसओ प्रमाणीकरण

एनएचपीसी की प्रमाणीकरण की व्यवस्था से यह पता चलता है कि कम्पनी ने अब तक सभी ओएंडएम परियोजनाओं तथा कॉर्पोरेट कार्यालय के लिए आईएसओ:9001, आईएसओ:14001 तथा ओएचएसएस: 18001 प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है। कम्पनी एक कदम और आगे नहीं बढ़ी है तथा अपने सभी तेरह इकाइयों के लिए समन्वित प्रबंधन प्रणाली प्राप्त करने में सफल रही है। उपरोक्त के अलावा, एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद तथा चमेरा-2 पावर स्टेशन ने भी सामाजिक दायित्व (एसए 8000) प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है और चमेरा-1 विद्युत केन्द्र एसए 8000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

5) पावर स्टेशनों की ऊर्जा लेखापरीक्षा

एनएचपीसी के मौजूदा पावर स्टेशनों के कार्यनिष्पादन का आकलन करने तथा इसे इष्टतम करने के लिए, पावर स्टेशनों की लेखापरीक्षा की जा रही है। बैरास्यूल, सलाल, लोकतक, टनकपुर, चमेरा-1, रंगित, उडी-1, चमेरा-2, धौलीगंगा, दुलहस्ती तथा तीस्ता-5 पावर स्टेशनों की लेखापरीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है और चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा बचत उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

6) स्वच्छ विकास तन्त्र

एनएचपीसी की दो परियोजनाओं अर्थात् जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थिति निम्नो-बाजगों (3X15 मेगावाट) तथा चूटक (4X11 मेगावाट) को जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत किया गया है। एनएचपीसी उन परियोजनाओं के वैधीकरण की ओर भी बढ़ रहा है जो अंतिम चरण में है या जिन्हें अन्य कार्बन व्यापार पहल के अन्तर्गत हाल ही में चालू किया गया है जैसे कि प्रमाणीकृत उत्सर्जन में कमी (वीईआर) तीस्ता-5 बिजली घर को वीईआर योजना के अन्तर्गत वैध किया गया है और अप्रैल, 08 से सितंबर, 09 की अवधि के लिए इसकी जांच का कार्य पूरा हो चुका है।

7) सतत विकास पहल - लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश

लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने सीपीएसई के सतत विकास के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश सतत विकास हेतु नीतियां तथा परियोजनाएं मुहैया करवाते हैं।

सतत विकास पर एनएचपीसी की नीति दिनांक 23.09.2011 के डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार ही तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन/अपशिष्ट प्रबंधन/जल प्रबंधन/ऊर्जा प्रबंधन, जैव विविधता तथा संरक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों का है। एनएचपीसी की सतत विकास संबंधी नीति का उद्देश्य निम्न और इसके हित धारकों के लिए दीर्घावधि आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय विकास करना है।

एनएचपीसी और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, एनएचपीसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, निम्नलिखित सतत विकास संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाने था।

- **अनुसूची क: जैव विविधता संरक्षण:** एनएचपीसी के पावर स्टेशनों में 25,000 पौधों का स्वेच्छिक रोपण।
- **अनुसूची क: जल प्रबंधन:** 15 मार्च, 2013 तक वर्षा जल संचयन योजना का कार्यान्वयन।
- **अनुसूची क: ऊर्जा प्रबंधन:** एनएचपीसी के कार्पोरेट कार्यालय तथा फरीदाबाद में आवासीय कालोनी में पचास सौर ऊर्जा लैम्प स्थापित करना।
- **अनुसूची ख: कार्बन प्रबंधन:** अप्रैल, 08 से सितंबर, 09 की उत्पादन अवधि के लिए जारी तीस्ता-5 विद्युत केन्द्र से 1/3 स्वेच्छिक उत्सर्जन (वीईआर) कमी की 80% बिक्री।
- **अनुसूची ख: एसडी प्रशिक्षण:** कुल 400 श्रम घंटे के लिए कर्मचारियों को सतत विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7.1) एसडी समिति

किसी संगठन द्वारा सतत विकास दिशानिर्देशों तथा सभी हितधारकों के लिए संधारणीय भविष्य की ओर अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु प्रभावी शासन की आवश्यकता होती है। अतः एनएचपीसी में एसडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निरीक्षण हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा सतत विकास संबंधी एक स्वतंत्र बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया। निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (परियोजना) के साथ इस समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक था। ईडी(योजना) समिति का सचिव एवं नोडल अधिकारी था।

एसडी नीति के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम

- 1 डीपीई दिशानिर्देशों की तरह एनएचपीसी की सतत विकास नीति को तैयार करना।
- 2 बोर्ड द्वारा सतत विकास नीति का अनुमोदन।
- 3 विद्युत मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार एसडीसी योजना का विकास।
- 4 बोर्ड स्तरीय एसडी संबंधी समिति का अनुमोदन।
- 5 बोर्ड द्वारा एसडी बजट का अनुमोदन।
- 6 विभिन्न पावर स्टेशनों/परियोजनाओं/यूनिटों/विभागों से एसडी योजनाओं को आमंत्रित करना।
- 7 एसडी परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए बोर्ड स्तरीय समितियों को सौंपना तथा बजटीय आवंटन।
- 8 पूर्व परिभाषित मानकों पर आधारित आन्तरिक मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा एसडी निर्माण कार्यों की निगरानी।
- 9 पूर्व परिभाषित मानकों पर आधारित बाह्य मूल्यांकन कर्ताओं द्वारा एसडी निर्माण कार्यों की निगरानी।
- 10 वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में एसडी रिपोर्ट का प्रकाशन।
- 11 मूल्यांकन रिपोर्ट को डीपीई को प्रस्तुत करना।

सतत विकास संबंधी बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकें वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आयोजित की गईं। बैठकों के दौरान, समिति ने सतत विकास के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन किया तथा इसके कार्यान्वयन के लिए 178.08 लाख रुपये का बजट भी अनुमोदन किया। समिति ने सतत विकास के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में पथप्रदर्शक के रूप में कार्य किया है।

7.2) अनुसूची क के अन्तर्गत कार्यकलाप

जैव विविधता संरक्षण - स्वैच्छिक वन रोपण: समझौता ज्ञापन के अनुसार, विभिन्न पावर स्टेशनों के आस-पास 25,000 पौध रोपण किया जाना था। नौ पावर स्टेशनों अर्थात् दुलहस्ती, सलाल, चमेरा-1, चमेरा-II, बैरास्यूल, तीस्ता-V, टनकपुर, सेवा-II और रंगीत में स्वैच्छिक पौध रोपण शुरू किया गया। समझौता ज्ञापन लक्ष्य के 25,000 पौध रोपण की तुलना में 31 मार्च, 2013 तक लगभग 29,127 पौध लगाये गये। चीड़, ठीकर, घिनार, सिलवर ओक, बैत, इंग्लिश विलो, अखरोट, सेब आदि प्रजातियों के पौधे लगाये गये। पौधों के संरक्षण के लिए उन्हें पानी देने तथा तारबाड़ की व्यवस्था की गई है।

जल प्रबंधन - वर्षा जल संचयन/जल संरक्षण: सतत विकास के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य के अनुसार, एनएचपीसी ने एक स्थान पर वर्षा जल संचयन योजना (आरडब्ल्यूएचएस) कार्यान्वित की। तथापि, एनएचपीसी ने निम्नलिखित स्थानों पर वर्षा जल संचयन योजनाएं कार्यान्वित की:

- परियोजना अन्वेषण डिवीजन, क्षेत्रीय यूनिट पठानकोट, पंजाब में एक आरडब्ल्यूएचएस,
- टनकपुर पावर स्टेशन, बनबसा, उत्तराखण्ड में दो आर डब्ल्यूएचएस।
- पार्वती-2 जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश के निकट एक आर डब्ल्यू एच एस।

पार्वती-2 जलविद्युत परियोजना के निकट एक के अलावा, सभी चार आरडब्ल्यूएचएस भूजल पुनर्भरण प्रणाली पर आधारित है। पार्वती-II जल विद्युत परियोजना द्वारा शुरू की गई योजना भंडारण और पुनः उपयोग संबंधी योजना है जिसे गरसा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यान्वित किया गया है। उत्कृष्ट रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्य के अनुसार, 15 मार्च, 2013 तक आरडब्ल्यू एचएस के कार्यान्वयन संबंधी परियोजना जांच डिवीजन फिल्ड यूनिट पठानकोट और पार्वती-II जल विद्युत परियोजना पूरी हो गई है।

ऊर्जा प्रबंधन - सौर लैम्प को लगाया जाना: समझौता ज्ञापन लक्ष्य के भाग के रूप में, कम्पनी का एनएचपीसी के कार्पोरेट कार्यालय में तथा फरीदाबाद में आवासीय कालोनी में कुल पचास सौर लैम्प लगाने का प्रस्ताव है। एनएचपीसी ने मौजूदा 250 वाट के पारम्परिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर आवासीय कालोनी में 21-21 वाट के 25 एलईडी आधारित सौर लाइट तथा कार्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में अन्य 25 सौर लाइटें लगाई हैं।

7.3) अनुसूची ख के अन्तर्गत कार्यकलाप

कर्मचारियों के लिए सतत विकास प्रशिक्षण: एनएचपीसी ने अपने कर्मचारियों के लिए दो सतत विकास प्रशिक्षण आयोजित किए। पहला, एनएचपीसी के कार्यकारी अधिकारियों के लिए 18 से 20 नवम्बर, 2012 के बीच ओरछा, मध्य प्रदेश में तारा लिवलीहुड अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। यह “सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ - को क्रियेटिंग वैल्यू विद पीपल एंड नेचर” शीर्षक से सतत विकास संबंधी तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था।

दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 जनवरी, 2013 को फरीदाबाद में आयोजित किया गया जिसमें वरिष्ठतम स्तर के अधिकारियों सहित छियालीस कार्यपालक अधिकारियों ने भाग लिया। एमओयू में लक्षित 400 श्रम घंटों की तुलना में कुल 616 श्रम घंटों का प्रशिक्षण दिया गया।

कार्बन प्रबंधन: स्वैच्छिक उत्सर्जन कमी की बिक्री(वीईआर): एनएचपीसी ने प्रमाणीकृत कार्बन मान (वीसीएस) के अन्तर्गत तीस्ता-5 बिजली घर के पंजीकरण के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रयास किया और यह खंड वीसीएस 2007.1 के अन्तर्गत तीस्ता-5 बिजली घर को मार्च, 2010 में वैध करने में सफल रहा। एनएचपीसी को तीस्ता-5 बिजली घर के लिए अप्रैल, 08 से सितम्बर, 09 की उत्पाद अवधि के लिए जारी 1/3 वीईआर के 80 प्रतिशत की बिक्री के लिए एसडी के अन्तर्गत एमओयू लक्ष्य दिया गया। इस प्रकार, उत्कृष्ट रेटिंग हेतु मार्च, 2013 तक 7,92,163 वीईआर बिक्री का लक्ष्य दिया गया। 8.20 लाख वीईआर की बिक्री के बाद 8 अगस्त, 2012 को उत्कृष्ट रेटिंग के साथ एमओयू लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया, बाद में एनएचपीसी ने अतिरिक्त वीईआर की बिक्री की। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एनएचपीसी ने कुल 10.90 लाख वीईआर बेचे, जो एमओयू के 80 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 110.10 प्रतिशत था।

8) निष्कर्ष:

जलविद्युत हरित ऊर्जा उत्पादन का प्रमाण है, जो स्वच्छ और आत्म निर्भर भविष्य का वायदा करता है। एनएचपीसी जल विद्युत उत्पादन तथा विभिन्न सतत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के प्रति वचनबद्ध है जो भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए समाज में अपनी छाप छोड़ेगा।

एनएचपीसी लिमिटेड

वार्षिक लेखे

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड

लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट हमने एनएचपीसी लिमिटेड ('कंपनी') के 31 मार्च, 2013 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य विवरणात्मक जानकारी की लेखा-परीक्षा की है। वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार से तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है ताकि वे कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा नकदी प्रवाह का एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उचित रूप से प्रस्तुत करने से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल होता है जो महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के। लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना तथा निष्पादन इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त व सही है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराती है।	

अर्हक मत हेतु आधार

तुलन-पत्र में 19,709.04 करोड़ रुपए की राशि के चालू पूंजीगत कार्य दर्शाए गए हैं। प्रबंधन ने सुबानसीरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जहां परियोजना का सक्रिय विकास बाधित है, हेतु 386.88 करोड़ रुपए की ऋण लागत और 139.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक तथा अन्य लागत को उस पर व्यय किया गया दर्शाया है। लेखांकन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि बाधित अवधि के दौरान किए गए व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों से विपथन है।

तदनुसार, 'वित्त लागत' को 386.88 करोड़ रुपए तथा 'उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय' को 139.69 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए था और 'कर पूर्व निवल लाभ', 'चालू पूंजीगत कार्य' को 526.57 करोड़ रुपए और शेयरधारकों की निधि (करों का निवल) को 421.22 करोड़ रुपए से कम किया जाना चाहिए था।

अर्हक मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सिवाय अर्हक मत पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव हेतु, उक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम में अपेक्षित सूचना को यथा अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं:

- (क) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति
- (ख) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का; और
- (ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का विवरण

मामले पर जोर देना।

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) वित्तीय विवरण के पैरा 3 की टिप्पणी संख्या 12, जो सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु किए गए व्यय को अग्रणीत किया जा रहा है, क्योंकि ये परियोजनाएं अन्वेषण के अधीन हैं/इनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति लंबित है।
- (ख) वित्तीय विवरण के पैरा 1 की टिप्पणी संख्या 30, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है।
- (ग) वित्तीय विवरण के पैरा 30 की टिप्पणी संख्या 6, जो कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली परिसंपत्तियों (समर्थकारी परिसंपत्तियां) के सृजन पर किए गए व्यय के व्यवहार का वर्णन करती है, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) को संदर्भित किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना

1. केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003, ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(3) के प्रावधानों के अंतर्गत हम सूचित करते हैं कि:

प्रबंधन के मतानुसार, चूंकि तकनीकी और प्रशासनिक कार्य जारी हैं, ऋण लागत सहित प्रशासन और अन्य सामान्य ओवरहेड को वित्तीय विवरणों में पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ पूंजीकृत किया गया है। प्रबंधन अपने पूर्व के अनुभव पर तर्कसंगत रूप से आश्वस्त है कि ऋण लागत सहित प्रशासन और अन्य सामान्य ओवरहेड, जिन्हें पूंजीकृत किया जाना है, उन्हें परियोजना की पूंजी लागत में शामिल करने को अनुमेय बनाया जाएगा और बाद में टैरिफ के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सीएजी के दिनांक 17.07.2013 के परामर्श पत्र सं. एमएबी-111/रिपो/01-22/लेखा-एनएचपीसी/2013-14/461 के अनुसार मामले को उनके मत हेतु आईसीएआई की ईएसी को संदर्भित किया जा रहा है।

प्रबंधन के मतानुसार, जिन परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण व्यय किया जा रहा है, वे अभी भी सक्रिय हैं, अतः सर्वेक्षण तथा अन्वेषण की लागत को अग्रणीत किया जा रहा है।

कंपनी को लेखांकन मानक 29 के पैरा 68 के अनुसार आकस्मिक देयता से संबंधित किसी बाह्यप्रवाह संबंधी अनिश्चितता को प्रकट करना अपेक्षित होता है, और इसलिए उक्त को प्रकट किया गया है।

ईएसी का मत प्रतीक्षित है, जिसके लंबित होने के चलते वही लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है जो वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान अपनाया गया था।

क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे; ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है; ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है; घ. अर्हक मत हेतु आधार वाले पैराग्राफ में वर्णित मामले के सिवाय, हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है; च. कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.न.8/5/2001-सी.एल.वी के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते; छ. चूंकि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत अदा किए जाने वाले उपकर की दर के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की है और न ही उसने उक्त धारा के अंतर्गत कोई नियम जारी किए है, जिसमें उक्त उपकर को अदा किए जाने का तरीका विहित किया गया हों, कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है। ज. यह रिपोर्ट 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा दी गई 28 मई, 2013 की रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।	
---	--

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

(सीए पी.के.सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

दिनांक: 01/07/2013
स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27/06/2013
स्थान: कोलकाता

दिनांक: 02/07/2013
स्थान: जम्मू

दिनांक: 01/07/2013
स्थान: नई दिल्ली

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में “अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं की सूचना” शीर्ष के अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध

1. अचल परिसंपत्तियों के संदर्भ में:
 - क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्यौरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाए गए हैं।
 - ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के स्वरूप को देखते हुए इस सत्यापन की आवश्यकता तर्कसंगत है। हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में लेखा बहियों की तुलना में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई थी।
 - ग) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अचल परिसम्पत्तियों का कोई महत्वपूर्ण निपटान नहीं किया गया है।
2. मालसूची के संदर्भ में:
 - क) वर्ष के दौरान मालसूची का प्रबंधन/बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।
 - ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।
 - ग) हमारे मतानुसार कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में पाई जाने वाली विसंगति का लेखा बहियों में उचित निपटान किया गया है।
3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को मंजूर किए गए/को दिए/से लिए गए ऋण के संदर्भ में:
 - क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।
 - ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ड), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।
4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।
5. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, प्रतिष्ठानों या अन्य पक्षों के साथ लेन-देन के बारे में:
 - क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में की जानी हो।
 - ख) उक्त उप-खंड (क) के मद्देनजर उप-खंड 4 (iii) (ख) लागू नहीं होता है।
6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 ए तथा 58 एए और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।
7. अनुमोदित लेखा-परीक्षा योजना के अनुसार आवधिक अंतरालों पर मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों की आंतरिक लेखा-परीक्षा को अंजाम देने के लिए कंपनी का एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है/बाहरी एजेंसियों को दायित्व सौंपा गया है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग और बाहरी एजेंसी द्वारा अपनायी गई आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप है।
8. कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामग्री, श्रम और स्वयं द्वारा व्यय की गई लागत से संबंधित वस्तुओं के बारे में समुचित लेखा-बहियां अनुरक्षित की हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियां का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।
9. सांविधिक देयों के बारे में:
 - (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2013 को उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं है।
 - (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए बिक्री कर, आय कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर के देयों की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

विधि	देय राशि की प्रकृति	राशि करोड़ रुपए में	वर्ष जिस से संबंधित है	जिस फोरम पर विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	24.08	नि.व. 2010-11	एसीआईटी, फरीदाबाद
		0.24	नि.व. 2009-10	आईटीओ (टीडीएस), श्रीनगर
		0.03	नि.व. 2008-09	
		0.06	नि.व. 2008-09	आयकर कार्यालय, गुवाहटी
	कुल	24.41		
विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	224.44	1994-95	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
		46.42	1995-96	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
		2.84	1996-97	बिक्री कर अधिकरण, श्रीनगर
		0.54	2008-09	आईटीसी, कुल्लू
		0.29	2009-10	आईटीसी, कुल्लू
		0.19	2007-08	वाणिज्य कर अधिकारी, बारामूला
	कुल	274.72		
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	0.06	1999-00	सीमा शुल्क विभाग, मुंबई
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	29.22	2010-11	वाणिज्य कर अधिकारी, फरीदाबाद
	समग्र योग	328.41		

- कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।
- लेखापरीक्षा के दौरान अपनायी गई प्रक्रिया और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय है कि कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
- हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्व्यों को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
- हमारे मतानुसार कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
- हमारे मतानुसार कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसके मद्देनजर कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खण्ड 4(xiv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अन्व्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
- प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।
- हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमारी राय में अल्पावधि आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं जुटाई गई, जिसका इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के लिए किया गया हो।
- कम्पनी ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
- कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया और वर्ष के अंत में कंपनी की ओर ऋणपत्रों की कोई राशि बकाया नहीं है।
- कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के ज़रिए धन की उगाही नहीं की है।
- वित्तीय विवरण की सही और निष्पक्ष तस्वीर की रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए निष्पादित की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर नं. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर नं. 302049इ

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर नं. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर नं. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

(सीए पी.के.सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलन-पत्र

		(करोड़ रूपए में)	
विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	12,300.74	12,300.74
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	15,539.76	14,052.79
(2) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	17,417.52	16,272.80
(ख) स्थगित कर देयता	5	460.69	204.04
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,705.69	1,951.80
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	721.92	1,187.45
(3) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	8	-	180.00
(ख) व्यापार प्राप्य	9	179.41	218.95
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	2,766.60	2,801.26
(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	3,412.67	3,589.93
	कुल	54,505.00	52,759.76
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	11.1	17,311.74	15,654.14
(ii) अगोचर आस्तियां	11.2	728.22	714.18
(iii) चालू पंजी कार्य	12	19,709.04	19,349.74
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	13	2,400.61	2,499.14
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	14	1,238.74	1,428.62
(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	15	944.37	1,181.93
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	16	250.74	250.74
(ख) मालसूची	17	57.07	43.81
(क) व्यापार प्राप्य	18	2,049.05	2,052.18
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	19	5,616.01	6,003.97
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	2,099.56	1,890.06
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	2,099.85	1,691.25
	कुल	54,505.00	52,759.76
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार

(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार

सदस्यता सं.-005909

सदस्यता सं.-050773

सदस्यता सं.-083066

सदस्यता सं.-085415

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 28.05.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का लेखा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	21	5,306.64	5,919.48
ii) अन्य आय	22	992.78	802.40
कुल राजस्व		6,299.42	6,721.88
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	23	1,095.33	1,067.69
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	24	887.41	915.76
iii) वित्त लागत	25	385.38	338.10
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	26	969.29	893.86
कुल व्यय		3,337.41	3,215.41
पूर्व अवधि मर्दों, विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ		2,962.01	3,506.47
पूर्वावधि मर्दे (निवल)	27	(0.11)	58.29
असाधारण और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		2,962.12	3,448.18
विशिष्ट मर्दे		(240.01)	(68.86)
असाधारण मर्दें और कर पूर्व लाभ		3,202.13	3,517.04
असाधारण मर्दें		-	-
कर पूर्व लाभ		3,202.13	3,517.04
कर संबंधी व्यय	28		
i) वर्तमान कर		587.41	694.19
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		9.85	8.37
iii) विलंबित कर		256.65	42.71
कर संबंधी कुल व्यय		853.91	745.27
वर्ष के लिए लाभ		2,348.22	2,771.77
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी तथा तनूकृत		1.91	2.25
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार

सदस्यता सं.-005909

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 28.05.2013

(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार

सदस्यता सं.-050773

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार

सदस्यता सं.-083066

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार

सदस्यता सं.-085415

टिप्पणी संख्या-01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित अचल परिसंपत्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्ज

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य-हास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्य-हास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जें मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को “भंडार एवं कलपुर्जें” माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसरचरणात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को “निर्माण के दौरान व्यय” (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्य-हास तथा परिशोधन

- 5.1 मूर्त अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्य-हास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्य-हास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा तैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्य-हास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।

- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्य-हास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्य-हास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्य-हास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्य-हास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:
 - (i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी 11.25 प्रतिशत
 - (ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण 30 प्रतिशत
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्य-हास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्य-हास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूँजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवगीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्य-हास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्य-हास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूँजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्य-हास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्य-हास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्य-हास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और कल पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेख पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बटटेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूँजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूँजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/विप्रोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्य-हास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए "अनुमानित लागत" के प्रति "सूचित तिथि तक वहन की गई लागत" के अनुपात में किया जाता है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोदभूत के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 50,000 रुपये और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रेषित किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आंकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है।

टिप्पणी संख्या-2 शेयर पूंजी

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	संख्या में (करोड़ रूपए में)		संख्या में (करोड़ रूपए में)	
क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	150000000000	15000.00	150000000000	15000.00
ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/-रूपए)	12300742773	12300.74	12300742773	12300.74
ग) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, कंपनी ने किसी शेयर पूंजी को न तो जारी किया है/न ही कम किया है। अतः इक्विटी शेयरों का मिलान अपेक्षित नहीं है।				
घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।				
ड) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या: -	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
- भारत के राष्ट्रपति	10623368758	86.36	10623368758	86.36
च) 31.03.2013 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।				

टिप्पणी संख्या-3 आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
शेयर प्रीमियम खाता	2,868.74	2,868.74
बांड शोधन आरक्षित		
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	414.63	299.75
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	249.17	129.13
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25	14.25
तुलन-पत्रक की तारीख पर	649.55	414.63
स्व बीमा निधि		
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	690.90	658.42
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	48.84	32.48
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	0.92	-
	738.82	690.90
घटाएं: दावों के कारण समायोजन	7.29	4.64
तुलन-पत्रक की तारीख पर	731.53	686.26
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित		
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	-	-
जोड़े: अधिशेष से अंतरित	23.50	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
तुलन-पत्रक की तारीख पर	23.50	-
सामान्य आरक्षी	4,120.06	4,120.06
अधिशेष *	7,146.38	5,963.10
कुल	15,539.76	14,052.79

टिप्पणी संख्या-3 आरक्षित तथा अधिशेष (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
*अधिशेष		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	2,348.22	2,771.77
अग्रेणीत शेष	5,963.10	4,336.18
जोड़े:		
बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि	14.25	14.25
स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि	0.92	-
लाभांश पर कर - पश्चलिखित	4.88	3.25
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	8,331.37	7,125.45
बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित	249.17	129.13
स्व बीमा निधि को अंतरित	48.84	32.48
सीएसआर आरक्षित को अंतरित	23.50	-
लाभांश:		
- प्रस्तावित	738.04	861.05
- अंतिम	0.01	0.01
लाभांश पर कर		
- प्रस्तावित	125.43	139.68
अग्रेणीत शेष	7,146.38	5,963.10

टिप्पणी संख्या-4 दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	4,907.28	57.00	4,850.28	3,608.00	57.00	3,551.00
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	3,645.87	188.97	3,456.90	2,920.17	174.30	2,745.87
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	2,226.54	184.54	2,042.00	2,586.73	180.83	2,405.90
• अन्य पार्टियों से						
- प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	6,001.62	703.93	5,297.69	6,705.55	703.93	6,001.62
- अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ड देखें)	1,845.99	75.34	1,770.65	1,640.69	72.28	1,568.41
	18,627.30	1,209.78	17,417.52	17,461.14	1,188.34	16,272.80
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	2,403.72	259.88	2,143.84	2,828.98	253.11	2,575.87
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-	-	-	-	-
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-	-	-	-	-

	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
मोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)		
(क) बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
i) बॉण्ड - आर-3 शृंखला * 5 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	892.00	-
ii) बॉण्ड - क्यू शृंखला * 6 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (12.3.2016 से 12.03.27 के बीच 105.50 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	1,266.00	1,266.00
iii) बॉण्ड - आर-2 शृंखला * 5 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत 14 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2016 से 11.02.27 के बीच 31.84 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	382.08	-
iv) बॉण्ड - आर-1 शृंखला * 5 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2015 से 11.02.26 के बीच 6.85 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	82.20	-
v) बॉण्ड - पी शृंखला * 5, 7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	2,000.00	2,000.00
vi) बॉण्ड - ओ शृंखला * 2 (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय मोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपये का वार्षिक मोचन)	285.00	342.00
कुल बॉण्ड (क)	4907.28	3608.00
(ख) सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
i) स्टेट बैंक आफ पटियाला *1 (31.03.2013 को 8.36 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 09.01.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	16.00	20.00
ii) केनरा बैंक *4	-	10.00
iii) केनरा बैंक *2	-	17.00
iv) केनरा बैंक *2 (6.86 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	100.00
v) सिंडिकेट बैंक *2 (7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	73.20	91.50
vi) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपये प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	100.00
vii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की 8 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	90.00
viii) इंडियन बैंक *1 (31.03.2013 को 9.67 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 33.33 करोड़ रुपये एक किस्त में पुनर्भुगतान योग्य)	33.34	66.67

	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
ix) इंडियन बैंक *4 और 9 (31.03.2013 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 5वें वर्ष के बाद 75 करोड़ रुपये का एकबारगी पुनर्भुगतान)	75.00	75.00
x) यूको बैंक *8 (31.03.2013 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 23 समान छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)	958.33	1,000.00
xi) कारपोरेशन बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	500.00
xii) केनरा बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xiii) इंडियन ओवरसीज बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xiv) पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xv) इंडसइंड बैंक *11 (31.03.2013 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.08 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 24.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	100.00	100.00
xvi) सिंडिकेट बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	300.00	150.00
xvii) यूनियन बैंक आफ इंडिया *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	150.00	150.00
xviii) स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 & 6 (31.03.2013 को 10.19 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	-
xix) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 2 (31.03.2013 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.08 करोड़ रुपये प्रत्येक की 48 समान तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	100.00	-
कुल सावधि ऋण बैंक (प्रतिभूत)	3,645.87	2,920.17
(ग) सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I*12 (31.03.2012 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.09 करोड़ रुपये प्रत्येक की 26 समान छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	184.36	214.53
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II*12 (31.03.2013 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.26 करोड़ रुपये प्रत्येक की 30 समान छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	697.83	804.32
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III*12 (31.03.2013 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.95 करोड़ रुपये प्रत्येक की 41 समान छमाही किस्तों में 20.03.2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)	704.46	761.20
iv) ड्यूश बैंक और अन्य *12 (0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर की अस्थिर ब्याज दर पर 53.32 करोड़ रुपये प्रत्येक की 12 समान छमाही किस्तों में 18.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)	639.89	806.68
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	2,226.54	2,586.73
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7 100 करोड़ रुपये पर 9.25 प्रतिशत और 2400 करोड़ रुपये पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपये प्रत्येक की 16 समान छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।	1,666.67	1,875.00

	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *6 (9.118 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 31.10.2023 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,738.00	1,896.00
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2013 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	637.50	712.50
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2013 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपये प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	102.30	120.90
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8 (31.03.2013 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपये प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	59.50	66.50
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3 (31.03.2013 को 8.79 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपये प्रत्येक की 33 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	1,202.03	1,347.72
vii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2013 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपये प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	258.12	299.43
viii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1 (31.03.2013 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपये प्रत्येक की 27 समान तिमाही किस्तों में 15.10.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	337.50	387.50
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	6,001.62	6,705.55
(ड) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)		
विदेशी मुद्रा		
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12 (31.03.2013 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 37.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 15.03.2014 तक और 25.46 करोड़ रुपये प्रत्येक की 04 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)	177.18	242.25
केन्द्र सरकार से ऋण		
ii) निम्नो - बाजगो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)	270.00	270.00
iii) चुटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात् 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)	364.00	364.00
iv) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण (1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)	1,034.81	764.44
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,845.99	1,640.69
समग्र योग (क + ख + ग + घ + ङ)	18,627.30	17,461.14
* प्रतिभूति का विवरण		

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-III के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।

- मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित। आर-1, आर-2 तथा आर-3 श्रृंखला के बॉण्ड हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम- I।। जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में अवस्थित तीस्ता-5 जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौली गंगा पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती पावर स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी की चूटक जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की निम्नो-बाजगो जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की उड़ी II जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ड(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं

टिप्पणी संख्या-5 स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
स्थगित कर देयताएं		
i) मूल्यन्हास	2992.08	2,755.34
घटाएं: स्थगित कर परिसंपत्तियां		
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	102.24	77.93
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	115.72	229.85
स्थगित कर देयता	2,774.12	2,447.56
घटाएं: वूसली योग्य	2,313.43	2,243.52
स्थगित कर देयता (निवल)	460.69	204.04

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 326.56 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये (-)2.83 करोड़) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी संख्या-6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
जमा/प्रतिधारण निधि	295.85	307.25
अग्रिम प्राप्त आय	1,259.88	1,312.67
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	149.96	331.88
कुल	1,705.69	1,951.80

टिप्पणी संख्या-7 प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1,177.59	107.67	1,285.26	1,031.11	83.84	1,114.95
वर्ष के दौरान वर्धन	44.44	117.58	162.02	179.99	150.34	330.33
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	513.76	180.65	694.41	33.51	122.73	156.24
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	3.78	3.78
अंतिम शेष	708.27	44.60	752.87	1,177.59	107.67	1,285.26
ख) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		23.93	23.93		699.42	699.42
वर्ष के दौरान वर्धन		5.11	5.11		39.03	39.03
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1.84	1.84		561.30	561.30
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		0.09	0.09		41.25	41.25
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि		-	-		111.97	111.97
अंतिम शेष		<u>27.11</u>	<u>27.11</u>		<u>23.93</u>	<u>23.93</u>
घटाएं: अदा किया गया अग्रिम		<u>27.11</u>	<u>27.11</u>		<u>23.93</u>	<u>23.93</u>
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>(0.00)</u>	<u>(0.00)</u>
ग) उत्पादकता सहयोजित वेतन / प्रोत्साहन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		130.56	130.56		120.11	120.11
वर्ष के दौरान वर्धन		71.47	71.47		88.67	88.67
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		127.59	127.59		74.61	74.61
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		<u>6.73</u>	<u>6.73</u>		<u>3.61</u>	<u>3.61</u>
अंतिम शेष		<u>67.71</u>	<u>67.71</u>		<u>130.56</u>	<u>130.56</u>
घटाएं: पीआरपी के प्रति अग्रिम		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>18.27</u>	<u>18.27</u>
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		<u>67.71</u>	<u>67.71</u>		<u>112.29</u>	<u>112.29</u>
घ) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		213.49	213.49		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		8.88	8.88		101.52	101.52
वेतन संशोधन हेतु प्रावधान से अंतरित राशि		-	-		111.97	111.97
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		166.71	166.71			-
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		<u>46.78</u>	<u>46.78</u>			-
अंतिम शेष		<u>8.88</u>	<u>8.88</u>		<u>213.49</u>	<u>213.49</u>
ड) अन्य						
i) कराधान हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1,664.24	1,664.24		1,097.37	1,097.37
वर्ष के दौरान वर्धन		587.41	587.41		706.72	706.72
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		390.94	390.94		135.70	135.70
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		4.15	4.15
अंतिम शेष		<u>1,860.71</u>	<u>1,860.71</u>		<u>1,664.24</u>	<u>1,664.24</u>

टिप्पणी संख्या-7 प्रावधान (Contd.)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		861.05	861.05		738.04	738.04
वर्ष के दौरान वर्धन		738.04	738.04		861.05	861.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		861.05	861.05		738.04	738.04
अंतिम शेष		738.04	738.04		861.05	861.05
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		139.68	139.68		119.73	119.73
वर्ष के दौरान वर्धन		125.43	125.43		139.68	139.68
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		134.80	134.80		116.48	116.48
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		4.88	4.88		3.25	3.25
अंतिम शेष		125.43	125.43		139.68	139.68
iv) प्रावधान - अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		367.53	367.53		654.08	654.08
वर्ष के दौरान वर्धन		36.22	36.22		101.24	101.24
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		13.24	13.24		39.43	39.43
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		24.59	24.59		348.36	348.36
अंतिम शेष		365.92	365.92		367.53	367.53
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		34.60	34.60		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		56.60	56.60		34.60	34.60
अंतिम शेष		91.20	91.20		34.60	34.60
vi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		11.23	11.23		6.05	6.05
वर्ष के दौरान वर्धन		0.00	0.00		10.04	10.04
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		6.08	6.08		4.86	4.86
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		5.15	5.15		-	-
अंतिम शेष		-	-		11.23	11.23
vii) धारणीय विकास हेतु प्रावधान/ अनुसंधान एवं विकास व्यय						
वर्ष के दौरान वर्धन		16.16	16.16		-	-
अंतिम शेष		16.16	16.16		-	-
viii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9.86	78.15	88.01	22.79	94.73	117.52
वर्ष के दौरान वर्धन	4.59	30.55	35.14	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.80	14.68	15.48	12.93	14.09	27.02
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-	-	-	2.49	2.49
अंतिम शेष	13.65	94.02	107.67	9.86	78.15	88.01
कुल	721.92	3,412.67	4,134.59	1,187.45	3,589.93	4,777.38

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अभाव में समाधान लंबित होने के चलते "कार्मिक समायोजन वेतन (फिटमेंट बेनिफिट)" के प्रति "मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत 5.11 करोड़ रुपए (संचित प्रावधान 27.11 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 27.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.93 करोड़ रुपए) की राशि अदा की गई है, जिसे "अग्रिम भुगतान" के रूप में दर्शाया गया है।
- 2) कर्मचारियों हेतु कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) 13.04.2012 को 01.01.2007 से पश्चगामी प्रभाव से लागू किया गया है। तदनुसार, 01.01.2007 से 31.03.2012 की अवधि से संबंधित कंपनी के अंशदान की 166.71 करोड़ रुपए (213.49 करोड़ रुपए के प्रारंभिक शेष में से) की राशि निधि का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए न्यास को अदा की गई है और 46.78 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है (टिप्पणी सं. 22 - अन्य आय)।
- 3) 'प्रावधान-अन्य' समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 39.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.19 करोड़ रुपए) की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 14-जमा एवं अग्रिम में "जमा राशियां" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) धारणीय विकास/अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रावधान में, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन गतिविधियों के लिए बजट में निर्धारित लेकिन खर्च न की गई राशि के लिए प्रावधान किया गया है। अंतिम प्रावधान में धारणीय विकास व्यय के प्रति 2.30 करोड़ रुपए और अनुसंधान एवं विकास व्यय के प्रति 13.86 करोड़ रुपए शामिल है।

टिप्पणी संख्या-8 अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
अल्पावधि ऋण		
- बैंको से - प्रतिभूत	-	180.00
	-	180.00

टिप्पणी संख्या-9 व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
समान (वस्तुओं) और सेवाओं हेतु	179.41	218.95
	179.41	218.95

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं.30- लेखे पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या-10 अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखें टिप्पणी सं. 4)	1,209.78	1,188.34
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	203.85	207.76
अग्रिम प्राप्त आय	50.17	46.72
अदा न किया गया, लाभांश	3.92	2.43
पूँजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	532.79	492.68
जमा/प्रतिधारण निधि	132.99	129.65
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	0.04	0.04
सांविधिक देयताएं	236.47	243.60
अन्य देयताएं	174.96	160.84
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	285.66	255.98
घटाएं: जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	276.04	252.45
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4262.40	4090.29
घटाएं: परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4054.36	3768.64
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(3.97)	(4.02)
	2,766.60	2,801.26

	परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
		01.04.2012	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2012
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	225.73	4.02	0.06	-	229.69	-	-	-	229.69	225.73
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	332.44	1.33	-	(0.72)	333.05	20.40	10.66	(0.62)	302.61	312.04
iii)	सड़कें और पुल	366.03	4.57	0.27	(7.16)	363.17	85.18	13.30	(6.16)	92.32	270.85
iv)	भवन	1,838.70	227.55	4.86	(24.74)	2,036.65	568.94	63.78	(12.86)	619.86	1,269.76
v)	रेलवे साइडिंग्स	40.30	-	-	-	40.30	14.83	2.68	-	17.51	22.79
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	13,008.51	1,736.27	-	(126.60)	14,618.18	3,671.18	624.83	-	4,296.01	9,337.33
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	5,900.67	833.88	20.76	(29.29)	6,684.50	1,987.35	275.42	(2.15)	2,260.62	3,913.32
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	87.48	2.87	0.33	(0.15)	89.87	44.17	2.54	(0.08)	46.63	43.31
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	65.69	2.17	-	(0.16)	67.70	18.51	3.41	(0.11)	21.81	45.89
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	26.86	8.93	0.40	(0.08)	35.31	11.87	1.47	(0.18)	13.16	14.99
xi)	निर्माण उपकरण	75.30	17.66	0.91	(0.99)	91.06	54.65	3.77	(1.61)	56.81	34.25
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	36.51	1.19	0.02	(0.13)	37.55	5.53	1.33	(0.20)	6.66	30.98
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.49	0.47	0.02	-	3.94	1.33	0.18	(0.01)	1.50	2.44
xiv)	वाहन	26.60	2.12	0.83	(0.57)	27.32	18.91	0.73	(1.24)	18.40	7.69
xv)	विमान और नौकाएं	0.61	0.13	0.12	-	0.62	0.35	0.03	(0.11)	0.27	0.35
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	44.65	2.62	0.61	(0.45)	46.21	21.60	3.09	(0.76)	23.93	22.28
xvii)	कम्प्यूटर	62.39	3.83	7.01	(1.90)	57.31	49.09	5.11	(8.26)	45.94	11.37
xviii)	संचार उपकरण	13.65	0.77	0.42	(0.10)	13.90	5.90	0.72	(0.24)	6.38	7.52
xix)	कार्यालय उपकरण	40.56	3.45	0.47	(0.30)	43.24	17.43	2.55	(0.51)	19.47	23.13
xx)	अनुसंधान और विकास	1.36	-	-	-	1.36	0.38	0.09	-	0.47	0.89
xxi)	अन्य आस्तियां	46.77	4.73	0.47	(0.60)	50.43	19.89	2.59	(0.86)	21.62	28.81
xxii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	28.21	13.81	-	-	42.02	2.67	1.93	-	4.60	37.42
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रूपए।	17.43	1.14	0.73	(0.76)	17.08	17.43	1.12	(1.48)	17.07	0.01
xxiv)	अप्रचलित / अधिशेष आस्तियां	1.79	1.20	0.22	(0.01)	2.76	-	-	-	-	2.76
	कुल	22,291.73	2,874.71	38.51	(194.71)	24,933.22	6,637.59	1,021.33	(37.44)	7,621.48	17,311.74
	पिछले वर्ष	22,163.19	399.88	377.21	105.87	22,291.73	5,724.40	961.60	(48.41)	15,637.59	16,438.79

टिप्पणी संख्या-11.2 अगोचर परिसंपत्तियां

परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक		(करोड़ रुपए में)
	01.04.2012	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2012	
i) भूमि-अवर्गीकृत/ इस्तेमाल का अधिकार	731.59	17.21	0.11	-	748.69	18.38	2.75	0.07	21.20	727.49	713.21
ii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	37.61	1.24	0.20	(0.52)	38.13	36.64	1.10	(0.34)	37.40	0.73	0.97
कुल	769.20	18.45	0.31	(0.52)	786.82	55.02	3.85	(0.27)	58.60	728.22	714.18
पिछले वर्ष	711.74	57.53	0.07	-	769.20	49.64	5.39	(0.01)	55.02	714.18	662.10

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) 273.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 282.52 करोड़ रुपये) मूल्य की 2329.95 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2418.31 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं। उनके पूंजीकरण से संबंधित स्टैम शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।
- 2) भूमि के अतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई जमीन शामिल नहीं है।
- 3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 5408.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3272.05 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभासित मूल्यहास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।
- 5) चूटक, चमेरा- I II तथा तीस्ता-5 विद्युत स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन विद्युत स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	2012-13	2011-12
	(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	(1.52)	0.70
भवन	(13.71)	7.29
जल वैज्ञानिक कार्य	(125.92)	72.73
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(28.99)	24.86
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.15)	0.15
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	0.07
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	0.02	0.04
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.06)	0.03
कुल	(170.33)	105.87

टिप्पणी संख्या-12 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
i) सड़कें और पुल	78.21	8.02	(15.54)	4.51	66.18
ii) भवन	1,329.38	225.14	(27.20)	227.93	1,299.39
iii) रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,677.36	992.12	772.92	1,735.22	6,707.18
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	4,138.71	347.28	205.33	745.71	3,945.61
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.38	3.40	-	1.63	9.15
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	2.65	2.20	(0.23)	0.70	3.92
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	6.92	0.75	(0.17)	5.23	2.27
ix) निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0.84	2.53	(0.05)	1.18	2.14
xi) संस्थापना का इंजार्जर कर रही अन्य आस्तियां	11.49	54.07	(1.61)	61.50	2.45
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	106.66	15.23	(4.54)	13.77	103.58
xiii) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	232.20	26.62	(17.32)	-	241.50
xiv) प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	0.63	0.01	-	-	0.64
xv) निर्माण के दौरान खर्च*	6,714.25	1,655.34 *	(1,113.38)	-	7,256.21
घटाएं: प्रावधानों के लिए	116.61	3.00	-	-	119.61
उप जोड़ (क)	19,190.07	3,329.71	(201.79)	2,797.38	19,520.61
* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 29 देखें					
	01.04.2012		समायोजन		31.03.2013
निर्माण भंडार	162.86	-	27.22	-	190.08
घटाएं: निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	3.19	-	(1.54)	-	1.65
उप जोड़ (ख)	159.67	-	28.76	-	188.43
समग्र जोड़	19,349.74	3,329.71	(173.03)	2,797.38	19,709.04
पिछले वर्ष	15962.77	3943.27	(200.30)	356.00	19349.74

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 925.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 760.63 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी-अपर परियोजना स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) को सौंपने में रुचि प्रदर्शित की है, जिस पर एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय के लंबित रहते 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस परियोजना पर 0.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.36 करोड़ रुपये) पूंजी व्यय के रूप में खर्च किए गए हैं जिसके लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है, जो 31.03.2012 को पहले से किए गए 20.39 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है। पिछले वर्ष यह प्रावधान 20.04.2004 से 31.03.2012 तक इस परियोजना पर किए गए व्यय के लिए किया गया था। इस अवधि में परियोजना निलम्बन के अंतर्गत थी। प्रबंधन की राय है कि इसके लिए और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना पर हुए व्यय की वसूली सुनिश्चित है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक को सौंपी जाने वाली परियोजना के बारे में पहले से फार्मूला तय कर रखा है जिसके तहत आईपीपी को परियोजना हस्तांतरित होने की स्थिति में आईपीपी द्वारा खर्च की अदायगी की जाएगी। उक्त के मद्देनजर प्रबंधन का यह मत है कि और किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अंतर्गत परियोजनाओं पर किया गया 781.26 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 677.93 करोड़ रुपये) का व्यय शामिल है। इस धन में से 20.77 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 122.80 करोड़ रुपये निवल (पिछले वर्ष 20.39 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 106.02 करोड़ रुपये निवल) की राशि सुबानसिरी अपर तथा कीरु और कवार जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है जिन्हें संयुक्त उद्यम/निजी विकासक को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। 637.69 करोड़ रुपये की बकाया राशि (पिछले वर्ष 551.52 करोड़ रुपये) कम्पनी की परियोजनाओं से संबद्ध है, जिसमें से उन परियोजनाओं के संदर्भ में, जिनके साथ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में 84.16 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 81.55 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है। अन्य परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के बकाया 553.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 469.97 करोड़ रुपये) का प्रावधान जारी रखा गया है क्योंकि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उपयुक्त निश्चितता बरकरार है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियां एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोअर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंधित निजी विकासक से वसूल की जाएगी।
- पकल दुल, कीरु और कवार जल विद्युत परियोजनाएं मैसर्स चिनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा निष्पादित की जानी है। पकल दुल परियोजना की परिसंपत्तियां तथा देयताएं वर्तमान वित्त वर्ष में उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी को अंतरित की जा चुकी हैं। कीरु तथा कवार परियोजनाओं के संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपे जाने का कार्य लंबित रहते 31.03.2013 तक कम्पनी द्वारा इन परियोजनाओं पर किए गए 99.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 83.06 करोड़ रुपये) के व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में शामिल किया गया है।
- निर्माण के दौरान व्यय में तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना में किया गया 1.75 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है, जिसे मणिपुर सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड की प्रतिभागिता के साथ, एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
- अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3459.57 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3787.84 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबंधित शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी संख्या-13 गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिशेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपए में)
क. व्यापार उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त)	12000000	10	12.00	12000000	10.00	12.00
व्यापार अनुद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
(i) अनुषंगी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- एनएचडीसी लिमिटेड	10024200	1000	1002.42	10024200	1000	1002.42
- लोक तक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	87092309	10	87.09	72861540	10	72.86
- चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड *	100000000	10	100.00	2450000	10	2.45
(ii) संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	2188325	10	2.19	2188325	10	2.19
(मूल्य में कमी के लिए प्रावधान)			(0.77)			(0.77)
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	11060000	10	11.06	2625000	10	2.63
(ख) बॉण्ड्स में निवेश						
8.50 प्रतिशत कर-मुक्त निम्नांकित राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड:						
अरुणाचल प्रदेश	1944	1000	0.19	2916	1000	0.29
बिहार	38140	1000	3.81	57210	1000	5.72
हरियाणा	1130000	1000	113.00	1695000	1000	169.50
हिमाचल प्रदेश	35736	1000	3.57	53604	1000	5.36
जम्मू कश्मीर	1541392	1000	154.14	2312088	1000	231.21
झारखंड	28620	1000	2.86	42930	1000	4.29
मेघालय	1064	1000	0.11	1596	1000	0.16
मिजोरम	6420	1000	0.64	9630	1000	0.96
नागालैंड	13840	1000	1.38	20760	1000	2.08
पंजाब	445620	1000	44.56	668430	1000	66.84
राजस्थान	85473	1000	8.55	85473	1000	8.55
सिक्किम	4672	1000	0.47	7008	1000	0.70
त्रिपुरा	5336	1000	0.53	8004	1000	0.80
उत्तर प्रदेश	1573780	1000	157.38	2360670	1000	236.07
उत्तराखंड	174860	1000	17.49	262290	1000	26.23
पश्चिम बंगाल	13444	1000	1.34	20166	1000	2.01
(ग) शेयर आवेदन राशि						
संयुक्त उद्यम कम्पनियां						
- नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड			3.82			12.25
उप जोड़ (क)			1727.83			1866.80

* 77.75 करोड़ रुपए के निवेश के संबंध में शेयर प्रमाण-पत्र अभी प्राप्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त, टिप्पणी सं. 30 का पैरा 16 - लेख की अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां भी देखें।

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)	राशि (करोड़ रुपये में)
ख. गैर-व्यापार उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
इंडियन ओवसीज बैंक (पूर्णतः प्रदत्त)	360800	10	0.36	360800	10	0.36
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश#						
8.35 प्रतिशत एसबीआई राइट इश्यू भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	150000	10000	150.77	150000	10000	150.77
8.20 प्रतिशत तेल विपणन कंपनियां भारत सरकार विशेष बॉण्ड 2024	12380	10000	12.26	12380	10000	12.26
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2027	57000	10000	52.94	57000	10000	52.94
8.28 प्रतिशत भारत सरकार 2032	35000	10000	34.62	35000	10000	34.62
8.26 प्रतिशत भारत सरकार 2027	17940	10000	17.83	-	-	-
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और कोरपोरेट्स बांड्स में निवेश#						
8.95 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	688	1000000	69.63	688	1000000	69.63
8.65 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	30	1000000	2.99	30	1000000	2.99
8.83 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2035	120	1000000	12.09	120	1000000	12.09
8.80 प्रतिशत इंडियन रेलवे फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2030	150	1000000	15.13	150	1000000	15.13
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2021	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2022	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2023	80	1250000	10.00	80	1250000	10.00
8.90 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	40	1250000	5.04	40	1250000	5.04
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2024	156	1250000	19.51	156	1250000	19.51
8.84 प्रतिशत पावर ग्रिड कोरपोरेशन ऑफ इंडिया बांड्स 2025	364	1250000	45.52	364	1250000	45.52
8.95 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	51	1000000	5.16	51	1000000	5.16
8.80 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	467	1000000	45.97	467	1000000	45.97
8.70 प्रतिशत पावर फाइनेंस कोरपोरेशन बांड्स 2025	477	1000000	47.37	477	1000000	47.37
8.80 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2020	600	1000000	59.93	600	1000000	59.93
9.75 प्रतिशत रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोरपोरेशन बांड्स 2021	230	1000000	23.05	230	1000000	23.05
7.41 आईआईएफसीएल कर मुक्त बॉण्ड 15.11.2032	120	1000000	12.00	-	-	-
8.12 आरईसी कर मुक्त बॉण्ड 27.03.2027	100000	1000	10.61	-	-	-
उप-जोड़ (ख)			672.78			632.34
कुल (क + ख)			2400.61			2499.14
# उद्धृत बीमा निधि से निर्दिष्ट निवेश						
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			684.78			644.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य			755.22			701.01
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			1716.60			1855.57
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान			0.77			0.77
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी सं. 14: ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) पूंजी अग्रिम						
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3.87		3.87	89.98		89.98
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के प्रति	613.08		613.08	720.63		720.63
- अन्य	154.82		154.82	162.95		162.95
घटाएं: उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	6.38		6.38	-		-
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	45.55		45.55	0.05		0.05
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	45.55		45.55	0.05		0.05
ख) जमा राशियां						
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	45.74	37.01	82.75	25.20	41.85	67.05
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.01	0.01	-	0.01	0.01
घटाएं: संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	0.01	0.01		0.01	0.01
ग) अन्य ऋण और अग्रिम						
i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	107.59	19.03	126.62	79.16	15.29	94.45
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	31.61	31.56	63.17	36.93	30.47	67.40
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.01	0.01		0.03	0.03
ii) संविदाकार / आपूर्तिकार / सेवा प्रदाता को अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.71	0.71		2.78	2.78
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के प्रति		15.17	15.17		23.35	23.35
- अन्य		8.15	8.15		16.41	16.41
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.49	0.49		0.32	0.32
iii) ग्राहकों की देयताओं के निपटान हेतु राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	63.41	38.04	101.45	88.77	25.36	114.13
iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
v) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		1.44	1.44		1.58	1.58
घटाएं: संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान	-	0.50	0.50		0.35	0.35
vi) अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर		1,948.45	1,948.45		1,732.97	1,732.97
	1,238.74	2,099.56	3,338.30	1,428.62	1,890.06	3,318.68

व्याख्यात्मक टिप्पणी

निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा वर्ष के अंत में बकाया राशि

31 मार्च 2013 को
(करोड़ रुपए में)

31 मार्च 2012 को
(करोड़ रुपए में)

0.05 0.03

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 15 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज:		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	144.83	114.30
- अन्य	6.35	0.18
विलंबित विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव परिसंपत्तिया	789.35	1,067.28
विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसम्पत्तियों पर व्यय	3.84	0.17
उतार-चढ़ाव लेखा	944.37	1,181.93

टिप्पणी सं.: 16 चालू निवेश

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रु पए में))	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (रु. में)	राशि (करोड़ रु पए में)
दीर्घावधि निवेशों की वर्तमान परिपक्वताएं						
व्यापार अनुद्धत						
निम्नांकित राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड						
अरुणाचल प्रदेश	972	1000	0.10	972	1000	0.10
बिहार	19070	1000	1.91	19070	1000	1.91
हरियाणा	565000	1000	56.50	565000	1000	56.50
हिमाचल प्रदेश	17868	1000	1.79	17868	1000	1.79
जम्मू कश्मीर	770696	1000	77.07	770696	1000	77.07
झारखंड	14310	1000	1.43	14310	1000	1.43
मेघालय	532	1000	0.05	532	1000	0.05
मिजोरम	3210	1000	0.32	3210	1000	0.32
नागालैंड	6920	1000	0.69	6920	1000	0.69
पंजाब	222810	1000	22.28	222810	1000	22.28
सिक्किम	2336	1000	0.23	2336	1000	0.23
त्रिपुरा	2668	1000	0.27	2668	1000	0.27
उत्तर प्रदेश	786890	1000	78.69	786890	1000	78.69
उत्तराखंड	87430	1000	8.74	87430	1000	8.74
पश्चिम बंगाल	6722	1000	0.67	6722	1000	0.67
कुल			250.74			250.74
अनुद्धत निवेश						
संचयी लागत			250.74			250.74
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार						

टिप्पणी सं. 17: मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	77.69	64.38
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	1.16	0.42
खुले औजार	1.80	1.45
स्केप मालसूची (इनवेन्टरी)	1.24	1.75
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	0.38	0.66
घटाएं: अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	25.20	24.85
	57.07	43.81

टिप्पणी सं. 18 व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	365.74	225.47
- अप्रतिभूत - संदिग्ध समझे गए	43.70	192.38
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,683.31	1,826.71
घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	43.70	192.38
	2,049.05	2,052.18

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 19 नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
क नकदी एवं नकदी समकक्ष		
हस्तगत नकदी (रु. 0.005 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.007 करोड़) के स्टैम्प शामिल हैं।)	0.31	0.26
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0.08	0.06
बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में - स्व बीमा निधि	0.46	-
- चालू खाते में - अन्य	257.98	121.36
- जमा खाते में - अन्य	409.49	568.95
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
बैंक ऑफ भूटान, फ्यून्सोलिंग	0.07	0.63
# तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा		
ख अन्य बैंकों में शेष		
बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक की परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में - स्व बीमा निधि	45.80	10.28
- आईपीओ प्राप्तियां	1,089.34	1,522.00
- अन्य	3,808.56	3,495.00
जमा खाता- अदा न किया गया लाभांश	3.92	2.43
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	-	250.00
- सावधि जमा- स्व बीमा निधि	-	33.00
	5,616.01	6,003.97

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2013 तक 2897.65 करोड़ रुपए पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1089.34 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 361.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 466.87 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 20: अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज:-		
उपभोक्ताओं की देयताओं के निपटान हेतु राज्य सरकार को ऋण	37.28	32.97
जमा राशियां		
- आईपीओ	70.68	152.91
- स्व-बीमा	20.14	16.04
- अन्य जमा राशियां	118.66	99.83
अन्य	35.73	19.58
ख) बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां	1,203.55	1,161.32
ग) अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	174.18	10.20
घ) लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज	333.97	62.19
ङ) प्राप्य दावे	327.37	270.42
घटाएं: सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	259.75	199.67
च) निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	20.75	50.05
छ) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	37.06
घटाएं: बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	37.06
ज) बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/ जांच लंबित होने वाली हानियां	9.03	12.30
घटाएं: लंबित जांच वाली/ बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान	9.03	12.30
झ) अन्य	17.29	15.41
	2,099.85	1,691.25

स्पष्टीकरण टिप्पणी:-

- ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांसको को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-10 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।
- बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं:- 1) आरओई में बढोतरी का अंतर शून्य रुपए (पिछले वर्ष रु 411.62 करोड़) 2) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु 908.81 करोड़ (पिछले वर्ष रु 691.73 करोड़) 3) आरएलडीसी प्रभार शून्य रुपए (पिछले वर्ष रु 33.05 करोड़) 4) कर समायोजन (-) रु 22.10 करोड़ (पिछले वर्ष (-) रु 67.99 करोड़) 5) एमईए बिक्री रु 5.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु 4.65 करोड़) 6) अन्य रु 311.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु 88.26 करोड़)।
- अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्य में पकल दुल जल विद्युत परियोजना पर किए गए पूंजीगत व्यय के प्रति कंपनी का दावा शामिल है जिसे मैसर्स सीवीपीपीपीएल को अंतरित किया गया है (एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी)।

टिप्पणी सं. 21: प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. बिक्री		
ऊर्जा की बिक्री	5,407.06	5,642.73
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	118.10	88.26
घटाएं: टैरिफ समायोजन	56.60	34.60
घटाएं: विनियमित बिक्री समायोजन	195.82	57.38
घटाएं: बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (नोट सं.29 एच (क)देखें)	37.58	-
उप-जोड़ क	4,998.96	5,462.49
ख मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पक्षलिखित	50.17	47.16
उप-जोड़ ख	50.17	47.16
ग अन्य परिचालन आय		
लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	141.24	264.79
उप-जोड़ ग	141.24	264.79
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	65.05	73.81
परियोजना प्रबंधन/ परामर्शी कार्यों से राजस्व	51.22	71.23
उप-जोड़ घ	116.27	145.04
कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)	5,306.64	5,919.48

स्पष्टीकरण टिप्पणी:-

- 1) बिक्री का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम शुल्क दरों के अनुसार किया गया है, सिवाय तीस्ता-5, चमेरा-1। तथा चूटक पावर स्टेशन के मामले में जहां बिक्री को अनंतिम टैरिफ के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है।
- 2) बिक्री के अंतर्गत रु 80.66 करोड़ (पिछले वर्ष 467.28 करोड़ रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के रूप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया है।
- 3) कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुसूच बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 339.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.12 करोड़ रुपये) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 195.82 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 57.38 करोड़ रुपये) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए हैं।
- 4) बिक्री में रु 801.54 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1249.36 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।
- 5) दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में, उसकी पूंजीगत लागत पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसार, टैरिफ में कमी को ध्यान में रखते हुए प्रचुर सावधानी के तौर पर 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री समायोजित करते हुए बहियों में रु 52.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु 34.60 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- 6) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुसार, चालू वर्ष की बिक्री में रु 54.66 (पिछले वर्ष रु 67.41 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 22: अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) गैर-वर्तमान निवेश से आय		
व्यापार		
- अनुषंगियों से लाभांश	30.07	20.05
- लाभांश-अन्य	1.80	1.80
- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	80.65	102.09
गैर-व्यापार		
- लाभांश-अन्य	0.16	0.18
- ब्याज-स्व बीमा निधि	56.05	50.49
ख) अन्य		
ब्याज		
- ग्राहकों की देवताओं के निपटान हेतु राज्य सरकार को ऋण	9.16	11.32
- अस्साचल प्रदेश सरकार को ऋण	30.54	28.09
- जमा खाता-स्व बीमा निधि-इंडियन बैंक	4.86	7.26
- जमा खाता- स्व बीमा निधि से इतर -इंडियन बैंक	507.93	456.39
- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	8.74	5.86
- अन्य	90.43	115.05
विलंब भुगतान अधिभार	75.12	21.67
स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	3.03	-
म्यूचुअल फंड्स की बिक्री से निवल लाभ/हानि	-	0.02
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.51	8.38
देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं हैं	211.60	94.57
अन्य	34.12	79.96
विनिमय दर अंतर	18.45	9.97
कुल	1,163.22	1,013.15
घटाएं: ईडीसी को अंतरित आय	135.57	169.75
घटाएं: ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	34.87	41.00
लाभ एवं हानि लेखा को आगे ले जाया गया कुल	992.78	802.40

स्पष्टीकरण टिप्पणी:-

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 05/02/2013 के पत्र सं.6/1/2007-वित्त (खंड 8) के माध्यम से मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित 120.81 करोड़ रुपए की राशि के पुराने बकाया देयों तथा साथ में 240.01 करोड़ रुपए ब्याज के भुगतान हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान बहियों में सृजित किए गए 120.81 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान को वर्ष के दौरान वापिस कर दिया गया है जिसे पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयता/प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त बकाया राशि पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 240.01 करोड़ रुपए के ब्याज को भी वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में अपवादात्मक मद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उक्त राशियों को शीघ्र ही प्राप्त किए जाने की संभावना है।

- प्रावधान/देयताओं का ब्यौरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है

खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	148.69	1.79
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.02	-
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	0.78	1.56
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.21	4.22
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	0.09	41.25
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	-	2.49
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	5.50	0.03
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	6.73	3.61
अधिवर्षिता/ पेंशन निधि के लिए प्रावधान	46.78	-
अन्य	2.80	39.62

कुल

211.60

94.57

टिप्पणी सं. 23: उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क उत्पादन व्यय		
जल उपयोग प्रभार	592.44	552.70
ख भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	27.01	10.14
ग संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	28.50	15.92
घ मरम्मत तथा अनुरक्षण		
- भवन	34.29	26.16
- मशीनरी	47.09	48.57
- अन्य	45.85	41.44
	127.23	116.17
ड प्रशासनिक व्यय		
किराया	37.87	37.54
दरें और कर	8.17	2.75
बीमा	44.19	39.77
स्व: बीमा निधि का उपयोग	0.92	-
सुरक्षा व्यय	126.24	109.26
विद्युत प्रभार	37.75	32.13
यात्रा एवं वाहन	19.48	18.97
वाहनों पर खर्च	9.41	8.97
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	10.34	10.57
विज्ञापन एवं प्रचार	7.59	7.81
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	0.33	0.69
दान या चंदा	2.50	7.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.79	4.82
पुस्तकें व पत्रिकाएं	0.35	0.32
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	4.80	4.21
परामर्शी प्रभार - विदेशी	0.05	0.04
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	29.04	6.33
निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	6.49	23.91
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.91	0.78
बट्टे खाते में डाली गयी परिसंपत्तियां/दावें	0.36	0.38
पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	0.65	0.35
लाभग्राही राज्यों को ब्याज	14.34	4.15
ग्राहकों को छूट	15.60	31.12
कारपोरेट सामाजिक दायित्व/ धारणीय विकास/ सामुदायिक विकास व्यय	14.78	14.39
स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय	1.25	-
अन्य सामान्य खर्च	68.23	64.71
विनियम दर अंतर	20.02	22.45
लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)	1.67	1.46
निदेशक खर्च	0.28	0.12
अनुसंधान एवं विकास व्यय	13.88	0.05
विनियमित बिजली पर व्यय	20.20	4.96
घटाएं: विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	20.20	4.96
	-	-
उप-जोड़	1,278.46	1,149.98

टिप्पणी सं. 23: उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
च प्रावधान		
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	-	0.40
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	45.79	-
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	60.27	147.27
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी	1.42	1.20
निवेश के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	-	0.77
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	3.00	81.89
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुहैया करवाया गया	0.77	3.03
उप-जोड़	111.25	234.56
घटाएं: ईडीसी को अंतरित राशि	294.37	316.79
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	0.01	0.06
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,095.33	1,067.69

स्पष्टीकरण टिप्पणी:-

- कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्प्स के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप में दर्शाया गया है।
- कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 14.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.15 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।
- लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

i) सांविधिक लेखा-परीक्षक

लेखा-परीक्षक के रूप में

- लेखा-परीक्षा शुल्क

- कर लेखा-परीक्षा शुल्क

अन्य क्षमता में

- अन्य मामले/ सेवाएं

खर्चों की अदायगी

ii) लागत लेखा परीक्षक

- लेखा-परीक्षा शुल्क

- खर्चों की अदायगी

0.45	0.40
0.14	0.12
0.45	0.44
0.52	0.43
0.10	0.06
0.01	0.01
1.67	1.46

टिप्पणी सं. 24: कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते	1,148.59	1,139.34
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	185.66	298.57
कर्मचारी कल्याण व्यय	113.27	121.64
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.01	0.12
कुल	1,447.53	1,559.67
घटाएं: ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	559.41	642.02
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली	0.71	1.89
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	887.41	915.76

स्पष्टीकरण टिप्पणी: -

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 36.37 करोड़ रुपए (विगत वर्ष 31.41 करोड़ रुपए) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।

उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है:	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	68.57	81.53
ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	67.00	92.04
	135.57	173.57

टिप्पणी सं. 25: वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित पर ब्याज :		
बॉण्ड	339.93	217.23
विदेशी मुद्रा ऋण	54.22	59.61
सावधि ऋण	877.04	788.90
अन्य ब्याज प्रभार	1.96	-
उप जोड	1,273.15	1,065.74
ख) अन्य ऋण लागत		
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.86	0.93
प्रतिबद्धता शुल्क	2.56	0.06
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	33.95	32.22
अन्य वित्त प्रभार	6.71	3.82
उप जोड	44.08	37.03
ग) विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	10.52	277.47
घटाएं: विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(10.52)	(277.47)
उप जोड	-	-
कुल योग	1,317.23	1,102.77
घटाएं: ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	931.85	764.67
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	385.38	338.10

टिप्पणी सं.: 26 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान मूल्यहास तथा परिशोधन	1,025.18	966.98
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	(15.24)	(23.53)
कुल	1,009.94	943.45
घटाएं: ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय	40.65	49.59
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	969.29	893.86

टिप्पणी सं.: 27 पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय	(0.83)	-
मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	-
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	(0.03)
अन्य	17.04	(29.81)
उप जोड़	16.21	(29.84)
व्यय		
वेतन तथा मजदूरी	2.16	49.34
मरम्मत तथा अनुरक्षण	(0.51)	(0.10)
मूल्यहास तथा परिशोधन	0.65	1.08
अन्य	16.01	0.63
उप जोड़	18.31	50.95
कुल योग	2.10	80.79
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्वावधि व्यय	2.17	19.81
घटाएं - पूर्वावधि आय	(0.04)	(2.69)
जोड़	(0.11)	58.29
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	(0.11)	58.29

टिप्पणी सं.: 28 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	587.41	694.19
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	9.85	8.37
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	326.56	(2.83)
घटाएं: वसूली योग्य	69.91	(45.54)
कुल	853.91	745.27

टिप्पणी सं. 29: वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	258.82	309.83
उपदान और भविष्य निधि के लिए अंशदान	42.83	76.33
स्टाफ कल्याण व्यय	15.65	31.27
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.11	0.12
उप जोड़	317.41	417.55
ख मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	6.45	6.12
मशीनरी	1.14	0.98
अन्य	13.11	15.96
उप जोड़	20.70	23.06
ग प्रशासन तथा अन्य व्यय		
किराया	16.70	17.72
दरें और कर	8.39	0.64
बीमा	0.31	0.36
सुरक्षा व्यय	29.40	28.62
विद्युत प्रभार	6.29	5.78
यात्रा एवं वाहन	4.90	4.04
वाहनों पर व्यय	3.40	3.32
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.93	3.45
विज्ञापन एवं प्रचार	0.82	0.57
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.02	0.99
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.03	0.03
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
- स्वदेशी	1.62	1.10
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जलग्राह्य क्षेत्र सुधार/पर्यावरण सुधार पर खर्च	31.23	5.98
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	5.44	22.17
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.03	0.06
विनिमय दर अन्तर (ऋण)	16.26	17.53
अन्य सामान्य व्यय	15.01	14.05
उप जोड़	143.78	126.41
घ वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज:		
बॉण्ड	275.22	186.39
सावधि ऋण	649.84	574.24
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.68	0.77

टिप्पणी सं. 29: वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिबद्धता शुल्क	2.48	-
अन्य वित्त प्रभार	3.60	3.23
उप जोड़	931.82	764.63
ड प्रावधान	105.72	141.16
उप जोड़	105.72	141.16
च मूल्यहास और परिशोधन व्यय	34.99	42.98
उप जोड़	34.99	42.98
छ पूर्वावधि मद		
पूर्वावधि व्यय	2.16	10.40
घटाएं: पूर्व अवधि आय	(0.04)	(2.69)
उप जोड़	2.20	13.09
ज घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां		
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	37.58	-
ख) अन्य		
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	88.23	110.77
विविध प्राप्तियां	4.60	7.87
विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	12.71	8.00
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	18.73	26.53
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार	0.51	1.76
उप जोड़	124.78	154.93
उप जोड़	162.36	154.93
झ निगमित कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:		
अन्य आय	(10.79)	(14.82)
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	24.02	26.16
कर्मचारी लाभ व्यय	242.00	224.47
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	5.66	6.61
वित्त लागत	0.03	0.04
प्रावधान	0.15	-
पूर्वावधि मर्दे (निवल)	0.01	9.41
उप जोड़	261.08	251.87
कुल योग (क+ख+ग+घ+ ड+च+ छ+ज+झ)	1,655.34	1,625.82

टिप्पणी संख्या - 30: अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां

1. क) आकस्मिक देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	अथ शेष 01/04/2012 को (रुपये)	अंतिम शेष 31/03/2013 को (रुपये)
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
- पूंजीगत कार्य		
- भूमि मुआवजा मामले	7615.68	10322.99
- अन्य	28.18	38.37
- विवादित आयकर मांग	10.57	24.93
- विवादित बिक्री कर मांग	264.01	277.27
- विवादित सेवा कर मांग	29.22	29.22
- अन्य	116.29	128.53
कुल	8063.95	10821.31

- ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- ग) पूंजी कार्य संबंधी आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर एवं मात्रात्मक विचलन के बारे में संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार संबंधी लागत और निर्माण कार्य रोके जाने/निर्माण स्थल सौंपे जाने में देरी के कारण व्यर्थ प्रभार आदि शामिल हैं। इस तरह के दावों से कंपनी को जूझना पड़ रहा है क्योंकि संबंध अनुबंधों के प्रावधानों के अंतर्गत वे स्वीकार्य नहीं हैं अथवा ऐसे दावे माध्यस्थ अथवा अन्य फोरम में लंबित हैं। उक्त में संविदाकारों के ऐसे दावों भी शामिल हैं जो प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर संवीक्षा के अधीन हैं किंतु उनका पूर्णता प्राप्त करना अभी बाकी है।
- घ) पूंजीगत कार्य'' शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक देयता 323.70 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 347.85 करोड़ रुपये) है, जो कंपनी के विरुद्ध दिए गए पंचाट निर्णयों के कारण पैदा हुई है। इन फैसलों को विधि अदालत में चुनौती दिए जाने को देखते हुए बाह्य-प्रवाह होने की संभावना नहीं है।
- ङ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- च) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 40.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 45.17 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।
- छ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 22.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.06 करोड़ रुपये) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।
2. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 3958.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 5335.27 करोड़ रुपये) है।
3. चमेरा-III पावर स्टेशन को चालू करने के पश्चात पहाड़ी ढलानों में कुछ सीपेज देखी गई है जिससे निकटवर्ती गांव के स्थानीय निवासियों के घर तथा खेत प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भूमि के अधिग्रहण का एक प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है जिसके लिए मुआवजा 8.40 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, सीपेज को ठीक करने की लागत का अभी पता लगाया जाना है।
4. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 177.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 241.16 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।
5. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
6. वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभावित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी ने यह विचार भी रखा है कि ऐसे व्यय के पूंजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी और लेखांकन मानक-10 में सीमित संशोधन के सूचना मसौदे से होता है। ईएसी से आगे कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने, लेखांकन मानक-10 में सीमित संशोधन की अधिसूचना और दर विनियमित निकाय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी पर अमल की घोषणा के रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।
- उपरोक्त को देखते हुए ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन/निर्माण पर 37.42 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 25.54 करोड़ रुपये) (डब्ल्यूडीवी) और 103.58 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 106.66 करोड़ रुपये) क्रमशः मूर्त आस्तियों (टिप्पणी संख्या 11.1) और चालू पूंजी कार्य (टिप्पणी संख्या 12) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ईडीसी के पूंजीकरण पर मार्गदर्शी नोट को वापस लिए जाने के पश्चात व्यय की गई 123.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 117.81 करोड़ रुपये) की राशि भी चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी सं. 12) के अंतर्गत निर्माण के दौरान व्यय में दर्शाई गई है।

7. सुबानसिरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध-विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण बाधित है, तथापि, महत्वपूर्ण तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्य जारी है। अभी तक परियोजना को सीधे आरोप्य ऋण लागत सहित प्रशासन तथा अन्य सामान्य ओवरहेड को पूंजीकृत किया जाना जारी है। स्थल पर निर्माण क्रियाकलापों को शीघ्र ही पुनः प्रारंभ किया जाना प्रत्याशित है क्योंकि मामले का भारत सरकार के स्तर पर अनुवर्तन किया जा रहा है।
8. 31.03.2013 को समाप्त वर्ष दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारंभ/संशोधित/समाप्त किया गया:

नीति सं.	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 10.2	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं/लागत जमा संविदाओं से राजस्व संबंधी नीति में बेहतर प्रकटीकरण के लिए शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई नहीं
तत्कालीन नीति सं. 11.2	नीति को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में कंपनी के किसी विद्युत स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत का सीधा उपयोग अनावश्यक हो चुका है।	कोई नहीं
नीति सं. 14	व्यवहार को नीति में परिवर्तित करने के लिए परिसंपत्तियों की क्षति पर नई नीति को प्रारंभ किया गया है।	कोई नहीं

9. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक-7 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31/03/2013	31/03/2012
1.	सूचित तिथि तक प्रगतिधीन संविदाओं पर वहन की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटा मान्यता प्रदान की गई हानि) की संचित राशि	3685.34	3479.92
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	3170.01	2947.33
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	3685.34	3479.92
5.	देयता के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य

10. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा:

(करोड़ रुपए में)

		31.03.13 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.98)	2.95
(ii)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	10.52	277.47
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	3.55	9.53
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(0.09)	(0.14)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(170.33)	105.87

11. 31.03.2013 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है:-

तुलन-पत्रक की टिप्पणी	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
टिप्पणी संख्या 13	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड (iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड-कर मुक्त	268.42 381.39 22.61
टिप्पणी संख्या 19	(i) जमा खाता-दीर्घावधि (ii) चालू खाता	45.80 0.46
टिप्पणी संख्या 20	प्रोद्भूत ब्याज (कर उपरान्त निवल)	20.14
कुल		738.82

31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 48.84 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

12. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण:

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है:

निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खर्च खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। तथापि, योजना को जारी रखे जाने का प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है। योजना के अनुसार कर्मचारी एक निर्धारित दर पर मासिक अंशदान देते हैं। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुल्कात की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

घ. उपदान

कंपनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ज. सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्हः

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2013 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96)	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.00%	8.50%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.0%	6.0%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	568.40 {512.76}	383.82 {303.22}	325.28 {256.16}
ब्याज लागत	45.48 {43.59}	30.71 {25.77}	26.02 {21.77}
वर्तमान सेवा लागत	24.47 {22.88}	16.65 {18.02}	8.90 {6.85}
अदा किया गया लाभ	(49.46) {(73.93)}	(140.18) {(39.04)}	(4.69) {(8.61)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.55 {63.10}	70.00 {75.85}	28.31 {49.11}
वर्ष के अंत में पीवीओ	604.44 {568.40}	361.00 {383.82}	383.82 {325.28}

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	604.44 {568.40}	361.00 {303.22}	383.82 {325.28}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	618.41 {-}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	13.97 {(568.40)}	(361.00) {(303.22)}	(383.82) {(325.28)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/परिसंपत्ति	(-)13.97 {568.40}	361.00 {303.22}	383.82 {325.28}

तालिका-4: लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में मान्यताप्राप्त राशि

(करोड़ रूपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	24.47 {22.88}	16.65 {18.02}	6.85 {6.85}
ब्याज लागत	45.48 {43.59}	30.71 {25.77}	21.77 {21.77}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.55 {63.10}	70.00 {75.85}	49.11 {49.11}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	85.50 {129.57}	117.36 {119.64}	77.73 {77.73}

नोट: [] पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2013 को क्रमशः 4.94 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 4.89 करोड़ रुपये और 3.15 करोड़ रुपये) है।

13. क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड है।

14. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :-

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री जी.साइ प्रसाद	संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। 24.07.2012 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 23.07.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे के शर्मा	(निदेशक परियोजनाएं)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 3.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.08 करोड़ रुपये) है जिसमें विद्यमान तथा सेवानिवृत्त निदेशकों को 1.59 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टियों के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

15. प्रति शेयर अर्जन:-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं:

	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपये में)	2348.22	2771.77
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	12300742773	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	1.91	2.25
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

16. क) संयुक्त उद्यमों में हित:

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2013	31.03.2012
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	20%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड*	49%*	49%

* कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। वर्तमान वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने उक्त निकाय में अपने अनुपातिक अंश के प्रति 77.55 करोड़ रुपये का योगदान दिया है, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा 31.03.2013 के अनुसार अपने अनुपातिक अंश का योगदान अभी देना है। यह उक्त निकाय में एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता में 49 प्रतिशत से 82 प्रतिशत की वृद्धि में परिणत हुआ है। अभी तक, 31.03.2013 तक उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम मानने के बजाए इसकी अनुषंगी माना गया है। तदनुसार, उक्त निकाय के संबंध में प्रकटीकरणों को नीचे 16(ख) में शामिल नहीं किया गया है।

ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत में संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

		31.03.2013 को	31.03.2012 का
क	परिसंपत्तियां	14.94	15.09
ख	देयताएं	0.92	0.15
ग	आकस्मिक देयताएं	0.01	0.01
घ	पूंजी प्रतिबद्धताएं	49.97	7.48
E	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.14	-
		वर्ष 2012-13 हेतु	वर्ष 2011-12 हेतु
च	आय	0.12	0.12
छ	व्यय	0.41	0.36

17. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)* सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:		
i) पूंजीगत वस्तुएं	17.43	53.65
ii) कलपुजे	1.74	0.21
ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) ज्ञान	(0.57)	4.84
ii) ब्याज	53.36	58.49
iii) अन्य विविध मामले	108.64	47.37
ग)* प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
i) आयातित	2.51(9.29%)	0.18(1.78%)
ii) देशीय	24.50(90.71%)	9.96(98.22%)
घ)* विदेशी मुद्रा में अर्जन		
i) ब्याज	-	-
ii) अन्य	3.03	-

* प्रोद्भव आधार।

19. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण:-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	शून्य
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यहास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	3.03 करोड़ रुपए हेतु बिक्री की गई 10.90 लाख यूनिट

20. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोद्भूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

21. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक :- 28.05.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मर्दे	3,202.13	3,517.04
जोड़ें :		
मूल्यहास (पूर्वावधि सहित)	984.67	918.22
अदा किया गया ब्याज	385.38	338.09
बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियां	0.14	0.29
बट्टे खाते में डाले गए भंडार	0.18	0.09
प्रावधान	5.38	93.41
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	0.03	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.91	0.78
टैरिफ समायोजन	56.60	34.60
विनिमय दर अंतर	8.54	264.42
	1,441.83	1,649.90
घटाएं :		
पश्चलिखित मूल्यहास के प्रति अग्रिम (पूर्व अवधि सहित)	49.34	47.16
परिसंपत्तियों/परियोजना की बिक्री पर लाभ	0.51	77.24
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान और देयताएं	192.87	68.04
आस्थगित ईआरवी	(92.34)	212.73
लाभांश आय	32.03	22.03
ब्याज आय	658.66	627.55
	600.76	595.15
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	3,802.89	4,112.19
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(14.46)	(11.38)
व्यापार प्राप्त्य में (वृद्धि)/कमी	(53.51)	(1762.50)
अन्य परिसंपत्तियों ऋण/अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(425.36)	680.50
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	(795.70)	(1289.03)
	(1289.03)	(200.65)
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	2,513.86	2,818.16
घटाएं - अदा किया गया कर	616.27	737.82
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	1,897.59	2,080.34
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)	(2083.75)	(2788.17)
निवेश में कमी/(वृद्धि)	98.53	162.90
ब्याज आय	658.66	627.55
लाभांश आय	32.03	22.03
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(1294.53)	(1975.69)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण

(करोड़ रूपए में)

	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(995.87)	(854.53)
ऋणों से प्राप्तियां	2,526.65	3,418.44
ऋणों का पुनर्भुगतान	(1200.66)	(909.89)
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1321.14)	(1104.78)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(991.02)	549.24
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	(387.96)	653.89
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	6,003.97	5,350.08
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	5,616.01	6,003.97

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत चेक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.19 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार है:

नकदी तथा नकदी-तुल्य	668.39	691.26
अन्य बैंक शेष *	4,947.62	5,312.71
	5,616.01	6,003.97

* अन्य बैंक शेष में 361.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 466.87 करोड़ रुपये), जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेन्सियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं, तथा 3.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.43 करोड़ रुपए) का अदा न किया गया लाभांश भी शामिल है, और ये राशियां कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 925.06 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 760.63 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।
- 31.3.2013 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 2245.63 करोड़ रुपए है।
- वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2013 तक 2897.65 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1089.34 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक हो पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार

सदस्यता सं.-005909

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 28.05.2013

(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार

सदस्यता सं.-050773

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार

सदस्यता सं.-083066

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार

सदस्यता सं.-085415

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में अनुषंगी कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कम्पनी का नाम और पता	एनएचडीसी लिमिटेड, एनएचडीसी परिसर, निकट होटल लेक व्यू अशोक, श्यामला हिल्स, भोपाल (मध्य प्रदेश)	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोलिक कारपोरेशन लिमिटेड	चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि.
2.	अनुषंगी कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2013
3.	एनएचपीसी और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित अनुषंगी कंपनी की हिस्सेदारी:-			
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	(क) 1000/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1,00,24,200 इक्विटी शेयर।	(क) 10/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 7,28,61,540 इक्विटी शेयर।	(क) 10/-रुपये प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 10,00,00,000 इक्विटी शेयर।
	(ख) धारण की सीमा	(ख) जारी किए गए 1,96,25,800 शेयरों में से 1,00,24,200 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।	(ख) जारी किए गए 11,76,92,309 शेयरों में से 8,70,92,309 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।	(ख) जारी किए गए 12,25,50,000 शेयरों में से 10,00,00,000 शेयर एनएचपीसी लिमिटेड के पास हैं।
4.	अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेख में नहीं दर्शाया गया है।			
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 506.75 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 258.44 करोड़ रुपए। (ख) 30.03 करोड़ रुपए का लाभांश, जो 58.88 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 4.59 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 3.40 करोड़ रुपए। (ख) शून्य	(क) तुलन-पत्र में लाभ के रूप में अग्रेनीत 2.14 करोड़ रुपए का 81 प्रतिशत अर्थात् 1.73 करोड़ रुपए। (ख) शून्य
	(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्त वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ के रूप में 1908.45 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात् 973.71 करोड़ रुपये।	तुलन-पत्र में हानि के रूप में अग्रेनीत 5.60 करोड़ रुपए का 74 प्रतिशत अर्थात् 4.14 करोड़ रुपए।	शून्य. कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। वर्तमान वर्ष के दौरान इसे एनएचपीसी की अनुषंगी माना गया है क्योंकि एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता में बढ़ कर 81 प्रतिशत हो गई है जोकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा 31.03.2013 के अनुसार अपने अनुपातिक अंश का योगदान अभी तक न दिए जाने के कारण है।
5.	अनुषंगी कंपनी की निवल सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध एनएचपीसी लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेख में दर्शाया गया हो:-			
	(i) अनुषंगी कंपनी के लिए 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु।	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) अनुषंगी कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह अनुषंगी कंपनी बनी है।	184.99 करोड़ रुपए का लाभांश जो 362.73 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है।	शून्य	शून्य

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुपालन में अनुषंगी कंपनी से संबंधित विवरण

6.	अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच अनुषंगी कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन।	शून्य	शून्य	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए अनुषंगी कंपनी की स्थिर परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए अनुषंगी कंपनी और एनएचपीसी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक :- 28.05.2013

अनुबंध - IX

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक का यह दायित्व है कि वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने व्यावसायिक निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं सुनिश्चितता मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करें। यह कार्य लेखापरीक्षक द्वारा अपनी दिनांक 28 मई, 2013 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 02 जुलाई, 2013 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और इसे मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक और कंपनी कार्मिकों की जांच तथा कुछेक लेखांकन रिकार्डों के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित रखा गया है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिस पर टिपपणी की जाए या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट दी जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए तथा उनकी की ओर से

हस्ता/-

(नैना ए.कुमार)

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा एवं

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड- I I I,

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 15 जुलाई, 2013

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में निदेशक मंडल

एनएचपीसी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने एनएचपीसी लिमिटेड ("कंपनी") और इसकी अनुषंगियों (समूह) के 31 मार्च, 2013 के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सार एवं अन्य विवरणात्मक जानकारी की लेखा-परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

इन समेकित वित्तीय विवरण को इस प्रकार से तैयार करने का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन का है ताकि वे भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें। इस उत्तरदायित्व में ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उचित रूप से प्रस्तुत करने से संगत आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन तथा अनुरक्षण शामिल होता है जो एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करें और महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हो, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो अथवा त्रुटि के।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षण की योजना तथा निष्पादन इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि समेकित वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है।

लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर समेकित वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल होता है। चयन की गई प्रक्रियाविधि लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरण की महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन शामिल होता है, चाहे धोखाधड़ीवश हुआ हो या त्रुटिवश। उन जोखिम आंकलनों को करने में लेखापरीक्षक, परिस्थितियों में उचित होने वाली लेखापरीक्षा प्रक्रियाविधियों को बनाने के लिए सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने वाले समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनके उचित प्रस्तुतिकरण के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा दिए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन, तथा साथ ही साथ समेकित वित्तीय विवरण के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारे लेखापरीक्षा मत हेतु एक आधार मुहैया कराती है।

अर्हक मत हेतु आधार

तुलन-पत्र में 19,709.04 करोड़ रुपए की राशि के चालू पूंजीगत कार्य दर्शाए गए हैं। प्रबंधन ने सुबानसीरी लोअर जल विद्युत परियोजना, जहां परियोजना का सक्रिय विकास बाधित है, हेतु 386.88 करोड़ रुपए की ऋण लागत और 139.69 करोड़ रुपए की प्रशासनिक तथा अन्य लागत को उस पर व्यय किया गया दर्शाया है। लेखांकन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि बाधित अवधि के दौरान किए गए व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए। यह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 धारा (3ग) में उल्लिखित लेखांकन मानकों से विपथन है।

तदनुसार, 'वित्त लागत' को 386.88 करोड़ रुपए तथा 'उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय' को 139.69 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए था और 'कर पूर्व निवल लाभ', 'चालू पूंजीगत कार्य' को 526.57 करोड़ रुपए और शेयरधारकों की निधि (करों का निवल) को 421.22 करोड़ रुपए से कम किया जाना चाहिए था।

अर्हक मत

हमारी राय में और हमारी श्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सिवाय अर्हक मत पैराग्राफ के आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव हेतु, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं:

- (क) समेकित तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति का;
- (ख) समेकित लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का; और
- (ग) समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

मामले का बल दिया जाने वाला क्षेत्र

हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) वित्तीय विवरण के पैरा 3 की टिप्पणी संख्या 12, जो सर्वेक्षण तथा अन्वेषण चरण के अंतर्गत होने वाली परियोजनाओं के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है। ऐसी परियोजनाओं पर सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु किए गए व्यय को अग्रणीत किया जा रहा है क्योंकि ये परियोजनाएं अन्वेषण के अधीन हैं/इनके लिए विभिन्न प्राधिकारियों से स्वीकृति लंबित है।

(ख) वित्तीय विवरण के पैरा 1 की टिप्पणी संख्या 30, जो कंपनी द्वारा/इसके विरुद्ध संविदाकारों तथा अन्य के प्रति/के द्वारा दायर दावों/अधिनिर्णय कार्यवाहियों तथा कानूनी मुकदमों के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करती है।

(ग) वित्तीय विवरण के पैरा 30 की टिप्पणी संख्या 6, जो कंपनी के नियंत्रण में न होने वाली परिसंपत्तियों (समर्थकारी परिसंपत्तियां) के सृजन पर किए गए व्यय के व्यवहार का वर्णन करती है, जिसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ परामर्शी समिति (ईएसी) को संदर्भित किया गया है।

इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

अन्य मामले

हमने कंपनी की निम्नलिखित अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है और समेकित वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित होने की सीमा तक इन अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में परिसंपत्तियों, राजस्व तथा निवल नकदी प्रवाह के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपए में)

नाम	कुल परिसंपत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकदी प्रवाह
अनुषंगी			
एनएचडीसी लिमिटेड	8,404.00	1338.19	446.70
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड	167.48	6.81	39.06
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	310.92	2.77	71.94
संयुक्त उद्यम कम्पनियां			
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	67.90	0.00	10.09
नेशनल पॉवर एक्सचेंज लिमिटेड	8.14	0.74	(8.51)

ये वित्तीय विवरण अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों के संबंध में हमारा मत है, ये पूर्णतः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित हैं। इन मामलों के संबंध में हमारा मत अर्हक नहीं है।

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन

(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

(सीए पी.के.सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 28.05.2013

31 मार्च, 2013 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(करोड़ रुपये में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	12,300.74	12,300.74
(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	18,074.25	16,343.04
(2) गैर-वर्तमान देयताएं		2,310.20	2,034.86
(क) दीर्घावधि ऋण	4	18,805.90	17,912.62
(ख) स्थगित कर देयता	5	624.09	350.36
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	1,827.10	2,072.98
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	729.95	1,200.50
(3) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	8	-	180.00
(ख) व्यापार प्राप्य	9	189.14	227.52
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	3,198.26	3,141.05
(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	4,276.47	4,524.99
कुल		62,336.10	60,288.66
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	11.1	20,228.86	18,750.07
(ii) अगोचर आस्तियां	11.2	3,308.45	3,432.55
(iii) चालू पंजी कार्य	12	19,961.84	19,398.67
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	13	1,196.33	1,405.11
(ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	14	1,276.22	1,461.68
(घ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	15	1,132.38	1,381.07
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	16	250.74	250.74
(ख) मालसूची	17	64.22	49.60
(क) व्यापार प्राप्य	18	2,240.05	2,247.09
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	19	7,976.46	7,795.32
(ड) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	14	2,452.84	2,157.35
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	2,247.71	1,959.41
कुल		62,336.10	60,288.66
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन
(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई
(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन
(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन
(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 28.05.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपये में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष हेतु
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	21	6,402.08	7,218.09
ii) अन्य आय	22	1,215.15	940.63
कुल राजस्व		7,617.23	8,158.72
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	23	1,177.61	1,143.93
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	24	951.52	975.18
iii) वित्त लागत	25	596.21	568.73
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	26	1,213.11	1,151.11
कुल व्यय		3,938.45	3,838.95
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा सतत प्रचालन से कर पूर्व लाभ		3,678.78	4,319.77
पूर्वावधि मदे (निवल)	27	(4.09)	37.37
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ		3,682.87	4,282.40
विशिष्ट मद		(240.01)	(68.86)
असाधारण मदें और कर पूर्व लाभ		3,922.88	4,351.26
असाधारण मद		-	-
कर पूर्व लाभ		3,922.88	4,351.26
कर संबंधी व्यय	28		
i) वर्तमान कर		738.75	866.07
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		9.80	8.60
iii) विलंबित कर		273.73	73.00
कर संबंधी कुल व्यय		1,022.28	947.67
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन से पूर्व)		2,900.60	3,403.59
अल्पसंख्यक हित को अंतरित लाभ/हानि का अंश		283.19	318.01
वर्ष के लिए लाभ (अल्पसंख्यक हित के समायोजन के पश्चात)		2,617.41	3,085.58
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
बुनियादी तथा डाइल्यूटिड		2.13	2.51
अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन
(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई
(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन
(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन
(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 28.05.2013

टिप्पणी संख्या-1 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां - समेकित

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्घवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं है, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित अचल परिसंपत्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जे को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी हास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी हास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यहास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जे के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जे के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्तें इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जे की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जे के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जे के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्तें इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जे की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जे की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाय नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जे की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बटटेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जे को “भंडार एवं कलपुर्जे” माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को “निर्माण के दौरान व्यय” (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यहास तथा परिशोधन

- 5.1 मूल अचल परिसम्पत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यहास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की मूल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर मूल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यहास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यहास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	11.25%
(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण	30%
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यहास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यहास हो चुका मान लिया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रुपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।
- 5.5 सापटवेयर पर खर्च को ‘अमूर्त परिसंपत्तियां’ माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वित्त वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग हेतु उपलब्ध होने की तिथि से संबंधित भूमि के पट्टे की शेष अवधि में

मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेख पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किस्तों में बटुटाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/हूतोत्पाहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संदर्भ में राजस्व पूर्णता के प्रतिशत के आधार पर की जाती है। पूर्णता के प्रतिशत का निर्धारण संबंधित परियोजना प्रबंधन/निर्माण संविदाओं/परामर्शी कार्यों के संबंध में उसे पूर्ण करने के लिए "अनुमानित लागत" के प्रति "सूचित तिथि तक वहन की गई लागत" के अनुपात में किया जाता है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिमार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि कंपनीद्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अर्हक मूल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है। विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

14. परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को यह आकलन करती है कि क्या इसका कोई संकेत है कि नकदी उत्पादन यूनिट (सीजीयू) आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेतक विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी उत्पादक यूनिटों की वहन लागत, प्राप्य लागत से अधिक होने पर क्षति हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है। प्राप्य राशि में परिवर्तन होने और ऐसी हानि के या तो अब विद्यमान न होने अथवा कम हो जाने पर क्षति हानि को वापिस किया जाता है।

15. सहायता-अनुदान

मध्य प्रदेश सरकार से "सिंचाई तथा आर एवं आर घटक" और गुजरात सरकार से "सरदार सरोवर घटक" के प्रति प्राप्त योगदान की राशि को, पृथक परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान माना जाता है और बाद में ऐसे योगदान से अधिगृहीत परिसंपत्तियों पर पञ्चलेखित मूल्यहास के अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 2 : शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	संख्या में	(करोड़ रुपए में)	संख्या में	(करोड़ रुपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	15000000000	15,000.00	15000000000	15,000.00
(ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपए)	12300742773	12,300.74	12300742773	12,300.74
(ग) वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, कंपनी ने किसी शेयर पूंजी को न तो जारी किया है/न ही कम किया है। अतः इक्विटी शेयरों का मिलान अपेक्षित नहीं है।				
(घ) कंपनी ने केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं, जो शेयरधारकों की शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग राइट्स के साथ जारी किए गए हैं। इन वोटिंग अधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जा सकता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश लेने के भी हकदार हैं।				
(ङ) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
भारत के राष्ट्रपति	10623368758	86.36	10623368758	86.36
(च) 31.03.2013 के ठीक पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, कंपनी ने अनुबंध का अनुपालन करते हुए बिना नकदी के भुगतान के पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त के रूप में कोई इक्विटी शेयर आवंटित नहीं किया है/ किसी इक्विटी शेयर को वापिस नहीं खरीदा है।				

टिप्पणी सं 3 : आरक्षित तथा अधिशेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
सहायता अनुदान - आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	1207.10		1172.16	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	58.30		90.96	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	57.16		57.73	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	22.80		(1.71)	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		1,185.44		1,207.10
शेयर प्रीमियम खाता		2,868.74		2,868.74
बांड शोधन आरक्षित				
पिछले तुलन-पत्रक के अनुसार	414.63		299.75	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	249.17		129.13	
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	14.25		14.25	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		649.55		414.63
स्व बीमा निधि				
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	772.77		740.29	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	48.84		32.48	
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	(0.13)		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	0.92		-	
	820.82		772.77	
	7.29		4.64	
घटाएं : दावों के कारण समायोजन		813.53		768.13
तुलन-पत्रक की तारीख पर				
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आरक्षित				
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	-		-	
जोड़े : अधिशेष से अंतरित	23.50		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	-		-	
तुलन-पत्रक की तारीख पर		23.50		-
सामान्य आरक्षी		4,120.06		4,120.06
अधिशेष *		8,413.43		6,964.38
कुल		18,074.25		16,343.04
*अधिशेष				
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ		2,617.41		3,085.58
अग्रणीत शेष		6,964.38		5,028.52
अनुबंधी/संयुक्त उद्यम में धारिता के अनुपात में परिवर्तन के कारण अथ शेष में समायोजन		1.69		-
जोड़े:				
बांड विमाचन आरक्षी से पश्चलिखित राशि		14.25		14.25
स्व बीमा निधि से पश्चलिखित राशि		0.92		-

टिप्पणी सं 3 : आरक्षित तथा अधिशेष (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
लाभांश पर कर -पश्चलिखित	4.88	3.25
विनियोजन हेतु उपलब्ध शेष	9,603.53	8,131.60
बांड विमाचन आरक्षी को अंतरित	249.17	129.13
स्व बीमा निधि को अंतरित	48.84	32.48
सीएसआर आरक्षित को अंतरित	23.50	-
लाभांश		
-प्रस्तावित	738.04	861.05
-अंतिम	0.01	0.01
लाभांश पर कर		
-प्रस्तावित	130.54	144.55
अग्रणीत शेष	8,413.43	6,964.38

टिप्पणी स. 4 : दीर्घावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण	कुल ऋण	घटाएं - वर्तमान परिपक्वता	दीर्घावधि ऋण
बॉण्ड्स						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे क देखें)	4,907.28	57.00	4,850.28	3,608.00	57.00	3,551.00
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ख देखें)	4,616.32	378.54	4,237.78	3,963.75	320.56	3,643.19
-अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ग देखें)	2,226.54	184.54	2,042.00	2,586.73	180.83	2,405.90
• अन्य पार्टियों से						
-प्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे घ देखें)	6,744.12	838.93	5,905.19	7,583.05	838.93	6,744.12
-अप्रतिभूत (ब्योरे के लिए नीचे ड देखें)	1,845.99	75.34	1,770.65	1,640.69	72.28	1,568.41
	<u>20,340.25</u>	<u>1,534.35</u>	<u>18,805.90</u>	<u>19,382.22</u>	<u>1,469.60</u>	<u>17,912.62</u>
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि	2,403.72	259.88	2,143.84	2,828.98	253.11	2,575.87
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि	-	-	-	-	-	-
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि	-	-	-	-	-	-

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)

	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
(क). बॉण्ड (गैर-परिवर्तनशील तथा गैर-संचयी)-प्रतिभूत		
i) बॉण्ड - आर-3 श्रृंखला * 5		
(10,00,000/-+ रुपए प्रत्येक के 8.78 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है)	892.00	-
(11.2.2019 से 11.02.28 के बीच 89.20 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)		
ii) बॉण्ड - क्यू श्रृंखला * 6	1,266.00	1,266.00
(12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.25 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
(12.3.2016 से 12.03.2027 के बीच 105.50 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)		
iii) बॉण्ड - आर-2 श्रृंखला * 5	382.08	-
(12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.85 प्रतिशत 14 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है)		
(11.2.2016 से 11.02.2027 के बीच 31.84 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)		

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
iv) बॉण्ड - आर-1 श्रृंखला * 5 (12,00,000/- रुपए प्रत्येक के 8.70 प्रतिशत 13 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 12 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/12 है) (11.2.2015 से 11.02.26 के बीच 6.85 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)	82.20	-
v) बॉण्ड - पी श्रृंखला * 5, 7 और 10 (10,00,000/- रुपए प्रत्येक के 9.00 प्रतिशत 15 वर्षीय सुरक्षित विमोचन योग्य अपरिवर्तनीय बॉण्ड) (01.02.16 से 01.02.25 के बीच 200 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)	2,000.00	2,000.00
vi) बॉण्ड - ओ श्रृंखला * 2 (10,00,00,000/- रुपए प्रत्येक के 7.70 प्रतिशत 15 वर्षीय बॉण्ड जिनमें 10 पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग हैं और प्रत्येक पृथक अंतरणीय विमोचन योग्य मूलधन भाग बॉण्ड के अंकित मूल्य का 1/10 है) (31.03.2009 से 31.03.2018 के बीच 57 करोड़ रुपए का वार्षिक विमोचन)	285.00	342.00
कुल बॉण्ड (क)	4907.28	3608.00
(ख). सावधि ऋण -प्रतिभूत (बैंक)		
i) स्टेट बैंक आफ पटियाला *1 (31.03.2013 को 8.36 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए प्रत्येक की 8 छमाही किस्तों में 09.07.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	16.00	20.00
ii) केनरा बैंक *4	-	10.00
iii) केनरा बैंक *2	-	17.00
iv) केनरा बैंक *2 (6.86 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपए प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 09.11.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	100.00
v) सिंडिकेट बैंक *2 (7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 18.30 करोड़ रुपए प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 23.02.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	73.20	91.50
vi) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (7.207 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 20 करोड़ रुपए प्रत्येक की 4 समान वार्षिक किस्तों में 31.03.2017 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	100.00
vii) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स *2 (7.20 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर से 10 करोड़ रुपए प्रत्येक की 8 समान वार्षिक किस्तों में 27.12.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य)	80.00	90.00
viii) इंडियन बैंक *1 (31.03.2013 को 9.67 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 33.33 करोड़ रुपए एक किस्त में पुनर्भुगतान योग्य)	33.34	66.67
ix) इंडियन बैंक *4 और 9 (31.03.2013 को 11.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 29.09.2014 को 5वें वर्ष के बाद 75 करोड़ रुपए का एकबारगी पुनर्भुगतान)	75.00	75.00
x) यूको बैंक *8 (31.03.2013 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 41.67 करोड़ रुपए प्रत्येक की 23 छमाही किस्तों में 30.06.2024 तक पुनर्भुगतान योग्य)	958.33	1,000.00
xi) कारपोरेशन बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 06.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	500.00
xii) केनरा बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xiii) इंडियन ओवरसीज बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 16.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xiv) पंजाब एंड सिन्ध बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 4.17 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 17.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	200.00	150.00
xv) इंडसइंड बैंक *11 (31.03.2013 को 10.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.08 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 24.10.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	100.00	100.00
xvi) सिंडिकेट बैंक *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 6.25 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 02.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	300.00	150.00
xvii)यूनियन बैंक आफ इंडिया *11 (31.03.2013 को 10.25 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3.13 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 03.11.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)	150.00	150.00
xviii)स्टेट बैंक आफ इंडिया * 3 & 6 (31.03.2013 को 10.19 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 10.42 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)	500.00	-
xix) स्टेट बैंक आफ हैदराबाद * 2	100.00	-

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
(31.03.2013 को 10.20 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 2.08 करोड़ रुपए प्रत्येक की 48 तिमाही किस्तों में 28.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xx) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया * 13	202.80	218.40
(31.03.2013 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 15,60,00,000/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxi) देना बैंक * 13	171.72	184.93
(31.03.2013 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 13,20,95,000/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxii) देना बैंक * 13	154.79	166.04
(31.03.2013 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 11,25,00,000/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxiii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड * 13	242.16	260.78
(31.03.2013 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 18,62,75,000/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxiv) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड * 13	156.73	167.93
(31.03.2013 को 11.75 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 11,19,51,754/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
xxv) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया * 13	42.25	45.50
(31.03.2013 को 12.50 प्रतिशत की अस्थिर ब्याज दर पर 3,25,00,000/- रुपए प्रत्येक की 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण - बैंक (प्रतिभूत)	4,616.32	3,963.75
(ग). सावधि ऋण -अप्रतिभूत (बैंक)-विदेशी मुद्रा		
i) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-I*12	184.36	214.53
(31.03.2013 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 7.09 करोड़ रुपए प्रत्येक की 36 छमाही किस्तों में 20.12.2027 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-II*12	697.83	804.32
(31.03.2013 को 2.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 23.26 करोड़ रुपए प्रत्येक की 30 छमाही किस्तों में 20.01.2026 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन ट्रांचे-III*12	704.46	761.20
(31.03.2013 को 1.3 प्रतिशत की स्थिर ब्याज दर पर 18.95 करोड़ रुपए प्रत्येक की 41 छमाही किस्तों में 20.03.2014 से 20.03.2034 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
iv) डश बैंक और अन्य *12	639.89	806.68
(0.57 प्रतिशत छमाही जेपीवाई एलआईबीओआर + 0.57 प्रतिशत मार्जिन की अस्थिर ब्याज दर पर 53.32 करोड़ रुपए प्रत्येक की 12 छमाही किस्तों में 18.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
कुल सावधि ऋण -बैंक (अप्रतिभूत)	2,226.54	2,586.73
(घ) सावधि ऋण -अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)		
i) भारतीय जीवन बीमा निगम *5 तथा 7	1,666.67	1,875.00
100 करोड़ रुपए पर 9.25 प्रतिशत और 2400 करोड़ रुपए पर 8 प्रतिशत की ब्याज दर पर 104.17 करोड़ रुपए प्रत्येक की 16 छमाही किस्तों में 15.10.2020 तक पुनर्भुगतान योग्य।		
ii) भारतीय जीवन बीमा निगम *6	1,738.00	1,896.00
(9.118 प्रतिशत औसत ब्याज दर पर 79 करोड़ रुपए प्रत्येक की 22 समान छमाही किस्तों में 30.04.2012 से 31.10.2023 पुनर्भुगतान योग्य।)		
iii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	637.50	712.50
(31.03.2013 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 18.75 करोड़ रुपए प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
iv) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	102.30	120.90
(31.03.2013 को 9.91 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 4.65 करोड़ रुपए प्रत्येक की 22 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
v) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *8	59.50	66.50
(31.03.2013 को 9.90 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 1.75 करोड़ रुपए प्रत्येक की 34 समान तिमाही किस्तों में 15.07.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
vi) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *2&3	1,202.03	1,347.72
(31.03.2013 को 8.79 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 36.425 करोड़ रुपए प्रत्येक की 33 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2021 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
vii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1	258.12	299.43
(31.03.2013 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 10.325 करोड़ रुपए प्रत्येक की 25 समान तिमाही किस्तों में 15.04.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
viii) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *1	337.50	387.50
(31.03.2013 को 8.62 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 12.50 करोड़ रुपए प्रत्येक की 27 समान तिमाही किस्तों में 15.01.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
ix) पॉवर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड *14	742.50	877.50
(31.03.2013 को 10.80 प्रतिशत अस्थिर ब्याज दर पर 67,50,00,000 रुपए प्रत्येक की 20 समान छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घावधि ऋण (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विमोचन एवं पुनर्भुगतान का विवरण (प्रकटीकरण कुल ऋण हेतु नीचे दिया गया है)	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (प्रतिभूत)	6,744.12	7,583.05
(ड) सावधि ऋण अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)		
विदेशी मुद्रा		
i) एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा *12	177.18	242.25
(31.03.2013 को 6.01 प्रतिशत स्थिर ब्याज दर पर 37.67 करोड़ रुपये प्रत्येक की 2 समान वार्षिक किस्तों में 15.03.2014 तक और 25.46 करोड़ रुपये प्रत्येक की 04 समान छमाही किस्तों में 15.03.2016 तक पुनर्भुगतान योग्य।)		
केन्द्र सरकार से ऋण - अप्रतिभूत		
ii) नम्मो - बाजगो जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	270.00	270.00
(4 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 12वें वर्ष से 18 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
iii) चूटक जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	364.00	364.00
(2.50 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 6वें वर्ष अर्थात् 01.02.2019 से 15.17 करोड़ रुपए की 24 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
iv) किशनगंगा जल-विद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार से अधीनस्थ ऋण	1,034.81	764.44
(1 प्रतिशत वार्षिक स्थिर ब्याज दर पर परियोजना के चालू होने के बाद 11वें वर्ष से 10 समान वार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान योग्य। प्रोद्भूत ब्याज परियोजना के चालू होने के बाद वार्षिक आधार पर देय होगा।)		
कुल सावधि ऋण-अन्य पार्टियां (अप्रतिभूत)	1,845.99	1,640.69
समग्र योग (क + ख + ग + घ + ङ)	20,340.25	19,382.22

* प्रतिभूति का विवरण

- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कारपोरेशन के चमेरा पावर स्टेशन-II के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- मणिपुर राज्य में अवस्थित कंपनी के लोकतक पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्वती जल विद्युत परियोजना-II की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित। आर-1, आर-2 तथा आर-3 श्रृंखला के बॉण्ड हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित कम्पनी की तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना तथा सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता-V जल विद्युत परियोजनाओं की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित। भारतीय स्टेट बैंक के ऋण हेतु प्रतिभूति का सृजन प्रक्रियाधीन है और प्रभार अभी कंपनियों के पंजीयक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं हरियाणा के पास दायर किया जाना है।
- उत्तराखंड राज्य में अवस्थित कंपनी की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर सभी अचल और चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।
- जम्मू एवं कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के दुलहस्ती विद्युत स्टेशन के बही ऋण तथा भण्डारों को छोड़कर निगम की वर्तमान तथा भविष्य की चल परिसंपत्तियों को रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा संरक्षित।
- हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित कंपनी के बैरास्यूल पावर स्टेशन के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर उसकी परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना-III की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कंपनी के सलाल पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित सेवा-II पॉवर स्टेशन, जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित कम्पनी की चूटक जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की निम्मो-बाजगो जल विद्युत परियोजना, जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित कम्पनी की उड़ी जल विद्युत परियोजना और पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित टीएलडीपी-IV जल विद्युत परियोजना के बही ऋणों तथा भण्डारों को छोड़कर कम्पनी की सभी अचल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन रखकर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- उपरोक्त क्रमांक ग(i), ग(ii), ग(iii), ग(iv) और ङ(i) पर वर्णित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।
- इंदिरा सागर परियोजना की अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख को जमा करवा कर ऋणदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार सृजित करके और इसकी सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से संरक्षित।
- ओमकारेश्वर परियोजना की अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख को जमा करवा कर ऋणदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार सृजित करके और इसकी सभी वर्तमान तथा भविष्य की चल, स्थिर तथा वर्तमान परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार के माध्यम से संरक्षित।

टिप्पणी सं. 5 : स्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
स्थगित कर देयताएं		
i) मूल्य-हास	3679.78	3418.78
घटाएं : स्थगित कर परिसंपत्तियां		
i) संदिग्ध ऋणों, माल-सूची और अन्य के लिए प्रावधान	102.24	77.93
ii) कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	120.67	233.15
स्थगित कर देयता	3,456.87	3,107.70
घटाएं : वसूली योग्य	2,832.78	2,757.34
स्थगित कर देयता (निवल)	624.09	350.36

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 “आय पर कर” का अनुपालन करते हुए 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रुपये 349.17 करोड़ (पिछले वर्ष रुपये (-)4.85 करोड़) स्थगित कर देयता के रूप में सृजित किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
जमा/प्रतिधारण निधि	297.22	308.39
अग्रिम प्राप्त आय	1,379.92	1,432.71
विदेशी मुद्रा अंतर लेखे से स्थगित आय	149.96	331.88
कुल	1,827.10	2,072.98

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1190.64	108.53	1299.17	1043.33	84.81	1,128.14
वर्ष के दौरान वर्धन	44.55	121.22	165.77	181.59	151.07	332.66
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	518.22	184.82	703.04	-	123.40	123.40
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	0.67	-	0.67	34.28	3.95	38.23
अंतिम शेष	716.30	44.93	761.23	1190.64	108.53	1,299.17
ख) मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		31.16	31.16		733.71	733.71
वर्ष के दौरान वर्धन		5.67	5.67		39.83	39.83
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		2.05	2.05		580.74	580.74
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		6.09	6.09		43.67	43.67
सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि में अंतरित राशि		-	-		117.97	117.97
अंतिम शेष		28.69	28.69		31.16	31.16
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		28.69	28.69		24.91	24.91
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		-	-		6.25	6.25
ग) उत्पादकता सहयोजित वेतन/ प्रोत्साहन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		146.69	146.69		131.25	131.25
वर्ष के दौरान वर्धन		76.88	76.88		94.23	94.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		142.78	142.78		75.18	75.18
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		7.19	7.19		3.61	3.61
अंतिम शेष		73.60	73.60		146.69	146.69
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम		0.04	0.04		19.79	19.79
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)		73.56	73.56		126.90	126.90
घ) सेवा-निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		223.21	223.21		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		10.76	10.76		105.24	105.24
वेतन संशोधन हेतु प्रावधान से अंतरित राशि		-	-		117.97	117.97
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		169.17	169.17		-	-

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घवधि	अल्पावधि	कुल
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		46.89	46.89		-	-
अंतिम शेष		17.91	17.91		223.21	223.21
ड) अन्य						
i) कराधान हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1914.38	1914.38		1280.62	1,280.62
वर्ष के दौरान वर्धन		738.81	738.81		878.58	878.58
वर्ष के दौरान समायोजन		-	-		0.39	0.39
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		467.80	467.80		241.06	241.06
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		-	-		4.15	4.15
अंतिम शेष		2,185.39	2185.39		1914.38	1,914.38
ii) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		861.05	861.05		738.04	738.04
वर्ष के दौरान वर्धन		738.04	738.04		861.05	861.05
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		861.05	861.05		738.04	738.04
अंतिम शेष		738.04	738.04		861.05	861.05
iii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		149.23	149.23		126.10	126.10
वर्ष के दौरान वर्धन		135.44	135.44		149.23	149.23
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		144.35	144.35		122.85	122.85
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		4.88	4.88		3.25	3.25
अंतिम शेष		135.44	135.44		149.23	149.23
iv) प्रावधान - अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		397.87	397.87		689.71	689.71
वर्ष के दौरान वर्धन		48.81	48.81		101.28	101.28
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		17.47	17.47		44.76	44.76
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		24.59	24.59		348.36	348.36
अंतिम शेष		404.62	404.62		397.87	397.87
v) टैरिफ समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		34.60	34.60		-	-
वर्ष के दौरान वर्धन		57.03	57.03		34.60	34.60
अंतिम शेष		91.63	91.63		34.60	34.60
vi) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		16.26	16.26		8.80	8.80
वर्ष के दौरान वर्धन		3.25	3.25		16.13	16.13
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		11.47	11.47		8.67	8.67
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि		5.15	5.15		-	-
अंतिम शेष		2.89	2.89		16.26	16.26
vii) धारणीय विकास हेतु प्रावधान / अनुसंधान एवं विकास व्यय						
वर्ष के दौरान वर्धन		20.44	20.44		-	-
अंतिम शेष		20.44	20.44		-	-
viii) प्रतिबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	9.86	686.71	696.57	22.80	240.42	263.22
वर्ष के दौरान वर्धन	4.59	30.55	35.14	-	470.98	470.98
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	0.80	24.56	25.36	12.94	22.20	35.14
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	131.08	131.08	-	2.49	2.49
अंतिम शेष	13.65	561.62	575.27	9.86	686.71	696.57
कुल	729.95	4,276.47	5,006.42	1,200.50	4,524.99	5,725.49

टिप्पणी सं. 7 : प्रावधान (जारी)

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

- 1) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के अभाव में समाधान लंबित होने के चलते "कार्मिक समायोजन वेतन (फिटमेंट बेनिफिट)" के प्रति "मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत 5.67 करोड़ रुपए (संचित प्रावधान 28.69 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 28.69 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 24.91 करोड़ रुपए) की राशि अदा की गई है, जिसे "अग्रिम भुगतान" के रूप में दर्शाया गया है।
- 2) कर्मचारियों हेतु कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना (ईडीसीएसएस) 13.04.2012 को 01.01.2007 से पश्चगामी प्रभाव से लागू किया गया है। तदनुसार, 01.01.2007 से 31.03.2012 की अवधि से संबंधित कंपनी के अंशदान की 169.17 करोड़ रुपए (223.21 करोड़ रुपए के प्रारंभिक शेष में से) की राशि निधि का प्रबंधन करने के लिए बनाए गए न्यास को अदा की गई है और 46.89 करोड़ रुपए की राशि को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया था, जिसे पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताओं/प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है (टिप्पणी सं. 22 - अन्य आय)।
- 3) 'प्रावधान-अन्य' समूह के अंतर्गत प्रावधानों में से 39.23 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 14.19 करोड़ रुपए) की राशि प्रोटेस्ट के अंतर्गत जमा की गई थी और उसे टिप्पणी संख्या 14-जमा एवं अग्रिम में "जमा राशियां" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) धारणीय विकास/अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रावधान में, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन गतिविधियों के लिए बजट में निर्धारित लेकिन खर्च न की गई राशि के लिए प्रावधान किया गया है। अंतिम प्रावधान में धारणीय विकास व्यय के प्रति 3.35 करोड़ रुपए और अनुसंधान एवं विकास व्यय को प्रति 17.09 करोड़ रुपए शामिल है।

टिप्पणी सं. 8 : अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
अल्पावधि ऋण		
- बैंको से - प्रतिभूत	-	180.00
	-	180.00

टिप्पणी सं. 9 : व्यापार देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
वस्तुओं और सेवाओं हेतु	189.14	227.52
	189.14	227.52

व्याख्यात्मक टिप्पणी: -

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकता को टिप्पणी सं.30- लेख पर अन्य विवरणात्मक टिप्पणियों में दिया गया है।

टिप्पणी सं. 10 : अन्य चालू देयताएं

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (देखें टिप्पणी सं. 4)	1,534.35	1,469.60
ऋणों पर प्रोदभूत किंतु देय नहीं ब्याज	217.67	212.17
अग्रिम प्राप्त आय	50.17	46.72
आदा न किया गया लाभांश	3.92	2.43
पूर्जी कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	561.75	526.68
जमा/प्रतिधारण निधि	140.41	135.66
जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	0.04	0.04
सांविधिक देयताएं	243.55	245.91
अन्य देयताएं	192.41	172.63
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	318.02	255.99
घटाएं : जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	276.04	252.45
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य की लागत के प्रति अग्रिम	4,262.40	4,090.29
घटाएं : परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में व्यय की गई राशि	4,054.36	3,768.64
परियोजना प्रबंध/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	(3.97)	(4.02)
	4,050.39	3,768.64
	212.01	325.67
	3,198.26	3,141.05

टिप्पणी सं. 11.1 : गोचर परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

	परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक				मूल्य-हास				निवल ब्लाक	
		01.04.2012	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2012
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	225.73	4.02	0.06	-	229.69	-	-	-	229.69	225.73
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	334.20	7.33	-	(0.72)	340.81	20.79	10.82	(0.62)	30.99	313.41
iii)	सड़कें और पुल	379.18	4.63	0.27	(7.16)	376.38	87.19	13.79	(6.15)	94.83	291.99
iv)	भवन	2,499.06	234.14	4.86	(24.75)	2,703.59	696.30	86.14	(11.62)	770.82	1,802.76
v)	रेलवे साइडिंग्स	40.31	-	-	-	40.31	14.83	2.68	-	17.51	25.48
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	14,685.61	1,736.43	-	(126.58)	16,295.46	4,030.98	713.39	-	4,744.37	10,654.63
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	7,469.55	834.94	20.76	(29.28)	8,254.45	2,361.54	358.24	(2.16)	2,717.62	5,536.83
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	111.57	2.88	0.33	(0.10)	114.02	49.69	3.82	(0.08)	53.43	61.88
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	69.53	2.33	-	(0.08)	71.78	19.23	3.62	(0.11)	22.74	50.30
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	31.15	9.05	0.40	(0.06)	39.74	13.13	1.70	(0.15)	14.68	18.02
xi)	निर्माण उपकरण	81.83	18.46	0.91	(0.99)	98.39	58.64	4.41	(1.01)	62.04	23.19
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	39.08	1.19	0.02	(0.13)	40.12	5.89	1.43	(0.20)	7.12	33.19
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	3.90	0.65	0.02	-	4.53	1.38	0.21	(0.01)	1.58	2.52
xiv)	वाहन	28.38	2.77	0.83	(0.42)	29.90	20.17	0.82	(0.97)	20.02	9.88
xv)	विमान और नौकाएं	0.61	0.13	0.12	-	0.62	0.35	0.03	(0.11)	0.27	0.26
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	50.20	3.93	0.67	0.01	53.47	23.83	3.54	(0.73)	26.64	26.37
xvii)	कम्प्यूटर	64.89	4.69	7.26	(1.84)	60.48	51.18	5.36	(8.29)	48.25	13.71
xviii)	संचार उपकरण	14.16	0.79	0.43	(0.10)	14.42	6.08	0.75	(0.24)	6.59	7.83
xix)	कार्यालय उपकरण	43.49	4.06	0.50	(0.12)	46.93	18.57	2.82	(0.56)	20.83	24.92
xx)	अनुसंधान और विकास	1.41	1.14	-	-	2.55	0.38	0.09	-	0.47	1.03
xxi)	अन्य आस्तियां	49.33	6.13	0.49	(0.57)	54.40	20.79	2.81	(0.74)	22.86	28.54
xxii)	उन आस्तियों पर व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	47.24	13.81	-	-	61.05	21.20	2.15	-	23.35	26.04
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	18.29	1.45	0.78	(0.75)	18.21	18.28	1.32	(1.40)	18.20	0.01
xxiv)	अप्रचलित / अधिशेष आस्तियां	1.79	1.20	0.22	-	2.77	-	-	-	-	1.79
	कुल	26,290.49	2,896.15	38.93	(193.64)	28,954.07	7,540.42	1,219.94	(35.15)	8,725.21	20,228.86
	पिछले वर्ष	26,638.32	409.97	863.86	106.06	26,290.49	6,508.09	1,163.00	(130.67)	7,540.42	20,130.23

	परिसंपत्तियों की श्रेणी	सकल ब्लाक				मूल्य-हास				निवल ब्लाक	
		01.04.2012	संवर्द्धन	कमी	समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2012
i)	भूमि-अवर्गीकृत/ इस्तेमाल का अधिकार	3,964.06	113.21	131.18	-	3,946.09	532.77	105.61	0.07	638.45	3,431.29
ii)	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	38.50	1.26	0.20	(0.53)	39.03	37.24	1.30	(0.32)	38.22	1.26
	कुल	4,002.56	114.47	131.38	(0.53)	3,985.12	570.01	106.91	(0.25)	676.67	3,432.55
	पिछले वर्ष	2,970.39	1,032.24	0.07	-	4,002.56	369.98	119.05	80.98	570.01	2,600.41

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) 279.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2330.15 करोड़ रुपये) मूल्य की 2330.15 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 2418.31 हेक्टेयर) भूमि के संदर्भ में विलेख/अधिकार पत्र अभी निष्पादित/पारित किए जाने हैं। उनके पूंजीकरण से संबंधित स्टेम्य शुल्क आदि व्यय को घटित होने के बाद हिसाब में लिया जाएगा।
- 2) भूमि के अतर्गत सुबानसिरी-अपर परियोजना के लिए 1 रुपये प्रति वर्ष के नाममात्र किराये पर 99 वर्ष के लिए सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से पट्टे पर ली गई जमीन शामिल नहीं है।
- 3) गोचर परिसंपत्तियों में वर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित 9362.50 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7221.68 करोड़ रुपये) मूल्य के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं, जिन्हें संबद्ध शीर्ष के अतर्गत दर्शाया गया है।
- 4) सकल ब्लाक में समायोजन में विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन, परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभारित मूल्यहास हेतु परियोजना के पूंजीकरण के समय सकल ब्लाक में समायोजन, परिसंपत्तियों का अंतर-शीर्ष वर्गीकरण और गलत वर्गीकरण सुधार हेतु समायोजन शामिल है।
- 5) चूटक, चमेरा- I II तथा तीस्ता-V पावर स्टेशन के संशोधित लागत अनुमानों (आरसीई) का अनुमोदन लंबित होने के चलते, इन पावर स्टेशनों पर वास्तव में किए गए पूंजीगत व्यय को पूंजीकरण हेतु लिया गया है।
- 6) समायोजन में शामिल विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन निम्नानुसार है :-

परिसंपत्तियों की श्रेणी	2012-13 (करोड़ रुपये में)	2011-12 (करोड़ रुपये में)
सड़के और पुल	(1.52)	0.70
भवन	(13.71)	7.29
जल वैज्ञानिक कार्य	(125.89)	72.89
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	(28.98)	24.89
संयंत्र एवं मशीनरी सबस्टेशन	(0.15)	0.15
संयंत्र एवं मशीनरी ट्रांसमिशन लाइनें	-	0.07
संयंत्र एवं मशीनरी अन्य	0.02	0.04
जलापूर्ति प्रणाली/जल निकासी एवं सीवर प्रणाली	(0.06)	0.03
कुल	(170.29)	106.06

टिप्पणी सं. 12 : चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
i) सड़कें और पुल	78.50	8.21	(12.72)	4.51	69.48
ii) भवन	1,329.89	229.08	(27.13)	231.53	1,300.31
iii) रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रोमैकेनिकल गेट, सुरंग)	6,677.43	992.21	772.92	1,735.38	6,707.18
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	4,138.70	348.01	205.33	746.44	3,945.60
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	7.39	3.40	-	1.63	9.16
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	2.65	2.38	(0.23)	0.86	3.94
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	6.91	0.77	(0.17)	5.25	2.26
ix) निर्माण उपकरण	-	-	-	-	-
x) जलापूर्ति प्रणाली / नालियां और सीवर प्रणाली	0.98	2.79	(0.05)	1.18	2.54
xi) संस्थापना का इंतजार कर रही अन्य आस्तियां	11.61	54.29	(1.61)	61.62	2.67
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं	106.87	15.27	(4.54)	13.77	103.83
xiii) सीडब्ल्यूआईपी - भारत सरकार की 5 कि.मी. योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiv) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श और पर्यवेक्षण प्रभार	238.69	29.62	(11.46)	-	256.85
xv) प्रतिपूरक वनरोपण पर व्यय	0.63	0.01	-	-	0.64
xvi) निर्माण के दौरान खर्च	6,755.31	1,678.23	(945.01)	-	7,488.53
घटाएं : प्रावधानों के लिए	116.60	3.00	-	-	119.60
उप जोड़ (क)	19,238.96	3,361.27	(24.67)	2,802.17	19,773.39

* अवधि के दौरान संवर्धन के लिए टिप्पणी संख्या 29 देखें

		01.04.2012		समायोजन		31.03.2013	
निर्माण भंडार		162.91		27.20		190.11	
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान		3.20		(1.54)		1.66	
उप जोड़ (ख)		159.71		28.74		188.45	
समग्र जोड़		19,398.67	3,361.27	4.07	2,802.17	19,961.84	
पिछले वर्ष		16,008.37	3,953.60	(200.98)	362.32	19,398.67	

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) के अंतर्गत पूंजी की ऋण लागत के रूप में 925.06 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 760.63 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
- अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सुबानसिरी-अपर परियोजना स्वतंत्र बिजली उत्पादक (आईपीपी) को सौंपने में रुचि प्रदर्शित की है, जिस पर एनएचपीसी ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है। भारत सरकार के निर्णय की अभी प्रतीक्षा है और निर्णय के लंबित रहते 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान इस परियोजना पर 0.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.36 करोड़ रुपए) पूंजी व्यय के रूप में खर्च किए गए हैं जिसके लिए प्रचुर सावधानी के रूप में प्रावधान किया गया है, जो 31.03.2012 को पहले से किए गए 20.39 करोड़ रुपये के प्रावधान के अतिरिक्त है। पिछले वर्ष यह प्रावधान 20.04.2004 से 31.03.2012 तक इस परियोजना पर किए गए व्यय के लिए किया गया था। इस अवधि में परियोजना निलम्बन के अंतर्गत थी। प्रबंधन की राय है कि इसके लिए और प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि परियोजना पर हुए व्यय की वसूली सुनिश्चित है, क्योंकि विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र बिजली उत्पादक को सौंपी जाने वाली परियोजना के बारे में पहले से फार्मूला तय कर रखा है जिसके तहत आईपीपी को परियोजना हस्तांतरित होने की स्थिति में आईपीपी द्वारा खर्च की अदायगी की जाएगी। उक्त के मद्देनजर प्रबंधन का यह मत है कि और किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।
- सीडब्ल्यूआईपी में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अंतर्गत परियोजनाओं पर किया गया 781.26 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 677.93 करोड़ रुपये) का व्यय शामिल है। इस धन में से 20.77 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 122.80 करोड़ रुपये निवल (पिछले वर्ष 20.39 करोड़ रुपये के प्रावधान के संदर्भ में 106.02 करोड़ रुपये निवल) की राशि सुबानसिरी-अपर तथा कीरु और कवार जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है जिन्हें संयुक्त उद्यम/निजी विकासक को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। 637.69 करोड़ रुपये की बकाया राशि (पिछले वर्ष 551.52 करोड़ रुपये) कम्पनी की परियोजनाओं से संबद्ध है, जिसमें से उन परियोजनाओं के संदर्भ में, जिनके साथ अनिश्चितताएं जुड़ी हुई हैं, के लिए प्रचुर सावधानी के रूप में 84.16 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 81.55 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है। अन्य परियोजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण और अन्वेषण के बकाया 553.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 467.97 करोड़ रुपये) का प्रावधान जारी रखा गया है क्योंकि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की उपयुक्त निश्चितता बरकरार है।
- सियांग बेसिन, सुबानसिरी बेसिन और दिबांग बहुत उद्देश्यीय परियोजनाओं को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से वापस लिया गया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के साथ लेखा समाधान लंबित रहते इन परियोजनाओं पर कम्पनी द्वारा किए गए खर्च की सीमा तक परिसंपत्तियों एवं देयताओं को हिसाब में लिया गया है। सियांग लोवर और सियोम जल विद्युत परियोजनाएं (सियांग बेसिन में) और सुबानसिरी मिडल (सुबानसिरी बेसिन में) परियोजना निजी विकासक को सौंपी जा चुकी हैं और इन परियोजनाओं के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड के खातों के समाधान से उत्पन्न होने वाली देयता संबंध निजी विकासक से वसूल की जाएगी।

टिप्पणी सं. 12 : चालू पूंजीगत कार्य (जारी)

- पकल दुल, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाएं मेसर्स चेनाब वेली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड, जेकेएसपीडीसी तथा पीटीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) द्वारा निष्पादित की जानी है। पकलदुल परियोजना की परिसंपत्तियां तथा देयताएं वर्तमान वित्त वर्ष में उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी को अंतरित की जा चुकी हैं। कीरू तथा क्वार परियोजनाओं के संयुक्त उद्यम कम्पनी को सौंपे जाने का कार्य लंबित रहते 31.03.2013 तक कम्पनी द्वारा इन परियोजनाओं पर किए गए 99.87 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 83.06 करोड़ रुपये) के व्यय को चालू पूंजी कार्यों में शामिल किया गया है।
- निर्माण के दौरान व्यय में तिपाइमुख जल विद्युत परियोजना में किया गया 1.75 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है, जिसे मणिपुर सरकार और एसजेवीएन लिमिटेड की प्रतिभागिता के साथ एक प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।
- अवर्गिकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार वाली भूमि पर किए गए 3460.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3788.52 करोड़ रुपये) के व्यय वाले भूमिगत कार्यों को सीडब्ल्यूआईपी के संबद्ध शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय में समय के साथ संशोधन होते हैं क्योंकि जल विद्युत परियोजनाएं समय प्रधान होती हैं और कुछ में परिकल्पित से अधिक समय लगता है। जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होती है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होता है। ऐसे अनुमोदन के लंबित होने के चलते अवधि के दौरान वहन किए गए व्यय को चालू पूंजीगत कार्यों में अग्रणीत किया जाता है।

टिप्पणी सं. 13 : गैर वर्तमान निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
व्यापार उद्भूत		
- इक्विटी लिखत	12.00	12.00
व्यापार अनुद्भूत		
- इक्विटी लिखत	1.53	-
- 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त राज्य सरकारों के विशेष बॉण्ड	510.02	760.77
गैर-व्यापार उद्भूत		
- इक्विटी लिखत	0.36	0.36
- सरकारी प्रतिभूतियां	268.42	250.59
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ लोक वित्त संस्थान तथा कारपोरेट बॉण्ड	404.00	381.39
	1,196.33	1,405.11
विवरणात्मक टिप्पणी: -		
उद्भूत निवेश		
(i) समग्र लागत	684.78	644.34
(ii) समग्र बाजार मूल्य	755.22	701.01
अनुद्भूत निवेश		
(i) समग्र लागत	511.55	760.77
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान	-	-
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार		

टिप्पणी सं. 14 : ऋण एवं अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) पूंजी अग्रिम						
i) प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	3.87		3.87	89.98		89.98
ii) अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	613.08		613.08	720.63		720.63
- अन्य	159.95		159.95	169.01		169.01
घटाएं : उपयोग प्रमाण-पत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय हेतु प्रावधान	6.38		6.38	-		-
iii) अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	45.56		45.56	0.06		0.06
घटाएं :संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	45.56		45.56	0.06		0.06
ख) जमा राशियां						
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	52.42	39.88	92.30	34.73	41.85	76.58
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.51	0.51	-	0.51	0.51
घटाएं :संदिग्ध जमा राशियों के लिए प्रावधान	-	0.51	0.51	-	0.51	0.51

टिप्पणी सं. 14 : ऋण एवं अग्रिम (जारी)

(करोड़ रुपए में)

ग) अन्य ऋण और अग्रिम

i) कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	127.68	21.03	148.71	92.73	16.82	109.55
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	37.19	33.36	70.55	40.83	31.96	72.79
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	0.02	0.02	-	0.03	0.03
ii) संविदाकार/ आपूर्तिकार/ सेवा प्रदाता को अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		0.71	0.71	-	2.78	2.78
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले		15.26	15.26	-	23.43	23.43
- अन्य		12.39	12.39	-	19.23	19.23
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		0.48	0.48	-	0.32	0.32
iii) ग्राहक से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	63.41	38.04	101.45	88.77	25.36	114.13
iv) अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	225.00		225.00	225.00		225.00
v) अन्य अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		1.64	1.64	-	1.60	1.60
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		-	-	-	0.07	0.07
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों तथा अग्रिम हेतु प्रावधान	-	0.50	0.50	-	0.35	0.35
vi) अग्रिम आय कर तथा स्रोत पर कटौती किया गया कर		2,290.53	2,290.53	-	1,994.25	1,994.25
	1,276.22	2,452.84	3,729.06	1,461.68	2,157.35	3,619.03

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्योरा

वर्ष के अंत में बकाया राशि

ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक, निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

31 मार्च 2013 को

(करोड़ रुपए में)

0.05

31 मार्च 2012 को

(करोड़ रुपए में)

0.04

टिप्पणी सं. 15 : अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य	188.01	199.14
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज:		
- अरुणाचल प्रदेश सरकार को अग्रिम	144.83	114.30
- अन्य	6.35	0.18
विलंबित विदेशी मुद्रा उत्तार-चढ़ाव परिसंपत्तियां	789.35	1,067.28
विदेशी मुद्रा उत्तार-चढ़ाव खाते में विलंबित परिसम्पत्तियों पर व्यय	3.84	0.17
	1,132.38	1,381.07

टिप्पणी सं. 16 : चालू निवेश

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
व्यापार अनुद्भूत		
राज्य सरकारों के 8.50 प्रतिशत कर-मुक्त विशेष बॉण्ड	250.74	250.74
	250.74	250.74
व्याख्यात्मक टिप्पणी: -		
संचयी लागत	250.74	250.74
मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार		

टिप्पणी सं. 17 : मालसूची

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकित)		
भंडार तथा कलपुर्जे	81.81	68.37
परिवहन/निरीक्षण लंबित होने वाले भंडार	2.11	1.56
खुले औजार	1.88	1.77
रद्दी मालसूची	1.30	0.50
स्थल पर सामग्री	1.94	1.59
संविदाकारों/फैब्रिकेटर्स को जारी सामग्री	0.38	0.66
घटाएं : अप्रचलित तथा मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	25.20	24.85
	64.22	49.60

टिप्पणी सं. 18 : व्यापार प्राप्य

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	473.72	257.02
- अप्रतिभूत - संदिग्ध समझे गए	43.70	192.38
अन्य व्यापार प्राप्य		
- अप्रतिभूत - अच्छे समझे गए	1,766.33	1,990.07
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	43.70	192.38
	2,240.05	2,247.09

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- कम्पनी के निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति को देय अथवा प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कम्पनियों, जिनमें कम्पनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय ऋणों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

टिप्पणी सं. 19 : नकदी एवं बैंक शेष

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क नकदी एवं नकदी समकक्ष		
हस्तगत नकदी (रु. 0.005 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.009 करोड़) के स्टैमप शामिल हैं।)	0.36	0.31
हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	0.27	0.06
बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में - स्व बीमा निधि	0.46	-
- चालू खाते में - अन्य	291.79	135.48
- जमा खाते में - # अन्य	952.21	885.00
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
बैंक ऑफ भूटान, फ्यून्शोलिंग	0.07	0.63
# तीन महीने या कम की परिपक्वता के साथ जमा		
ख अन्य बैंकों में शेष		
बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में - स्व बीमा निधि	45.80	10.28
- आईपीओ प्राप्तियां	1,089.34	1,522.00
- अन्य	5,324.08	4,684.65
जमा खाता- अदा न किया लाभांश	3.92	2.43
12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में शेष		
- सावधि जमा-आईपीओ प्राप्तियां में से इस्तेमाल न की गई निधि	-	250.00
- सावधि जमा - अन्य	268.16	271.48
- सावधि जमा- स्व बीमा निधि	-	33.00
	7,976.46	7,795.32

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- 1) वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2013 तक 2897.65 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1089.34 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।
- 2) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 1.47 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.13 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा बैंकों के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट अथवा ऐसी ही अन्य सुविधा खोलने के लिए मार्जिन राशि के रूप में रखे गए हैं और जो कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- 3) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 361.37 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 466.87 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो कम्पनी द्वारा अन्य एजेंसियों की ओर से निष्पादित किए जा रहे ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए निर्धारित हैं और कम्पनी के व्यापार के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
- 4) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 10.48 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) शामिल हैं, जो ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि हेतु भूमि के प्रति भू-वंचितों द्वारा किए गए जमा को दर्शाते हैं और जो कम्पनी के व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- 5) नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 7.80 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेशानुसार बैंकों में रखे गए हैं और जो कम्पनी के व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 20 : अन्य चालू आस्तियां

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क) निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज:		
उपभोक्ताओं से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	37.28	32.97
जमा राशियां		
- आईपीओ	70.68	152.91
- स्व-बीमा	20.14	16.04
- अन्य जमा राशियां	245.17	206.90
अन्य	35.73	19.60
ख) बिल न किए गए राजस्व खाते में प्राप्तियां	1,269.38	1,218.41
ग) संयुक्त उद्यमों से प्राप्य	-	-
घ) लाभार्थियों से प्राप्य ब्याज	335.72	84.35
ङ) प्राप्य दावे	453.24	360.83
घटाएं : सदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	260.00	200.39
च) निर्माण कार्य प्रगति पर (ग्राहकों की ओर से)	19.62	17.74
छ) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	37.06	20.75
घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	37.06	37.06
ज) बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षा/जांच लंबित होने वाली हानियां	9.31	37.06
घटाएं : लंबित जांच वाली / बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी की प्रतीक्षित हानियों के लिए प्रावधान	9.31	12.62
	2,247.71	1,959.41

स्पष्टीकरण टिप्पणी: -

- 1) ग्राहकों के बकाया का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के अंतर्गत रु. 32.97 करोड़ (पिछले वर्ष 32.97 करोड़ रुपये) मैसर्स दिल्ली ट्रांसको को किए जाने वाले भुगतान से संबंधित हैं। इसके समान राशि अन्य देयताओं के अंतर्गत टिप्पणी-10 में (अन्य चालू देयताओं) दर्शायी गई है क्योंकि मैसर्स दिल्ली ट्रांसको को प्रोत्साहनों के भुगतान के मुद्दे का अभी समाधान नहीं हुआ है।
- 2) बिल न किए गए राजस्व के खाते में प्राप्यों के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :- i) आरओई में बढ़ोतरी का अंतर 5.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष रु. 430.46 करोड़) ii) जम्मू कश्मीर जल उपकर रु. 908.81 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 691.73 करोड़) iii) आरएलडीसी प्रभार शून्य रुपए (पिछले वर्ष रु. 33.05 करोड़) iv) कर समायोजन (-) रु. 22.10 करोड़ (पिछले वर्ष (-) रु. 29.74 करोड़) v) एमईए बिक्री रु. 5.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4.65 करोड़) vi) अन्य रु. 371.19 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 88.26 करोड़)।

टिप्पणी सं. 21 : प्रचालन से राजस्व

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क बिक्री		
ऊर्जा की बिक्री	6,487.40	6,927.40
घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अन्तर हेतु समायोजन	118.10	88.26
घटाएं : टैरिफ समायोजन	57.03	34.60
घटाएं : विनियमित बिक्री समायोजन	195.82	57.38
घटाएं : बिजली उत्पादन से आय-कमीशनिंग पूर्व (नोट सं.29 एच (क) देखें)	37.58	-
उप-जोड़ क	6,078.87	6,747.16
ख मूल्यहास के प्रति अग्रिम - वर्ष के दौरान पश्चलिखित	50.17	28.13
ग अन्य प्रचालनशील आय		
लाभग्राही राज्यों से ब्याज (टैरिफ का संशोधन)	156.77	297.76
उप-जोड़ ग	156.77	297.76
घ संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	65.05	73.81
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	51.22	71.23
उप-जोड़ घ	116.27	145.04
कुल योग (क)+(ख)+(ग)+(घ)	6,402.08	7,218.09

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- बिक्री का निर्धारण केन्द्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम शुल्क दरों के अनुसार किया गया है, सिवाय तीस्ता-V, चमेरा-III, चूटक पावर स्टेशन और ओमकारेश्वर परियोजना के मामले में जहां बिक्री को अनंतिम टैरिफ के आधार पर मान्यता प्रदान की गई है।
- बिक्री के अंतर्गत रु 92.01 करोड़ (पिछले वर्ष 467.28 करोड़ रुपए) पिछले वर्ष की बिक्री के रूप में शामिल है, जिन्हें चालू वर्ष के टैरिफ को अंतिम रूप देते समय शामिल किया गया।
- कुछ लाभार्थियों द्वारा शुल्क अदा न किए जाने के कारण, उन्हें आवंटित विद्युत के अंश के संदर्भ में सीईआरसी विनियम संख्या एल-1/42/2010-सीईआरसी दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष के दौरान विद्युत विनियमित की गई और तदनुसूचित बिक्री में विनियमित विद्युत के संदर्भ में 339.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 84.12 करोड़ रुपए) शामिल है, जो पावर एक्सचेंज के जरिए नीलामी के माध्यम से बेची गई। उक्त विनियम में यह प्रावधान भी है कि इस तरह विनियमित बिजली बेचे जाने और तत्संबंधी बिक्री पर हुए खर्च को समायोजित करने के बाद जो लाभ अर्जित हो उसे उन लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए जिनकी विद्युत विनियमित की गई हो। तदनुसार, 195.82 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 57.38 करोड़ रुपए) उन लाभार्थियों के बकाया देयों में समायोजित किए गए हैं।
- बिक्री में रु 848.54 करोड़ (पिछले वर्ष रु 1284.20 करोड़) शामिल है, जिसकी बिलिंग अभी की जानी है।
- दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान है कि पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ का निर्धारण चालू टैरिफ अवधि के अंत में उसकी पूंजीगत लागत की सत्यता पर निर्भर करेगा, जिससे टैरिफ घट या बढ़ सकता है। तदनुसार, टैरिफ में कमी को ध्यान में रखते हुए प्रचुर सावधानी के तौर पर 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री समायोजित करते हुए बहियों में रु 52.63 करोड़ (पिछले वर्ष रु 34.60 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) की अधिसूचना संख्या एल-7/145/(160)/ 2000-सीईआरसी दिनांक 19.01.2009 के तहत जारी टैरिफ विनियम के विनियम संख्या 39 के संदर्भ में 31 मार्च 2009 तक की अवधि के लिए देय स्थगित कर देयता, चाहे वह कभी भी संभव हो, सीधे लाभार्थियों और दीर्घावधि ग्राहकों से वसूल की जायेगी। तदनुसार, चालू वर्ष की बिक्री में रु 85.24 (पिछले वर्ष रु 67.41 करोड़) स्थगित कर के रूप में शामिल हैं, जो वसूल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 22 : अन्य आय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क गैर-वर्तमान निवेश से आय		
व्यापार		
- लाभान्श-अन्य	1.80	1.80
- ब्याज सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए 8.5% कर मुक्त बॉण्ड)	80.65	102.09
गैर-व्यापार		
- लाभान्श-अन्य - म्यूचुल फंड्स	0.16	0.18
- ब्याज - (स्व बीमा निधि)	56.05	50.49

टिप्पणी सं. 22 : अन्य आय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

ख	अन्य		
	ब्याज		
	- ग्राहकों से देयों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	9.16	11.32
	- अरुणाचल प्रदेश सरकार को ऋण	30.54	28.09
	- जमा खाता-स्व बीमा निधि - इंडियन बैंक	4.86	7.26
	जमा खाता - स्व बीमा निधि से इतर - इंडियन बैंक	713.31	606.81
	- कर्मचारी ऋण तथा अग्रिम	10.52	6.76
	- अन्य	121.11	115.45
	विलंब भुगतान अधिभार	75.11	22.21
	स्व उत्पादित वीईआर की बिक्री से आय	3.03	-
	म्यूचुअल फंड्स की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	0.02
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.51	8.38
	देयताएं/प्रावधान जिनके पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है	222.66	97.97
	अन्य	38.90	83.16
	विनिमय दर अंतर	18.45	9.97
	कुल	1,386.82	1,151.96
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	136.80	170.33
	घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	34.87	41.00
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,215.15	940.63

स्पष्टीकरण टिप्पणी :-

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 05/02/2013 के पत्र सं.6/1/2007-वित्त (खंड 8) के माध्यम से मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (तत्कालीन डेसू) से संबंधित 120.81 करोड़ रुपए की राशि के पुराने बकाया देयों तथा साथ में 240.01 करोड़ रुपए ब्याज के भुगतान हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान बहियों में सृजित किए गए 120.81 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान को वर्ष के दौरान वापिस कर दिया गया है जिसे पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयता/प्रावधान में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त बकाया राशि पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यथा अनुमोदित 240.01 करोड़ रुपए के ब्याज को भी वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में अपवादात्मक मद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। उक्त राशियों को शीघ्र ही प्राप्त किए जाने की संभावना है।

- प्रावधान/देयताओं का ब्योरा जिनके लिए पश्च लेखन की आवश्यकता नहीं है

खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	148.69	1.79
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान	0.02	-
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	1.12	1.56
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	0.21	4.22
मजदूरी संशोधन हेतु प्रावधान	6.09	43.67
प्रतिबद्ध पूंजी खर्च हेतु प्रावधान	-	2.49
उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	5.52	0.03
लंबित जांच हानियों के लिए प्रावधान	7.19	3.61
अधिवर्षिता/ पेंशन निधि के लिए प्रावधान	46.89	-
अन्य	6.93	40.60
कुल	222.66	97.97

टिप्पणी सं. 23 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क		
उत्पादन व्यय		
जल उपयोग प्रभार	592.44	552.70
ख		
भंडार एवं कलपुर्जों की खपत	28.88	13.14
ग		
संविदा, परियोजना प्रबंधन तथा परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	28.50	15.92

टिप्पणी सं. 23 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए		31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	
घ मरम्मत तथा अनुरक्षण				
- भवन	40.38		31.38	
- मशीनरी	51.78		52.81	
- अन्य	58.56	150.72	51.38	135.57
ङ प्रशासनिक व्यय				
किराया		44.06		41.72
दरें और कर		10.47		2.99
बीमा		53.28		48.69
स्व: बीमा निधि का उपयोग		0.92		-
सुरक्षा व्यय		135.30		115.27
विद्युत प्रभार		47.17		41.01
यात्रा एवं वाहन		21.04		20.13
वाहनों पर खर्च		9.72		9.32
टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकटें		10.99		11.10
विज्ञापन एवं प्रचार		8.49		8.40
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च		0.56		0.88
दान		2.50		7.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		6.65		5.70
पुस्तकें व पत्रिकाएं		0.38		0.35
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी		8.04		6.00
परामर्शी प्रभार - विदेशी		0.05		0.04
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण सुधार पर खर्च		29.04		6.33
निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		6.56		23.91
परिसंम्पत्तियों की बिक्री पर हानि		0.91		0.79
बट्टे खाते डाली गयी परिसंम्पत्तियां/दावें		0.36		0.44
पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज		0.65		0.35
लाभग्राही राज्यों को ब्याज		14.34		5.19
ग्राहकों को छूट		25.35		40.67
कारपोरेट सामाजिक दायित्व/ धारणीय विकास/ सामुदायिक विकास व्यय		19.14		21.04
स्व उत्पादित वीईआरएस पर व्यय		1.25		-
अन्य सामान्य खर्च		72.87		68.96
विनिमय दर अंतर		20.02		22.45
लेखा परीक्षा खर्च (विवरण नीचे देखें)		1.79		1.55
निदेशक खर्च		0.29		0.12
अनुसंधान एवं विकास व्यय		15.97		0.05
विनियमित बिजली पर व्यय	20.20		4.96	
घटाएं : विनियमित बिजली पर वसूली योग्य व्यय	20.20	-	4.96	-
उप-जोड़		1,368.70		1,227.78
च प्रावधान				
खराब तथा संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		-		0.40
खराब तथा संदिग्ध अग्रिम/जमा हेतु प्रावधान		45.79		0.50
खराब तथा संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान		60.27		147.27
भण्डार तथा कलपुर्जों के मूल्य में कमी		1.42		1.20
परियोजना व्यय हेतु प्रावधान		3.00		81.89
अचल परिसंपत्तियों/भंडार हेतु प्रावधान मुद्देया करवाया गया		0.79		3.33
उप-जोड़		111.27		234.59
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि		302.35		318.38
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली		0.01		0.06
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		1,177.61		1,143.93

टिप्पणी सं. 23 : उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

स्पष्टीकरण टिप्पणी:-

- 1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (आपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथि गृहों तथा ट्रांजिट कैम्प्स के संदर्भ में लीज भुगतान को किराये के रूप में दर्शाया गया है।
- 2) कंपनी द्वारा सीईआरसी की दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संतुलन के लिए दायर आवेदन के संबंध में सीईआरसी द्वारा संशोधन आदेश के लंबित होने के चलते, 31.03.2013 को समाप्त वर्ष हेतु बहियों में लाभग्राही राज्यों के प्रति ब्याज के लिए 14.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.15 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है जिसे उक्त संशोधन आदेश के परिणामस्वरूप टैरिफ में कमी के मामले में अदा किया जाना पड़ सकता है।
- 3) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

i) सांविधिक लेखा-परीक्षक	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
लेखा-परीक्षक के रूप में				
लेखा-परीक्षा शुल्क	0.51		0.45	
कर लेखा-परीक्षा शुल्क	0.16	0.67	0.13	0.58
अन्य क्षमता में				
अन्य मामले/ सेवाएं	0.46	0.46	0.42	0.42
खर्चों की अदायगी		0.53		0.46
ii) लागत लेखा परीक्षक				
लेखा-परीक्षा शुल्क		0.12		0.08
खर्चों की अदायगी		0.01		0.01
		1.79		1.55

टिप्पणी सं. 24 : कर्मचारी लाभ व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	1,213.37	1,191.10
उपदान, भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	195.75	307.49
कर्मचारी कल्याण व्यय	117.69	126.18
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	0.01	0.12
कुल	1,526.82	1,624.89
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	574.59	647.82
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	0.71	1.89
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	951.52	975.18

स्पष्टीकरण टिप्पणी: -

- 1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किये जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत 38.81 करोड़ रुपये (विवत वर्ष 33.26 करोड़ रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान विशुद्ध वसूलियों, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।
- 2) उपदान, भविष्य निधि और पेंशन योजना में अंशदान में निम्नलिखित अंशदान शामिल है :

	31.03.2013 के अनुसार	31.03.2012 के अनुसार
(i) कर्मचारी भविष्य निधि के प्रति	72.42	84.30
(ii) कर्मचारी निर्धारित योगदान अधिवर्षिता योजना	70.23	96.43
	142.65	180.73

टिप्पणी सं. 25 : वित्त लागत

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नलिखित पर ब्याज :		
बॉण्ड	339.93	217.23
विदेशी मुद्रा ऋण	54.22	59.61
सावधि ऋण	1,087.78	1,019.42
अन्य ब्याज प्रभार	1.96	-
उप-जोड़	1,483.89	1,296.26

टिप्पणी सं. 25 : वित्त लागत (जारी)

(करोड़ रुपए में)

ख)	अन्य ऋण लागत			
	बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.86	0.93	
	प्रतिबद्धता शुल्क	2.56	0.06	
	विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	33.95	32.22	
	अन्य वित्त प्रभार	6.81	3.93	
	उप-जोड़	44.18	37.14	
ग)	विदेशी मुद्रा लेन-देन और स्थानांतरण पर लागू निवल लाभ/हानि			
	ब्याज लागत में समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अंतर	10.52	277.47	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	(10.52)	(277.47)	
		उप-जोड़	-	-
		कुल योग	1,528.07	1,333.40
	घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	931.86	764.67	
	लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	596.21	568.73	

टिप्पणी सं. : 26 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान मूल्यहास तथा परिशोधन	1,326.85	1,282.05
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर के कारण मूल्यहास समायोजन	(15.24)	(23.53)
कुल	1,311.61	1,258.52
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय	41.34	49.68
घटाएं : सहायता-अनुदान को अंतरित (बट्टेखाते में डाला गया अनुदान) (देखें टिप्पणी सं.3)	57.16	57.73
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल	1,213.11	1,151.11

टिप्पणी सं. : 27 पूर्वावधि व्यय (निवल)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	22.24
जोड़ : मूल्यहास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	(0.83)	-
देनदारों से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	(0.03)
अन्य	17.04	(29.81)
उप-जोड़	16.21	(7.60)
व्यय		
वेतन तथा मजदूरी	2.16	47.25
मरम्मत तथा अनुरक्षण	(0.51)	0.21
मूल्यहास तथा परिशोधन	(3.13)	2.08
अन्य	16.07	0.63
उप-जोड़	14.59	50.17
कुल	(1.62)	57.77
घटाएं - ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय	2.43	17.71
पूर्वावधि व्यय	(0.04)	(2.69)
घटाएं - पूर्वावधि आय	(4.09)	37.37
कुल	(4.09)	37.37
लाभ एवं हानि लेखा को ले जाया गया कुल		

टिप्पणी सं. : 28 कर व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	738.75	866.07
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन	9.80	8.60
आस्थगित कर देयता/ (परिसंपत्ति)	349.17	(4.85)
घटाएं : वसूली योग्य	75.44	(77.85)
	273.73	73.00
	1,022.28	947.67

टिप्पणी सं. 29 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	265.82	314.44
उपदान और भविष्य निधि तथा पेंशन योजना के लिए अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	43.89	77.10
स्टाफ कल्याण व्यय	16.01	31.69
अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	0.11	0.12
उप-जोड़	325.83	423.35
ख मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	6.61	6.29
मशीनरी	1.14	0.98
अन्य	13.22	16.02
उप-जोड़	20.97	23.29
ग प्रशासन तथा अन्य व्यय		
किराया	16.92	17.87
दरें और कर	8.40	0.64
बीमा	0.32	0.37
सुरक्षा व्यय	29.40	28.62
विद्युत प्रभार	6.32	5.78
यात्रा एवं वाहन	5.09	4.27
वाहनों पर व्यय	3.49	3.36
टेलीफोन, टैलेक्स तथा डाक	2.95	3.48
विज्ञापन एवं प्रचार	0.91	0.61
मनोरंजन तथा आतिथ्य व्यय	0.01	-
मुद्रण एवं स्टेशनरी	1.06	1.02
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	0.03	0.03
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		
- स्वदेशी	3.34	1.70
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र/पर्यावरण सुधार पर खर्च	31.23	5.98
कंपनी के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	5.44	22.17
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.03	0.06
विनिमय दर अन्तर ऋण	16.26	17.53
अन्य सामान्य व्यय	15.21	14.28
उप-जोड़	146.41	127.77

टिप्पणी सं. 29 : वर्ष हेतु निर्माण के दौरान व्यय (जारी)

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
घ वित्त लागत		
निम्नलिखित पर ब्याज :		
बॉण्ड	275.22	186.39
सावधि ऋण	649.84	574.24
बॉण्ड निर्गम/ सेवा व्यय	0.69	0.77
प्रतिबद्धता शुल्क	2.48	-
अन्य वित्त प्रभार	3.60	3.23
उप-जोड़	931.83	764.63
ङ प्रावधान	105.72	141.16
उप-जोड़	105.72	141.16
च मूल्यहास और परिशोधन व्यय	35.21	43.07
उप-जोड़	35.21	43.07
छ पूर्वावधि मदें		
पूर्वावधि व्यय	2.16	8.30
घटाएं - पूर्व अवधि आय	(0.04)	(2.69)
उप-जोड़	2.20	10.99
ज घटाएं प्राप्तियां और वसूलियां		
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	37.58	-
ख) अन्य	88.23	111.17
ऋण तथा अग्रिमों पर ब्याज	5.56	8.04
विविध प्राप्तियां	0.00	-
विनिमय दर अन्तर (क्रेडिट)	12.71	8.00
पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाली देयताएं/ प्रावधान	18.85	26.54
संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार	0.51	1.76
उप-जोड़	163.44	155.51
झ निगमित कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	(10.94)	(14.82)
उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	29.10	26.16
कर्मचारी लाभ व्यय	248.76	224.47
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	6.13	6.61
वित्त लागत	0.03	0.04
प्रावधान	0.15	-
पूर्वावधि मदें (निवल)	0.27	9.41
उप-जोड़	273.50	251.87
कुल (क+ख+ग+घ+ ङ+च+ छ+ज+झ)	1,678.23	1,630.62

टिप्पणी संख्या - 30 : अन्य व्याख्यात्मक लेखा टिप्पणियां - समेकित

- समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) में एनएचपीसी लिमिटेड, इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों में इसके हितों के वित्तीय विवरण शामिल हैं।
- क) लेखांकन के आधार :
 - समेकन में अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण कंपनी की सूचित तिथि के अनुसार ही तैयार किए गए हैं।
 - समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित समेकित वित्तीय विवरणों के लेखांकन मानक-21 और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम में हित को कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक-27 'संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग' के अनुरूप सूचित किया गया है।
- ख) समेकन के सिद्धांत :
 - कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण को अंतर-समूह शेषों, अंतर-समूह कारोबार तथा वसूल न किए गए लाभ या हानियों को हटाने के पश्चात परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसे मदों के बही मूल्य को साथ जोड़ कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर मिलाया गया है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यमों में कंपनी का हित शामिल है, जिसे लेखांकन तथा रिपोर्टिंग की अनुपातिक समेकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है जिसमें किसी संयुक्त रूप से नियंत्रित निकाय की परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय प्रत्येक में कंपनी के अंश को एक पृथक लाइन मद माना जाता है।
 - समेकित वित्तीय विवरणों को समान कारोबार और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं हेतु समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है।
- समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम कंपनियां निम्नानुसार हैं :

कंपनी का नाम	अधिनिगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात
अनुषंगी कंपनियां :		
एनएचडीसी लिमिटेड	भारत	51 प्रतिशत
लोकतक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड (एलडीएचसी लि.)	भारत	74 प्रतिशत
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड*	भारत	82 प्रतिशत
संयुक्त उद्यम कंपनियां		
नेशनल हाई पॉवर टेस्ट लेबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	भारत	20 प्रतिशत
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	भारत	16.67 प्रतिशत

* कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। वर्तमान वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने उक्त निकाय में अपने अनुपातिक अंश के प्रति 77.55 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा 31.03.2013 के अनुसार अपने अनुपातिक अंश का योगदान अभी देना है। यह उक्त निकाय में एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता में 49 प्रतिशत से 82 प्रतिशत की वृद्धि में परिणत हुआ है। अभी तक, उक्त संयुक्त उद्यम निकाय को समूह के समेकित वित्तीय विवरण के प्रयोजन हेतु इसकी अनुषंगी माना गया है।

- क) निम्नलिखित को आकस्मिक देयताएं :- (करोड़ रुपए में)

विवरण	अथ शेष 01/04/2012 को (रुपए)	अंतिम शेष 31/03/2013 को (रुपए)
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
- पूंजीगत कार्य	7846.18	10575.38
- भूमि मुआवजा मामले	1313.17	1248.39
- अन्य		
- विवादित आयकर मांग	10.63	24.93
- विवादित बिक्री कर मांग	264.01	277.27
- विवादित सेवा कर मांग	29.22	29.22
- अन्य	116.32	128.56
कुल	9579.53	12283.75

- ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- ग) पूंजी कार्य संबंधी आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर एवं मात्रात्मक विचलन के बारे में संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार संबंधी लागत और निर्माण कार्य रोके जाने/निर्माण स्थल सौंपे जाने में देरी के कारण व्यर्थ प्रभार आदि शामिल हैं। इस तरह के दावों से कंपनी को जूझना पड़ रहा है क्योंकि संबंध अनुबंधों के प्रावधानों के अंतर्गत वे स्वीकार्य नहीं हैं अथवा ऐसे दावे पंचाट न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। उक्त में संविदाकारों के ऐसे दावों भी शामिल हैं जो प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर संवीक्षा के अधीन हैं किंतु उनका पूर्णता प्राप्त करना अभी बाकी है।
- घ) पूंजीगत कार्य'' शीर्ष के अंतर्गत आकस्मिक देयता 444.39 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 459.64 करोड़ रुपये) है, जो कंपनी के विरुद्ध दिए गए पंचाट निर्णयों के कारण पैदा हुई है। इन फैसलों को विधि अदालत में चुनौती दिए जाने को देखते हुए बाह्य-प्रवाह होने की संभावना नहीं है।
- ङ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- च) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में कंपनी को 40.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 45.17 करोड़ रुपये) की भरपायी होने की संभावना है।
- छ) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 22.31 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10.06 करोड़ रुपये) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों में दिखाया गया है।
5. पूंजी खाते में निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधान न किए गए बकाया अनुबंधों की अनुमानित राशि 4138.35 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 5445.36 करोड़ रुपये) है।
6. चमेरा-III पावर स्टेशन को चालू करने के पश्चात पहाड़ी ढलानों में कुछ सीपेज देखी गई है जिससे निकटवर्ती गांव के स्थानीय निवासियों के घर तथा खेत प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित भूमि के अधिग्रहण का एक प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है जिसके लिए मुआवजा 8.40 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसके अतिरिक्त, सीपेज को ठीक करने की लागत का अभी पता लगाया जाना है।
7. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं, जिनकी कुल राशि 177.81 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 241.16 करोड़ रुपये) है, जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति में शामिल किया गया है।
8. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं। वसूली योग्य दावों के अन्तर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
9. वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में प्रभावित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी ने यह विचार भी रखा है कि ऐसे व्यय के पूंजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा जारी दर विनियमित इक्विटी संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी और लेखांकन मानक-10 में सीमित संशोधन के सूचना मसौदे से होता है। ईएसी से आगे कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने, एएस-10 में सीमित संशोधन की अधिसूचना और दर विनियमित निकाय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी पर अमल की घोषणा के रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।
- उपरोक्त को देखते हुए ऐसी परिसंपत्तियों के सृजन/निर्माण पर 37.71 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 26.04 करोड़ रुपये) (डब्ल्यूडीवी) और 103.83 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 106.87 करोड़ रुपये) क्रमशः मूल आस्तियों (टिप्पणी संख्या 11.1) और चालू पूंजी कार्य (टिप्पणी संख्या 12) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त ईडीसी के पूंजीकरण पर मार्गदर्शी नोट को वापस लिए जाने के पश्चात व्यय की गई 123.25 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 117.81 करोड़ रुपये) की राशि भी चालू पूंजीगत कार्य (टिप्पणी सं. 12) के अंतर्गत निर्माण के दौरान व्यय में दर्शाई गई है।
10. सुबानसीरी लोअर परियोजना के स्थल पर निर्माण क्रियाकलाप 16.12.2011 से बांध-विरोधी प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण बाधित है, तथापि, महत्वपूर्ण तकनीकी तथा प्रशासनिक कार्य जारी है। अभी तक परियोजना को सीधे आरोप्य ऋण लागत सहित प्रशासन तथा अन्य सामान्य ओवरहेड को पूंजीकृत किया जाना जारी है। स्थल पर निर्माण क्रियाकलापों को शीघ्र ही पुनः प्रारंभ किया जाना प्रत्याशित है क्योंकि मामले का भारत सरकार के स्तर पर अनुवर्तन किया जा रहा है।

11. 31.03.2013 को समाप्त वर्ष दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों को प्रारंभ/संशोधित/समाप्त किया गया :

नीति सं.	विवरण	वर्ष हेतु लाभ पर प्रभाव
नीति सं. 10.2	परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं/लागत जमा संविदाओं से राजस्व संबंधी नीति में बेहतर प्रकटीकरण के लिए शाब्दिक संशोधन किया गया है।	शून्य
तत्कालीन नीति सं. 11.2	नीति को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में कंपनी के किसी विद्युत स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत का सीधा उपयोग अनावश्यक हो चुका है।	शून्य
नीति सं. 14	व्यवहार को नीति में परिवर्तित करने के लिए परिसंपत्तियों की क्षति पर नई नीति को प्रारंभ किया गया है।	शून्य

12. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित निर्माण संविदाओं पर लेखांकन मानक-7 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :-

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	31/03/2013	31/03/2012
1.	सूचित तिथि तक प्रगतिपर संविदाओं पर वहन की गई लागत और मान्यता प्रदान किए गए लाभों (घटा मान्यता प्रदान की गई हानि) की संचित राशि	3685.34	3479.92
2.	प्राप्त अग्रिमों की राशि	3170.01	2947.33
3.	प्रतिधारण की राशि	शून्य	शून्य
4.	परिसंपत्ति के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	3685.34	3479.92
5.	देयता के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	शून्य	शून्य

13. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रुपए में)

		31.03.13 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.12 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(i)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(1.98)	2.95
(ii)	मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	10.52	277.47
(iii)	निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	3.55	9.53
(iv)	चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	(0.09)	(0.14)
(v)	अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	(170.29)	106.06

14. 31.03.2013 को स्व बीमा निधि के निवेश की स्थिति इस प्रकार है :-

तुलन-पत्रक की अनुसूची	निवेश/जमा राशि का विवरण	राशि (करोड़ रुपए में)
टिप्पणी संख्या 13	(i) केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	268.42
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	381.39
	(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड-कर मुक्त	22.61
टिप्पणी संख्या 19	(i) जमा खाता-दीर्घावधि	45.80
	(ii) चालू खाता	0.46
टिप्पणी संख्या 20	प्रादभूत ब्याज (कर उपरान्त निवल)	20.14
कुल		738.82

31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के अंत में स्व बीमा निधि की कुल आय 48.84 करोड़ रुपये (करों के बाद निवल) है, जिसे स्व बीमा निधि में क्रेडिट किया गया है।

15. लेखांकन मानक (एएस) 15 के संदर्भ में अपेक्षित प्रकटीकरण :

विभिन्न निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण नीचे दिया गया है :

निर्धारित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक न्यास में जमा कराती है, जो धन का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। निधि में अंशदान को सम्बद्ध अवधि के लिए व्यय माना जाता है और उसे लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का यह दायित्व है वह इस निधि में अंशदान करे और उसके सदस्यों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करे।

ख. सामाजिक सुरक्षा योजना

अनुकंपा नियुक्ति के स्थान पर एनएचपीसी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो इस शर्त के अधीन है कि पेंशन योजना लागू होने के बाद इस योजना को वापस ले लिया जायेगा। तथापि, योजना को जारी रखे जाने का प्रस्ताव प्रबंधन के विचाराधीन है। योजना के अनुसार कर्मचारी एक निर्धारित दर पर मासिक अंशदान देते हैं। कंपनी भी प्रति माह प्रति कर्मचारी एक समान अंशदान करती है और यह अंशदान 8 वर्ष तक किया जाता है ताकि योजना के लागू होने की तिथि अर्थात् 01.06.2007 से एक निधि को बनाया जा सके। कारपोरेशन के कर्मचारी की मृत्यु होने या स्थायी रूप से पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देखरेख एवं सहायता के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है।

ग. कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी में कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक कर्मचारी निर्धारित अंशदान अधिवर्षिता योजना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 5 प्रतिशत की दर से अंशदान देता है। कंपनी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के 30 प्रतिशत की दर से निकाली गई राशि में से भविष्य निधि, उपदान न्यास तथा आरईएचएस को अंशदान के प्रति नियोक्ता के अंशदान को घटाने के पश्चात् उपलब्ध होने वाले शेष का अंशदान देती है। इस योजना का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

घ. उपदान

कम्पनी की एक निर्धारित लाभ उपदान योजना है। पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, अक्षमता या मृत्यु पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए उपदान के रूप में 15 दिन का वेतन (15/26x अंतिम आहरित मूल वेतन+महंगाई भत्ता) पाने का हकदार है, जिसकी अधिकतम सीमा 0.10 करोड़ रुपये है। इस योजना का प्रबंधन संबंधित प्रयोजन हेतु बनाए गए एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है और कंपनी का दायित्व न्यास को बीमांकिक मूल्य के आधार पर अंशदान देना है।

ङ. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ और अर्ध-वेतन अवकाश प्रदान करती है, जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन के होते हैं। अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिवस की है। तथापि, अधिवर्षिता पर अर्जित अवकाश के 300 दिवस की अधिकतम सीमा में कोई कमी लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार विनियमित की जाएगी। तत्संबंधी देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है।

च. सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना(आरईएचएस)

कंपनी की एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके जीवन-साथी (पति/पत्नी) को कंपनी के अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा तक बहिरंग रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

छ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

कंपनी के नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी की तैनाती के स्थान से किसी अन्य स्थान तक, जहां वह सेवानिवृत्ति के बाद बसना चाहता/चाहती हो, स्थानांतरण (शिफ्टिंग) का वास्तविक खर्च अदा किया जाता है, मृतक कर्मचारी का परिवार भी यह सुविधा प्राप्त कर सकता है।

ज. सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए स्मृतिचिन्ह :

कंपनी की नीति है कि वह सेवानिवृत्ति की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए 5000 रुपये मूल्य तक का स्मृतिचिन्ह भेंट करती है।

उपरोक्त योजनाएं क, ख, ग और घ वित्त-पोषित हैं और शेष गैर-वित्तपोषित हैं।

31.03.2013 को विभिन्न निर्धारित लाभों का सारांश नीचे दिया गया है:-

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु दर तालिका	एलआईसी (1994-96)	एलआईसी (1994-96) यथा संशोधित
छूट दर	8.00%	8.50%
भविष्य की वेतनवृद्धि	6.0%	6.0%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	568.40 {512.76}	383.82 {303.22}	325.28 {256.16}
ब्याज लागत	45.48 {43.59}	30.71 {25.77}	26.02 {21.77}
वर्तमान सेवा लागत	24.47 {22.88}	16.65 {18.02}	8.90 {6.85}
अदा किया गया लाभ	(49.46) {(73.93)}	(140.18) {(39.04)}	(4.69) {(8.61)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.55 {63.10}	70.00 {75.85}	28.31 {49.11}
वर्ष के अंत में पीवीओ	604.44 {568.40}	361.00 {383.82}	383.82 {325.28}

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरूमें पीवीओ	604.44 {568.40}	361.00 {303.22}	383.82 {325.28}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	618.41 {-}	- {-}	- {-}
निधिक स्थिति	13.97 {(568.40)}	(361.00) {(303.22)}	(383.82) {(325.28)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकितलाभ/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यताप्राप्त निवल देयता/परिसंपत्ति (-)	(-)13.97 {568.40}	361.00 {303.22}	383.82 {325.28}

तालिका-4 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	24.47 {22.88}	16.65 {18.02}	8.90 {6.85}
ब्याज लागत	45.48 {43.59}	30.71 {25.77}	21.77 {21.77}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यताप्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	15.55 {63.10}	70.00 {75.85}	49.11 {49.11}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यताप्राप्त व्यय	85.50 {129.57}	117.36 {119.64}	77.73 {77.73}

नोट : [] पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2013 को क्रमशः 4.94 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 4.89 करोड़ रुपये और 3.15 करोड़ रुपये) है।

एनएचपीसी लिमिटेड हेतु :

तालिका 1: निम्नलिखित तिथि को बीमांकिक मूल्यांकन हेतु प्रमुख बीमांकिक मान्यता :

विवरण	31.03.2013	31.03.2012
मृत्यु दर तालिका	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (1994-96)	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (1994-96) (संशोधित) अंतिम तालिका
छूट दर	8.00%	8.50%
पारिश्रमिक स्तर की दर में वृद्धि	6.00%	6.00%

तालिका-2 दायित्व के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरु में पीवीओ	4.64 {4.61}	6.85 {5.68}	2.13 {1.60}
ब्याज लागत	0.37 {0.37}	0.55 {0.47}	0.17 {0.13}
वर्तमान सेवा लागत	0.79 {0.63}	0.72 {1.33}	0.27 {0.26}
अदा किया गया लाभ	(0.15) {(0.11)}	(3.89) {(0.35)}	(0.01) {(0.01)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.97 {(0.86)}	1.65 {(0.28)}	(0.32) {0.15}
वर्ष के अंत में पीवीओ	6.62 {4.64}	5.88 {6.85}	2.24 {2.13}

तालिका-3 तुलन-पत्र में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्ष के शुरु में पीवीओ	6.62 {4.64}	5.88 {6.85}	2.24 {2.13}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	4.81 {-}	- {-}	- {-}
निधिका स्थिति	(1.81) {(4.64)}	(5.88) {(6.85)}	(2.24) {(2.13)}
अमान्यताप्राप्त बीमांकित (लाभ)/हानि	- {-}	- {-}	- {-}
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/परिसंपत्ति	1.81 {4.64}	5.88 {6.85}	2.24 {2.13}

तालिका-4 : लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी खाते में ली गई राशि

(करोड़ रुपए में)

विवरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना
वर्तमान सेवा लागत	0.79 {0.63}	0.72 {1.33}	0.27 {0.26}
ब्याज लागत	0.37 {0.37}	0.55 {0.47}	0.17 {0.13}
योजना परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	- {-}	- {-}	- {-}
वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.97 {(0.86)}	1.65 {(0.28)}	(0.32) {0.15}
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय	2.02 {0.14}	2.93 {1.52}	0.12 {0.54}

नोट : [] पिछले वर्ष के आंकड़े निहित हैं।

सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2013 को क्रमशः 0.26 करोड़ रुपये और 0.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 0.28 करोड़ रुपये और 0.01 करोड़ रुपये) है।

16. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।

(ख) कंपनी के सभी पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं, इसलिए कंपनी का एक ही भौगोलिक खंड है।

17. कंपनी लेखांकन मानक नियम, 2006 द्वारा अधिसूचित संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :

क) संबंधित पार्टी

(i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां

नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड

(ii) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री जी.साइ प्रसाद	संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। 24.07.2012 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
श्री ए.बी.एल.श्रीवास्तव	निदेशक (वित्त), 23.07.2012 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार।
श्री डी.पी. भार्गव	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे के शर्मा	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री आर एस मीना	निदेशक (कार्मिक)
श्री के.एम.सिंह	एनएचडीसी लिमिटेड में मुख्य कार्यपालक निदेशक
श्री राजेश अग्रवाल	एनएचडीसी लिमिटेड में निदेशक
श्री राजीव कुमार गुप्ता	एनएचडीसी लिमिटेड में निदेशक
श्री कंवर सिंह	एलडीएचसी लिमिटेड में निदेशक
श्री विजय कुमार	एलडीएचसी लिमिटेड में निदेशक

महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों को वर्ष के दौरान पारिश्रमिक 3.01 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1.32 करोड़ रुपये) है जिसमें विद्यमान तथा सेवानिवृत्त निदेशकों को 1.59 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है।

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टी के साथ किया गया कारोबार-शून्य।

18. प्रति शेयर अर्जन :-

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रूपए में)	2617.41	3085.58
साम्य के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	12300742773	12300742773
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत तथा कम किया गया	2.13	2.51
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

19. (क) संयुक्त उद्यमों में हित :

कंपनी का नाम	निम्नांकित तारीख को स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2013	31.03.2012
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी (प्रा) लिमिटेड	20%	25%
नेशनल पावर एक्सचेंज लिमिटेड	16.67%	16.67%
चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड*	49%*	49%

* कंपनी एनएचपीसी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) और पीटीसी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उद्यम निकाय है जिसमें इक्विटी भागीदारी 49:49:02 है। वर्तमान वर्ष के दौरान एनएचपीसी ने उक्त निकाय में अपने अनुपातिक अंश के प्रति 77.55 करोड़ रूपए का योगदान दिया है, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा 31.03.2013 के अनुसार अपने अनुपातिक अंश का योगदान अभी देना है। यह उक्त निकाय में एनएचपीसी की अनुपातिक धारिता में 49 प्रतिशत से 82 प्रतिशत की वृद्धि में परिणत हुआ है। अभी तक, 31.03.2013 तक उक्त निकाय को एनएचपीसी का संयुक्त उद्यम मानने के बजाए इसकी अनुषंगी माना गया है। तदनुसार, उक्त निकाय के संबंध में प्रकटीकरणों को नीचे 19(ख) में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त संयुक्त उद्यम निकाय भारत में संस्थापित है। परीक्षित लेखों के आधार पर 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं में कंपनी की हिस्सेदारी तथा 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संयुक्त उद्यमों के संदर्भ में आय और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रूपए में)

		31.03.2013 को	31.03.2012 को
क	परिसंपत्तियां	14.94	15.09
ख	देयताएं	0.92	0.15
ग	आकस्मिक देयताएं	0.01	0.01
घ	पूंजी प्रतिबद्धताएं	49.97	7.48
ङ	विदेशी मुद्रा में व्यय	0.14	-
		वर्ष 2012-13 हेतु	वर्ष 2011-12 हेतु
च	आय	0.12	0.12
छ	व्यय	0.41	0.36

20. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क)* सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य :		
i) पूंजीगत वस्तुएं	17.43	53.65
ii) कलपुजे	1.74	0.21
ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय		
i) ज्ञान	(0.57)	4.84
ii) ब्याज	53.36	58.49
iii) अन्य विविध मामले	108.64	48.08
ग)* प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य		
i) आयातित	2.51(8.69%)	0.18(1.37%)
ii) देशीय	26.37(91.31%)	12.96(98.63%)
घ)* विदेशी मुद्रा में अर्जन		
i) ब्याज	-	-
ii) अन्य	3.03	-

* प्रोदभवन आधार।

22. प्रमाणित उत्सर्जन कमी (वीईआर) से संबंधित प्रकटीकरण :-

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	निवेश के रूप में धारित वीईआर की संख्या और मूल्यांकन का आधार	शून्य
2.	प्रमाणीकरण के अधीन वीईआर की संख्या	शून्य
3.	वर्ष के दौरान व्यय की गई उत्सर्जन कमी उपकरण का मूल्यहास और प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत (करोड़ रुपए में)	शून्य
4.	31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान बिक्री किए गए वीईआर की संख्या और उनका तत्संबंधी मूल्य	3.03 करोड़ रुपए हेतु बिक्री की गई 10.90 लाख यूनिट

23. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं -

(करोड़ रुपए में)

(i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में चुकाई न गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज	शून्य
(iii)	सेवाओं की डिलीवरी/प्रदाय की तिथि से 15 दिन अथवा सहमत समय से अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि	शून्य
(iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय, किन्तु अदा न किया गया ब्याज।	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

24. प्रारम्भिक शेष/पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी. पी. भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए. बी. एल. श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

स्थान :- नई दिल्ली
दिनांक :- 28.05.2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

	(करोड़ रूपए में)	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
क. प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें	3922.88	4351.26
जोड़ें :		
मूल्यहास (पूर्वावधि सहित)	1224.70	1176.51
पश्च लेखन किए गए मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम	-	19.03
अदा किया गया ब्याज	596.21	569.77
बट्टे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियां	0.14	0.29
बट्टे खाते में डाले गए भंडार	0.03	0.09
प्रावधान	0.18	93.42
बट्टे खाते में डाले गए ऋण/दावे	6.13	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.91	0.79
टैरिफ समायोजन	56.60	34.60
विनिमय दर अंतर	8.54	264.42
	1893.45	2158.92
घटाएं :		
पश्चलिखित मूल्यहास के विरुद्ध अग्रिम	49.34	47.16
परिसंपत्तियों/परियोजना की बिक्री पर लाभ	0.51	77.24
पश्चलेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान और देयताएं	192.87	68.04
आस्थगित ईआरवी	(92.34)	212.73
लाभांश आय	1.96	1.98
ब्याज आय	894.12	777.86
	846.99	973.91
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	4769.87	5325.17
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(15.81)	(12.23)
व्यापार प्राप्त्य में (वृद्धि)/कमी	(23.20)	(1899.28)
अन्य आस्थियों ऋण/अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(414.03)	651.41
व्यापार तथा अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी	(697.63)	218.01
	(1150.67)	(1042.09)
कर से पूर्व प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	3619.20	4283.08
घटाएं - कर	773.55	904.63
प्रचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	2845.65	3378.45
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	(2398.94)	(3297.88)
अचल परिसंपत्तियों का क्रय और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय सहित)	0.01	0.01
निवेश में कमी/(वृद्धि)	172.81	206.06
ब्याज आय	894.58	777.86
प्राप्त लाभांश	1.97	1.98
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	(1329.56)	(2311.97)
ग. वित्त-पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी को जारी किए जाने से प्राप्त होने वाली प्राप्ति	62.50	-
आवंटन लंबित होने पर शेयर आवेदन राशि	2.07	(24.24)
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	(1034.22)	(900.15)
ऋणों से प्राप्तियां	2526.65	3433.44
ऋणों का पुनर्भुगतान	(1408.80)	(1206.16)

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र के साथ संलग्न समेकित नकदी प्रवाह विवरण

	(करोड़ रुपए में)	
	31 मार्च 2013	31 मार्च 2012
एसएसपी तथा सिंचाई घटक के प्रति मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां	39.28	12.31
ब्याज तथा वित्तीय प्रभार	(1531.97)	(1337.65)
वित्त-पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	(1344.49)	(22.45)
नकदी तथा नकदी-तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	171.59	1044.03
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य	7795.32	6751.29
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी तथा नकदी तुल्य के प्रति समायोजन	9.55	-
वर्ष के प्रारम्भ में समायोजित नकदी तथा नकदी तुल्य	7804.87	6751.29
वर्ष के अंत में नकदी तथा नकदी तुल्य	7976.46	7795.32

10.65 करोड़ रुपए को वर्तमान वर्ष के प्रारम्भिक नकदी तथा नकदी तुल्य में समायोजित किया गया है जो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के कारण है और 1.10 करोड़ रुपए वर्तमान वर्ष के दौरान नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) में शेयरधारिता में परिवर्तन होकर 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत होने के कारण है।

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

- नकदी तथा नकदी-तुल्यों में हस्तगत नकदी, हस्तगत बैंक/ड्राफ्ट और बैंक शेष, जिसमें निवेश किस्म की जमा राशियों को छोड़ कर विभिन्न अवधियों की अल्पावधि जमा राशियां शामिल हैं, आते हैं। तुलन-पत्र की टिप्पणी सं.19 के अनुसार नकदी तथा नकदी तुल्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

नकदी तथा नकदी-तुल्य	1,245.16	1,021.48
अन्य बैंक शेष *	6,731.30	6,773.84
	7,976.46	7,795.32

* अन्य बैंक शेष में निम्नलिखित शामिल है, कम्पनी के व्यापार के लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं हैं :-

अदा न किए गए लाभांश के कारण 3.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.43 करोड़ रुपए)

7.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.48 करोड़ रुपए) जो माननीय अदालत के आदेशों के अनुसार बैंक में रखे गए हैं।

1.22 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) जो लेटर ऑफ क्रेडिट या समान सुविधा को खोलने हेतु बैंकों के पास मार्जिन राशि के रूप में रखे गए हैं

10.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) जो ओमकारेश्वर परियोजना के संबंध में भूमि के प्रति भू-वंचितों से जमा के रूप में प्राप्त हुए हैं

- निर्माण के दौरान व्यय (ईडीसी) में वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई ऋण लागत के प्रति 925.06 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 760.63 करोड़ रुपए) की राशि शामिल नहीं है।

- 31.3.2013 को आहरित न किए गए ऋण की राशि 2245.63 करोड़ रुपए है।

- वित्त वर्ष 2009-10 में किए गए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के जरिए 6038.55 करोड़ रुपये की प्राप्ति में से 2012.85 करोड़ रुपये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय को दिए गए और 4025.70 करोड़ रुपये कम्पनी के पास रहे। 4025.70 करोड़ रुपये में से 31.03.2013 तक 2897.65 करोड़ रुपये पूंजी व्यय की भरपाई के लिए इस्तेमाल किए गए, जो परियोजनाओं पर विभागीय प्राप्तियों से पहले ही खर्च किए जा चुके थे। कम्पनी की प्रचलित निवेश नीति के अनुसार शेष 1089.34 करोड़ रुपये बैंक जमा के रूप में निवेश किए गए हैं और 38.71 करोड़ रुपये आईपीओ पर किए गए व्यय की भरपाई के लिए दिए गए।

- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ-कहीं आवश्यक थी, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

विजय गुप्ता
कंपनी सचिव

डी पी भार्गव
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन 01277269

ए बी एल श्रीवास्तव
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 01601682

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. एन. नन्दा एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 000685एन
(सीए एस.एन.नन्दा)
भागीदार
सदस्यता सं.-005909

कृते सिंधी एण्ड कंपनी
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 302049ई
(सीए प्रदीप कुमार सिंधी)
भागीदार
सदस्यता सं.-050773

कृते बवेजा एंड कौल
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 005834एन
(सीए दलीप के.कौल)
भागीदार
सदस्यता सं.-083066

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
(सनदी लेखाकार)
एफआर न. 002870एन
(सीए कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्यता सं.-085415

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 28.05.2013

एनएचपीसी लिमिटेड

अनुषंगिक कंपनी

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

एनएचडीसी लिमिटेड

आपके निदेशकों को आपकी कंपनी की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षित लेख के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की सकल आय 133819 लाख रुपये रही जो इससे पहले साल के मुकाबले 7.74 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व के घटने का मुख्य कारण उत्पादन में कमी होना पिछले वर्ष की बकाया बिक्री की कम राशि का कुछ अन्य बढ़ोतरी समायोजित हो जाना है। वित्तीय परिणामों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

1. वित्तीय विशिष्टताएं:

(लाख रुपयों में)		
व्योरा	2012-13	2011-12
प्रचालन से राजस्व	109545	129132
अन्य आय	24274	15919
कुल राजस्व	133819	145051
उत्पादन और अन्य खर्च {पिछली अवधि की मदों समेत (शुद्ध)}	14227	11504
मूल्यहास और परिशोधन से वित्त लागत और कर पूर्व लाभ	119592	133547
मूल्यहास और परिशोधन	24418	25755
मूल्यहास और परिशोधन के बाद तथा वित्त लागत और कर से पहले लाभ	95174	107792
वित्त लागत	21083	23063
मूल्यहास और परिशोधन और वित्त लागत के बाद किंतु कर पूर्व लाभ	74091	84729
कर	16527	20039
कर के बाद लाभ	57564	64690
लाभ और हानि का अग्रेनीत अधिशेष	190845	132998
विनियोजनके उपलब्ध शेष	248409	197688
घटाएं - विनियोजन:		
प्रस्तावित लाभांश	5888	5888
प्रस्तावित लाभांश पर कर	1001	955
अग्रेणीत शेष (टिप्पणी 2 का भाग - रिजर्व और अधिशेष)	241520	190845

जहां कहीं लागू हो, वहां पिछले साल के आंकड़े पुनर्गठित किये गये हैं।

2. राजस्व वसूली:

वित्त वर्ष 2012-13 में नकदी राजस्व वसूली 114065 लाख रुपये दर्ज की गयी, जिसमें इंदिरा सागर विद्युत परियोजना और ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना के सुरक्षित पुराने बकाया के लिए किस्त के जरिए वसूल किए गये 13416 लाख रुपये भी शामिल हैं।

3. विद्युत उत्पादन:

एनएचडीसी की दो विद्युत परियोजनाओं, यानी आईपीएस और ओएसपी ने वित्त वर्ष 2012-13 में कुल 4160.50 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया।

4. लाभांश:

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 57564 लाख रुपये के शुद्ध लाभ को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने कंपनी के प्रत्येक शेयर पर 30 रुपये की दर से 5888 लाख रुपये का लाभांश चालू साल में देने की सिफारिश की है (जिसमें लागू लाभांश कर शामिल नहीं है)। यह लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

5. पूंजी ढांचा:

वर्ष के दौरान कंपनी के पूंजी ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्रदत्त पूंजी 196258 लाख रुपये रही।

6. निर्माण कार्यों में प्रगति:

इंदिरा सागर परियोजना(आईएसपी)

इंदिरा सागर विद्युत परियोजना (8x125 मेगावाट) एक बहु-उद्देश्यीय परियोजना है और 12.22 अरब घनमीटर की सकल भंडारण क्षमता वाले भारत के सबसे बड़ी जलाशय के साथ नर्मदा बेसिन की कई निचली परियोजनाओं की जन्मदायिनी परियोजना है। परियोजना की संस्थापित क्षमता 1000 मेगावाट की है जिसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरणों को क्रमशः 1980 मिलियन यूनिट, 1095 मिलियन यूनिट और 876 मिलियन यूनिट वार्षिक क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वर्ष 2012 के मानसून के मौसम में जलाशय का स्तर 260.00 मीटर तक सीमित रखने की सीमा हटा दी गयी और इसे पूर्ण जलाशय स्तर तक भरने की इजाजत दे दी गयी। इससे वित्त वर्ष 2012-13 में पूर्ण जलाशय स्तर यानी 262.13 मीटर प्राप्त कर लिया गया।

वित्त वर्ष 2012-13 में इंदिरा सागर विद्युत परियोजना से 2896.47 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ जबकि लक्ष्य 2340 मिलियन यूनिट का था। साल के दौरान संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) 90.15 प्रतिशत प्राप्त हुआ जबकि उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत लक्ष्य 87 प्रतिशत का होता है।

इंदिरा सागर परियोजना से छोड़े गये पानी का उपयोग धारा के निचली ओर बनी ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी):

ओंकारेश्वर परियोजना (8x65 मेगावाट) इंदिरा सागर परियोजना के डाउनस्ट्रीम की जल प्रपाती श्रृंखला की पहली परियोजना है। इसकी संस्थापित क्षमता 520 मेगावाट है और इसे सालाना 1166 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार से जलाशय को 196.60 मीटर की ऊंचाई के पूर्ण स्तर तक पानी भरने की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। इस समय जलाशय का स्तर 189 मीटर तक रखा जा रहा है। तदनुसार इसकी 520 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के अनुरूप 400 मेगावाट की सर्वोच्च क्षमता से उत्पादन किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2012-13 में ओंकारेश्वर परियोजना से विद्युत उत्पादन 1264.03 मिलियन यूनिट रहा जबकि लक्ष्य 1020 मिलियन यूनिट का था। उत्कृष्ट श्रेणी के लिए निर्धारित 93.00 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 97.26 प्रतिशत का संयंत्र उपलब्धता कारक प्राप्त किया गया है।

7. समझौता ज्ञापन के तहत निष्पादन मूल्यांकन:

आपकी कंपनी एनएचपीसी और मध्य प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी को हर साल होल्डिंग कंपनी यानी एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर दस्तखत करने होते हैं (जिसे भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है)। वर्ष 2011-12 में आपकी कंपनी की प्रगति के आधार पर भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग ने समझौता ज्ञापन के आधार पर कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कर इसे वर्ष 2011-12 के लिए "उत्कृष्ट" पाया।

8. कार्यविस्तार के प्रयास:

रेवा ताप विद्युत परियोजना (आरटीपीपी 2x660 मेगावाट)

खंडवा जिले में रेवा ताप विद्युत परियोजना (2x660 मेगावाट) के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ 20 जून, 2009 को समझौता-ज्ञापन पर दस्तखत करने के बाद कोयले की व्यवस्था की प्रतीक्षा की जा रही है। कंपनी ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के 31 दिसम्बर 2012 के नोटिस के उत्तर में कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए भी आवेदन किया है। लेकिन परियोजना को कोयला ब्लॉक के आबंटन में प्राथमिकता नहीं मिल सकी है और कोयले का इंतजाम होना अब भी बाकी है।

नवीकरणीय विद्युत:

आपकी कंपनी मध्य प्रदेश में गैर-पारंपारिक विद्युत स्रोतों, जैसे पवनऊर्जा और सौरऊर्जा के विकास संभावनाओं का पता लगाने के लिए स्थानों का पहचान कर रही है। लेकिन कंपनी ने कैपिटल उद्देश्य के लिए इंदिरा सागर परियोजना में 20 किलोवाट और ओंकारेश्वर परियोजना में 15 किलोवाट क्षमता के सौर पीवी संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ अपने कारपोरेट कार्यालय में 20 किलोवाट क्षमता का संयंत्र लगाने का कार्य पहले से कार्य कर रही है।

अन्य गतिविधियां:

ऊपरी नर्मदा बेसिन में प्रस्तावित बहुउद्देश्यीय लघु और मझोली परियोजनाओं से बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे पर मध्य प्रदेश सरकार की अंतिम सहमति अभी मिलना बाकी है (समझौता ज्ञापन विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है)।

9. सतर्कता गतिविधियां:

आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग प्रबंधन की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों में विभिन्न प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों पर अमल सुनिश्चित करने के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि समूची व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता आये। संगठन तथा भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग से जारी सभी परिपत्रों/दिशानिर्देशों को नियमित रूप से कंपनी के विभागाध्यक्षों और परियोजनाध्यक्षों में परिचालित किया जा रहा है।

इसके अलावा निवारणात्मक उपायों के तौर पर परियोजनाओं और कारपोरेट कार्यालय में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं, नियमित तथा औचक निरीक्षण भी किये जा रहे हैं। सभी संबद्ध लाभार्थियों के हितों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके तहत संगठन की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और मौजूदा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में लगातार सुधार किया जा रहा है।

10. राजभाषा कार्यान्वयन रिपोर्ट:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के राजभाषा विभाग ने वार्षिक राजभाषा कार्यक्रमों के अनुपालन में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कारगर प्रयास किये हैं। आपकी कंपनी को मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति भोपाल ने 'हिंदी सेवी सम्मान' और दुश्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल ने 'राजभाषा कार्यान्वयन उत्कृष्टता पुरस्कार' से नवाजा है।

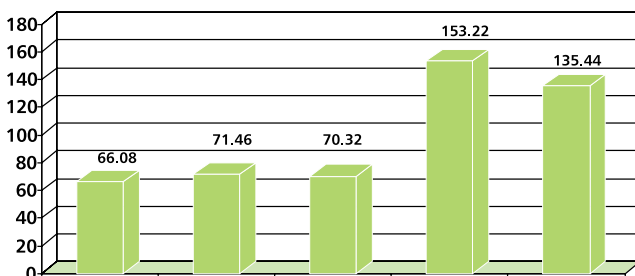
11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कंपनी में सूचना का अधिकार कानून, 2005 लागू किया जा रहा है। इसके लिए लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति जैसे बुनियादी ढांचे संबंधी तमाम आवश्यक इंतजाम कर लिये गये हैं। अधिनियम की अन्य औपचारिकताओं का भी अनुपालन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 39 लोगों से आवेदन प्राप्त हुए। अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे आवेदनों को निपटाने के लिए आवश्यक कारवाई की गयी है।

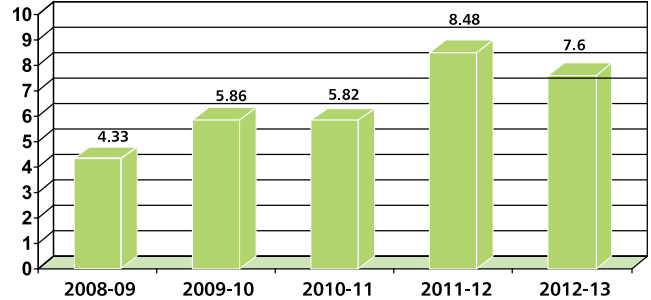
12. मानव संसाधन

आपकी कंपनी का मानना है कि मानव संसाधन कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं जिनके योगदान से कंपनी ने अपने लक्ष्यप्राप्त किए हैं और भविष्य में भी नयी उँचाईयां हासिल करेगी। कंपनी का यह भी मानना है कि अपनी व्यावसायिक योजना को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की क्षमताओं को समुचित स्तर तक बढ़ाना चाहिए 31 मार्च 2013 को आपकी कंपनी के पास 547 कर्मचारियों की श्रमशक्ति उपलब्ध थी। सीखने वाले संगठन के तौर पर कंपनी ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास पर लगातार जोर दिया है ताकि उनकी जानकारी को अद्यतन रखा जा सके जिससे कंपनी की नयी-नयी संगठनात्मक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। उनकी समग्र क्षमताओं के विकास के लिए रोजगार संवर्धन/रोजगार विस्तार और रोजगार परिवर्तन का सहारा लिया जाता है जिससे संगठन के लिए ज्ञान-संपत्ति का सृजन होता है। नीचे के चार्ट में प्रति कर्मचारी कर-पूर्व परिसंपत्ति और प्रति कर्मचारी उत्पादन से हमारे मानव संसाधनों की उच्च दक्षता का पता चलता है।

प्रति कर्मचारी कर-पूर्व लाभ
(राशि लाख रुपये में)



प्रति कर्मचारी उत्पाद
(मिलियन यूनिट में)



13. अजा/अजजा/अपिजा के लिए आरक्षण:

आपकी कंपनी कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति के लिए समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाओं में अजा/अजजा/अपिजा/भिन्न रूप से सक्षम लोगों के लिए आरक्षण से संबंधित निर्देशों का पालन करती है। अजा/अजजा/अपिजा कर्मचारियों की शिकायतों को कारगर तरीके से निपटाने के लिए संपर्क अधिकारी पदनामित किये गये हैं। अजा/अजजा के लोगों के आरक्षित खाली पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए गये हैं। भिन्न रूप से सक्षम लोगों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं/कार्यालयों में विशेष इंतजाम किये गये हैं।

14. सांविधिक और अन्य सूचनाएं

निम्नलिखित मामलों में कंपनी अधिनियम, 1956 और कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के तहत वांछित सूचनाएं अनुबंध 'अ' में दी गयी हैं।

- क) प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- ख) कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
- ग) विद्युत संरक्षण, टेक्नोलॉजी अंगीकरण तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय संबंधी सूचना
- घ) कंपनी (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियमावली, 1975 के अनुसार सूचना

15. निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण:

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2कक) की अपेक्षा के अनुसार निदेशक निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

- 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में उस वक्त लागू होने वाले लेखांकन मानदंडों का पालन किया गया है और जहां कोई भिन्नता हुई है वहां उचित व्याख्या दी गयी है;
- कंपनी ने युक्तिसंगत और दूरदर्शितापूर्ण लेखांकन नीतियां चुनी हैं और लगातार उनपर अमल किया है। उनके आधार पर किये गये फैसलों और अनुमानों से वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों तथा अवधि के दौरान उसके मुनाफे के बारे में सही और स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आयी है।
- कंपनी ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और इसी तरह की दूसरी अनियमितताओं का पता लगाकर उन्हें रोकने के लिए इस बात का समुचित और पर्याप्त ध्यान रखा है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्ड रखा जाए।
- मार्च 2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए लेखे 'गोइंग कनसर्न' आधार पर तैयार किये गये हैं।

16. लेखापरीक्षक:

वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परीक्षा कराने हेतु मैं भुटोरिया एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, भोपाल को "वैधानिक लेखापरीक्षक" नियुक्त किया गया।

17. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट:

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखों के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध 'ख' में दी गयी है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' में दी गयी हैं।

18. लागत लेखापरीक्षा:

"लागत लेखांकन अभिलेख" की लेखापरीक्षा कराने के बारे में केन्द्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने अपने लागत लेखांकन अभिलेख की परीक्षा के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुमोदन से निम्नलिखित लागत लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की है। ये लेखा-परीक्षक वित्त वर्ष 2012-13 के लिए अपने नाम के साथ निर्दिष्ट कंपनियों का लागत लेखा-परीक्षा करेंगे।

क्रम सं.	लेखा परीक्षक का नाम	इकाई
1.	एस.पी.एस. डांगी, इंदौर	इंदिरा सागर विद्युत परियोजना
2.	कृष्ण सिंह बर्क, फरीदाबाद	ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना

19. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क के तहत बोर्ड को प्रेषित करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरण की समीक्षा की। 31 मार्च 2013 को श्री जी.एस.वेदी, स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष थे और उनके साथ दो अन्य निदेशक श्री के.एम. सिंह (मुख्य कार्यपालक निदेशक) और श्री शिव कुमार (निदेशक) भी थे।

20. निदेशकों का विवरण:

इस समय बोर्ड की संरचना इस प्रकार है: श्री जी. साई प्रसाद कंपनी के अध्यक्ष हैं और बोर्ड के अन्य निदेशक एनएचपीसी और मध्यप्रदेश सरकार के हैं।

एनएचपीसी ने श्री शिव कुमार, कार्यपालक निदेशक को 6 दिसम्बर 2012 से कंपनी बोर्ड में अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया है। श्री जी.एस. वेदी ने श्री ए. गोपालाकृष्णन के स्थान पर 16 जनवरी, 2013 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। एनएचपीसी ने श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) एनएचपीसी को 18 फरवरी, 2013 से कंपनी बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने 8 मई, 2013 के अपने पत्र के माध्यम से उन्हें "प्रबंध निदेशक" का कार्यभार सौंपा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री ओ.पी. रावत, श्री एम.के. जैन, श्री ए. गोपालाकृष्णन, श्री आर.के. तेनेजा और श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड कंपनी के निवर्तमान निदेशकों द्वारा किये गये योगदान और उनके दिशानिर्देशन के प्रति उनका आभार व्यक्त करता है।

21. आभार:

बोर्ड कामकाज के विभिन्न चरणों में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों से मिले दिशानिर्देशों और सहयोग के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने वैधानिक लेखापरीक्षकों, भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बैंकों और अन्य संबद्ध प्राधिकारियों से मिले सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। इसके अलावा, बोर्ड एनएचडीसी परिवार के उन सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है जिनके उत्साह, लगन और सहयोग से कार्यनिष्पादन के क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकीं। बोर्ड को इस बात का भी भरोसा है कि कर्मचारी आने वाले समय में भी अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से
अध्यक्ष

दिनांक: 16.07.2013
स्थान : दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक ढांचा और विकास

तविद्युत भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घावधि विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा आवश्यकता है। भारत में आजादी के बाद से विद्युत क्षेत्र ने शानदार प्रगति की है। इस दौरान कुल संस्थापित क्षमता 1362 मेगावाट से बढ़कर वर्तमान 223343.60 मेगावाट (31 मार्च, 2013 को) के स्तर पर पहुंच गयी है। लेकिन इसके बावजूद विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक मांग वाली अवधि में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करने के साथ-साथ न्यूनतम लोड संबंधी आवश्यकता पूरी करने में भी अड़चन महसूस कर रहा है। इसके अलावा जलविद्युत और तापविद्युत के अपर्याप्त अनुपात, ग्रिड संबंधी अस्थिरता, फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव और कमजोर विद्युत वितरण नेटवर्क जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

भारत में 223343.60 मेगावाट की कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत का योगदान 151530.49 मेगावाट (67.80 प्रतिशत), जलविद्युत का 39491.40 मेगावाट (17.70 प्रतिशत), परमाणु विद्युत का 4780 मेगावाट (2.10 प्रतिशत) और नवीकरणीय विद्युत स्रोतों का 27541.71 मेगावाट (12.30 प्रतिशत) है। सार्वजनिक क्षेत्र ने विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कुल संस्थापित क्षमता में उसका योगदान 69.17 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र का योगदान 30.83 प्रतिशत है जो 1991 में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बढ़ता गया है।

11वीं योजना (2007-12) में निर्धारित 78,700 मेगावाट के मूल लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक उपलब्धि 54,964 मेगावाट रही। राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अब 79,690 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है (इसमें नवीकरणीय विद्युत स्रोतों से प्राप्त होने वाली विद्युत शामिल नहीं है) जिसे 12वीं योजना (2012-17) में पूरा किया जाएगा। एनएचपीसी लि. (एनएचपीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) का गठन अगस्त 2000 में किया गया था और प्रारंभ में इसे नर्मदा बेसिन में दो मेगा जलविद्युत परियोजनाओं (1000 मेगावाट क्षमता की इंदिरा सागर और 520 मेगावाट की ओंकारेश्वर परियोजना) की जिम्मेदारी मालिकाना आधार पर की गयी। दोनों विद्युत परियोजनाएं समय पर पूरी की जा चुकी हैं। इस समय एनएचपीसी लि. मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक है।

31 मार्च 2013 को मध्य प्रदेश की संस्थापित क्षमता 10631.65 मेगावाट थी जिसमें संयुक्त और केन्द्रीय क्षेत्र से आबंटित विद्युत भी शामिल है। कुल संस्थापित क्षमता में ताप विद्युत का हिस्सा 6608.57 मेगावाट (62.16 प्रतिशत), जलविद्युत का 3223.66 मेगावाट (30.32 प्रतिशत), परमाणु विद्युत का 273.24 मेगावाट (2.57 प्रतिशत) और नवीकरणीय विद्युत स्रोतों से प्राप्त होने वाली विद्युत का 526.18 मेगावाट (4.95 प्रतिशत) था। मध्य प्रदेश में इस समय विद्युत की मांग में कमी 9.60 प्रतिशत की है जबकि सबसे अधिक जरूरत वाले समय में यह अंतर 6.10 प्रतिशत का है।

इस कमी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में व्यवहार्य जलविद्युत परियोजनाओं की सीमित क्षमता, परियोजना कार्यान्वयन में एनएचपीसी लि. के रिकार्ड और उसकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार खंडवा में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित 1320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) क्षमता की रेवा तापविद्युत परियोजना स्थापित करने पर सहमत हुई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य वांछित स्वीकृतियां हासिल करने की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है लेकिन कोयले का इंतजाम न होने से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कोयले के इंतजाम को अभी स्थगित रखा गया है। रेवा तापविद्युत परियोजना के लिए कोयले की व्यवस्था के लिए एनएचपीसी ने हाल ही में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की 31.12.2012 की अधिसूचना के उत्तर में पांच संभावित स्थानों पर कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए आवेदन किया है।

क्षमताएं

एनएचपीसी एक मजबूत और दक्ष संगठन है जिसका अपने सीमित संसाधनों से जलविद्युत परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने का रिकार्ड है। हमारी कंपनी की क्षमताओं की जांच के लिए एसडब्ल्यूओटी (मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौती) विश्लेषण किया गया है ताकि इनमें और बढ़ोतरी की जा सके। कंपनी की मजबूती, कमजोरी, अवसर और चुनौतियां इस प्रकार हैं:

मजबूती

- क) मध्य प्रदेश में जलविद्युत की सबसे बड़ी उत्पादक।
- ख) 2415 करोड़ रुपये से अधिक की मुक्त आरक्षित राशि (31 मार्च, 2013 के अनुसार)।
- ग) कंपनी के गठन के समय से ही मध्य प्रदेश सरकार का पूर्ण सहयोग और हाल ही में इंदिरा सागर जलाशय का जलस्तर अगस्त 2012 के दौरान 260.0 मीटर से बढ़ाकर 262.13 मीटर करने के कार्य में भी सहयोग मिला है।

कमजोरियां

- क) ओंकारेश्वर बांध के जलाशय का जलस्तर 189.0 के स्तर से बढ़ाने में सफलता नहीं।
- ख) मध्य प्रदेश में व्यावहारिक जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संभाव्यता की कमी।

अवसर

- क) विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर
- ख) विद्युत के तमाम पारम्परिक और गैर-पारम्परिक स्रोतों से विद्युत परियोजनाओं के विकास की क्षमता।
- ग) ऊपरी नर्मदा बेसिन में मिनी और माइक्रो जलविद्युत केन्द्रों के विकास के लिए संभावित स्थलों की मौजूदगी।

चुनौतियां

- क) निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा।
- ख) ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए देश में कोयले की कम उपलब्धता।

विद्युत उत्पादन

नर्मदा बेसिन में वर्ष 2012 के दौरान मानसून की अच्छी वर्षा हुई, मगर यह इससे पहले साल 2011 के मानसून की तुलना में इसका फैलाव ठीक नहीं था। जिससे मानसून के दौरान पानी के प्रवाह का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए उचित रूप से नहीं किया जा सका।

परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2012-13 में वास्तविक विद्युत उत्पादन हालांकि 4160.50 मिलियन यूनिट रहा (यानी समझौता ज्ञापन में उत्कृष्टता के लिए निर्धारित लक्ष्य 3660 मि.यू. तुलना में इंदिरा सागर से 2896.47 मिलियन यूनिट और ओंकारेश्वर परियोजना से 1264.03 मिलियन यूनिट) लेकिन यह पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादित 4664 मिलियन यूनिट के मुकाबले कुछ कम था। 31.03.2013 तक कंपनी का कुल संचित उत्पादन 276000 मिलियन यूनिट रहा।

जोखिम और चिंताएं

- जलविद्युत उत्पादन मुख्य रूप से प्रकृति यानी मानसून के मिजाज पर निर्भर करता है और इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता।
- इन दिनों भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास का काम भी देश में नयी परियोजनाओं की स्थापना में एक बड़ी समस्या बन चुका है।
- ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए मुख्य ईंधन कोयला होता है जिसकी देश में किल्लत है।
- विनियामक प्राधिकरणों से स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त करने में लगने वाले समय का भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

परिदृश्य

18वीं ईपीएस मसौदा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2021-21 में विद्युत की अनुमानित मांग क्रमशः 1354 अरब यूनिट और 1904 अरब यूनिट रहने का अनुमान लगाया गया है जबकि वर्ष 2012-13 में विद्युत उत्पादन 911.65 अरब यूनिट रहा था। इसी तरह वर्ष 2016-17 और 2021-22 में विद्युत की सर्वाधिक मांग क्रमशः 199.54 गीगावाट और 283.47 गीगावाट रहने का अनुमान है। वर्ष 2012-13 में सर्वाधिक मांग 135.45 गीगावाट रही थी। विद्युत की मांग में 7 से 8 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी देश के आर्थिक विकास के अनुरूप है।

लेकिन मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग में मौजूदा कमी 9.60 प्रतिशत और सर्वाधिक विद्युत मांग वाली अवधि में कमी 6.10 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में कमी को विद्युत परियोजनाओं के शीघ्रता से विकास के जरिए पूरा किया जा सकता है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कामकाज के सुचारुरूप से संचालन के लिए कंपनी की अपनी मजबूत और कारगर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और कंपनी संबंधित कानूनों और विनियमों का पालन करती है। उपयुक्त स्तरों तक वित्तीय शक्तियों का सुपरिभाषित प्रत्यायोजन भी किया गया है। कंपनी का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो उसके कारोबार के स्वरूप और आकार के अनुरूप है। जहां कहीं भी कंपनी की इकाइयां हैं वहां नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, लेन-देन को प्राधिकृत, अभिलेखबद्ध और सही-सही सूचित करने तथा नीतियों और कायदे-कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच की व्यवस्था है। कंपनी की लेखापरीक्षा समिति जिसका गठन कंपनी अधिनियम की धारा 292क के प्रावधानों के तहत किया गया था, इसकी आंतरिक प्रणाली की बुनियाद है। यह केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नियमित रूप से बैठक करते हैं, आंतरिक लेखापरीक्षाओं द्वारा प्रेषित त्रैमासिक रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं और जब तथा जहां भी जरूरी हो, यथा आवश्यक दिशानिर्देश देते हैं।

मानव संसाधन विकास

कंपनी के कार्मिक ही उसकी ताकत हैं और संगठनात्मक लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और कर्मचारियों की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप उनके निरंतर विकास के लिए माहौल उपलब्ध कराने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। कर्मचारियों के कार्यनिष्पादन के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन संबंधी पहल में सभी कार्यपालक अधिकारियों के लिए प्रमुख कार्यनिष्पादन क्षेत्रों (केपीए) पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली और विभिन्न कोशलों तथा पुनर्नियोजन के लिए उनका प्रशिक्षण शामिल है। कंपनी की अनेकी कार्य संस्कृति भरोसे और खुलेपन पर आधारित है। अधिकारों के सुनियोजित प्रत्यायोजन, विकेन्द्रीकरण और पारदर्शिता के जरिए एक कारगर और सशक्तीकरण पर आधारित प्रणाली कायम की गयी है। संगठन कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को एक ऐसे विजेता की तरह देखता है जो बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उनके विकास को आसान बनाने तथा उनके दृष्टिकोण में व्यापकता लाने के लिए समय-समय पर जिम्मेदारियों में बदलाव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले किये जाते हैं। मानव संसाधन संबंधी गतिविधियों में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। नये भर्ती हुए लोगों को सुनियोजित और औपचारिक प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ संबद्ध किया जाता है ताकि वे कंपनी की संस्कृति में समायोजित हो जाएं। परियोजना/कार्यालयों पर विशाल संख्या में पुस्तकों वाला पुस्तकालय स्थापित किया गया है। कार्यपालकों को पेशेवर संगठनों की सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनके ज्ञान का विकास हो सके।

तैनाती के बाद प्रशिक्षण और विकास सुनिश्चित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण योजना तैयार की गयी है। इसे इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि कर्मचारियों को उच्चतर जिम्मेदारी के पदों को संभालने के लिए तैयार किया जा सके। कंपनी अपने परियोजना कार्यालयों/कार्यालयों में और विभिन्न कार्यालयों की वार्षिक खेलकूद स्पर्धाएं भी आयोजित करती है ताकि कर्मचारियों में समूह में काम करने की भावना का विकास हो सके। कंपनी अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की नियमित श्रृंखला के जरिए कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमता के विकास और नीतिगत रुझान पर भी लगातार ध्यान देती है। जनता के प्रति अपने सरोकार का प्रदर्शन करते हुए कंपनी ने उच्चस्तरीय वचनबद्धता वाली कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को कर्मचारियों के नौकरी छोड़कर जाने की दर 1.27 प्रतिशत है जो इस उद्योग में न्यूनतम है। कंपनी ने बेहतरीन जीवन की सुविधाओं से युक्त एक

आधुनिक बस्ती का विकास किया है जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अस्पतालों को भी पैलबद्ध किया है। कामकाज के समय दुर्घटनाएं न होने का भी कंपनी का बेहतरीन रिकार्ड है। कंपनी अपने कर्मचारियों की क्षमताओं और दक्षताओं को उनके पद के वर्तमान और भावी दायित्वों तथा व्यावसायिक चुनौतियों के अनुरूप ढालने पर जोर देती है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण बने रहे। कंपनी अपने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए बढ़ चढ़कर उपाय करती है और अपने दरवाजे कर्मचारियों के लिए खुले रखने की नीति अपनाती है। सद्भावपूर्ण माहौल की बदौलत साल के दौरान कार्य दिवसों का कोई नुकसान नहीं हुआ।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतर विकास नीति

कारपोरेट सामाजिक दायित्व और निरंतरता कंपनी से हितभागियों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता की द्योतक है ताकि वह अपने कामकाज को पारदर्शिता, नैतिकता को ध्यान में रखते हुए पूरी किरफायत के साथ और सामाजिक व पर्यावरण की दृष्टि से दीर्घकालिक तरीके से अजाम दे सके। कंपनी के हितभागियों में उसके कर्मचारी, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, व्यावसायिक साझेदार, सविल सोसाइटी समूह, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और समग्र समाज शामिल हैं। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का सवाल है, कारपोरेट सामाजिक दायित्व को कारोबार को चलाने के ऐसे तरीके के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे हितभागियों की बेहतरी के लिए संपत्ति के सृजन और वितरण में मदद मिलती है। इसमें नैतिकता पर आधारित प्रणालियों और प्रबंधन के निरंतरता पर आधारित तौर-तरीकों का सहारा लिया जाता है।

लोक उपक्रम विभाग ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व और दीर्घकालिक विकास गतिविधियों के बारे में अलग-अलग दिशानिर्देश जारी किये हैं। एनएचडीसी लिमिटेड की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और टिकाऊ विकास संबंधी अपनी नीतियां हैं जो उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार एनएचडीसी लि. जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को कर भुगतान के बाद के अपने पिछले साल के मुनाफे में से एक निश्चित प्रतिशत राशि जन कल्याण का ध्यान में रखकर कारपोरेट सामाजिक दायित्व और टिकाऊ विकास परियोजनाओं के लिए रखनी होती है। वित्त वर्ष 2012-13 में 8.25 करोड़ रुपये के कुल प्रावधानों में से 5.32 करोड़ रुपये एनएचडीसी लि. द्वारा संचालित कारपोरेट सामाजिक दायित्व परियोजनाओं पर खर्च किए गए। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिधीय विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और इसी तरह की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित थीं। जबकि वर्ष 2012-13 में सतत विकास के लिए निर्धारित 1.04 करोड़ रुपये में से 5 लाख रुपये पेड़-पौधे लगाने, सौरविद्युत आधारित स्ट्रीट लाइट/लालटेन लगाने की परियोजनाओं पर खर्च की गयी है।

पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण

एनएचडीसी लि. समाज, पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझता है। इसीलिए कंपनी अपने वैधानिक दायित्वों से भी आगे बढ़कर इनपर पर्याप्त ध्यान दिया है। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जैसी जल विद्युत परियोजनाओं में परियोजनागत गतिविधियों के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएएसओ:14001 2004) अपनायी गयी है। इससे संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट को कम-से-कम करने में मदद मिली है। जलविद्युत परियोजनाएं बड़े पैमाने पर विद्युत पैदा करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल साधन हैं। लेकिन इनके निर्माण के दौरान पर्यावरण पर कुछ बुरे असर देखे गये हैं। इन्हें सही तरीके से दूर करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा संबंधी कुछ उपाय तैयार किये गये हैं। इनमें से कुछ उल्लेखनीय उपाय इस प्रकार हैं: प्रतिकूलक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, भूकम्प निगरानी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की स्थापना और पुरातात्विक महत्व के स्मारकों आदि का स्थानांतरण/जीर्णोद्धार।

एनएचडीसी लि. ने अपनी रेवा तापविद्युत परियोजना (2x669 मेगावाट) के लिए सुपर-क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को अपनाया है जो अपेक्षाकृत अधिक दक्षता वाली और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इससे ताप विद्युत परियोजना के आस-पास के माहौल में उत्सर्जन में भारी कमी आएगी। कंपनी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में ऐसी नीतियां, कार्यान्वयन मॉड्यूल और निगरानी फॉर्मेट के क्रियान्वयन की दिशा में प्रयत्नशील है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल हों और जिनसे समाज के बड़े हिस्से को भरपूर फायदा हो ताकि विकास की निरंतरता बनी रहे औ विकास भी समावेशी तरीके से हो।

नवीकरणीयऊर्जा विकास

कंपनी ने नवीकरणीयऊर्जा स्रोतों यानी जलविद्युत, पवनविद्युत और सौरविद्युत के बारे में भी दीर्घकालीन दृष्टिकोण विकसित किया है।

इसके लिए कंपनी ने मध्य प्रदेशविद्युत विकास निगम में अपना पंजीकरण कराया है ताकि मध्य प्रदेश में पवनविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए गैर-पारम्परिकविद्युत स्रोतों का उपयोग किया जा सके।

इसी तरह कंपनी एनएचडीसी लि. की परियोजनाओं तथा आस-पास उपलब्ध खाली जमीन का उपयोग सौर फोटोवोल्टेक प्रणालियों की स्थापना के लिए करने की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचडीसी को ऊपरी नर्मदा बेसिन में प्रस्तावित मझौली और लघु बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं से जुड़े विद्युत उत्पादन संबंधी कार्यों का दायित्व भी सौंपा है। प्रत्येक विद्युत परियोजना की अनुमानित क्षमता 10 से 25 मेगावाट तक होगी।

वित्तीय निष्पादन

प्रचालनों के परिणाम

कंपनी के वित्तीय लेखे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अनुसूची-VI में बताये गये लेखांकन मानदंडों के आधार पर तैयार किये गये हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी की अपनी गतिविधियों से आमदनी 109545 लाख रुपये थे और करों के भुगतान के बाद मुनाफा 57564 लाख रहा था, जबकि इससे पहले साल ये क्रमशः 129132 लाख रुपये और 64690 लाख रुपये रहा था। कारपोरेशन के वित्त वर्ष 2012-13 और 2011-12 के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण इस प्रकार है:

आय

	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12
विद्युत की बिक्री (मिलियन यूनिट में)	4140.98	4640.57
आय (लाख रुपये में)		
प्रचालनों से आमदनी (मूल्यहास के प्रति अग्रिम का शुद्ध)	109545	129132
अन्य आय	24274	15919
कुल	133819	145051

कंपनी की आय में विद्युत की बिक्री से हुई आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के विनियमों के तहत अंतिम और अनंतिम शुल्क के बीच का अंतर पर देय) और अन्य आमदनी जैसे, अधिशेष धनराशि के निवेश से ब्याज के रूप में होने वाली आमदनी, प्रतिभूतीकृत व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज, कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम आदि शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012-13 में कंपनी की आय 7.74 प्रतिशत घट कर 133819 लाख रूपया रह गयी जबकि 2011-12 में यह 145051 लाख रूपया थी।

टैरिफ

एनएचडीसी के विद्युत स्टेशनों में पैदा होने वाली विद्युत का टैरिफ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार अवधियों के लिए मौजूदा विनियमों के तहत तय किया जाता है। इस समय टैरिफ अवधि 5 साल यानी 2009-14 तक की है और आयोग की अधिसूचना सं. एल-7/145(160)/2008-सीईआरसी दिनांक 19 जनवरी, 2009 के तहत जारी सीईआरसी विनियमन 2009 लागू है। 2009 के विनियमों के अंतर्गत उत्पादन प्रभार वार्षिक नियत शुल्क के रूप में कंपनी के लिए स्विकार्य है जैसे पूंजी लागत को जोड़कर निकाला किया जाता है। इसीतरह विनियम 2009 के तहत वार्षिक नियत शुल्क भी पांच अलग-अलग घटकों के तहत निकाला गया है जो इस प्रकार हैं: (1) हिस्सा पूंजी पर लाभ को मौजूदा एमएटी/आय कर दर के साथ जोड़ कर; (2) मूल्यहास; (3) ऋणों पर ब्याज; (4) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और (5) संचालन तथा अनुरक्षण खर्च।

इस तरह से आकलित और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक नियत शुल्क का 50 प्रतिशत क्षमता शुल्क के रूप में लाभार्थियों से वसूल किया जा सकता है। लाभार्थियों से 100 प्रतिशत क्षमता शुल्क को मानदंडात्मक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएफ) के तहत वसूल किया जाता है। एनएपीएफ हर संयंत्र के लिए अलग-अलग होता है जो इंदिरा सागर पावर स्टेशन के लिए 85 प्रतिशत और ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 90 प्रतिशत है। इस तरह क्षमता शुल्क को मानदंडात्मक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएफ) के संदर्भ में वर्ष के दौरान संयंत्र उपलब्धता घटक के अनुपात में जोड़ा जाता है ताकि उसी के आधार पर प्रोत्साहन या हतोत्साहन का आकलन किया जा सके।

वार्षिक नियत शुल्क का बकाया 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। यह डिजाइन एनर्जी आधार पर आकलित विद्युत शुल्क दर पर आधारित होता है। इसके अलावा डिजाइन एनर्जी से अधिक उत्पादन पर भी 0.80 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की दर से अतिरिक्त विद्युत शुल्क लिया जा सकता है।

ऊर्जा की बिक्री

मध्य प्रदेश सरकार एनएचडीसी के विद्युत घरों से लाभ उठाने वाली एकमात्र लाभार्थी है। इसके लिए एनएचडीसी ने उत्पादक के रूप में, एमपीट्रेड को (वर्तमान नाम मध्य प्रदेश विद्युत प्रबंधन कंपनी लि.) ने लाभार्थी के रूप में और मध्य प्रदेश सरकार ने गारंटीदाता के रूप में दीर्घ कालीन त्रिपक्षीय विद्युत खरीद समझौते पर दस्तखत किये हैं। समझौते में लाभार्थी द्वारा भुगतान में चूक होने की स्थिति के मद्दे नज़र गारंटीदाता की व्यवस्था की गयी है। इंदिरा सागर पावर स्टेशन के बिक्री संबंधी आंकड़ों को याचिका सं. 154/2010 के तहत 2009-14 की अवधि के लिए 2009 के विनियमों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 13.06.2012 के जरिए स्वीकृति दी गयी। ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 2009-14 की अवधि में प्रभार निर्धारण के लिए प्रभार याचिका सं. 246/जीटी/2012 के अंतर्गत टैरिफ आदेश जारी होना अभी बाकी है। इस तरह ओंकारेश्वर परियोजना की बिक्री का आकलन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के 2009 में प्रभावी विनियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया गया है। संरक्षण का भी पालन किया गया है क्योंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग प्रभार निर्धारण करते समय आवश्यक जांच करता है। लेकिन वर्ष के दौरान बिल जारी करने में 2009 के विनियमों के विनियम सं. 5(3) का पालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत वार्षिक नियत शुल्क 31.03.2009 को लागू दर से अस्थायी आधार पर वसूल किया जाता है जिसमें 2009 के विनियमों के अनुसार अंतिम टैरिफ आदेश जारी होने के बाद करों के समायोजन का भी प्रावधान है।

इसी के तहत इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं की अनबिल्ड रेवन्यू क्रमशः 1118 लाख रुपये और 523 लाख रुपये को विद्युत की बिक्री के तरह रखा गया है। वर्ष के दौरान 3058 लाख रुपये का जो विलम्बित कर दायित्व (पिछले साल की 1600 लाख रुपये की

बिक्री से) सामने आया है उसे भी विद्युत की बिक्री में समाहित किया गया है और उसे 2009 के विनियमों के तहत लाभार्थी से बसूल किया जाना है। कंपनी ने 2012-13 में अपनी इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर परियोजनाओं से 4140.98 मिलियन यूनिट विद्युत लाभार्थी को पारेषित की जबकि इससे पहले साल यानी 2011-12 में 4640.57 मिलियन यूनिट विद्युत ही दी गयी थी। मिलियन यूनिट में आकलित विद्युत की बिक्री में कमी पिछले साल के मुकाबले 10.76 प्रतिशत कम रही क्योंकि 2012-13 में संचालन से होने वाली आय में 15.17 प्रतिशत की कमी आयी और ये 109545 लाख रुपये घट गयी जबकि 2011-12 में यह 129132 लाख रुपये रही थी। वित्त वर्ष 2012-13 में बिक्री से वसूली 114065 लाख रुपये रही जबकि 2011-12 में यह 116055 लाख रुपये रही थी।

ऊर्जा की समायोजित बिक्री

वित्त वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने टैरिफ आदेश दिनांक 13.06.2012 के जरिए इंदिरा सागर परियोजना के लिए 2009-14 की अवधि के दौरान लागू होने वाला अंतिम टैरिफ अधिसूचित किया। इसके अनुसार विद्युत की बिक्री से आमदनी में पिछली अवधि की बकाया राशि और 2009 के विनियमों के तहत लाभार्थी से वसूल किये जाने वाले ब्याज को भी शामिल किया गया है। इसमें विनियमों में निर्धारित अनशेडयूल्ड इंटरचेंज (यूआई) और वसूल किया गया स्थगित कर भी शामिल है। चालू साल के साथ-साथ इससे पहले के साल में बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	(लाख रुपये में)	
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12
संचालन से आमदनी	109545	129132
घटाए: सीईआरसी द्वारा अनुमन्य लाभार्थी से ब्याज	1553	2568
शुद्ध बिक्री	107992	126564
घटाए:		
(क) पिछले साल की बिक्री (एएडी का शुद्ध)	1135	16284
(ख) यूआई चार्ज	408	617
ऊर्जा की समायोजित बिक्री	106449	109663
पिछले साल के मुकाबले बिक्री में कमी (प्रतिशत)	2.93	

अन्य आय

	(लाख रुपये में)	
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12
अन्य आय	24274	15919

अन्य आय में मुख्य रूप से अधिशेष नकदी के निवेश से होने वाली आमदनी, प्रतिभूतीकृत व्यापार प्राप्तियों से ब्याज के रूप में होने वाली आय, कर्मचारियों को दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज और विविध आय शामिल हैं। वित्त वर्ष 2012-13 में अन्य आय 24274 लाख रुपये रही जो 2011-12 में हुई 15915 लाख रुपये की अन्य आमदनी के मुकाबले 52.48 प्रतिशत अधिक है। अन्य आय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से सावधि जमा के ब्याज और प्रतिभूतीकृत व्यापारिक प्राप्तियों से आय की वजह से हुई है।

2.0 खर्च: तुलनात्मक स्थिति

	(लाख रुपये में)	
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12
उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	8210	7672
कर्मचारियों के हित पर खर्च	6395	5925
वित्त लागत	21083	23063
मूल्यहास और परिशोधन खर्च	24418	25755
पिछली अवधि की मदें (शुद्ध)	(378)	(2093)
कुल	59728	60322

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कुल खर्च 59728 लाख रुपये रहा है जिसमें वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान हुए 60322 लाख रुपये के खर्च की तुलना में 0.98 प्रतिशत की कमी आयी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2012-13 में कुल आमदनी के मुकाबले कुल खर्च 44.63 प्रतिशत रहा जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 41.59 प्रतिशत था।

कारणों का शीर्ष वार विश्लेषण इस प्रकार है:-

उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च

	(लाख रुपये में)		
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12	अंतर
उत्पादन, प्रशासन और अन्य खर्च	8210	7672	538

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ओंकारेश्वर परियोजना में पूरे साल केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती और अनुसंधान तथा विकास नीति के तहत पहली बार इस कार्य पर हुआ खर्च शामिल है।

कर्मचारी हित पर खर्च

	(लाख रुपये में)		
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12	अंतर
कर्मचारियों के हित के कार्यों खर्च	6395	5925	470

कर्मचारियों के हित के कार्यों पर खर्च में बढ़ोतरी मुख्य रूप से चालू साल के दौरान बड़े पैमाने पर अवकाश नकदीकरण के कारण हुई है।

वित्त लागत

वित्त लागत में प्राथमिक तौर पर सावधि ऋणों पर ब्याज खर्च शामिल है। वित्त लागत वित्त वर्ष 2012-13 में 8.59 प्रतिशत घटकर 21083 लाख हो गयी जिसका कारण वित्त वर्ष 2011-12 में ऋणों की अदायगी की वजह से 23063 लाख रुपए रही थी।

मूल्यहास और परिशोधन खर्च

कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार मूल्यहास को स्ट्रेट लाइन मैथड से आकलित किया जाता है जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 19.01.2009 में अधिसूचित दरों और प्रविधि का अनुसरण किया जाता है। इसमें सिर्फ कुछ ही मद अपवाद स्वरूप होती हैं जिनमें कंपनी द्वारा आकलित दरों से मूल्यहास की गणना की जाती है। भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने पत्र सं. 51/23/2011-सीएल-3 दिनांक 31.05.2011 के जरिए स्पष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 616(सी) में बतायी गयी कंपनियां, यानी ऐसी कंपनियां जो विद्युत की आपूर्ति करती हैं वे मूल्यहास के लिए प्रावधान करने के बाद हुए लाभ में से लाभांश का भुगतान कर सकती हैं। इससे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित दरों और विधि का पालन किया जाता है और यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 के पालन के लिए पर्याप्त है।

वित्त वर्ष 2012-13 में मूल्यहास और परिशोधन के लिए 24418 लाख रुपय का प्रावधान है जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 25755 लाख रुपये था। इस मद में 1337 लाख रुपये की गिरावट सीएएमपीए फंड के लिए दायित्व में संशोधन और तदनुसार वर्ष के दौरान हुआ डीकैपिटलाइजेशन है।

कर खर्च

आमदनी में कमी के कारण वित्त वर्ष 2012-13 में कर खर्च 16527 लाख रुपय रहा जो वित्त वर्ष 2011-12 के 20039 लाख रुपये के कर खर्च के मुकाबले 17.53 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।

नकदी प्रवाह

	(लाख रुपये में)	
ब्यौरा	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2011-12
संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	77342	126910
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	12138	(34493)
वित्त पोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	(44811)	(54743)
नकदी/नकदी समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी	44669	37674

तुलनपत्र मदों का विश्लेषण - इक्विटी और देयताएं

	(लाख रुपये में)		
ब्यौरा	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को	अंतर
दीर्घावधि उधार	138838	163982	(25144)
आस्थगित कर (शुद्ध)	16340	14632	1708
अन्य दीर्घावधि देयताएं	12132	12110	22
दीर्घावधि प्रावधान	805	1305	(500)
व्यापारिक भुगतान	887	843	44
अन्य चालू देयताएं	39355	33075	6280
अल्पावधि प्रावधान	59670	74302	(14632)

दीर्घावधि उधार में कमी मूलधन चुकता करने की वजह से आयी है। अल्पावधि प्रावधान में कमी का मुख्य कारण यह है कि ओंकारेश्वर विद्युत परियोजना में वन भूमि का उपयोग गैर-वन कार्यों के लिए किये जाने से प्रतिपूरक वनीकरण निगरानी और नियोजन प्राधिकरण (सीएएमपीए) को किये जाने वाले संशोधित प्रावधानों के भुगतान के कारण हुआ है। अन्य चालू देयताएं मुख्य रूप से इंदिरा सागर परियोजना के लिए किश्त की तारीख 31.03.2013 (इस दिन छुट्टी होने के कारण) से बदल कर 01.04.2013 किये जाने की वजह से बढ़ी हैं। अन्य मदों में बदलाव महत्वपूर्ण नहीं हैं।

आस्तियां

	(लाख रुपये में)		
ब्यौरा	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को	अंतर
मूर्त आस्तियां	400984	400199	785
अमूर्त आस्तियां (उपयोग का अधिकार) (सकल ब्लॉक)	319825	323333	(3508)
चालू पूंजीगत कार्य	306	275	31
दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	3232	2690	542
अन्य चालू आस्तियां	18801	19914	(1113)
मालसूची	714	580	134
व्यापारिक प्राप्तियां	19100	21707	(2607)
नकदी और बैंक अधिशेष	215352	170683	44669
अल्पावधि ऋण और अग्रिम	2461	1530	931
अन्य चालू आस्तियां	31465	24943	6522

अन्य चालू आस्तियों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण हिसाब में नहीं ली गयी प्राप्तियों के रूप में आमदनी, सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज और एनवीडीए से प्राप्त होने वाली परियोजना लागत है। अमूर्त आस्तियों (इस्तेमाल का अधिकार) में कमी का मुख्य कारण ओंकारेश्वर परियोजना के सिलसिले में सीएएमपीए को भुगतान की जाने वाली एनपीवी की संशोधित लागत है।

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कारपोरेट अभिशासन के बारे में कंपनी के विचार

आपकी कंपनी ऐसे सुदृढ़ कारपोरेट तौर-तरीकों पर अमल को वचनबद्ध है जो विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, पेशेवर दक्षता और जवाबदेही पर आधारित हैं। हमारा यह प्रयास रहा है कि कंपनी के विभिन्न हितभागियों के मन में भरोसा कायम हो जिससे लम्बी अवधि में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। कंपनी का मानना है कि कारपोरेट अभिशासन को अपनाने से प्रबंधन के तौर-तरीकों में सुधार होता है। एनएचडीसी में कारपोरेट अभिशासन प्रणाली सहभागिता, पारदर्शिता, विवेकसम्मत और समतामूलक है। कंपनी भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा कारपोरेट अभिशासन के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करने का हर संभव प्रयास करती है। वर्ष 2011-12 में आपकी कंपनी ने कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने में "बहुत अच्छी" श्रेणी हासिल की है।

2. निदेशक मंडल

आपकी कंपनी एनएचडीसी लि. (भारत सरकार का उद्यम) और मध्य प्रदेश सरकार का संयुक्त उद्यम है जिसमें दोनों की भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत है। कंपनी के अन्तर्निर्णय के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, की नियुक्ति एनएचडीसी द्वारा की जाएगी जबकि पूर्णकालिक निदेशक एनएचडीसी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से नियुक्त किये जाएंगे। इसके अलावा अन्य निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भी संयुक्त उपक्रम के साझेदारों, यानी एनएचडीसी लि और मध्य प्रदेश सरकार को ही है। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या पांच से कम और 11 से अधिक नहीं होगी। इनमें सभी पूर्णकालिक और अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

इसके अलावा कंपनी के अन्तर्निर्णय में यह भी व्यवस्था है कि एनएचडीसी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कंपनी में निदेशकों के पद का दायित्व क्रमशः एनएचडीसी लि. और मध्य प्रदेश सरकार की संतुष्टि की स्थिति में ही निभा सकेंगे। प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पांच साल के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु में से जो भी पहले होगा उस अवधि तक के लिए ही नियुक्त किये जाएंगे।

2.1 निदेशक मंडल का गठन और कार्यकाल

31 मार्च 2013 को कंपनी के निदेशक मंडल में सात सदस्य थे जिनमें अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक निदेशक, एनएचडीसी द्वारा नियुक्त दो अंशकालिक निदेशक, एनएचडीसी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निदेशक और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त दो अंशकालिक शामिल थे। बोर्ड और इसकी उप समितियों को अभी कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश-2010 के अनुसार विधिवत गठित किया जाना बाकी है।

2.2 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में निदेशक इसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन इस बात के प्रयास भी किये जा रहे हैं कि बैठकें भोपाल स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में हों।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान बोर्ड की सात बैठकें आयोजित की गयीं जो 11 अप्रैल 2012, 18 मई 2012, 11 जुलाई 2012, 1 अगस्त 2012, 31 अक्टूबर 2012, 13 दिसम्बर 2012 और 18 जनवरी 2013 को हुईं।

निदेशक मंडल की बैठकों, इनमें डायरेक्टरशिप उपस्थित हुए निदेशकों की संख्या, पिछली वार्षिक आमसभा में उपस्थिति, निदेशकों, समितियों की सदस्यता यानी लेखा परीक्षा समिति और/या शेयरधारक शिकायत समिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल में हुई बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या	1.8.2012 की पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	31.3.2013 को की संख्या	31.03.13 को अन्य कंपनियों में कमेटी सदस्यता
गैर कार्यपालक निदेशक					
श्री जी. साइ प्रसाद	7	3	शून्य	6	शून्य
श्री आर.एस. मीना*	0	0	लागू नहीं	1	शून्य
श्री रजनीश वैश्य	7	5	हां	2	शून्य
श्री शिव कुमार**	2	2	लागू नहीं	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	संबंधित निदेशक के कार्यकाल में हुई बैठकें	बोर्ड बैठकों की संख्या	1.8.2012 की पिछली वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	31.3.2013 को की संख्या	31.03.13 को अन्य कंपनियों में कमेटी सदस्यता
श्री ओ.पी. रावत***	0	0	लागू नहीं	1	शून्य
श्री आर. के. तनेजा****	5	5	हां	शून्य	शून्य
श्री एम.के. जैन*****	6	5	हां	शून्य	शून्य
कार्यपालक निदेशक					
श्री के.एम. सिंह	7	7	हां	शून्य	शून्य
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव*****	7	7	हां	1	1
स्वतंत्र निदेशक (आईडी)/गैर-सरकारी, अंशकालिक निदेशक					
श्री जी.एस. वेदी*****	1	शून्य	लागू नहीं	2	2
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल	7	4	हां	शून्य	शून्य
श्री ए. गोपालाकृष्णन*****	5	4	शून्य	1	1

* श्री आर.एस. मीना, निदेशक (कार्मिक) एनएचडीसी को 18 फरवरी 2013 से एनएचडीसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया था और भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के दिनांक 8 मई 2013 के पत्र के जरिए इन्हें "प्रबंध निदेशक" का कार्यभार सौंपा गया।

** श्री शिव कुमार, कार्यपालक निदेशक (संविदा: सिविल) एनएचडीसी को 6 दिसम्बर 2012 से एनएचडीसी के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया।

*** श्री ओ.पी. रावत, 2 अप्रैल 2012 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

**** श्री आर. के. तनेजा, सेवानिवृत्त होने के बाद 31 अक्टूबर 2012 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

***** श्री एम.के. जैन, 11 जनवरी 2013 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

***** श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, एनएचडीसी के पत्र दिनांक 18 फरवरी 2013 के जरिए 10 फरवरी 2013 से एनएचडीसी के निदेशक नहीं रहे, परिणामस्वरूप वह प्रबंध निदेशक भी नहीं रहे।

***** श्री जी.एस. वेदी, को 16 जनवरी, 2013 से एनएचडीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।

***** श्री ए. गोपालाकृष्णन, स्वतंत्र निदेशक, 3 दिसम्बर 2012 से एनएचडीसी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

कंपनी के निदेशक का एक-दूसरे के साथ कोई आपसी रिश्ता नहीं है।

2.3 निदेशक मंडल का प्रशिक्षण

कंपनी जब भी जरूरत पड़ती है निदेशकों को दस्तावेजों का एक सेट और पुस्तिकाएं उपलब्ध कराती है। इनमें कंपनी के कार्यनिष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े, ज्ञापन और कंपनी के अन्तर्निर्णय, कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश आदि शामिल हैं। कंपनी के निदेशक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित गाष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी नामित किये जा रहे हैं।

2.4 धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एकीकृत और कारपोरेट तथा संचालनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन का काम सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों के तहत ही किया जाता है, न कि किसी खास वक्त पर अलग से किये जाने वाले कार्य के रूप में। कंपनी की धोखाधड़ी और जोखिम प्रबंधन की अलग-अलग नीतियां हैं।

3. लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2013 को लेखा परीक्षा समिति का स्वरूप इस प्रकार था:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री के.एम. सिंह	सदस्य	पूर्णकालिक निदेशक
03	श्री शिव कुमार	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्त वर्ष 2012-13 में लेखा परीक्षा समिति की पांच बैठकें 18 मई 2013, 22 जून 2012, 27 जुलाई 2012, 18 अक्टूबर 2012 और 15 फरवरी 2013 को आयोजित की गयीं। वित्त वर्ष 2012-13 में श्री ए. गोपालाकृष्णन के पद पर न रहने के बाद श्री जी.एस. वेदी एनएचपीसी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बनाए गये। इसके अलावा श्री शिव कुमार को श्री आर.के. तनेजा के स्थान पर एनएचपीसी की लेखा परीक्षा समिति का सदस्य बनाया गया। लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	श्री ए. गोपालाकृष्णन	4	4
2	श्री के.एम. सिंह	5	5
3	आर.के. तनेजा	4	4
4	श्री जी.एस. वेदी	1	1
5	श्री शिव कुमार	1	1

लेखा परीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तथा कारपोरेट अभिशासन-2010 में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका, शक्तियों और सूचनाओं की समीक्षा के अनुसार है।

4. पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2013 को पारिश्रमिक समिति में सदस्यों का विवरण इस प्रकार था:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	श्रेणी
01	श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
02	श्री रजनीश वैश्य	सदस्य	अंशकालिक निदेशक
03	श्री शिव कुमार	सदस्य	अंशकालिक निदेशक

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। समिति का कार्य कार्यपालकों और यूनियन के तहत न आने वाले पर्यवेक्षक कर्मचारियों के लिए लोक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन आधारित वेतन के मुद्दे पर विचार करना है।

वित्त वर्ष 2012-13 में कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों/ गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों के सिटिंग फी का ब्यौरा इस प्रकार है।

क: कार्यपालक निदेशक

(लाख रुपये में)

निदेशक का नाम	वेतन	भत्ते	कुल
श्री के.एम. सिंह मुख्य कार्यपालक निदेशक*	44.90	0.09	44.99

*इस राशि में ग्रेजुएट, अवकाश नकदीकरण, आरईएचएस और सामान भत्ता के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि इसे समूचे निगम के लिए बीमांकक द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर दिया जाता है।

ख: स्वतंत्र निदेशक/गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक

(लाख रुपये में)

निदेशक का नाम	सिटिंग फी
श्री ए. गोपालाकृष्णन	45,000
श्री गजेन्द्र सिंह पटेल	20,000

(कर की कटौती लागू दर पर कर दी गयी है।)

5. आम निकाय की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, स्थान और समय निचे दिया जा रहा है:

- दसवीं वार्षिक आम बैठक 5 जुलाई 2010 को दोपहर 11.15 बजे होटल लेक व्यू अशोका, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।
- ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2011 को दोपहर 11.00 बजे होटल जहांनुमा पैलेस, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।
- बारहवीं वार्षिक आम बैठक 1 अगस्त 2012 को दोपहर बाद 12.45 बजे एनएचपीसी परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल में आयोजित की गयी।

6. प्रकटीकरण:

- कंपनी के निदेशकों के पास महत्वपूर्ण किस्म का ऐसा कोई लेन-देन नहीं था जिससे कंपनी के व्यापक हितों के साथ किसी तरह के संघर्ष की आशंका हो।
- संबंधित पक्ष प्रकटीकरण का ब्यौरा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानदंड 18 के अनुसार लेखे के तहत नोट्स के रूप में संलग्न किया गया है।
- सांविधिक अनुपालना रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से रखी जा रही है। इसके अलावा सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी विषय में पिछले तीन साल में किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।
- एनएचपीसी ने धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए पहले ही एक नीति अपनायी है जिसके तहत धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के संदिग्ध मामलों में कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या एनएचपीसी के साथ किसी भी तरह का कारोबार करने वाली पार्टियों के प्रतिनिधियों के खिलाफ इस तरह के मामलों की सूचना दी जाती है। नीति में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने की प्रणाली भी शामिल की गयी है।
- कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखांकन मानदंडों का पालन करती है।

7. संवाद के साधन

कंपनी की समूची प्रदत्त पूंजी एनएचपीसी लि. (भारत सरकार के उपक्रम) और मध्य प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है। कंपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम सभा की बैठकों और वेबसाइट पर प्रकटीकरण के जरिए अपने शेयरधारकों के साथ संप्रेषण करती है।

8. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए कामकाज के संचालन की व्यावसायिक संहिता तैयार की है। इस संहिता की प्रति कंपनी के वेबसाइट www.nhdcindia.com पर प्रदर्शित की गयी है। बोर्ड के सभी सदस्य तथा कंपनी के महत्वपूर्ण कर्मचारी ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

9. अनुपालन प्रमाणपत्र

केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश-2010 में दी गयी कारपोरेट अभिशासन संबंधी शर्तों को पूरा करने के बारे में पूर्णकालिक कंपनी सचिव मैसर्स डीपीए एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है, जोकि वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के बारे में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की घोषणा।

मैं, आर एस मीना, प्रबंध निदेशक, एनएचडीसी लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 2012-13 के दौरान व्यावसायिक आचार और नैतिक संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है।

दिनांक: 22.05.2013

(आर एस मीना)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
एनएचडीसी लिमिटेड,
एनएचडीसी परिसर, श्यामला हिल्स,
भोपाल।

हमने भारत सरकार के भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 को जारी कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश-2010 और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुलग्नक (जिसे यहां आगे 'दिशानिर्देश' कहा जाएगा) में बतायी गयी कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का एनएचडीसी लिमिटेड द्वारा (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए साल के लिए अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय और हमारी पूरी जानकारी के अनुसार तथा हम से जो खुलासे किये गये उसके आधार पर हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की दक्षता का आश्वासन है।

स्थान: भोपाल
दिनांक: 16.07.13

कृते डीपीए एंड एसोशिएट्स
कंपनी सचिव

(हस्ताक्षर)
सी.एस. अमित कुमार जैन
भागीदार
एफसीएस - 6522,
सीपी नं. 7136.

अनुलग्नक 'क' (देखें: पैरा 14 (ग))

ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण और टेक्नोलॉजी आमेलन

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
(क)	ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय	(क) ओएसपी (ऑकारेश्वर विद्युत केंद्र) में जेनरेटर के मौजूदा करंट ट्रांसफार्मरों और पोटेंशियल ट्रांसफार्मरों के स्थान पर कम वजन के और उच्च परिशुद्धता वाले सीटी और पीटी लगाए गए ताकि सकल एवं निवल उत्पादन के बीच विद्युत अंतर 1 प्रतिशत से कम किया जा सके। (ख) ओएसपी पॉवर प्लांट, बांध और स्विचयार्ड पर 400 वाट क्षमता की एसवी/एमएच इल्युमिनेशन फिटिंग्स वैकल्पिक आधार पर चालू की गई ताकि विद्युत खपत में कमी लाई जा सके। (ग) ऑकारेश्वर पॉवर स्टेशन (ओएसपी) में पॉवर हाउस, बांध और स्विचयार्ड पर डबल ट्यूबलाइट फिटिंग्स एकल लैम्प मोड प्रचालित की जा रही हैं ताकि विद्युत खपत में बचत की जा सके। (घ) ऑकारेश्वर विद्युत केंद्र के प्रशासनिक भवन में स्थापित परंपरागत ट्यूबलाइटों और सीएफएल फिटिंग्स के स्थान पर अधिक विद्युत दक्षतापूर्ण एलईडी लाइट फिटिंग्स लगाई गई हैं। (ङ) ओएसपी पॉवर हाउस, बांध और स्विचयार्ड पर प्रकाश प्रणाली के प्रचालन के लिए टाइमर्स स्थापित किए गए हैं। (च) स्विचयार्ड में लगे डीजल जेनरेटिंग सेट से ऑकारेश्वर बांध के लिए वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति की गई है। इससे बांध स्थल पर लगे डीजी सेट के प्रचालन में कमी आएगी। बांध स्थल पर लगा डीजी सेट आपात स्थिति में, अर्थात् स्विचयार्ड का डीजी सेट विफल होने पर, ही चलाया जाएगा। (छ) पॉवर फैक्टर सुधार के लिए एनएच डीसी परिसर, भोपाल में एपीएफसी प्रणाली लगाई गई। (ज) आउटडोर लाइट टाइमर स्विच की सहायता से संचालित की जा रही हैं जिससे मैनुअल ऑपरेशन कम करने और समय पर लाइटों को बंद एवं चालू करने की व्यवस्था की गई है। (झ) ऑकारेश्वर और इंदिरा सागर पावर स्टेशन (आईएसपीएस) में क्रमशः 15 किलोवाट और 2x10 किलोवाट के सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र वर्ष 2011-12 में कैप्टिव जनरेशन के लिए लगाए गए थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन संयंत्रों से उत्पादित सौरविद्युत का इस्तेमाल परंपरागत विद्युत के स्थान पर किया गया।
(ख)	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे हैं। अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, अगर कोई हो	(क) पावर फैक्टर में सुधार के लिए ओएसपी पावर हाउस में 200 केवी एआर और 150 केवी एआर क्षमता के दो एपीएफसी पैनल स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। (ख) ओएसपी पावर हाउस कंट्रोल रूम और कांफ्रेंस रूम के लिए परंपरागत ट्यूब लाइटों और सीएफएल के स्थान पर एलईडी आधारित लाइट फिटिंग्स स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। (ग) ओएसपी पावर हाउस की छत पर 400 कि.वाट क्षमता का फोटो वोल्टिक सौरविद्युत संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। (घ) इंदिरा सागर पावर स्टेशन में पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रणाली विकसित की गई है। (ङ) परंपरागतविद्युत की खपत में बचत करने के लिए भोपाल में एनएचडीसी परिसर में नए कार्यालय भवन की छत पर 20 किलोवाट की सौरविद्युत परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।
(ग)	ऊर्जा की खपत कम करने के लिए उपर्युक्त (क) और (ख) उपायों का प्रभाव और उससे वस्तुओं की उत्पादन लागत पर असर	परंपरागत विद्युत की खपत में महत्वपूर्ण कमी आई है।
(घ)	अनुलग्नक के फार्म-क और उसकी अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों के संदर्भ में कुलविद्युत खपत और प्रति यूनिट उत्पादन की खपत	लागू नहीं

फार्म-ख

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1)	विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी ने अनुसंधान और विकास कार्य किए गए	(क) इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत टीजी सेटों के लिए ऑनलाइन टू डायमेंशनल कंपन निगरानी प्रणाली का विकास किया जा रहा है। (ख) ओंकारेश्वर विद्युत केंद्र में 04 जेनरेटर ट्रांसफार्मर के लिए ऑन लाइन डीजीए उपकरण विकसित किया जा रहा है। (ग) मध्य प्रदेश राज्य में भारत सरकार के एक संस्थान मानित, भोपाल के सहयोग से जिओथर्मल उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए पीएफआर तैयार की गई। मानित ने मध्य प्रदेश में जिओथर्मल विद्युत के मूल्यांकन, क्षेत्र और इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट पेश की। (घ) इंदिरा सागर परियोजना में लोड अध्ययन और पावर फैक्टर सुधार के उपाय किए गए।
2)	उपर्युक्त अनुसंधान और विकास कार्यों के फायदे	उपरोक्त उपायों के लाभ आने वाले वर्षों में प्राप्त होने की संभावना है।
3)	भावी कार्य योजना	(क) इंदिरा सागर परियोजना में लोअर गाइड बीयरिंग और थ्रस्ट बीयरिंग के लिए बाहरी ऑयल कूलरों संबंधी अध्ययन और संस्थापना। (ख) इंदिरा सागर परियोजना में गाइड बीयरिंग के तल और शीर्ष भाग से ऑयल वैपर के ऑयल निष्कासन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन संबंधी अध्ययन और संस्थापना। (ग) ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नदी चैनल में सुधारों के साथ टीआरसी में प्रवाह पद्धति का अध्ययन। (घ) ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत 11 केवी और 415 वी इलेक्ट्रिक पैनेलों के लिए अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम का अध्ययन एवं विस्तार। (ङ) इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत अद्यतन गणना तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए बांध स्पिलवे के ईडीए का कार्य निष्पादन मूल्यांकन। (च) ओंकारेश्वर बांध के विभिन्न ब्लाकों में लंबवत आकार के नालों से अत्यधिक रिसाव/टपकन के कारण और मार्ग का अध्ययन और पहचान।
4)	अनुसंधान और विकास पर खर्च	
	(क) पूंजी	रुपये 114 लाख
	(ख) आवर्ती	
	(ग) राजस्व	रुपये 209 लाख
	(घ) कुल	रुपये 323 लाख
	(ङ) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान विकास का कुल खर्च	1095.45 करोड़ रुपये के कुल कारोबार का 0.3 प्रतिशत

टेक्नोलॉजी आमेदन, अनुकूलन और नई खोज

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1	टेक्नोलॉजी अपनाने, उसे आत्मसात करने और नई खोजों की दिशा में प्रयास संक्षेप में	(क) ओंकारेश्वर विद्युत केंद्र के प्रशासनिक भवन की छत पर 15 किलोवाट क्षमता का सौरविद्युत संयंत्र लगाया गया है ताकि प्रकाश प्रणाली की जरूरतें पूरी की जा सकें। (ख) ओंकारेश्वर विद्युत केंद्र के प्रशासनिक भवन में प्रकाश व्यवस्था के लिए परंपरागत दक्षतापूर्ण आधारित लाइट फिटिंग्स की गई हैं।
2	उपर्युक्त प्रयासों से प्राप्त परिणाम यथा - उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रति स्थापन आदी	उपरोक्त उपायों के लाभ आने वाले वर्षों में प्राप्त होने की संभावना है।
पिछले पाँच वर्षों में आयातित तकनीक		शून्य

विदेशी मुद्रा की आमदनी और खर्च

क्र. सं.	वांछित सूचना	उत्तर
1.	निर्यात से संबंधित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास; और निर्यात की योजनाएं	लागू नहीं
2.	विदेशी मुद्रा की कुल आमदनी विदेशी मुद्रा खर्च	शून्य शून्य

अनुलग्नक 'क' (देखें अनुच्छेद 14 घ)

कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 क) के तहत कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 को ध्यान में रख कर वांछित सूचना शून्य समझी जाए।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण, एनएचपीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश)

हमने मैसर्स एनएचपीसी लिमिटेड, भोपाल (मध्यप्रदेश) के 31 मार्च, 2012 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ एवं हानि लेखा, और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जांच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया कराती है।

भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) की शर्तों के अनुसार जारी, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार और उस जांच के आधार पर जो हमने उचित समझी है तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।

उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि: हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे;

हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है;

इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों के अनुरूप है;

हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी उनके सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के बारे में उक्त अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1) के खंड (जी) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षाएं इस कंपनी पर भी लागू नहीं होती हैं।

हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उनके बारे में और उनके साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों के व्याख्यात्मक विवरण में दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं-

तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2012 को कंपनी की स्थिति का,

लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का,

नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह का।

कृते भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर. गणेशन)

भागीदार

सदस्यता सं.- 26164

एफ आर न. 004465सी

स्थान - कैप, नई दिल्ली

दिनांक. 17.05.2013

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

- (i) (क) कम्पनी ने सामान्यतः उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें मात्रात्मक ब्योरे तथा अचल परिसंपत्तियों की अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
- (ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सभी अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा किया गया है। हमारे मतानुसार इस सत्यापन की आवश्यकता तर्कसंगत है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे समक्ष जांच के लिए प्रस्तुत किए गए रिकार्डों के अनुसार इस तरह की भौतिक जांच के दौरान उजागर हुई खामियां कोई महत्वपूर्ण नहीं थीं और उन्हें दूर करने के लिए लेखा-बहियों में समुचित व्यवस्था की गई है।
- (ग) चूंकि वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया, अतः इस कारण से सतत सरोकार के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (ii) (क) वर्ष के दौरान मार्गस्थ वस्तुओं को छोड़कर मालसूची का बाहरी सनदी लेखाकार फर्म द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार ऐसे भौतिक सत्यापन की आवृत्ति तर्कसंगत है।
- (ख) हमारे मतानुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।
- (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में कोई विवर्धन नहीं पायी गई है।
- (iii) (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।
- (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ड), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।
- (iv) हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची, अचल परिसंपत्तियों के

- विक्रय और विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री हेतु एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी सामने नहीं आयी।
- (v) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर, हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी सविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो। इसे देखते हुए धारा(v) की उपधारा (क) और (ख) लागू नहीं होती।
- (vi) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एनएचपीसी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्य प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किन्हीं नियमों के अंतर्गत पब्लिक से कोई जमा-राशियां स्वीकार नहीं की हैं।
- (vii) हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप कंपनी की एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- (viii) हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा किए गए बहियों के रखरखाव की स्थिति की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखे और रिकार्ड समुचित रूप से तैयार और अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने सटीकता अथवा पूर्णता के निर्धारण के उद्देश्य से इन लेखा-बहियों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।
- (ix) (क) कंपनी द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और बचाव निधि, आयकर, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के पास जमा करवाया जा रहा है। हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2012 को देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि के लिए उक्त वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई बकाया राशि देय नहीं है।

- (ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों के अनुसार किसी विवाद के कारण जमा न करवाए गए आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के देयों की राशि 9 लाख रुपए (आय कर) और 3 लाख (एंड्री टैक्स यानी प्रवेश कर) है।

संवधि का नाम	शुल्क का स्वरूप	फोरम जहां विवाद लंबित है	राशि (लाख रुपये में)
मध्य प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम	विनिमय दर में अंतर के कारण अचल आस्तियों में संवर्द्धन और अन्य संवर्द्धनों पर प्रवेश कर	एमपीसीटी अपील बोर्ड	3

- (x) वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानि नहीं है। कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए और इससे तत्काल पूर्व के वित्त-वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि वहन नहीं की है।
- (xi) अभिलेखों की जांच और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।
- (xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर, ऋण-पत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यो को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
- (xiii) कम्पनी एक चिट/निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए इस खंड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
- (xiv) कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है।
- (xv) कंपनी ने अन्यो द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

- (xvi) सावधि ऋणों से संबंधित निधियों के उपयोग की समीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया, जिनके लिए वे उगाहे गये थे।
- (xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच के आधार पर, हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें बताए गए अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधि का इस्तेमाल दीर्घावधि निवेश के रूप में नहीं किया गया।
- (xviii) कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
- (xix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किया है और इसलिए प्रतिभूति के सृजन या तत्संबंधी प्रभार का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।
- (xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी प्रकार की प्रतिभूति के लिए पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है, इसलिए किसी पब्लिक इश्यू के जरिए उगाहे गए धन के लक्षित इस्तेमाल संबंधी प्रकटीकरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।
- (xxi) अपनायी गयी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन से मिली जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी सामने नहीं आई है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते भुटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

(आर. गणेशन)

भागीदार

सदस्यता सं.- 26164

एफ आर न. 004465सी

स्थान - कैप, नई दिल्ली

दिनांक. 17.05.2013

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(क) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वित्तीय ब्योरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्योरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17 मई, 2013 अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्योरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा नहीं आया जिस पर टिप्पणी की जाये या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरक रिपोर्ट पेश की जाये।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ताक्षरित

(बृज मोहन)

प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) और

पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 14 जून, 2013

31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	196258	196258
(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	376116	327607
(2) गैर चालू देयताएं			
(क) दीर्घावधि उधारियां	4	138838	163982
(ख) स्थगित कर देयताएं	5	16340	14632
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	12132	12110
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	805	1305
(3) चालू देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	4	-	-
(ख) व्यापार प्राप्त	8	887	843
(ग) अन्य चालू देयताएं	9	39355	33075
(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	59670	74302
कुल		840401	824114
II. आस्तियां			
(1) गैर चालू आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	10.1	290947	309956
(ii) अगोचर आस्तियां	10.2	258023	271836
(iii) चालू पूंजी कार्य	11.1	306	275
(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	11.2	-	-
(ख) गैर-चालू निवेश	12	-	-
(ग) स्थगित कर आस्तियां	5	-	-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	3232	2690
(ङ) अन्य गैर-चालू आस्तियां	14	18801	19914
(2) चालू आस्तियां			
(क) चालू निवेश	15	-	-
(ख) मालसूची	16	714	580
(क) व्यापार प्राप्त	17	19100	21707
(घ) नकदी तथा बैंक शेष	18	215352	170683
(ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13	2461	1530
(च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	19	31465	24943
कुल		840401	824114
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न भाग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर गणेशन
(भागीदार)
सदस्य संख्या 26164
एफआरएन - 004465सी

के एम सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

डी चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.05.2013

31 मार्च 2103 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

(राशि लाख रुपये में)			
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	20	109545	129132
ii) अन्य आय	21	24274	15919
कुल राजस्व		133819	145051
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन तथा अन्य व्यय	22	8210	7672
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	23	6395	5925
iii) वित्त लागत	24	21083	23063
iv) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	25	24418	25755
कुल व्यय		60106	62415
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ		73713	82636
पूर्व अवधि मदें (निवल)	26	(378)	(2093)
विशिष्ट और असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ		74091	84729
असाधारण मदें		-	-
असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ		74091	84729
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		74091	84729
कर व्यय	27		
i) चालू कर		14824	16987
ii) पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन		(5)	24
iii) विलंबित कर		1708	3028
कर संबंधी कुल व्यय		16527	20039
वर्ष के लिए लाभ		57564	64690
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर)		293.31	329.61
आधारभूत		293.31	329.61
डाइल्यूटिड		293.31	329.61
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
अन्य व्याख्यात्मक लेख टिप्पणियां	30		
टिप्पणी 1 से 30 इस लेखे का अभिन्न अंग है।			

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

आर गणेशन
(भागीदार)
सदस्य संख्या 26164
एफआरएन - 004465सी

के एम सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

डी चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.05.2013

टिप्पणी संख्या - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्घवन विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर पूंजीकरण किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परितोषित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।
- 2.7 कंपनी प्रत्येक तुलना पत्रक की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर नकदी सृजित करने वाली यूनिट (सीजीयू) की क्षीणता का मूल्यांकन करती है। यदि ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी सृजित करने वाली इकाई की आगे ले जायी जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षीणता हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने अथवा ऐसी हानि के विद्यमान न होने अथवा कम होने की स्थिति में क्षीणता हानि को परिवर्तित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्ज

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जें मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बटटेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जें" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. जारी पूंजीगत कार्य

- 4.1 चालू की जाने वाली परियोजनाएं और अन्य जारी पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा जाँच पर व्यय को जारी पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाइयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निर्मांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	11.25 प्रतिशत
(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण	30 प्रतिशत
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूँजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से 100% (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- स्रया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक स्रया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती है।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अगोचर परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाइयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाइयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।

- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारत औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेख पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बटटेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनियम दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनियम दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनियम अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनियम अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/निरुत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे पावर स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी टेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भवन आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिमार् को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1. परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. उधार लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये उधार लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

14. सहायता अनुदान

“सिंचाई और आर एंड आर कंपोनेन्ट” के लिए मध्यप्रदेश सरकार से और “सरदार सरोवर कंपोनेन्ट” के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त अंशदान की राशि, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से संबद्ध न होने के कारण, प्रारंभ में सहायता-अनुदान-आरक्षी के रूप में समझी गई और बाद में उसे उसी अनुपात में आय के रूप में समायोजित किया गया, जैसा कि ऐसे अंशदान से अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास बट्टे खाते डाला जाता है।

टिप्पणी संख्या 2-शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	संख्या में	(राशि लाख रुपए में)	संख्या में	(राशि लाख रुपए में)
(क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)	30000000	300000	30000000	300000
(ख) (जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 1000/-रुपए)	19625800	196258	19625800	196258
(ग) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी :				
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	19625800	196258	19625800	196258
जोड़े : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/ शेयर पूंजी	-	-	-	-
घटाएं : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	19625800	196258	19625800	196258
(घ) इक्विटी शेयरों के राइट्स, वरीयता और परिसीमा				
कंपनी ने मतदान अधिकार वाले केवल एक तरह के शेयर जारी किए हैं जिनमें शेयरधारकों के शेयर धारण के अनुपात में वोट देने का अधिकार होता है। इन मताधिकारों का इस्तेमाल शेयरधारकों की बैठक में किया जाता है। इक्विटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं।				
(ङ) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
एनएचपीसी लिमिटेड (होलिंग कम्पनी)	10024200	51.08%	10024200	51.08%
मध्य प्रदेश सरकार	9601600	48.92%	9601600	48.92%
(च) पिछले पांच वित्त वर्षों में	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
अनुबंध के बाद बिना नकद भुगतान के आवंटित पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शून्य		शून्य	
बोनस शेयर के रूप में आबंटित पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शून्य		शून्य	
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	शून्य		शून्य	

टिप्पणी संख्या 3-आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
पूंजी आरक्षी				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-	-
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-
तुलन पत्रक की तारीख को		-		-
प्रतिभूति प्रीमियम खाता				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-	-
जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-
तुलन पत्रक की तारीख को		-		-
सामान्य आरक्षी				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-	-	-
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-
तुलन पत्रक की तारीख को		-		-
स्व बीमा निधि				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	16051	16051	16051	16051
जोड़े: अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान पश्च लिखित	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-
घटाएं: स्व-बीमा निधि से वसूली योग्य दावे	-	-	-	-
तुलन पत्रक की तारीख को	16051	16051	-	16051
सहायता अनुदान आरक्षी				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	120711	117216	117216	117216
जोड़े: वर्ष के दौरान संवर्धन	5830	9096	9096	9096
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती	5716	5773	5773	5773
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	2280	(172)	(172)	(172)
तुलन पत्रक की तारीख		118545		120711
अधिशेष *		241520		190845
कुल		376116		327607

टिप्पणी संख्या 3-आरक्षित तथा अधिशेष

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
* अधिशेष		
लाम एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाम	57564	64690
अग्रेणीत शेष	190845	132998
जोड़े:		
पूंजी आरक्षी पक्ष लिखित	-	-
बांड परिशोधन आरक्षी पक्ष लिखित	-	-
अन्य आरक्षी पक्ष लिखित	-	-
स्व बीमा निधि से पक्ष लिखित	-	-
लामांश पर कर पक्ष लिखित	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		
पूंजी आरक्षी को अंतरित	-	-
बांड परिशोधन आरक्षी को अंतरित	-	-
स्व बीमा निधि को अंतरित	-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरित	-	-
लामांश:		
-अंतरिम	-	-
-प्रस्तावित	5888	5888
-अंतिम		
लामांश पर कर		
-अंतरिम	-	-
-प्रस्तावित	1001	955
अग्रेणीत शेष	241520	190845

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

(लाख रुपये में)

1 सहायता-अनुदान आरक्षी	01.04.2012	संवर्द्धन	कटौतियां	समायोजन	31.03.2013
i) आईएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	30419	449	1484		29384
ii) आईएसपीएस के लिए एनबीडीए खाते से सरदार सरोवर परियोजना को अंतरित आनुपातिक आर्थिक सहायता।	38876	576	1897		37555
iii) आईएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	24687	3068	1185		26570
iv) ओएसपीएस में सिंचाई घटक के प्रति सहायता-अनुदान के रूप में मध्यप्रदेश सरकार का आनुपातिक योगदान।	22316		908	(2280)	19128
v) ओएसपीएस के अनुसंधान एवं विकास कार्यों में मध्यप्रदेश सरकार का योगदान।	4413	1737	242		5908
कुल	120711	5830	5716	(2280)	118545

कोष्ठक में आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

टिप्पणी संख्या 4-उधार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
बॉण्ड्स						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंकों से #						
- प्रतिभूत	97045	-	97045	104358	-	104358
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियों से #						
- प्रतिभूत	74250	-	74250	87750	-	87750
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
कुल दीर्घावधि उधार	171295	-	171295	192108	-	192108
घटाएं: दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं	32457	-	32457	28126	-	28126
	138838	-	138838	163982	-	163982
निदेशकों द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि			शून्य			शून्य
भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों की कुल राशि			शून्य			शून्य

टिप्पणी संख्या 4-उधार

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की राशि			शून्य			शून्य
31.03.2013 को ऋणों एवं ब्याज की अदायगी में चूक की अवधि			शून्य			शून्य

प्रतिभूति (प्रत्येक मामले में अलग से) के बारे में प्रकटीकरण :-

- बैंकों से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और इंदिरा सागर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।
- अन्य पार्टियों (पावर फाइनेंस) कारपोरेशन से उपरोक्त बकाया सावधि ऋण कंपनी की अचल/स्थिर परिसंपत्तियों के स्वत्व-संलेख ऋण दाताओं के पास सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं और ओमकारेश्वर परियोजना की भी सभी वर्तमान तथा भावी चल, अचल और चालू परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभाव के माध्यम से संरक्षित हैं।
- सावधि ऋणों पर ब्याज की दर और भुगतान की शर्तों का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 4-ऋण से संबद्ध अनुलग्नक में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 4-उधार से संबद्ध अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 का
(क). बांड्स (अपरिवर्तनीय और गैर-संचयी) -प्रतिभूत	0	0
कुल बांड्स (क)	0	0
(ख). दीर्घावधि ऋण-प्रतिभूत		
I- इंदिरा सागर परियोजना		
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	20280	21840
(31.03.013 को 12.50 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 1560 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
देना बैंक	17172	18493
(31.03.013 को 12.50 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 1321 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
देना बैंक	15479	16604
(31.03.013 को 11.75 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 1125 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 31.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	24216	26079
(31.03.013 को 12.50 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 1863 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	15673	16793
(31.03.013 को 11.75 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 1120 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 30.09.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4225	4550
(31.03.013 को 12.50 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 325 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 31.03.2019 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
उप-जोड़	97045	104359
II- ओमकारेश्वर परियोजना		
पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	74250	87750
(31.03.013 को 10.80 प्रतिशत की परिवर्तनशील ब्याज दर पर 6750 लाख रुपये प्रत्येक की समान 20 छमाही किस्तों में 15.07.2018 तक पुनर्भुगतान योग्य)		
उप-जोड़	74250	87750
कुल सावधि ऋण - बैंक/वित्तीय संस्थान -भारतीय रुपया-प्रतिभूत (ख)	171295	192109
सावधि ऋण - अन्य पक्षों से (अप्रतिभूत)		
(ग) बैंकों / एफ आईएस से सावधि ऋण - विदेशी मूद्रा		
भारत सरकार द्वारा प्रत्याश्रित		
कुल सावधि ऋण - बैंक (वित्तीय संस्थाएं - एफसी - अप्रतिभूत (सी)	0	0
(डी) क्षेत्र सरकार से ऋण - अप्रतिभूत	-	-
कुल अप्रतिभूत ऋण (ड)	0	0
कुल योग - (क+ख+ग+ड)	171295	192109

टिप्पणी स. 5-आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
आस्थगित कर देयता		
मूल्यहास	68770	66344
घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
संचयी असमाहित मूल्यहास	-	-
संदिग्ध ऋणों, सामान-सूची और अन्य के लिए प्रावधान		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	494	330
आस्थगित कर देयता	68276	66014
घटाएं : वसूली योग्य	51936	51382
आस्थगित कर देयता (निवल)	16340	14632

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

कम्पनी लेखांकन मानक नियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक 22 "आय पर कर" का अनुपालन करते हुए 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान स्थगित कर देयता के लिए रुपये 1708 लाख (पिछले वर्ष रुपये 3028 लाख) का प्रावधान किया गया है। संचयी स्थगित कर देयता का मदवार विवरण नीचे दिया गया है।

टिप्पणी स. 6 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क) व्यापार देयताएं	-	-
ख) अन्य		
जमा/प्रतिधारण धन/प्राप्त अग्रिम	128	106
अग्रिम प्राप्त आय	12004	12004
विदेशी मुद्रा अंतर से आस्थगित देयताएं	-	-
विदेशी मुद्रा अंतर लेख से आस्थगित आय	-	-
	12132	12110

टिप्पणी स. 7 प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
i) अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	619	66		521	47	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	356		98	54	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	389		-	35	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	64	-		-	-	
इति शेष	555	33	588	619	66	685
ii) उपदान के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	445	19		450	11	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	6		-	19	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	445	25		-	11	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		5	-	
इति शेष	-	-	-	445	19	464
iii) आरईएचएस के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	212	1		153	7	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	11	-		59	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	1	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	5	
इति शेष	223	1	224	212	1	213
iv) टीटीए (सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ता) के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	28	-		32	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	2	-		4	-	
इति शेष	26	-	26	28	-	28

टिप्पणी स. 7 प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
व) स्मृति-चिन्ह के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	1	-		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		1	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	1	-	1	1	-	1
ख) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	710		-	2732	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	22		-	66	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	21		-	1845	
अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए अंतरित राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	600		-	243	
इति शेष	-	111		-	710	
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम धन	-	111		-	84	
अंतिम शेष (निवल अग्रिम)	-	-	-	-	626	626
ग) कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन/प्रोत्साहन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	1561		-	1100	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	442		-	517	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1484		-	56	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	42		-	-	
इति शेष	-	477	477	-	1561	1561
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	4	4	-	150	150
अंतिम शेष (निवल अग्रिम)	-	473	473	-	1411	1411
घ) अधिवर्षिता/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	943		-	600	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	168		-	343	
वेतन संशोधन प्रावधान से अंतरित राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	223		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	2		-	-	
इति शेष	-	886	886	-	943	943
ङ) अन्य						
i) प्रस्तावित लाभांश के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	5888		-	3925	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	5888		-	5888	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	5888		-	3925	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	-	5888	5888	-	5888	5888
ii) प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	955		-	637	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	1001		-	955	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	955		-	637	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	-	1001	1001	-	955	955
iii) प्रावधान-अन्य						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	3034		-	3563	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	1582		-	5	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	424		-	534	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	-	4192	4192	-	3034	3034

टिप्पणी स. 7 प्रावधान

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
iv) शुल्क समायोजन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	43		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	-	43	43	-	-	-
v) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए प्रावधान और स्थायी विकास व्यय (एसडी)						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	503		-	275	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	428		-	608	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	538		-	380	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
इति शेष	-	393	393	-	503	503
vi) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	60856		-	14570	
वर्ष के दौरान संवर्द्धन	-	-		-	47098	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	988		-	812	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	13108		-	-	
इति शेष	-	46760	46760	-	60856	60856
कुल	805	59670	60475	1305	74302	75607

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 1) रुपये 22 लाख (संचयी प्रावधान रुपये 111 लाख) का प्रावधान "वेतन संशोधन के लिए प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत "कार्मिक समायोजन वेतन (निर्धारण लाभ)" के लिए किया गया, जिसका निपटारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा में लंबित है। रु 111 लाख की राशि इस मद में अदा की गई जिसे "अग्रिम भुगतान" के रूप में दर्शाया गया है।
- 2) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और स्थायी विकास (एसडी), के लिए प्रावधान में संवर्द्धन, के अंतर्गत रु 323 लाख (पिछले वर्ष 608 लाख) कारपोरेट सामाजिक दायित्व और रु 105 लाख (पिछले वर्ष शून्य) स्थायी विकास के लिए शामिल हैं। कार्यक्रम के अनुसार खर्च न की गई कोई भी राशि, पिछले वर्ष सहित, अगले वर्ष इस्तेमाल के लिए अग्रेणीत की जाती है। किंतु, कोई पृथक निधि सृजित नहीं की गई है। स्थायी विकास के लिए प्रावधान लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 2012-13 में किया गया है।
- 3) प्रावधान अन्य में संवर्द्धन के अंतर्गत रु 323 लाख (पिछले वर्ष शून्य) अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए शामिल हैं। यह प्रावधान लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 2012-13 में किया गया। कार्यक्रम के अनुसार खर्च न की गई कोई भी राशि, पिछले वर्ष सहित, अगले वर्ष इस्तेमाल के लिए अग्रेणीत की जाती है। किंतु, कोई पृथक निधि सृजित नहीं की गई है।
- 4) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान के अंतर्गत ओकरेश्वर परियोजना के संदर्भ में वन भूमि के गैर-वन प्रयोजन के लिए इस्तेमाल के संदर्भ में दायित्व के तहत रु 33990 लाख (पिछले वर्ष रु 47098 लाख) सीएएमपीए निधि (क्षतिपूरक वनरोपण प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण) के लिए शामिल हैं। यह राशि एनवीडीए द्वारा संशोधित की गई थी।
- 5) लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों के संदर्भ में अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन लंबित रहते 31.3.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 168 लाख रुपये (पिछले वर्ष 343 लाख रुपये) का प्रावधान (संचयी प्रावधान 886 लाख रुपये) किया गया है।

टिप्पणी स. 8 - व्यापार देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए	887	843
	887	843

टिप्पणी स. 9-अन्य चालू देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क) दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वताएं *	32457	28126
ख) वित्त लीज दायित्व की चालू परिपक्वताएं	-	-
ग) जमा राशि	-	-
घ) ब्याज प्रादभूत किंतु उधारियों पर देय नहीं	1382	441
ङ) व्याज प्रादभूत और उधारियों पर देय	-	-
च) अग्रिम प्राप्त आय	-	-
छ) अदा न किया गया लाभांश	-	-
ज) पूंजीगत कार्यों/आपूर्तियों के प्रति देयता	2839	3378
झ) जमा/प्रतिधारण निधि	728	601
ञ) होल्डिंग के प्रति देय	-	110

टिप्पणी स. 9-अन्य चालू देयताएं

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
ट) जमा/एजेन्सी की खर्च न की गई राशि	-	-
ठ) बांड आवेदन धन	-	-
ड) सांविधिक बकाया देयताएं	628	197
ढ) स्व बीमा निधि संबंधी देयताएं	-	-
ण) अन्य देयताएं	1321	222
त) डिपोजिट कार्यों के विरुद्ध अग्रिम	-	-
घटाएं : डिपोजिट कार्यों पर व्यय गई राशि	-	-
थ) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की लागत के विरुद्ध अग्रिम	-	-
घटाएं : परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य की पर किया गया व्यय	-	-
द) परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्य के संदर्भ में वसूली योग्य राशि के लिए प्रावधान	-	-
	39355	33075

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- * ऊपर (क) पर वर्णित दीर्घावधि ऋणों की ब्याज दर, भुगतान की शर्तें और प्रतिभूत ऋणों की प्रतिभूति एवं चालू परिपक्वताओं का ब्यौरा टिप्पणी संख्या 4 में दिया गया है।
- अन्य देयताओं के अंतर्गत रु 1048 लाख (पिछले वर्ष शून्य) ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा जमा कराए गए हैं। यह राशि शिकायत निपटान प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भूमि योजना के लिए भूमि हेतु जमा कराई गई है।

टिप्पणी संख्या 11.1 गोचर परिसंपत्तियां

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक
		01.04.2012	संवर्द्धन अन्य	संवर्द्धन अन्य	अन्य समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2013	
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	176	0	0	0	176	38	6	44	132
iii)	सड़के और पुल	1266	0	0	0	1266	194	47	241	1025
iv)	भवन	66058	360	0	(1)	66417	12721	2235	0	53337
v)	रेलवे साइडिंग्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	168189	16	0	2	168207	36086	8881	0	132103
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	157040	107	0	1	157148	37455	8291	0	111402
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	2412	0	0	0	2412	554	127	0	1858
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	376	16	0	(1)	391	72	21	0	304
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	424	2	0	0	426	125	22	0	299
xi)	निर्माण उपकरण	578	1	0	0	579	328	56	1	250
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	257	0	0	0	257	36	9	0	221
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	41	19	0	0	60	7	3	0	34
xiv)	वाहन	120	0	0	0	120	88	5	0	32
xv)	विमान/नौकाएं	0	0	0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	500	23	4	(1)	518	215	32	(2)	285
xvii)	कम्प्यूटर	233	39	24	0	248	196	16	(20)	37
xviii)	संचार उपकरण	48	1	1	0	48	18	3	(1)	30
xix)	कार्यालय उपकरण	262	11	2	(6)	265	109	21	(7)	153
xx)	अनुसंधान और विकास	6	114	0	0	120	1	0	0	5
xxi)	अन्य आस्तियां	242	108	2	(1)	347	80	19	0	162
xxii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	1904	0	0	0	1904	1853	22	0	51
xxiii)	नौण मूल्य की अवल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	67	13	5	(1)	74	67	12	(5)	0
xxiv)	अप्रचलित / अधिशेष आस्तियां	0	0	0	1	1	0	0	0	0
कुल		400199	830	38	(7)	400984	90243	19828	(34)	309956
पिछले वर्ष		447944	905	48650		400199	78295	20163	90243	369649

टिप्पणी संख्या 11.2 अगोचर परिसंपत्तियां

क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक
		01.04.2012	संवर्द्धन अन्य	संवर्द्धन अन्य	अन्य समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए समायोजन	31.03.2013	
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	323246	9600	13108	0	319738	51439	10285	0	271807
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	87	0	0	0	87	58	20	0	29
कुल		323333	9600	13108	0	319825	51497	10305	0	271836
पिछले वर्ष		225862	97471	0	0	323333	32033	11365	8099	193829

कोस्ट में दर्शाए गए आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- 1) अवर्गीकृत भूमि इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 395430 लाख रुपये (पिछले वर्ष 394963 लाख रुपये) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।
- 2) अन्य प्रकटिकरण:

परीसंपत्ती वर्ग	विदेशी मुद्रा दर में अंतर के कारण ग्राँस ब्लॉक में संवर्धन		वर्ष के लिए मूल्यहास	
	31.03.2013 के अनुसार (लाख रुपये में)	As on 31.03.2012 के अनुसार (लाख रुपये में)	10.1	19828
हाइड्रोलिक कार्य (बांध, वॉटर कंडक्टर सिस्टम, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, टनल)	2	16	10.2	10305
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	1	3	कुल	30133
	3	19	पीएंडएल को प्रमारीत	24418
			सहायता आरक्षित में अनुदान प्रमारीत	5716

टिप्पणी संख्या 11.1 - जारी पूंजी गत कार्य

(लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2013
i) सड़कें और पुल	-	-	-	-	-
ii) भवन	48	351	1	360	40
iii) रेलवे साइडिंग्स	-	-	-	-	-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	7	9	-	16	-
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-	73	-	73	-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-	-	-	-	-
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	-	-	-	-	-
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-	17	-	16	1
ix) निर्माण उपकरण	-	2	-	2	-
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	14	26	-	-	40
xi) प्रतीक्षारत संस्थापना अन्य परिसंपत्तियां	12	22	-	12	22
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	19	4	-	-	23
xiii) सीडब्ल्यूआईपी-भारत सरकार की 5 केएम योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
xiv) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार-नई परियोजनाएं	175	5	-	-	180
xv) प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-	-	-	-	-
xvi) निर्माण के दौरान व्यय *	-	-	-	-	-
घटाएं : उपलब्ध कराने के लिए	-	-	-	-	-
उप-जोड़ (क)	275	509	1	479	306
* वर्ष के दौरान संवर्द्धन के लिए टिप्पणी संख्या 29 देखें					
	01.04.2012		समायोजन		31.03.2013
निर्माण भंडार	-	-			0
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-	-			0
उप-जोड़ (ख)	0	-			0
कुल	275	509	1	479	306
पिछले वर्ष	573	401	(66)	633	275

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती प्रदर्शित करते हैं।

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार वाली भूमि पर सृजित सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत 82 लाख रुपये (पिछले वर्ष 68 लाख रुपये) के भूमिगत निर्माण कार्य शामिल हैं जिन्हें सम्बद्ध शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 11.2 - विकासशील अगोचर परिसंपत्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2013
i) विकासशील अगोचर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12 - गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपये में)
क. व्यापार - उद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (पूर्ण प्रदत्त)			-			-
व्यापार - अनुद्भूत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश						
अनुबंधी कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)			-			-
संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)			-			-
(ख) बॉन्ड्स में निवेश			-			-
(ग) शेयर आवेदन राशि			-			-
संयुक्त उद्यम कम्पनियां (पूर्ण प्रदत्त)						
- चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड						
- नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड						
उप-जोड़ (क)			-			-

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपए में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति अंकित मूल्य (लाख रुपये में)	(राशि लाख रुपए में)
ख. गैर-व्यापार - उद्धृत						
(क) इक्विटी लिखत में निवेश			-			-
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (स्व-बीमा निधि)			-			-
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान और कोरपोरेट्स बांड्स (स्व-बीमा निधि)			-			-
उप-जोड़ (ख)			-			-
कुल (क+ख)			-			-
उद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			-			-
(ii) समग्र बाजार मूल्य			-			-
अनुद्धृत निवेश						
(i) समग्र लागत			-			-
(ii) मूल्य में कमी के लिए समग्र प्रावधान			-			-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन						

टिप्पणी संख्या 13 - ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
पूंजी अग्रिम -						
प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-		-	-		-
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	-		-	-		-
- अन्य	-		-	-		-
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-		-	-		-
घटाएं : इस्तेमाल का प्रमाणपत्र की प्रतिकारत व्यय के लिए प्रावधान	-		-	-		-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-		-	-		-
जमा राशि	668	338	1006	953	50	1003
घटाएं : संदिग्ध जमा राशि के लिए प्रावधान	-	50	50	-	50	50
सम्बद्ध पक्षों को ऋण एवं अग्रिम						
प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	20	20	-	-	-
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अन्य ऋण एवं अग्रिम						
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	2006	200	2206	1352	151	1503
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	558	153	711	385	136	521
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदले	-	9	9		8	8
- अन्य	-	66	66		126	126
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
ग्राहकों का बकाया निबटाने के लिए राज्य सरकारों को ऋण						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
सरकार को अग्रिम						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 13 - ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
अन्य अग्रिम						
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		19	19		1	1
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अग्रिम आय कर और स्रोत पर काटा गया कर		33512	33512		25776	25776
घटाएं : आय कर के लिए प्रावधान		31806	31806		24668	24668
निवल अग्रिम कर		1706	1706		1108	1108
	3232	2461	5693	2690	1530	4220
व्याख्यात्मक टिप्पणी						
1) निदेशकों की ओर बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण।			31.03.2013 को			31.03.2012 को
वर्ष के अंत में बकाया राशि			1			2

- 2) ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कंपनियों, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।
- 3) संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल की ओर वर्ष 2007 में बकाया 50 लाख रुपये की अप्रतिदेय राशि शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह राशि एनएचपीसी द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की जाने वाली पवन परियोजनाओं के संदर्भ में समायोजनीय है। लेकिन संरक्षण एवं पर्याप्त सावधानी के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए इसके लिए प्रावधान किया गया है।

टिप्पणी संख्या : 14 अन्य गैर चालू आस्तियां

(लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
दीर्घावधि व्यापार प्राप्तियां		
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	18801	19914
-संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए	-	-
बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य राशि	-	-
अन्य		
निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज		
-राज्य सरकार को अग्रिम	-	-
-अन्य	-	-
स्थगित विदेशी मुद्रा अन्तर आस्तियां	-	-
विदेशी मुद्रा अन्तर के कारण स्थगित व्यय	-	-
	18801	19914

टिप्पणी संख्या : 15 - वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2013 को		31 मार्च, 2012 को	
	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (लाख रुपये में)	शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूतियों की संख्या	अंकित मूल्य प्रति शेयर/ बॉण्ड/ प्रतिभूति (लाख रुपये में)
दीर्घावधि निवेश पर चालू परिपक्वताएं		-		-
व्यापार - अनुद्भूत				
कुल		-		-
अनुद्भूत निवेश		-		-
समग्र लागत		-		-
लेखांकन नीति संख्या 6 के अनुसार मूल्यांकन				

टिप्पणी संख्या : 16- माल सूची

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
(लेखांकन नीति संख्या 7 के अनुसार मूल्यांकन)		
भंडार और कलपुर्जे	412	399
मार्गस्थ/ निरीक्षण लंबित भंडार	95	8
खुले औजार		11
स्क्रेप माल सूची		3
निर्माण स्थल पर सामग्री	194	159

टिप्पणी संख्या : 16- माल सूची

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
ठेकेदारों/निर्माणकर्ताओं को जारी सामग्री	-	-
स्व निर्मित सीईआरसी/बीईआरसी के लिए माल सूची	-	-
घटाएं : अप्रचलित और मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	-	-
	714	580

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- 1) मार्गस्थ/निरीक्षण लंबित भंडार के अंतर्गत मार्गस्थ सामग्री के लिए 2 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणी संख्या 17 -व्यापार प्राप्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण (भुगतान देय होने की तारीख से)		
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	10798	3155
-संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए		
-अन्य व्यापार प्राप्य		
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	8302	18552
-संदिग्ध समझे गए और प्रावधान किए गए		
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-
	19100	21707

टिप्पणी सं. 18 -नकदी एवं बैंक शेष

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क नकदी एवं नकदी समकक्ष		
i) हस्तगत नकदी	4	4
स्टैम्प सहित हस्तगत नकदी 1506 रुपये (17050 रुपये)		
ii) हस्तगत चेक, ड्राफ्ट	18	-
iii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- अन्य	72	1352
- जमा खाते में	-	-
- अन्य	45042	31605
• अन्य बैंकों के साथ		
- चालू खाते में		
- जमा खाते में		
# तीन महीने या कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा		
ख अन्य बैंकों में शेष		
i) बैंकों में शेष (तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में- स्व-बीमा निधि		
- अन्य	144149	110574
ii) जमा खाते में -भुगतान न किया गया लाभांश	-	-
iii) बारह महीने से अधिक परिपक्वता अवधि के साथ बैंकों में जमा		
- सावधि जमा-अन्य	26067	27148
	215352	170683

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 122 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं, जो लैटर आफ क्रेडिट या समान सुविधा शुरू करने के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंकों के पास रखी गई है। यह धनराशि 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 780 लाख रुपये (पिछले वर्ष 248 लाख) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अतः 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु 1048 लाख (पिछले वर्ष शून्य) ऑकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा जमा कराए गए हैं। यह राशि शिकायत निपटान प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भूमि योजना के लिए भूमि हेतु जमा कराई गई है। अतः 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- नकद और बैंक शेष समकक्ष के अंतर्गत 16051 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16051 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बीमा आरक्षी के रूप में रखी है, अतः अन्यथा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी सं. 19 अन्य चालू आस्तियां

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2013 का
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :-		
i) उपभोक्ताओं से बकायों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
ii) जमा राशियां		
- अन्य जमा राशियां	12179	10064
iii) अन्य	-	-
ख) बिल न किए गए राजस्व के कारण प्राप्य	3526	1884
ग) लाभार्थियों से वसूली योग्य ब्याज	175	-
घ) वसूली योग्य दावे	12323	9008
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	25	72
ङ) अन्य	3287	4059
च) निर्माण कार्य प्रगति पर		
निर्माण कार्य प्रगति पर (उपभोक्ता की ओर से)	-	-
परामर्शी कार्य प्रगति पर (उपभोक्ता की ओर से)	-	-
छ) समायोजन की प्रतीक्षा वाले व्यय	-	-
घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी वाले परियोजना व्यय हेतु प्रावधान	-	-
ज) बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियां	28	32
घटाएं : बट्टे खाते में डाले जाने की मंजूरी/लंबित जांच की प्रतीक्षा वाली हानियों के लिए प्रावधान	28	32
	31465	24943

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

- वसूली योग्य अन्य दावों के अंतर्गत 8 लाख रुपये (पिछले वर्ष 8 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो भू-विस्थापितों से वसूल की जानी है। यह राशि मुआवजा राशि में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एलए के तहत काटी जानी थी, लेकिन काटी नहीं गई। इसके अलावा 12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 12 लाख रुपये) विस्थापितों को दोहरे (डुप्लीकेट) भुगतान से संबंधित है, जिसके लिए पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।
- (ङ) पर वर्णित अन्य के अंतर्गत स्थगित कर के भुगतान के लिए 3058 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3825 लाख रुपये) शामिल हैं।

टिप्पणी सं. 20 प्रचालन से राजस्व

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2013 का
क) बिक्री		
बिजली की बिक्री	108035	128467
विदेशी मुद्रा विनिमय दर अंतर खाते में बिक्री समायोजन	-	-
घटाएं : टैरिफ समायोजन	43	-
घटाएं : नियमित बिजली समायोजन	-	-
घटाएं : बिजली उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व (नोट : 29 ज (क) देखें)	-	-
उप जोड़ क	107992	128467
ख) मूल्यहास		
वर्ष के दौरान	-	1903
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-
उप जोड़ ख	-	1903
ग) अन्य प्रचालन आय		
लाभार्थी से ब्याज - सीईआरसी द्वारा अनुमत	1553	2568
	1553	2568
घ) संविदाओं, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों से राजस्व		
संविदा आय	-	-
परियोजना प्रबंधन/परामर्शी कार्यों से राजस्व	-	-
उप जोड़ ग	-	-
कुल योग (क+ख+ग+घ)	109545	129132

व्याख्यात्मक टिप्पणी : -

- बिक्री की राशि इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा 2009-14 की अवधि के लिए अधिसूचित अंतिम शुल्क के अनुसार हिसाब में ली गई है।
- कंपनी ने ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 2009-14 की अवधि हेतु शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में शुल्क याचिका दाखिल की है। वर्ष 2009-14 की अवधि के लिए टैरिफ अधिसूचना के लंबित रहते, ओंकारेश्वर परियोजना के संदर्भ में वर्ष के लिए बिक्री को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2009 में वर्णित सिद्धांतों और संतुलन के सिद्धांत के आधार पर हिसाब में लिया गया है, क्योंकि टैरिफ अधिसूचनाएं सीईआरसी की विवेक पूर्ण जांच के अधीन हैं। किंतु, वर्ष के लिए बिलिंग सीईआरसी द्वारा अनुमोदित और कर समायोजनों के साथ 31 मार्च, 2009 को लागू टैरिफ के अनुसार की गई हैं।
- “विद्युत की बिक्री” के अंतर्गत निम्नांकित के संदर्भ में बिल न किया गया राजस्व शामिल है : (i) ओंकारेश्वर परियोजना के लिए 2009 के सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार टैरिफ सिद्धांतों के अनुपालन के संदर्भ में 324 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1884 लाख रुपये), (ii) आईएसपी और ओएसपी के लिए इक्विटी पर लाभ में बढ़ोतरी, जो 31.12.2012 से 31.3.2013

की अवधि के लिए 15.50 प्रतिशत से बढ़ कर 16.50 प्रतिशत हो गई, के लिए 564 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य), (iii) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा 2011-12 और 2012-13 के लिए जारी मसौदा जल लेखाविधि के अनुसार आईएसपी के ऊर्जा डिजाइन में परिवर्तन, जो 1901 एमयू से बदल कर 1853 एमयू किया गया, के कारण देय 753 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) और (iv) स्थगित कर देयता के रूप में रुपये 3058 लाख (पिछले वर्ष 1600 लाख रुपये) का भुगतान किए जाने के कारण।

- 4) वित्त वर्ष 2012-13 की न्यूनतम वैकल्पिक कर दर का इस्तेमाल करने से वर्ष के लिए बिक्री की गणना के प्रयोजन हेतु, इक्विटी पर लाभ (आरओई) (टैरिफ का एक घटक) में बढ़ोतरी हुई।
- 5) सीईआरसी द्वारा दिनांक 19.01.2009 की अधिसूचना के तहत अधिसूचित टैरिफ विनियम में अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान किया गया है कि चालू शुल्क अवधि के लिए शुल्क के निर्धारण हेतु हिसाब में ली जाने वाली पूंजी लागत शुल्क अवधि की समाप्ति पर सही गणना के अधीन होगी, जिससे शुल्क में बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। तदनुसार प्रचुर सावधानी के रूप में वर्ष के दौरान बहियों में 43 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) का प्रावधान किया गया।
- 6) बिक्री के अंतर्गत 1135 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16284 लाख रुपये) पिछले वर्ष की बिक्री के संदर्भ में शामिल हैं, जो चालू वर्ष में शुल्क को अंतिम रूप दिए जाने के कारण शामिल किए गए हैं।

टिप्पणी सं. 21 अन्य आय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) गैर-वर्तमान निवेश से आय		
i) व्यापार		
- अनुबंधियों से लाभ	-	-
- लाभोपार्जन	-	-
- ब्याज	-	-
सरकारी प्रतिभूतियां (राज्य सरकार द्वारा 8.5 प्रतिशत कर मुक्त बांड)		
ii) गैर-व्यापार		
- लाभोपार्जन आय-म्युचुल फंड	-	-
- लाभोपार्जन आय अन्य	-	-
- ब्याज (स्व-बीमा निधि)	-	-
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- ग्राहकों से बकायों के निपटान में राज्य सरकार को ऋण	-	-
- जमा खाता	-	-
- जमा खाता - स्व-बीमा निधि - इंडियन बैंक	-	-
- जमा खाता - स्व-बीमा निधि से इतर- इंडियन बैंक	19520	14405
लाभार्थियों से ब्याज - आस्थगित ऋण पर व्यापार प्राप्तियां	3068	729
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम	178	88
- अन्य	-	-
ii) विलंब अधिभार भुगतान	-	54
iii) म्युचुल फंड की बिक्री पर निवल लाभ/हानि	-	-
iv) स्व-निर्मित सीईआरसी/वीईआरसी की बिक्री से आय	-	-
v) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	1	-
vi) देयताएं/प्रावधान जिनके पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है। #	1090	340
vii) अन्य	417	303
viii) विनियम दर अंतर	-	-
कुल	24274	15919
जोड़ें/ (घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	24274	15919
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	-	-
घटाएं : ग्राहकों/ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम जमा और डिपोजिट कार्यों को अंतरित आय	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	24274	15919
# देयताएं/प्रावधान जिनके पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है।		
क) खराब और संदिग्ध ऋण	-	-
ख) खराब और संदिग्ध अग्रिम/जमा राशियां	-	-
ग) खराब और संदिग्ध दावे	34	-
घ) भंडार और कल पुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
ङ) भंडार और कल पुर्जों में कमी	-	-
च) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	600	243
छ) प्रतिबद्ध पूंजी व्यय के लिए प्रावधान	-	-
ज) जांच लंबित रहते हानियों के लिए प्रावधान	2	-
झ) पीआरपी/इंसेन्टिव/उत्पादकता पर आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	41	-
ञ) अधिवर्षिता एवं पेंशन निधि के लिए प्रावधान	2	-
ट) देयताएं जिनके लिए पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है	-	97
ड) अन्य	411	-
	1090	340

टिप्पणी संख्या 22 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क उत्पादन व्यय		
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत	187	300
जल उपयोग प्रभार	-	-
ख संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ग मरम्मत तथा अनुरक्षण		
-भवन	533	505
-मशीनरी	463	423
-अन्य	1259	987
घ प्रशासनिक व्यय		
किराया	454	391
दर्रे और कर	24	24
बीमा	906	891
स्व बीमा निधि से दावों की भरपाई	-	-
सुरक्षा व्यय	905	602
विद्युत प्रभार	920	888
यात्रा एवं वाहन	103	92
वाहनों पर खर्च	19	31
टेलीफोन, टैलेक्स एवं डाक टिकट	53	50
विज्ञापन एवं प्रचार	73	48
मनोरंजन एवं आवभगत व्यय	19	18
दान	-	-
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	62	85
पुस्तकें व पत्रिकाएं	3	3
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	139	119
परामर्शी प्रभार - विदेशी	-	-
प्रतिपूरक वृक्षारोपण/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/पर्यावरण संरक्षण पर खर्च	-	-
निगम के गैर स्वामित्व वाली भूमि पर व्यय	8	-
परिसंपत्तियों पर बिक्री पर हानि	-	2
बटुटे खाते डाली गई परिसंपत्तियां/दावे	-	-
पंचाट/अदालती मामलों पर ब्याज	-	-
लाभार्थी राज्यों को ब्याज	-	105
ग्राहकों को छूट	975	955
कारपोरेट सामाजिक दायित्व/स्थायी विकास/सामुदायिक विकास व्यय	437	665
स्वयं निर्मित सीईआर्स/वीईआर्स पर व्यय	-	-
अन्य सामान्य खर्च	446	400
विनिमय दर अंतर	-	-
लेखा परीक्षा व्यय (ब्यौरा नीचे देखें)	9	8
निदेशक व्यय	1	-
अनुसंधान और विकास व्यय	209	-
विनियमित विद्युत के लिए व्यय	-	-
घटाएं : विनियमित विद्युत पर वसूली योग्य व्यय	-	-
उप जोड़	8207	7592
जोड़ें/(घटाएं): सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
उप जोड़	8207	7592
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली	-	-
कुल (क)	8207	7592
ड प्रावधान		
प्रावधान किए गए खराब और संदिग्ध ऋण	-	-
प्रावधान किए गए खराब और संदिग्ध अग्रिम/जमा राशियां	-	50
प्रावधान किए गए खराब और संदिग्ध दावे	-	-
भंडार और कलपुर्जों के मूल्य में कमी	-	-
भंडार और कलपुर्जों में कमी के लिए प्रावधान	-	-
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-

टिप्पणी संख्या 22 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परियोजना व्यय के लिए प्रावधान	-	-
अचल आस्तियों/भंडार के लिए प्रावधान	3	30
स्वनिर्मित (सीईआरसी)/(वीईआरसी) की सूची के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
उप जोड़	3	80
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
उप जोड़	3	80
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
जोड़ (ख)	3	80
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल (क)+(ख)	8210	7672

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) लेखा परीक्षा भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

i) सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षक के रूप में

लेखा परीक्षा शुल्क

कर लेखा परीक्षा शुल्क

अन्य क्षमता में

कराधान मामले

कंपनी विधि मामले

प्रबंधन सेवाएं

अन्य मामले/सेवाएं

खर्चों की अदायगी

ii) लागत लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षा शुल्क

खर्चों की अदायगी

कुल लेखा परीक्षा व्यय

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

5

5

2

7

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

8

8

2) स्वतंत्र निदेशकों को सिटिंग फीस

3) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथि गृहों और मार्ग शिविरों (ऑपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं जो रद्द न किए जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों, अतिथि गृहों और ट्रांजिट कैपों के संदर्भ में लीज भुगतान किराए के स्तर में दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 23 कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, दिहाड़ी, भत्ते	5222	4697
उपदान, भविष्यनिधि और पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	820	816
कर्मचारी कल्याण व्यय	353	412
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
कुल	6395	5925
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	6395	5925
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	6395	5925

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय परिसरों के संदर्भ में (ऑपरेटिंग लीजिंग) के रूप में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं जो रद्द किए जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत कर्मचारियों के आवासीय इस्तेमाल के परिसरों के संदर्भ में लीज भुगतान हेतु रुपये 201 लाख (पिछले वर्ष रु. 153 लाख) शामिल हैं।

2) उपदान, भविष्यनिधि एवं पेंशन के लिए अंशदान में निम्नांकित अंशदान शामिल हैं :

i) कर्मचारी भविष्य निधि

ii) कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

305

251

259

411

टिप्पणी संख्या 24 वित्त लागत

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) निम्नांकित पर ब्याज :		
भारत सरकार से ऋण	-	-
बॉण्ड्स	-	-
विदेशी ऋण	-	-
सावधि ऋण	21073	23053
नकद ऋण सुविधाएं/डब्ल्यूसीडीएल	-	-
अन्य ब्याज प्रभार	-	-
उप जोड़	21073	23053
ख) अन्य ऋण लागत		
हेजिंग कारोबार पर हानि	-	-
बॉण्ड इश्यू/सेवा व्यय	-	-
रॉयल्टी	-	-
प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
अन्य वित्त प्रभार	10	10
उप जोड़	10	10
ग) विदेशी मुद्रा लेन देन और अंतरण पर लागू निवल लाभ/हानि		
ब्याज लागत में समायोजन समझा गया विनिमय अंतर	-	-
घटाएं : विदेशी विनिमय दर अंतर के कारण ब्याज समायोजन	-	-
उपजोड़	-	-
कुल	21083	23063
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	21083	23063
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्तीय लागत	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	21083	23063

टिप्पणी संख्या 25 मूल्य हास और परिशोधन व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्य हास और परिशोधन	30134	31528
विदेशी मुद्रा अंतर के कारण मूल्य हास समायोजन	-	-
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	30134	31528
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्य हास और परिशोधन व्यय	-	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य घटा	-	-
घटाएं : सहायता अनुदान आरक्षी (अनुदान पश्च लिखित) को प्रभारित (टिप्पणी संख्या 3 देखें)	5716	5773
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	24418	25755

टिप्पणी संख्या 26 पूर्व अवधि मदें (निवल)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	2224
जोड़ें : मूल्य हास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	-
देनदारों से प्राप्त ब्याज/प्रभार	-	-
अन्य	-	-
उपजोड़	-	2224
व्यय		
वेतन और मजदूरी	-	-
अनुरक्षण और रख रखाव	-	31
वित्त लागत	-	-
मूल्य हास और परिशोधन व्यय	(378)	100
अन्य	-	-

टिप्पणी संख्या 26 पूर्व अवधि मदें (निवल)

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
उप जोड़	(378)	131
कुल	(378)	(2093)
जोड़ें/(घटाएं) : सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	(378)	(2093)
घटाएं : ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाएं पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	(378)	(2093)
घटाएं: जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	(378)	(2093)

टिप्पणी संख्या 27 कर व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आयकर प्रावधान	14824	16987
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	(5)	24
स्थगित कर	(311)	(203)
घटाएं : वसूली योग्य	(2019)	(3231)
	16527	20039

टिप्पणी संख्या 28 : अनुबंध, योजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रत्यक्ष व्यय	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय		
i) वेतन, मजदूरी भत्ते और लाभ	-	-
ii) उपदान, भविष्यनिधि और पेंशन योजना में अंशदान	-	-
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
ख. अनुरक्षण और रख रखाव		
- भवन	-	-
- मशीनरी	-	-
- अन्य	-	-
ग. प्रशासन और अन्य व्यय		
-किराया	-	-
-यात्रा एवं वाहन	-	-
-वाहनों पर व्यय	-	-
-बीमा	-	-
-टेलीफोन, टैलेक्स और डाक खर्च	-	-
-विज्ञापन और प्रचार	-	-
-मुद्रण और लेखन सामग्री	-	-
- लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
-अन्य व्यय	-	-
-दरें और कर	-	-
-सुरक्षा	-	-
-विद्युत	-	-
-अनुषंगी व्यय	-	-
-परामर्शी प्रभार	-	-
घ. मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
ङ. वित्तीय लागत	-	-
निर्माण अनुबंधों पर व्यय	-	-
च. प्रावधान		
कार्य प्रगति पर	-	-
-निर्माण अनुबंध	-	-
-परामर्श	-	-
छ. सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
अन्य आय	-	-

टिप्पणी संख्या 28 : अनुबंध, योजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
मूल्य हास और परिशोधन व्यय	-	-
वित्त लागत	-	-
प्रावधान	-	-
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	-	-
कुल व्यय	-	-
ज घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां	-	-
वर्ष के दौरान कुल व्यय	-	-
झ. पूर्वावधि समायोजन	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 29 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क कर्मचारी लाभ व्यय		
i) वेतन मजदूरी भत्ते	-	-
ii) उपदान और भविष्यनिधि में योगदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	-	-
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
iv) अवकाश वेतन और पेंशन योगदान	-	-
उप जोड़	-	-
ख. अनुरक्षण और रख रखाव		
i) भवन	-	-
ii) मशीनरी	-	-
iii) अन्य	-	-
उप जोड़	-	-
ग. प्रशासन और अन्य व्यय		
i) किराया	-	-
ii) दरें और कर	-	-
iii) बीमा	-	-
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	-	-
vi) यात्रा और वाहन	-	-
vii) वाहनों पर व्यय	-	-
viii) टेलीफोन, टैलेक्स और डाक खर्च	-	-
ix) विज्ञापन और प्रचार	-	-
x) मनोरंजन और आवस्यगत व्यय	-	-
xi) मुद्रण और लेखन सामग्री	-	-
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	-
डिजाइन और परामर्शी प्रभार	-	-
xiii) - स्वदेशी	-	-
xiv) - विदेशी	-	-
xv) जलग्रहण क्षेत्रों में प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ उपचार/पर्यावरण व्यय	-	-
xvi) निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय	-	-
xvii) भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास	-	-
xviii) बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियों/पदार्थ पर हानि	-	-
xix) परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
xx) विनिमय दर अंतर	-	-
xxi) अन्य सामान्य व्यय	-	-
उप जोड़	-	-
घ. वित्त लागत :		
i) निम्नांकित पर ब्याज :		
क) भारत सरकार के ऋण	-	-
ख) बॉण्ड	-	-
ग) विदेशी मुद्रा ऋण	-	-
घ) सावधि ऋण	-	-

टिप्पणी संख्या 29 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
ii) बॉर्ड इश्यू/सेवा प्रभार	-	-
iii) प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
iv) ऋण पर गारंटी शुल्क	-	-
v) अन्य वित्त प्रभार	-	-
उप जोड़	-	-
ड. प्रावधान	-	-
उप जोड़	-	-
च. मूल्य हास और परिशोधन व्यय	-	-
उप जोड़	-	-
छ. पूर्व अवधि व्यय	-	-
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाएं : पूर्व अवधि आय	-	-
उप जोड़	-	-
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां	-	-
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमिशनिंग से पूर्व	-	-
ख) अन्य	-	-
i) ऋण और अग्रिमों पर ब्याज	-	-
ii) विविध प्राप्तियां	-	-
iii) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
iv) विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
v) पश्च लेखन की आवश्यकता न होने वाले प्रावधान/देयता	-	-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी पर किराया प्रभार/आउट रन	-	-
उप जोड़	-	-
झ। सीओ/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :	-	-
i) अन्य आय	-	-
ii) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	-	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	-	-
iv) मूल्य हास और परिशोधन	-	-
v) वित्त लागत	-	-
vi) प्रावधान	-	-
vii) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	-	-
उप जोड़	-	-
कुल (क+ख+ग+घ+ड+च+छ+ज+झ)	-	-

टिप्पणी संख्या 30 लेखों से सम्बद्ध अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां

1. क) आकस्मिक देयताएं जिनके संदर्भ में प्रावधान नहीं किया गया :-

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
i) निगम के खिलाफ दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया :-		
- पूंजी कार्य	24920	23050
- भूमि मुआवजा मामल	120999	128499
- अन्य	-	-
ii) विवादित कर आय मांग	-	6
iii) विवादित बिक्री कर मांग	-	-
iv) विवादित सेवा कर मांग	-	-
v) विवादित एंटी टैक्स मांग	3	3
vi) अन्य	-	-
कुल	145922	151558

ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामले और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।

ग) पूंजी कार्य के संदर्भ में आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर और मात्रा परिवर्तन संबंधी संविदाकारों के दावे, समय के विस्तार से संबंधित लागत और काम रोके जाने/कार्य स्थल सुपुर्द किए जाने में विलम्ब आदि से संबंधित दावे शामिल हैं। इन दावों का कंपनी द्वारा विरोध किया जा रहा है क्योंकि वे सम्बद्ध अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं अथवा पंचाट ट्राइब्यूनल/अदालत में विचाराधीन हैं।

घ) 'पूँजी कार्य शीर्ष' के अंतर्गत कंपनी के खिलाफ पंचाट फैसलों के संदर्भ में आकस्मिक देयता में रुपये 11989 लाख (पिछले वर्ष रु 11201 लाख) शामिल हैं। इन फैसलों के बारे में बहिर्प्राव संभव नहीं समझा गया है क्योंकि कंपनी ने उन्हें अदालत में चुनौती दी है/चुनौती देने का फैसला किया है।

ड) किसी बहिर्प्राव से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

च) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 'शून्य' रुपये (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपये) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।

2. क) पूंजीगत लेखों पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिम की निवल) 4291 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3882 लाख रुपये) है। इसमें रेलवे अपवर्तन कार्यों हेतु निष्पादित न की गई 3461 लाख रुपये (पिछले वर्ष 3461 लाख रुपये) की अनुमानित राशि शामिल है।

ख) भूमि हेतु मुआवजे और अन्य संबंधित व्यय के प्रति पूंजीगत प्रतिबद्धता की अनुमानित राशि 13075 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7127 लाख रुपये) है।

ग) उन अस्तित्वों पर पूंजी व्यय जो एनएचडीसी के स्वामित्व में नहीं हैं (गोचर परिसम्पत्तियों में शामिल):

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान धारक कंपनी एनएचडीसी लिमिटेड ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से राय प्राप्त की थी और ईएसी की राय के अनुसार, ऐसी परिसम्पत्तियों पर व्यय, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, को उस वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में प्रभाषित किया जाना चाहिए, जिस वर्ष वह किया गया हो, निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा निर्देश टिप्पणी वापस लेने के पश्चात् धारक कंपनी ने इस मुद्दे पर आईसीएआई की ईएसी के समक्ष प्रतिवेदन किया है कि चूंकि ऐसे खर्च जल विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य हैं, अतः उनके पूंजीकरण की अनुमति दी

जानी चाहिए। कंपनी का यह भी मानना है कि ऐसे खर्च के पूंजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा एएस-10 में सीमित संशोधन के बारे में प्रकट मसौदे और दर विनियमित कंपनी के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भी होना चाहिए। ईएसी से आगे राय प्राप्त होने, एएस-10 में संशोधन और दर विनियमित कंपनी के बारे में जारी दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन लंबित रहते प्रचलित पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।

3. मध्यप्रदेश सरकार ने संयुक्त उद्यम में भागीदार होने के नाते नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के माध्यम से सीसीईए अनुमोदन के अनुसार विभिन्न लेखों में नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार योगदान दिया है :-

इंदिरा सागर परियोजना:-

(राशि लाख रुपये में)

(नोट संख्या 3 देखें)

(क) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	01.04.2012 तक संचयी	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान	31.03.2013 तक संचयी
i. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	128659	1215	129874
ii. प्राप्त नकदी	55797	-	55797
iii. ओएसपी से अंतरित राशि	856	-	856
कुल उपरोक्त (क)	185312	1215	186527
(ख) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	66000	-	6,6000
ii. सिंचाई घटक	37981	449	38430
iii. एसएसपी घटक	48531	576	49107
iv. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति आर्थिक सहायता	29307	3068	32375
v. विद्युत प्रभार और जलापूर्ति रख-रखाव खर्च	279	225	504
vi. सिंचाई/ओएसपी की इक्विटी के प्रति अग्रिम	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (ख)	185406	4318	189724
(ग) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ख-क)	94	3103	3197

ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

(घ) नकद या वस्तु रूप में प्राप्त राशि	01.04.2012 तक संचयी	वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान	31.03.2013 तक संचयी
i. एनवीडीए द्वारा किया गया खर्च	8262	8	8270
ii. प्राप्त नकदी	41476	-	41476
iii. आईएसपी खाते से अंतरित राशि	3308	-	3308
कुल उपरोक्त (घ)	53046	8	53054
(ङ) निम्नांकित के संदर्भ में देय/समायोजित			
i. इक्विटी पूंजी	30016	-	30016
ii. सिंचाई घटक	25695	(1902)	23793
iii. अत्यधिक आर एंड आर व्यय के प्रति उप-अंतर	5138	1737	6875
iv. आईएसपी खाते में अंतरित राशि	856	-	856
कुल उपरोक्त (ङ)	61705	(165)	61540
(च) एनवीडीए से वसूली योग्य राशि यानी (ङ-घ)	8659	(173)	8486
(छ) कुल राशि वसूली योग्य यानी (ग+च)	8753	2930	11683

4. (क) सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लम्बित रहते, कुछ मदों की निष्पादित मात्रा और कुछ अतिरिक्त मदों तथा कम्पनी की ओर से एनवीडीए द्वारा किए व्यय हेतु भी, अनुमोदित मात्राओं से अधिक अनंतिम भुगतान किए गए हैं जिसे चालू पूंजीगत कार्य/अचल परिसंपत्ति/लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।
- (ख) संविदाकारों को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, व्यापार प्राप्ति, संविदाकर्ताओं के लिए अग्रिम, व्यापारिक देयों, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण तथा संविदाकारों से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि, समाधान/पुष्टिकरण और संबंधित परिणामी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।
- (ग) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।

5. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नांकित अनुसार रहा :-

(राशि लाख रुपये में)

	वर्ष 2012-13 के लिए	वर्ष 2011-12 के लिए
(i) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	-	-
(ii) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	-	-
(iii) निर्माण के दौरान व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	-	-
(iv) चालू पूंजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	-	-
(v) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	3	19

6. वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियां प्रारम्भ की गई/संशोधित/शाब्दिक संशोधित की गई, जिनका वर्ष के लाभ पर प्रभाव निम्नांकित रूप में रहा :

क्र.सं.	लेखानीति संख्या	विवरण	वर्ष 2012-13 के लाभ पर प्रभाव
1	लेखांकन नीति संख्या 2.6	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया।	कोई प्रभाव नहीं
2	लेखांकन नीति संख्या 2.7	परिसम्पत्तियों की क्षति के बारे में नई नीति शुरू की गई है ताकि परिपाटी को नीति में परिवर्तित किया जा सके।	कोई प्रभाव नहीं
3	लेखांकन नीति संख्या 5.5	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
4	लेखांकन नीति संख्या 10.2	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं
5	लेखांकन नीति संख्या 11.2	यह नीति हटा दी गई है क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में अनावश्यक हो गई थी क्योंकि कंपनी के किसी पावर स्टेशन द्वारा उत्पादित विद्युत के प्रत्यक्ष उपभोग की अनुमति नहीं है।	कोई प्रभाव नहीं
6	लेखांकन नीति संख्या 14	बेहतर प्रकटीकरण के लिए इस नीति में शाब्दिक संशोधन किया गया है।	कोई प्रभाव नहीं

7. लेखांकन मानक (एएस)-15 के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार है :

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य स्वरूप इस प्रकार है :-

क. भविष्य निधि

कम्पनी पूर्व-निर्धारित दरों से भविष्य निधि का नियत अंशदान एक पृथक न्यास अर्थात् एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि न्यास में जमा कराती है। यह न्यास निधि का निवेश अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए निधि के अंशदान को व्यय समझा गया है और इसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया गया है। ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर से लाभ सुनिश्चित करना कम्पनी का दायित्व है। इस निधि का संचालन वैधानिक ब्याज दर गारंटी के अंतर्गत न्यास द्वारा किया जाता है और बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान सृजित किया जाता है।

ख. उपदान

कम्पनी की एक परिभाषित उपदान लाभ योजना है लगातार पांच वर्ष या उससे अधिक सेवा करने वाला प्रत्येक कर्मचारी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, विकलांगता, अथवा मृत्यु होने पर सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन उपदान (15/26 x अंतिम आहरित वेतन + महंगाई भत्ता) के रूप में पाने का हकदार है। परंतु इसके अंतर्गत अधिकतम राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

ग. सेवा निवृत्त कर्मचारी-स्वास्थ्य योजना (आरईएचएस)

कम्पनी की एक सेवा निवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके अंतर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी को कम्पनी अस्पतालों/सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पति/पत्नी दोनों ओपीडी उपचार की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह उपचार कम्पनी द्वारा निर्धारित अदायगी सीमा तक कराया जा सकता है।

घ. सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर भत्ता

सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के ड्यूटी/तैनाती के स्थान से कर्मचारी की इच्छानुसार सेवानिवृत्ति के बाद बसने के स्थान तक स्थानांतरण की वास्तविक लागत कारपोरेशन के नियमों के अनुसार अदा की जाती है। मृत्यु के मामले में मृतक कर्मचारी के परिवार को यह सुविधा प्रदान की जाती है।

ड. अवकाश

कम्पनी अपने कर्मचारियों को अर्जित अवकाश लाभ (प्रति पूरक अनुपस्थितियों सहित) और अर्द्धवेतन अवकाश लाभ प्रदान करती है, जो क्रमशः तीस दिन और बीस दिन वार्षिक प्रदान किये जाते हैं। अर्जित अवकाश का 75 प्रतिशत नकदीकरण सेवाकाल में और अधिकतम 300 दिन के अवकाश का नकदीकरण सेवा निवृत्ति पर कराया जा सकता है। अर्द्धवेतन अवकाश का नकदीकरण दिसंबर 2012 से बंद कर दिया गया है। किंतु, सेवा निवृत्ति/अधिवर्षिता/मृत्यु की स्थिति में यदि 300 दिन के अर्जित अवकाश की अधिकतम सीमा में कुछ कमी हो तो अर्द्धवेतन अवकाश को बिना कम्प्यूटेशन के अर्जित अवकाश में जोड़ा जा सकता है।

च. सामाजिक सुरक्षा योजना

करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के स्थान पर कम्पनी की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, परंतु इसके साथ यह शर्त है कि पेंशन योजना शुरू होने के बाद इसे वापस ले लिया जाएगा। इसके अंतर्गत कम्पनी प्रतिमाह प्रत्येक कर्मचारी के अनुसार समान अंशदान जमा कराती है, जो प्रथम आठ वर्ष तक जमा कराया जायेगा ताकि धन संग्रह हो सके। यह योजना 01.04.2009 से प्रचालित है। इस तरह संचित निधि का प्रबंधन एक पृथक न्यास अर्थात् एनएचडीसी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा योजना न्यास द्वारा किया जाता है। इस योजना की शुरुआत किसी कर्मचारी की मृत्यु होने या रोजगार के दौरान स्थाई रूप में पूर्ण विकलांग होने की स्थिति में संकटग्रस्त परिवार की देख-रेख के लिए की गई है। किसी कर्मचारी के त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति के मामले में उसके द्वारा स्वयं किए गए अंशदान के समान राशि ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।

छ. अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह

अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी को पांच हजार रुपये मूल्य तक का स्मृति चिन्ह देने की कंपनी की नीति है।

ऊपर ख, ग, घ, ङ और च पर वर्णित योजनाओं का मूल्यांकन बीमाकिक मूल्य के आधार पर किया जाता है। ऊपर क, ख और च पर वर्णित योजनाएं निधिक योजनाएं हैं और इनमें से क और च परिभाषित अंशदान लाभ योजनाएं हैं।

एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान 31.03.2013 के अनुसार वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। वर्तमान में एनएचडीसी में नियुक्त एनएचपीसी के कर्मचारियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और केवल एनएचपीसी से प्राप्त जानकारी/सलाह के आधार पर लाभ एवं हानि खाते से खर्च में हिस्सेदारी डेबिट कर दी गई है। मध्यप्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 31.03.2013 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए "कर्मचारी लाभों" के संबंध में मानक-15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है :-

तालिका 1 : प्रमुख मान्यताएं

मृत्युदर तालिका	31.03.2013 के अनुसार		31.03.2012 के अनुसार	
	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्स मोर्टैलिटी (1994-96)
छोड़ने की दर	30 वर्ष तक 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक 2% वार्षिक 44 वर्ष से ऊपर 1% वार्षिक	30 वर्ष तक 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक 2% वार्षिक 44 वर्ष से ऊपर 1% वार्षिक	30 वर्ष तक 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक 2% वार्षिक 44 वर्ष से ऊपर 1% वार्षिक	30 वर्ष तक 3% वार्षिक 31 वर्ष से 44 वर्ष तक 2% वार्षिक 44 वर्ष से ऊपर 1% वार्षिक
छूट दर	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
मुआवजा स्तर में वृद्धि की दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की दर	9.60%	लागू नहीं	9.60%	लागू नहीं
कर्मचारियों का प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन (वर्ष)	21.56	22	21.56	22

तालिका 2 : दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(टिप्पणी संख्या 7 और 9 देखें)

	31.03.2013 के अनुसार			31.03.2012 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	464	685	213	461	568	160
ब्याज लागत	37	55	17	37	47	13
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	79	72	27	63	133	26
अदा किया गया लाभ	(15)	(389)	(1)	(11)	(35)	(1)
बीमाकिक लाभ/हानि	97	165	(32)	(86)	(28)	15
वर्ष के अंत में पीवीओ	662	588	224	464	685	213

तालिका 3 : तुलन पत्रक में शामिल की गई राशि

	31.03.2013 के अनुसार			31.03.2012 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वर्ष के शुरू में पीवीओ	662	588	224	464	685	213
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	481	-	-	-	-	-

(राशि लाख रुपये में)

	31.03.2013 के अनुसार			31.03.2012 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
वित्त पोषण की स्थिति/अंतर	(181)	(588)	(224)	(464)	(685)	(213)
अमान्य बीमाकिक (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-
तुलनपत्रक में शामिल निवल आस्तियां/देयताएं	(181)	(588)	(224)	(464)	(685)	(213)

तालिका 4 : लाभ एवं हानि खाते में शामिल राशि

(लाख रुपये में)

	31.03.2013 के अनुसार			31.03.2012 के अनुसार		
	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस	उपदान (ग्रेजुइटी)	अवकाश नकदीकरण	आरईएचएस
चाहू सेवा लागत	79	73	27	63	133	26
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत	37	55	17	37	47	13
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित लाभ	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए परिगणित निवल बीमाकिक (लाभ)/हानि	86	165	(32)	(86)	(28)	15
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में शामिल व्यय	202	293	12	14	152	54

छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति पर सामान भत्ते एवं स्मृति चिन्ह के कारण देयता 31.03.2013 को क्रमशः 26 लाख रुपये और 1 लाख रुपये (पिछले वर्ष क्रमशः 28 लाख रुपये और 1 लाख रुपये) है।

- (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा कार्य एवं परामर्शी कार्य इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।
- (ख) निगम के दो पावर स्टेशन मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है - महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

नाम	पदनाम
श्री जी साई प्रसाद	अध्यक्ष
श्री के एम सिंह	मुख्य कार्यकारी निदेशक

10. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं:-

विवरण	वर्ष 2012-13 के लिए		वर्ष 2011-12 के लिए	
	आधारभूत ईपीएस	डायल्यूटिड ईपीएस	आधारभूत ईपीएस	डायल्यूटिड ईपीएस
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात निवल लाभ (रु)	5,75,64,40,505	5,75,64,40,505	646,90,17,516	646,90,17,516
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	19625800	19625800	19625800	19625800
प्रति शेयर अर्जन (रु)	293.31	293.31	329.61	329.61
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु)	1000	1000	1000	1000

11. प्रबंधन का यह मत है कि 31 मार्च, 2013 के अनुसार परिसंपत्तियों की क्षति पर लेखांकन मानक (एएस)-28 के प्रावधान के अंतर्गत परिसंपत्तियों की क्षति का कोई मामला विद्यमान नहीं है।
12. निम्नांकित के संदर्भ में व्यय

(लाख रुपये में)			
क्र. स.	विवरण	वर्ष 2012-13 के लिए	वर्ष 2011-12 के लिए
क)*	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य:		
	i) पूंजीगत वस्तुएं	-	-
	ii) कलपुर्जे	-	-
ब)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	-	-
	ii) ब्याज	-	-
	iii) अन्य विविध मामले	-	-
ग)*	प्रचालन यूनिटों में उपभोग किए गए कलपुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	-	-
	ii) स्वदेशी	187	300
घ)**	विदेशी मुद्रा में अर्जन		
	i) ब्याज	-	-
	ii) अन्य	-	-

* बीमांकित आधार ** नकद आधार।

13. सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत

अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं

क्र. स.	विवरण	लाख रुपये में
i)	सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्यमों को न चुकाई गई शेष मूल राशि।	शून्य
ii)	उपरोक्त (i) के संदर्भ में न चुकाई गई शेष मूल राशि पर प्रोदभूत ब्याज।	शून्य
iii)	सहमत समय से 15 दिन अधिक हेतु मूल राशि के भुगतान के साथ वर्ष के दौरान अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
iv)	वर्ष के दौरान अदा किए गए मूल धन पर देय किन्तु अदा न किया गया ब्याज	शून्य
v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कठौतीयोग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारम्भिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

के एम सिंह
मुख्य कार्यपालक निदेशक
डीआईएन 02223301

आर एस मीना
प्रबंध निदेशक
डीआईएन 00149956

वी के त्रिपाठी
कंपनी सचिव

डी चक्रवर्ती
महाप्रबंधक (वित्त)

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

आर गणेशन

भागीदार

सदस्यता सं. 26164

एफआरएन-004465 सी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 17.05.2013

नकदी प्रवाह विवरण

		(राशि लाख रुपये में)	
क्र. स.	विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क)	प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
	कर पूर्व निवल लाभ और असाधारण मदें जोड़े :	74091	84729
	- पूर्वावधि सहित मूल्यह्रास और परिशोधन	24040	25855
	- प्रावधान/देयताएं पश्चालिखित	75	80
	- मूल्यह्रास के विरुद्ध अग्रिम	-	1903
	- आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	1
	- वित्त लागत	21083	23168
	- ब्याज आय	(22588)	(15134)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनगत लाभ	96701	120602
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
	माल सूची में (वृद्धि)/कमी	(134)	(29)
	व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	3031	(16529)
	ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(875)	5160
	अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(5832)	(5494)
	चालू देयताओं और प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(131)	(3941)
		92760	39736
			22844
	अदा किया गया कर (टीडीएस सहित) रिफंड का निवल	15418	143446
		15418	16536
		77342	126910
	प्रचालनगत क्रियाकलापों से सुजित नकदी (क)		
ख)	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
	अगोचर आस्तियां और सीडब्ल्यूआईपी	(10451)	(49628)
	ब्याज आय	22588	15134
	आस्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	1	1
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी (ख)	12138	(34493)
ग)	वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
	शेयर पूंजी के इश्यू से प्राप्तियां	-	-
	ऋणों से प्राप्तियां	-	1500
	ऋणों का पुनर्भुगतान	(20813)	(29626)
	मध्य प्रदेश सरकार से एसएसपी और सिंचाई घटक के लिए प्राप्त निधि	3928	1232
	अदा किया गया लाभांश	(5888)	(3925)
	अदा किया गया लाभांश कर	(955)	(637)
	वित्त लागत	(21083)	(23287)
	वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(44811)	(54743)
	नकदी तथा नकदी तुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	44669	37674
	नकदी और नकदी तुल्य (प्रारंभिक शेष)	170683	133009
	नकदी और नकदी तुल्य (अंतिम शेष)	215352	170683

नकदी प्रवाह विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

- नकदी और बैंक शेष के अंतर्गत रु 122 लाख (पिछले वर्ष शून्य) शामिल हैं जो लेटर आफ क्रेडिट अथवा समान सुविधा खोलने के लिए मार्जिन मनी के रूप में बैंकों के साथ रेहन रखे गए हैं, जो 31.03.2013 को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत 780 लाख रुपये (पिछले वर्ष 248 लाख) शामिल हैं, जो माननीय अदालत के आदेश पर रखे गए हैं, अतः 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष के अंतर्गत रु 1048 लाख (पिछले वर्ष शून्य) ऑकारेश्वर परियोजना से विस्थापित हुए लोगों द्वारा जमा कराए गए हैं। यह राशि शिकायत निपटान प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार भूमि योजना के लिए भूमि हेतु जमा कराई गई है। अतः 31.3.2013 को कंपनी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
- नकद और बैंक शेष समकक्ष के अंतर्गत 16051 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16051 लाख रुपये) की राशि शामिल है जो कंपनी ने स्व-बोमा आरक्षी के रूप में रखी है, अतः अन्यथा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
- वर्ष के दौरान अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान से प्राप्त नकद राशि (करों को छोड़ कर) 1 लाख रुपये (31.03.2012 को 1 लाख रुपये) है।
- पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनर्गठित किया गया है।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते भूटोरिया गणेशन एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार

आर गणेशन
 (भागीदार)
 सदस्य संख्या 26164
 एफआरएन - 004465सी

के.एम. सिंह
 मुख्य कार्यकारी निदेशक
 डीआईएन 02223301

वी के त्रिपाठी
 कंपनी सचिव

आर एस मीना
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन 00149956

डी चक्रवर्ती
 महाप्रबंधक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 17.05.2013

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. ("एलडीएचसीएल") के निदेशक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा के साथ कंपनी के निष्पादन के बारे में चौथी वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. कंपनी के कार्यों का विवरण

क. परिचालन समीक्षा

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने 15 नवंबर, 2006 को एनएचपीसी लिमिटेड के पक्ष में परियोजना को मंजूरी प्रदान मंजूर की गई थी, जो 14 नवंबर, 2012 तक वैध था। सीईए ने 6 अगस्त, 2012 को एलडीएचसीएल के पक्ष में सहमति दी थी। जनवरी, 2013 में सीईए ने इस शर्त के साथ सहमति की अवधि 14 नवंबर, 2014 तक बढ़ा दी कि एलडीएचसीएल अद्यतन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जमा कराएगी। इसके साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र भी जमा कराया जाएगा कि 2006 में परियोजना के मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल किया गया है। कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजना के संदर्भ में पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी (चरण-1) उपलब्ध है। कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल परियोजना की विभिन्न गतिविधियों पर सक्रिय रूप से निगरानी रखता है जिनमें स्थालाकृत विषयक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण, बैराज और पावर हाउस स्थलों पर ड्रिलिंग, रक्षा संबंधी मंजूरी प्राप्त करना, वन विभाग की मंजूरी (चरण-2) प्राप्त करना, डीपीआर का अद्यतन, टर्न-की कार्यान्वयन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर कोटेशन आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जारी करना, सार्वजनिक निवेश बोर्ड संबंधी टिप्पणी तैयार करना आदि शामिल हैं।

ख. वित्तीय समीक्षा

31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:-

विवरण	2012-13	2011-12
बिक्री	-	-
मूल्यहास, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	6.80	6.00
मूल्यहास	-	-
मूल्यहास के बाद किंतु ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ	6.80	6.00
ब्याज एवं वित्त प्रभार	-	-
मूल्यहास और ब्याज के बाद किंतु कर से पूर्व लाभ	6.80	6.00
कर	2.21	1.95
मूल्यहास, ब्याज और कर के उपरांत लाभ	4.59	4.05
पिछले वर्षों के लाभ एवं हानि खाते का अधिशेष	5.60	1.55
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ	10.19	5.60
विनियोजन		
बॉर्ड विमोचन रिजर्व से अंतरित	-	-
स्व बीमा आरक्षी को अंतरित	-	-
लाभांश पर कर पश्च लिखित	-	-
स्व बीमा आरक्षी से पश्च लिखित राशि	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	-	-
कारपोरेट लाभांश कर	-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरित	-	-
आरक्षी एवं अधिशेष को ले जाया गया शेष लाभांश	-	-
	10.19	5.60

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपकी कंपनी ने प्रोत्साहकों से इक्विटी अंशदान के रूप में प्राप्त धनराशि भारतीय स्टेट बैंक/अन्य अनुसूचित बैंकों में मियादी जमा के रूप में जमा करायी और 681.13 लाख रु. ब्याज के रूप में कमाए हैं। 459.28 लाख रु. की राशि आरक्षी एवं अधिशेष खाते में अंतरित की गयी है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

2. पूंजी संरचना

एनएचपीसी लिमिटेड और मणिपुर सरकार के बीच हुए प्रोमोटर्स एग्रीमेंट यानी

प्रोत्साहक समझौते में कहा गया है कि कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में हिस्सेदारी का अनुपात क्रमशः 74 : 26 होगा। वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की चुकता पूंजी 117.69 करोड़ रुपये थी।

3. वित्त वर्ष के अंत तक किए गए ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं, जिनका प्रभाव कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ा हो।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप अथवा व्यापार वर्ग, जिसमें कंपनी का हित है, में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी के स्वरूप और प्रतिबद्धता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ तदनुसृत वित्तीय स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

4. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन।

कम्पनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरे का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं है। वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की और विदेशी मुद्रा का कोई बहिर्गमन नहीं किया। ब्योरा इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5. कर्मचारी संबंध

वर्ष के दौरान, औद्योगिक संबंध सद्भाव एवं सामंजस्यपूर्ण बने रहे।

6. कर्मचारियों के ब्योरे

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए), जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के ब्योरे) नियमावली 1975 के साथ पढ़ा जाता है, से संबंधित अपेक्षित जानकारी रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में दी गई है।

7. सांविधिक लेखा परीक्षक

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने मैसर्स कुंजाबी एंड कंपनी, इम्फाल को वर्ष 2012-13 हेतु कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया।

8. कारपोरेट अभिशासन

कारपोरेट अभिशासन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में एक पृथक विवरण और अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न किया गया है।

9. प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कारपोरेट शासन के बारे में लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंधन विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट के रूप में एक पृथक खंड इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-3 के अंतर्गत संलग्न किया गया है।

10. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एलडीएचसीएल, इम्फाल के वित्तीय परिणामों के बारे में सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और कम्पनी के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां क्रमशः अनुलग्नक-4 और 5 के रूप में संलग्न की गयी हैं।

11. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी के बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। इस समिति के संघटन सम्बन्धी सूचना और अन्य विवरण कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

12. निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अनुसार निदेशक एतद्वारा निम्नांकित की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रचलित लेखांकन मानकों का इस्तेमाल किया गया है और महत्वपूर्ण विचलन होने की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जिनके आधार पर वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सकती है;
- निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है ; और

iv) निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

13. निदेशक मंडल

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद-40 के अनुपालन में एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष कंपनी के अध्यक्ष के रूप में भी काम करेंगे। तदनुरूप, एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जी. साइ प्रसाद को कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वर्तमान में आपकी कम्पनी के बोर्ड में निम्नांकित सदस्य हैं :

1. श्री जी. साइ प्रसाद	अध्यक्ष
2. श्री विजय कुमार	निदेशक
3. श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक
4. श्री कंवर सिंह	निदेशक
5. श्री राजीव कुमार गुप्ता	निदेशक

14. सूचना अधिकार अधिनियम

इस निगम में सूचना अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

आभार

कम्पनी का निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और उसके मंत्रालयों, विभागों/बोर्डों, कम्पनी के लेखा परीक्षकों और बैंकों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के प्रति विशेष रूप से आभारी है।

बोर्ड कंपनी के कर्मचारियों की ईमानदारी और कठिन परिश्रम के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है और उसे विश्वास है कि कम्पनी के कर्मचारी आने वाले वर्षों में अपना उत्कृष्ट योगदान जारी रखेंगे।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

हस्ताक्षरित
(जी. साइ प्रसाद)

अध्यक्ष

डीआईएन संख्या: 00325308

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17.08.2013

कम्पनी (बोर्ड के निदेशकों की रिपोर्ट के विवरण सम्बन्धी प्रकटीकरण) नियम 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं बहिर्गमन के बारे में निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध।

क. ऊर्जा का संरक्षण:

क) ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय;

ऊर्जा की खपत बहुत कम है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किए गए।

ख) ऊर्जा की खपत कम करने के लिए अतिरिक्त निवेश और प्रस्ताव, यदि कोई, लागू किए जा रहे हों :

ऊर्जा की खपत बहुत कम है, इसलिए खपत में कमी के लिए कोई प्रस्ताव लागू नहीं किया जा रहा है।

ग) उपरोक्त क) और ख) पर वर्णित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा की खपत में कमी और नतीजतन वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर उसका प्रभाव;

लागू नहीं

घ) अनुसूची में वर्णित उद्योगों के संदर्भ में अनुलग्नक के प्रपत्र क के अनुसार ऊर्जा की कुल खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपत:

लागू नहीं

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन:

ड) अनुलग्नक के प्रपत्र 'ख' के अनुसार प्रौद्योगिकी आमेलन के लिए किए गए प्रयास।

ब्योरा संलग्न है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गमन

च) निर्यात से सम्बन्धित गतिविधियां; निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपाय; उत्पाद एवं सेवाओं के लिए नए बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं; लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड की निर्यात की कोई योजना नहीं है।

छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त और अर्जित

शून्य

प्रपत्र- ख

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।

कम्पनी द्वारा कोई अनुसंधान एवं विकास कार्य नहीं किया गया।

2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप अर्जित लाभ।

लागू नहीं

3. 2013-14 के लिए भावी कार्य योजना।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की कोई योजना नहीं है।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

(क) पूंजी : शून्य

(ख) आवृत्ति : शून्य

(ग) कुल : शून्य

(घ) कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय।

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार

1. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण

प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन और नवाचार की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए गए, क्योंकि निर्माण कार्य अभी प्रारंभ होना है।

2. उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात् उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि:

लागू नहीं

3. आयातित प्रौद्योगिकी (पिछले पांच वर्ष, वित्त वर्ष के प्रारंभ से गणना करते हुए, के दौरान आयात की गयी) के मामले में निम्नांकित जानकारी दी जा सकती है :-

(क) आयातित प्रौद्योगिकी

(ख) आयात वर्ष

(ग) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह आभेहित किया गया है ?

(घ) यदि पूरी तरह आभेहित न की गई हो, तो उन क्षेत्रों का नाम जहां प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की गई हो, तत्संबंधी कारण और भावी कार्य योजनाएं।

शून्य।

अनुलग्नक-(I)

अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए), जिसे कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) नियमावली 1975 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी

वित्त वर्ष के दौरान कम से कम 60,00,000/- रुपये वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण : शून्य।

वित्त वर्ष के किसी भी हिस्से के दौरान कम से कम 5,00,000/- रुपये प्रति माह पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का विवरण।

कर्मचारी का नाम और संख्या	कर्मचारी का पदनाम और ड्यूटी का स्वरूप	कर्मचारी की योग्यता और अनुभव	रोजगार प्रारंभ करने की तारीख	आयु	कार्य का स्वरूप	पारिश्रमिक	पिछले रोजगार का ब्योरा	अभ्युक्ति
शून्य								

कारपोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने केंद्रीय लोक उद्यमों से संबंधित कारपोरेट अभिशासन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा (जिसे यहां आगे 'कंपनी' कहा जाएगा), 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए साल के लिए अनुपालन किये जाने की जांच कर ली है।

कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न कंपनी के वित्तीय विवरणों के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार तथा हमें कंपनी, अधिकारी और एजेंट द्वारा जो खुलासे किये गये उनके आधार पर हम अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने, उपरोक्त वित्त वर्ष के लिए निम्नांकित बिन्दुओं को छोड़कर, अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। इसलिए उक्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित कुछ अनुपालन कंपनी द्वारा नहीं किए गए हैं।
2. कंपनी के बोर्ड में नामित निदेशकों की संख्या 2 से अधिक है।

3. कंपनी ने अभी तक बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता निर्धारित नहीं की है।
4. कंपनी ने अपने बोर्ड के नए सदस्यों के लिए कोई औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया है। हालांकि इसके बोर्ड के सभी वर्तमान सदस्य व्यापार मॉडल में जोखिम के स्वरूप से भली-भांति परिचित हैं क्योंकि एनएचपीसी लिमिटेड से नामित हैं, और उनमें आयुक्त (ऊर्जा), मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय से नामित सदस्य शामिल हैं।
5. चूंकि बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति में, सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में, कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं है।
6. समिति ने अभी तक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
7. कंपनी ने अभी तक अपनी कोई जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित नहीं की है।

हम यह भी कहना चाहते हैं इस तरह का अनुपालन न तो भविष्य में कंपनी व्यवहार्यता का और न कंपनी के कामकाज के प्रभावी संचालन में प्रबंधन की सक्षमता या दक्षता का आश्वासन है।

कृते गरिमा दुग्गल एंड एसोशिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ताक्षरित
गरिमा दुग्गल
(प्रोप्राइटर)
सदस्यता संख्या 21818
सीपी नं. 8413

कारपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

कारपोरेट अभिशासन का संबंध उन कानूनों, तौर-तरीकों और अंतर्निहित नियमों से है जिनसे कंपनी के दावेदारों, खास तौर पर उसके हितधारकों, लेनदारों, ग्राहकों, राज्य और उसके कर्मचारियों के समक्ष उसकी सुविधित प्रबंधकीय निर्णय लेने की क्षमता का निर्धारण होता है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति निष्ठा, नैतिक व्यावसायिक आचरण और पारदर्शिता से है और इसमें कंपनी के प्रबंधन में व्यक्तिगत और कारपोरेट निधियों के बीच भेद किया जाता है। लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधन अपने तमाम हितधारकों के बेहतरीन फायदे के लिए कार्य करता है। कंपनी इस बात को मानती है कि पारदर्शिता, उद्घोषणा, वित्तीय नियंत्रण और जवाबदेही अच्छी कारपोरेट अभिशासन प्रणाली के आधार स्तंभ हैं। कंपनी का यह प्रयास है कि हितधारकों को अधिक-से-अधिक फायदा पहुंचाने के लिए अभिशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें।

1. अभिशासन संहिता के बारे में दृष्टिकोण

- कामकाज में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली अपनाकर और निदेशक मंडल को समय पर और पारदर्शितापूर्ण तरीके से सूचनाएं उपलब्ध कराना ताकि वह इसके बारे में प्रबंधन की जवाबदेही की निगरानी कर सके।
- व्यावसायिक उपक्रम की कार्यकुशलता बढ़ाना ताकि वह उपक्रम के साथ साथ समूचे देश के लिए संपत्ति का सृजन कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और निदेशक मंडल कारपोरेट मूल्यों का पालन करें और उनपर अमल भी करें।
- उपक्रम से संबंध रखने वाले या इससे स्थायी रूप से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के लिए विकास सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि उपक्रम जिस समाज में कार्य कर रहा है उसे यह स्वीकार्य हो।

2. निदेशक मंडल का गठन और श्रेणी:

(I) निदेशक मंडल का आकार:

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अर्थों के तहत एक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी के गठन के नियमों के अनुसार निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 5 (पांच) से कम और 15 (पंद्रह) से अधिक नहीं होगी।

(II) बोर्ड का संघटन:

कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) में पांच (5) निदेशक होते हैं जो सभी गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं। इस समय कंपनी के बोर्ड में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। 31 मार्च, 2013 को बोर्ड का स्वरूप, इसमें निदेशकों की संख्या और अन्य कंपनियों की समितियों में निदेशकों की स्थिति (लेखा परीक्षा समिति और शेयर धारक शिकायत समिति) का विवरण इस प्रकार है:

नाम	निदेशक की श्रेणी	अन्य निदेशक पद *	अन्य समितियों में स्थिति	
			निदेशक के तौर पर	सदस्य के तौर पर
श्री जी. साइ प्रसाद ⁽¹⁾	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	5	शून्य	शून्य
श्री विजय कुमार ⁽²⁾	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राजेश अग्रवाल ⁽³⁾	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	2	शून्य	शून्य
श्री कंवर सिंह ⁽⁴⁾	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य
श्री राजीव कुमार गुप्ता ⁽⁵⁾	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष	शून्य	शून्य	शून्य

1) श्री जी. साइ प्रसाद 27 जुलाई 2012 को निदेशक मंडल में शामिल हुए।

2) श्री विजय कुमार 16 जनवरी 2012 को निदेशक मंडल में शामिल हुए।

3) श्री राजेश अग्रवाल 1 अगस्त 2012 को निदेशक मंडल में शामिल हुए।

4) श्री कंवर सिंह 17 अगस्त 2012 को निदेशक मंडल में शामिल हुए।

5) श्री राजीव कुमार गुप्ता 28 दिसंबर 2012 को निदेशक मंडल में शामिल हुए।

* उक्त निदेशकों द्वारा धारित दूसरे निदेशक पदों में क्रमागत तरीके से मिलने वाले निदेशक पद, विदेशी कंपनियों में निदेशक पद और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत निदेशक पद शामिल नहीं हैं।

कंपनी के निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

31.3. 2013 को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल इस प्रकार है :

श्री जी. साइ प्रसाद (डीआईएन:00325308), 47 साल, हमारे अध्यक्ष हैं। आप आंध्र विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और आपने आईआईटी दिल्ली तथा ड्यूक विश्वविद्यालय अमरीका से स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। श्री प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1991 बैच के अधिकारी भी हैं। आपने आंध्र प्रदेश में कई पदों पर कार्य किया है जिनमें सब-कलेक्टर (पदेन), परियोजना अधिकारी (आईटीडीए पदेन), म्युनिसिपल कमिशनर (गुंटूर), संयुक्त कलेक्टर (कडप्पा) तथा करनूल और चित्तूर जिलों के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के पद भी शामिल हैं। विद्युत मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री प्रसाद सेंट्रल पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी आंध्र प्रदेश लिमिटेड और ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी आंध्र प्रदेश लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर भी रह चुके हैं। आप एलडीएचसीएल के निदेशक मंडल में 27 जुलाई 2012 को शामिल हुए। श्री जी. साइ प्रसाद एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में भी निदेशक हैं।

श्री विजय कुमार (डीआईएन: 03021294), 47 साल, हमारे निदेशक हैं। आप विज्ञान में स्नातक हैं। आप प्रशिक्षित लागत लेखाकार हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। आपने पनबिजली क्षेत्र में लेखांकन का 28 साल का अनुभव प्राप्त है। आप एनएचपीसी लिमिटेड में महाप्रबंधक (वित्त) हैं और उन्हें लेखे को अंतिम रूप देने, प्रभार निर्धारण और प्रस्तावों की वित्तीय समीक्षा का व्यापक अनुभव है। श्री विजय कुमार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपने 16 जनवरी, 2012 को एलडीएचसीएल बोर्ड में कार्यभार संभाला।

श्री राजेश अग्रवाल (डीआईएन:00242334), 43 साल, हमारे निदेशक हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक और आईआईएफटी दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में स्नातकोत्तर हैं। 1994 में आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और मणिपुर, झारखंड और बिहार में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। आप अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत मणिपुर में तामेगलों के सब-डिविजनल ऑफीसर के तौर पर की और झारखंड के जिलों में बोकारो, पश्चिम सिंहभूम और गिरिडीह के डिप्टी कमिशनर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने झारखंड के उद्योग और वाणिज्य निदेशक के रूप में भी सफलता पूर्वक कार्य किया है। मणिपुर सरकार में कमिशनर के अपने वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पहले श्री अग्रवाल भारत सरकार के निदेशक (उर्वरक) और केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। मणिपुर के कमिशनर के साथ-साथ इस समय आपके पास राज्य के कृषि, बिजली, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी भी है। श्री अग्रवाल मणिपुर राज्य बिजली कंपनी लिमिटेड और मणिपुर राज्य बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड में निदेशक भी हैं।

श्री कंवर सिंह (डीआईएन: 05351047), 53 साल, हमारे निदेशक हैं। आप सिविल इंजीनियरी में स्नातक हैं और आपको जलविद्युत क्षेत्र में कार्य करने का 30 साल का अनुभव है। इस समय आप एनएचपीसी लिमिटेड में कनसल्टेंसी और जवाइंट वेंचर प्रभाग में कार्यपालक निदेशक हैं। आप एनएचपीसी लिमिटेड की दुलहस्ती और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विभिन्न चरणों में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 390 मेगावाट की दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना, 480 मेगावाट की उड़ी जलविद्युत परियोजना और 330 मेगावाट की किशनगंगा परियोजना को टर्नकी आधार पर तैयार करने का ठेका हासिल करने में आप घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे। आपको सविदा की शर्तें तैयार करने, अर्हता का विवरण बनाने और बोलियों के मूल्यांकन का अनुभव है। कस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डिवेलपमेंट काउंसिल (सीआईडीसी) ने आपको वर्ष 2010 में "आउटस्टैंडिंग पब्लिक आफिसर" का सम्मान प्रदान किया। श्री सिंह 17 अगस्त 2012 को एलडीएचसीएल के निदेशकमंडल में शामिल हुए।

श्री राजीव कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06462992), 49 साल, हमारे निदेशक हैं। आपने मांती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिग्री हासिल करने के बाद पंजाब इंजीनियरी कालेज चंडीगढ़ से इरिगेशन और हाइड्रॉलक्स में मास्टर की डिग्री हासिल की है, आप भारतीय वन सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केन्द्र शासित प्रदेश काडर से हैं। श्री गुप्ता ने मिजोरम और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के वनों से संबंधित संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय में वन संरक्षण के क्षेत्र में भी कार्य किया है। श्री गुप्ता वर्तमान में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में नियुक्त हैं। उन्होंने 28 दिसम्बर 2012 को एलडीएचसीएल में कार्य ग्रहण किया था।

(ii) गैर-कार्यपालक निदेशकों को मुआवजा और घोषणाएं:

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति एनएचपीसी लिमिटेड, मणिपुर सरकार और विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। कंपनी से अलग होते समय निदेशकों को

कोई विच्छेद शुल्क/नोटिस अवधि वेतन नहीं दिया जाता। आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी निदेशक को सिटिंग फीस या भत्ते का भुगतान नहीं किया।

(iii) निदेशक मंडल की बैठकें, समिति की बैठकें और प्रक्रियाएं:

(क) निर्णय लेने की प्रक्रिया : कंपनी अपने कारपोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से चलाने के लिए निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने में सुव्यवस्थित प्रक्रिया अपनाती है। इन प्रक्रियाओं के तहत निदेशक मंडल की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविचारित और सुचिंतित तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाता है।

(ख) निदेशक मंडल / समिति की बैठकों का कार्यक्रम और कार्यसूची के विषयों का चयन :

- बैठकें अध्यक्ष की स्वीकृति से उचित नोटिस देकर बुलाई जाती हैं। बैठक में उद्देश्यपूर्ण, सुविचारित और सटीक निर्णयों के लिए कार्यसूची से संबंधित विस्तृत नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सदस्यों में पर्याप्त समय परिचालित किए जाते हैं। जब कभी किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर विचार करना होता है, अल्पकालिक सूचना के आधार पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं या संकल्प सर्कुलेशन से पारित किये जाते हैं।
- जब कभी गोपनीयता की वजह से या विशेष और अपवादस्वरूप परिस्थितियों अथवा अतिरिक्त व पूरक मुद्दों की वजह से कार्यसूची के साथ दस्तावेज संलग्न करना संभव नहीं होता, इस तरह के दस्तावेज बैठक के दौरान पटल पर रख दिये जाते हैं।
- एजेंडा पेपर आम तौर पर अध्यक्ष की अनुमति लेने के बाद ही परिचालित किये जाते हैं।
- बैठकें नयी दिल्ली/इम्फाल में आयोजित की जाती हैं।
- कंपनी से संबंधित तमाम सूचनाएं निदेशक मंडल के सदस्यों को सुलभ करायी जाती है। निदेशक मंडल/समिति के सदस्य ऐसा कोई भी विषय कार्यसूची में शामिल करने की सिफारिश कर सकते हैं जो वे जरूरी समझते हैं। प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और प्रमोटरों के कर्मचारियों को भी बैठकों में बुलाया जाता है ताकि वे जरूरत पड़ने पर बैठक में बहस तलब विषयों पर अतिरिक्त सूचनाएं उपलब्ध करा सकें।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी निदेशक मंडल/समिति की तमाम बैठकों में स्थायी रूप से आमंत्रित होता है।

(ग) निदेशक मंडल/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की रिकार्डिंग: निदेशक मंडल/समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को कार्यविवरण पुस्तिका में विधिवत अभिलेखबद्ध किया जाता है। प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त सदस्यों में बांटा जाता है ताकि वे अगली बैठक में इसकी पुष्टि कर सकें।

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया: निदेशक मंडल/समिति के निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट अगली बैठक में जारी की जाती है जिससे निर्णयों की प्रभावी अनुपालना, समीक्षा और सूचना में मदद मिलती है।

(ङ) अनुपालन: कंपनी विभिन्न कानूनों के तहत लागू होने वाले तमाम प्रावधानों और वैधानिक आवश्यकताओं पर अनुपालन सुनिश्चित करती है। निदेशक मंडल समस-समय पर उसके समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वैधानिक अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

निम्नलिखित सूचना निदेशक मंडल को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाती है:

- वार्षिक बजट और उससे संबंधित अद्यतन जानकारी
- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त
- निदेशकों द्वारा कंपनियों/फर्मों आदि में निदेशकों और समिति के पदों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति।
- बड़े ठेके देना।
- परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एनएचपीसी लिमिटेड को सौंपी गयी/उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सलाहकार सेवाओं के बारे में सूचना।

आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की कुल चार बैठकें पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गयीं। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 285 के अनुसार निदेशक मंडल की हर तीन महीनों में कम से कम एक बैठक आयोजित की गयी। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गयीं। निदेशक मंडल को विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत सूचना/प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	निदेशक मंडल की बैठक संख्या और उसकी तारीख	निदेशक मंडल की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशक
1.	12वीं बैठक, 18 मई 2012	5	5
2.	13वीं बैठक, 17 अगस्त 2012	5	4
3.	14वीं बैठक, 14 नवंबर 2012	4	3
4.	15वीं बैठक, 06 फरवरी 2013	5	5

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

निदेशकों का नाम और श्रेणी	2012-13 के दौरान बैठकों में उपस्थित	
	निदेशक मंडल की बैठकें	आखिरी वार्षिक आमसभा
श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव, गैर-कार्यपालक\$	1	शून्य
श्री लिअंगसी पॉल गोनमी, गैर-कार्यपालक\$\$	1	शून्य
श्रीमती कल्याणी मिश्रा, गैर-कार्यपालक	2	हां
श्री डी. के. राय, गैर-कार्यपालक\$\$\$	1	शून्य
श्री विजय कुमार, गैर-कार्यपालक	4	हां
श्री जी. साइ प्रसाद, गैर-कार्यपालक*	2	नहीं
श्री राजेश अग्रवाल, गैर-कार्यपालक*	3	हां
श्री कंवर सिंह, गैर-कार्यपालक*	2	हां
श्री राजीव कुमार गुप्ता, गैर-कार्यपालक*	1	शून्य

\$ एनएचपीसी लिमिटेड ने 27 जुलाई, 2012 से श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव का मनोनयन वापस ले लिया।

\$\$ मनोनयन प्राधिकारी (मंत्रियों का समूह) ने 31 जुलाई, 2012 से श्री लिअंगसी पॉल गोनमी का मनोनयन वापस ले लिया।

\$\$\$ श्री डी.के. राय 17 अगस्त, 2012 से निदेशक नहीं रहे।

* श्री जी. साइ प्रसाद, श्री राजेश अग्रवाल, श्री कंवर सिंह और श्री राजीव कुमार गुप्ता ने कंपनी के निदेशक मंडल में क्रमशः 27 जुलाई, 2012; 01 अगस्त, 2012, 17 अगस्त, 2012 और 28 दिसंबर, 2012 को कार्यभार ग्रहण किया।

(iv) आचार संहिता:

हालांकि निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यवसाय आचार और नैतिक संहिता अभी तैयार नहीं हुई है, निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक व्यवसाय आचार और नैतिक संहिता का पालन करने को वचनबद्ध है।

(v) जोखिम प्रबंधन:

निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कारपोरेट तथा संचालनात्मक उद्देश्यों के साथ समन्वय और एकीकरण सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यावसायिक तौर-तरीके के एक हिस्से के रूप में किया जाता है न कि किसी निर्दिष्ट समय पर अलग गतिविधि के रूप में।

3. लेखापरीक्षा समिति :

कंपनी के निदेशक मंडल ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च 2013 को और इस समय लेखा परीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

(i)	श्री विजय कुमार	अध्यक्ष
(ii)	श्री राजेश अग्रवाल	सदस्य
(iii)	श्री कंवर सिंह	सदस्य

कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, इसलिए समिति के अध्यक्ष समेत कोई भी सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

बैठकें और उपस्थिति:

आलोच्य वर्ष के दौरान तीन बैठकें आयोजित की गयीं। लेखा समीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच अंतर चार महीने से अधिक नहीं था। आलोच्य वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	तारीख	समिति की सदस्य संख्या	उपस्थित सदस्य
1.	18 मई, 2012	4	4
2	12 सितम्बर, 2012	4	3
3	21 दिसंबर, 2012	3	2

कंपनी सचिव ने लेखा परीक्षा समिति के सचिव के तौर पर भी कार्य किया। आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के दौरान सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

सदस्य का नाम	सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	2012-13 के दौरान बैठकों में उपस्थिति
श्री विजय कुमार	3	2
श्री लिआंगसी पॉल गोनमेई ⁽¹⁾	1	1
श्रीमती कल्याणी मिश्रा ⁽²⁾	2	1
श्री डी. के. राय ⁽³⁾	1	1
श्री राजेश अग्रवाल ⁽⁴⁾	2	2
श्री कंवर सिंह ⁽⁵⁾	2	2

1. श्री लिआंगसी पॉल गोनमेई 31 जुलाई, 2012 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।
2. श्रीमती कल्याणी मिश्रा 26 अक्टूबर, 2012 से लेखा परीक्षा समिति की सदस्य नहीं रही।
3. श्री डी.के. राय 17 अगस्त, 2012 से लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।
4. श्री राजेश अग्रवाल को 17 अगस्त, 2012 को आयोजित से निदेशक मंडल की 13वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का सदस्य बनाया गया।
5. श्री कंवर सिंह को 17 अगस्त, 2012 को आयोजित से निदेशक मंडल की 13वीं बैठक में लेखा परीक्षा समिति का सदस्य बनाया गया।

समिति के गठन के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं :

1. वित्तीय विवरण शुद्धता, पर्याप्तता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय सूचनाओं का प्रकटीकरण।
2. लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारण के बारे में निदेशक मंडल को सिफारिश करना।
3. वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी।
4. निदेशक मंडल वार्षिक वित्तीय विवरण को स्वीकृति के लिए भेजने से पहले निम्नलिखित बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए इसकी प्रबंधन के साथ समीक्षा:
 - क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अनुच्छेद (2एए) की शर्तों के अनुसार निदेशकों के दायित्व के विवरण में शामिल किये जाने वाले मामलों को निदेशक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित करना।
 - ख) अगर लेखांकन की नीतियों और तौर-तरीकों में बदलाव हुए हैं तो उनका विवरण और बदलाव का कारण।
 - ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।
 - घ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी अपेक्षाओं की अनुपालना।
 - ङ) किसी भी संबंधित लेन-देन का प्रकटीकरण; और
 - च) लेखा परीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में योग्यताएं।
5. निदेशक मंडल को स्वीकृति के लिए भेजने से पहले प्रबंधन के साथ त्रैमासिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा।
6. आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्यनिष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के ढांचे, कर्मचारियों की संख्या और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, प्रतिवेदन ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा की बारम्बारता समेत, अगर आवश्यक हो तो, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
8. आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर विचार-विमर्श और उसपर अनुपालन की कार्यवाही।
9. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा गबन के संदिग्ध मामलों या महत्वपूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के विफल होने के मामलों की आंतरिक जांच संबंधी निष्कर्षों की समीक्षा करना और निदेशक मंडल को रिपोर्ट देना।
10. वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के प्रकार और विस्तार के बारे में लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले तथा उसके पश्चात विचार-विमर्श करके चिंतनजनक पहलुओं का पता लगाना।
11. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयर धारकों तथा ऋणदाताओं को (घोषित लाभांश का भुगतान न होने की स्थिति में) भुगतान में बड़ी चूक के कारणों का पता लगाना।
12. सचेतक प्रणाली के कामकाज की समीक्षा।
13. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी लेखा परीक्षा टिप्पणियों के अनुपालन की समीक्षा।

14. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति की सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा।
15. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल के बीच संवाद के लिए खुला मंच उपलब्ध कराना।
16. कंपनी में तमाम संबद्ध पक्ष लेन-देनों की समीक्षा करना। इसके लिए लेखा परीक्षा समिति एक सदस्य को नामजद कर सकती है जो जो संबद्ध पक्ष लेन-देनों की समीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
व्याख्या : "संबद्ध पक्ष लेन-देन" वाक्यांश का वही अर्थ होगा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानदंड 18 में बताया गया है।
17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ लेखा परीक्षा प्रयासों में तालमेल की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना कि लेखा परीक्षा का दायरा पूरा है, अनावश्यक प्रयासों में कमी आयी है और लेखा परीक्षा संसाधनों का कारगर इस्तेमाल हुआ है।
18. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना :
 - कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा समेत आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता।
 - स्वतंत्र लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष तथा सिफारिशों और उनपर प्रबंधन के जवाब।
19. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षकों और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा :
 - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष और लेखा परीक्षा संबंधी पिछली सिफारिशों की स्थिति।
 - लेखा परीक्षा के दायरे में आने वाली गतिविधियों या वांछित सूचना हासिल करने में किसी भी तरह की पाबंदियों समेत लेखा कार्य के दौरान आई कोई भी परेशानी।
20. लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषयों में उल्लिखित कोई भी अन्य कार्य करना।

लेखा परीक्षा समिति की शक्तियां कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 292ए के अनुसार हैं।

4. **अनुषंगी कंपनियां :**
कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी नहीं है।
5. **पारिश्रमिक समिति:**
कंपनी ने कोई पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की है।
6. **आमसभा की बैठकें :**
पिछली तीन वार्षिक आमसभा की बैठकों की तारीख, समय और स्थान इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान
2009-10	08.09.2010	दोपहर 2.30 बजे	नई दिल्ली
2010-11	04.08.2011	दोपहर 4.30 बजे	नई दिल्ली
2011-12	17.08.2012	दोपहर 3.00 बजे	नई दिल्ली

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आमसभाओं में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। कंपनी ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति से अपनी वार्षिक आमसभा नई दिल्ली में (यानी अपने पंजीकृत कार्यालय से इतर किसी स्थान पर) आयोजित की। इसमें लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष मौजूद थे।

6.1 पिछले तीन साल के दौरान पारित विशेष प्रस्ताव:

क्रम सं.	बैठक का विवरण	विशेष प्रस्ताव पारित
1.	असाधारण आमसभा 17 मई 2010 को आयोजित	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

आलोच्य वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के जरिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

प्रकटीकरण:

- (i) संबंधित पक्ष लेन-देन : प्रायोजकों या निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ ऐसे कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुए जिनसे कंपनी के व्यापक हितों पर कोई संभावित विपरीत असर पड़ता।
- (ii) कंपनी के गठन के बाद से किसी भी वैधानिक प्राधिकारी ने सरकार की ओर से जारी जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले में कंपनी पर न तो कोई जुर्माना लगाया है और न कोई निंदा की है।

- (iii) सचेतक नीति (विसल ब्लोवर) : कंपनी ने कोई सचेतक नीति नहीं अपनायी है। लेकिन किसी भी कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से कभी रोका नहीं गया है।
- (iv) कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया इसलिए कंपनी लोक उपक्रम विभाग द्वारा जारी स्वतंत्र निदेशक से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर सकी।
- (v) कंपनी के गठन के बाद से उसे कोई अध्यक्षीय दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
- (vi) लेखा बहियों में खर्च की कोई ऐसी मद उधार खाते में नहीं डाली गयी है जो कारोबार के लिए न हो।
- (vii) ऐसा कोई खर्च नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत किस्म का हो और निदेशक मंडल और प्रबंधन पर व्यय किया गया हो।
- (viii) कुल खर्च के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय खर्चों का विवरण तथा उसकी तुलना में वित्तीय व्यय और उसमें बढ़ोतरी के कारण नीचे दिये हैं :

क्रम सं.	विवरण	कुल खर्च का प्रतिशत	बढ़ोतरी का कारण
1	प्रशासनिक खर्च	7 प्रतिशत	प्रशासनिक और कार्यालय खर्च
2.	कार्यालय खर्च	3 प्रतिशत	में बढ़ोतरी का कारण परियोजना निर्माण पूर्व गतिविधियों का कार्यान्वयन है।

- (ix) लेखांकन का तरीका:
कंपनी ने कंपनी लेखांकन मानदंड नियमावली, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानदंडों का पालन किया है। लेकिन इसमें अगर कोई व्यतिक्रम हुआ है तो उसका उल्लेख लेखों के साथ संलग्न टिप्पणियों में कर दिया गया है।
- (x) निदेशकों का पारिश्रमिक:
निदेशकों को कोई पारिश्रमिक या सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया।

7. संचार के साधन :

कंपनी के वार्षिक वित्तीय परिणाम सदस्यों को लिखित रूप में उपलब्ध कराये जाते हैं। कंपनी से त्रैमासिक परिणामों को प्रकाशित करने की अपेक्षा नहीं की जाती।

8. शेयर धारकों के लिए सूचना : वार्षिक आमसभा की बैठक:

निदेशक मंडल ने 18 मई, 2013 को आयोजित अपनी 17वीं बैठक में कंपनी के अध्यक्ष को चौथी वार्षिक आमसभा की तारीख, समय और स्थान का निर्णय करने को प्राधिकृत किया है।

9. लेखा परीक्षा योग्यता:

वैधानिक लेखापरीक्षक की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है। लेकिन नियंत्रक महा लेखा परीक्षक ने लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के भूआकृति सर्वेक्षण कार्य के लिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण को दिये गये 106.95 लाख रुपये के वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उनपर प्रबंधन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट के साथ अन्यत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

10. निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण :

लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड विद्युत उत्पादन का कारोबार करती है। कंपनी के निदेशक मंडल में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा नामजद, मणिपुर सरकार के कमिश्नर (विद्युत) और विद्युत मंत्रालय द्वारा नामजद प्रतिनिधि शामिल हैं। ये लोग कारोबार के तौर-तरीकों और कंपनी के जोखिम वाले पहलुओं से भली भांति परिचित हैं।

11. अनुपालन प्रमाणपत्र:

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के लिए कारपोरेट अभिशासन के दिशानिर्देश (2010) के तहत कारपोरेट अभिशासन की शर्तों पर अमल की पुष्टि या अन्यथा से संबंधित, पेशेवर कंपनी सेक्रेटरी मैसर्स गरिमा दुग्गल एंड एसोसिएट्स का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)
अध्यक्ष
डीआईएन:00325308

दिनांक : 07.08.2013
स्थान : नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

I उद्योग ढांचा और विकास

बिजली अर्थव्यवस्था, खास तौर पर भारत जैसे विकासशील देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जहां उच्च और उन्नत जीवनस्तर उचित दामों में बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय निर्भरता पर निर्भर करता है। अन्य चीजों की तरह मांग और आपूर्ति के फार्मूले बिजली पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जिसे जमा नहीं किया जा सकता। भारत में आजादी के बाद से विद्युत क्षेत्र का जबरदस्त विकास हुआ है। 31 मार्च, 2013 को देश में विद्युत उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 2,23,626 मेगावाट है जिसमें ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होने वाली बिजली का हिस्सा क्रमशः 151,680 मेगावाट, 39,623 मेगावाट, 4780 मेगावाट और 27,542 मेगावाट था।

मणिपुर में विद्युत क्षेत्र का मौजूदा परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। आम विद्युत उपभोक्ताओं को एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती है। कमी वाले मौसम में आम तौर पर स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि उन दिनों पूर्वोत्तर क्षेत्र के तमाम बिजली घरों में विद्युत उत्पादन न्यूनतम हो जाता है। मणिपुर को उसकी जरूरत की बिजली इन्हीं बिजलीघरों से प्राप्त होती है। सबसे अधिक मांग वाले समय में राज्य की अधिकतम मांग 180 मेगावाट है जबकि राज्य में बिजली की मांग अधिकतम मांग के दौरान 120 मेगावाट और न्यूनतम मांग के दौरान 45-30 मेगावाट रहती है। आने वाले समय में मांग और आपूर्ति का यह अंतर और बढ़ने की संभावना है। स्थिति से निपटने के लिए राज्य के बिजली विभाग ने दो जल विद्युत परियोजनाओं पर अमल करने की योजना बनायी है जिनके नाम हैं: लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना (66 मेगावाट) और तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मेगावाट)। ये परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की गईं और इनमें से लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना कंपनी को सौंपी गयी है। परियोजना से प्राप्त होने वाली सारी बिजली का उपयोग राज्य द्वारा ही किया जाएगा जिससे राज्य में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा।

II मजबूती

हमारा मानना है कि कंपनी की बुनियादी प्रतिस्पर्धी शक्ति निम्न बातों में है :

भारत सरकार द्वारा नयी परियोजनाओं में निवेश का निर्णय लेते समय कंपनी राज्य विद्युत बोर्डों/बिजली विभागों और उनके अधीनस्थ संगठनों से इस बात का वादा करावाती है कि वे नयी परियोजना से प्राप्त होने वाली बिजली की खरीद करेंगे। इसी तरह का वादा कंपनी के साथ भी रहता है। मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड के बीच 14 सितंबर, 2009 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 2(डी) के अनुसार मणिपुर सरकार परियोजना से उत्पादित होने वाली सारी बिजली खरीदेगी।

सक्षम और प्रतिबद्ध श्रमशक्ति

कंपनी के गठन के नियमों के अनुसार लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर अमल के लिए आवश्यक श्रमशक्ति मूल संगठनों यानी एनएचपीसी लि. और मणिपुर सरकार द्वारा तैनात की जानी है। वर्तमान में सारी श्रमशक्ति एनएचपीसी लिमिटेड से है। एनएचपीसी द्वारा प्रतिनियुक्त श्रमशक्ति को इस उद्योग में काम करने का विस्तृत अनुभव है। इन वरिष्ठ कार्यपालकों का कौशल, उद्योग की जानकारी और संचालनात्मक अनुभव कंपनी को प्रतिस्पर्धी बढत दिलाने को काफी है।

मूल संगठनों की मजबूत इंजीनियरी और डिजाइन टीम

कंपनी को अपनी मूल कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड का पूरा सहयोग प्राप्त है जिसकी अपनी आंतरिक परियोजना डिजाइन टीम है। यह टीम परियोजना की संकल्पना से लेकर उसे चालू करने तक की तमाम इंजीनियरी क्षमताओं से युक्त है। टीम को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजना सलाहकारों का सहयोग भी प्राप्त है। एनएचपीसी लि. के इंजीनियरों को सुरंगों का डिजाइन तैयार करने का विशेष अनुभव हासिल है और वे परिवर्तनशील तथा अप्रत्याशित भूगर्भवैज्ञानिक स्थितियों में डिजाइन तैयार कर सकते हैं। कंपनी के इंजीनियरों की विभिन्न प्रकार के विशेष विश्लेषण करने, डिजाइन तैयार करने और कम्प्यूटर से डिजाइन तैयार करनेवाले (सीएडी) साफ्टवेयर के इस्तेमाल का अनुभव है। वे अपने अभिनव और पूरी तरह से समन्वित तौर-तरीकों और अपने समूचे कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हुए डिजाइन संबंधी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

III अवसर

पूर्वोत्तर भारत को प्रकृति की ओर से विशाल जलविद्युत क्षमता का वरदान प्राप्त है जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ है। जलविद्युत क्षमता का विकास देश के इस अल्पविकसित भाग की अर्थव्यवस्था को बढावा देने के लिए सर्वोत्कृष्ट विकल्प है। लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण से देश के इस भाग में तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त विकास संभव हो सकेगा।

IV खतरे, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं

प्रबंधन यह महसूस करता है कि जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के निम्नलिखित खतरे, कमजोरियां, जोखिम और चिंताएं हैं।

भूमि अधिग्रहण

परियोजना पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र में अब स्थित है जिसमें बुनियादी ढांचे संबंधी कार्यों के साथ-साथ मूल परियोजना स्थल और पानी में डूबने वाले विस्तृत भू-भाग समेत

काफी जमीन की की आवश्यकता होती है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बड़ी जटिल उचित है जिसे सरल बनाया जाना चाहिए।

भूगर्भ वैज्ञानिक आश्चर्य

इस क्षेत्र में जमीन के अंदर किये जाने वाले कार्यों में अप्रत्याशित भूगर्भवैज्ञानिक स्थितियां उत्पन्न होना असामान्य बात नहीं है जिनसे परियोजना को पूरा करने में अधिक समय और लागत बढ जाती है।

प्राकृतिक आपदाएं

जलविद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में होती हैं जहां चट्टानें खिसकने, भूस्खलन, सड़कें बंद होने, बाढ़ और बादल फटने से निर्माण कार्यक्रम में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है।

अप्रत्याशित जटिलताएं

परियोजना के विकास में अप्रत्याशित जटिलताएं और विलंब हो सकते हैं जिससे परियोजना के विकास की वास्तविक लागत अनुमान से काफी अधिक हो सकती है।

जलवायु में परिवर्तन के साथ-साथ पानी के बहाव में बदलाव आ सकता है परियोजना की उत्पादन क्षमता में भारी उतार-चढ़ाव आ सकता है जिससे आमदनी और मुनाफे में घटबढ हो सकती है।

V खंड वार या उत्पाद वार कार्यनिष्पादन

कंपनी 66 मेगावाट की प्रस्तावित संस्थापित क्षमता वाली लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना पर अमल कर रही है। इस परियोजना के तहत कोई अन्य उप-परियोजना या कोई अन्य उत्पाद बनाया या पूरा किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

VI परिदृश्य

जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में निवेशकों/निष्पादकों के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। यों तो विद्युत क्षेत्र में समग्र रूप से सुधार के लिए विभिन्न पहल हुई हैं लेकिन ये जलविद्युत क्षेत्र में खास तौर पर हुई हैं। इनके उदाहरण हैं : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 2001 में संभावित जलविद्युत परियोजना स्थलों को श्रेणीबद्ध करने के लिए अध्ययन, विद्युत अधिनियम 2003 का विनियमन, मई 2003 में 50,000 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाओं की पहल और जलविद्युत नीति 2008 पर अमल।

बढते हुए परिदृश्य में देश में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए नये अवसर उपलब्ध होंगे।

VII आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में अधिकारों का स्पष्ट रूप से प्रतिनिधान किया गया है। किसी खास पदक्रम के विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार/दायित्व के रूप में कंपनी का संगठनात्मक ढांचा भली भांति सुपरिभाषित है। एनएचपीसी लिमिटेड के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह अनुभवी और सुयोग्य लोगों वाली कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा करे।

VIII प्रचालात्मक कार्यनिष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर चर्चा

क) वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के सर्वेक्षण और अन्वेषण में लगी है जिसके लिए कंपनी के पास पर्याप्त पैसा उपलब्ध है। इस पैसे को सावधि जमा खातों में विभिन्न अनुसूचित बैंकों में जमा कराया गया है जिससे कंपनी को ब्याज के रूप में आमदनी हो रही है।

ख) परियोजना का संचालात्मक कार्यनिष्पादन

भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने स्थलाकृति संबंधी सर्वेक्षण के तीसरे चरण का कार्य पूरा कर लिया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के साथ ही वन संबंधी प्रथम चरण की मंजूरी प्रदान कर दी है।

IX मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति

आपकी कंपनी का मानना है कि सुप्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की टीम कंपनी की निरंतर उन्नति और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कंपनी के तमाम कर्मचारी एनएचपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये हैं। एनएचपीसी लिमिटेड की प्रशिक्षण नीति के अनुसार कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और नियोक्ता के बीच औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे। हड़ताल/तालाबंदी की वजह से एक भी कार्यदिवस का नुकसान नहीं हुआ। कर्मचारियों के कल्याण की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों को अपनी कार्यस्थितियों, कल्याण आदि से संबंधित क्षेत्रों में भागीदार बनने को प्रेरित किया गया।

- स्कूली बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करायी गयीं।
- सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों और खेल-कूद गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यपालकों और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के क्लब पूरी तरह से सुसज्जित किये गये।
- आधारभूत ढांचे के विकास या आउटसोर्सिंग के जरिए केबल टीवी जैसी मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराए गये।
- लोकतक जलविद्युत केन्द्र पर केन्द्रीय विद्यालय के माध्यम से शिक्षा सुविधा की व्यवस्था।
- लोकतक विद्युत केन्द्र पर अपने प्रशिक्षित डाक्टरों और पैटा मेडिकल कर्मचारियों से युक्त अस्पताल/दवाखाना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस अस्पताल के अलावा भी कर्मचारी और उनके परिजन देश भर में पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कराने के हकदार हैं।

अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षण

कंपनी अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यथाशक्ति योगदान कर रही है। एनएचपीसी लिमि. और मणिपुर सरकार के बीच प्रायोजक-समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की व्यवस्था प्रायोजकों को करनी है। इसलिए कंपनी कोई भर्ती नहीं कर रही है। लेकिन दोनों प्रायोजक भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण और छूट संबंधी दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

अजा/अजजा/अपिव कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाली सूची इस प्रकार है :

वर्ग	31.03.13 को कुल कर्मचारी संख्या	प्रतिनिधित्व					
		अजा	अजा प्रतिशत	अजजा	अजजा प्रतिशत	अपिव	अपिव प्रतिशत
कुल	31	2	6%	3	9%	2	6%

विकलांग जनों का कल्याण

कंपनी में 31.03.13 को शारीरिक रूप से विकलांग कोई भी कर्मचारी नहीं था।

X पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा, टेक्नोलॉजी संबंधी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी मानवता की बहुमूल्य धरोहर प्रकृति के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए अपने परियोजना स्थलों पर अपनी गतिविधियों तथा पर्यावरण के संरक्षण में तालमेल बनाए रखती है। निर्माण गतिविधियों के किसी भी संभावित दुष्परिणाम को कम से कम किया

जाएगा और इसके लिए प्रतिपूरक वनीकरण, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, हरित पट्टी विकास, मात्स्यिकी प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन, मलबा फेंकने की जगहों और खदान स्थलों का उद्धार और पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना आदि का सहारा लिया जा रहा है।

XI कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने को वचनबद्ध है और पर्यावरण की दृष्टि से तथा नैतिक रूप से जागरूक तौर-तरीकों के जरिए इनकी अभिव्यक्ति भी कर रही है। कंपनी अपने कारपोरेट अभिशासन में कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण संबंधी वचनबद्धताओं को पूरा करने के बेहतरीन तौर-तरीकों को शामिल कर रही है।

आपकी कंपनी के पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले या प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वालों के आर्थिक स्तर को सुधारना है। आपकी कंपनी पुनर्वास और पुनर्स्थापना नीति पर अमल के जरिए परियोजना से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है।

सचेतक बयान

इस रिपोर्ट में व्यक्त आशाजनक वक्तव्यों और दृष्टिकोण युक्तिसंगत परिकल्पनाओं पर आधारित हैं और कुछ ऐसे जोखिमों तथा अनिश्चितताओं पर निर्भर हैं जिनसे इस तरह के वक्तव्यों में प्रदर्शित परिणाम वास्तविक परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। पाठकों को इस रिपोर्ट और कंपनी की आवधिक रिपोर्टों में दी गयी अन्य सूचनाओं की सावधानी से समीक्षा करनी चाहिए। कंपनी नयी जानकारी, भावी घटनाक्रम या किसी अन्य कारणों से इन आशाजनक वक्तव्यों को सार्वजनिक रूप से अद्यतन या संशोधित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती।

निदेशकों की रिपोर्ट में दिये गये वित्तीय आंकड़े कंपनी के अंकेक्षित परिणामों पर आधारित हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(जी. साइ प्रसाद)

अध्यक्ष

डीआईएन:00325308

दिनांक : 07.08.2013

स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-IV

लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

हमने लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उससे सम्बद्ध 31 मार्च, 2013 की अवधि के लिए लाम एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखे की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4 ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2004 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-
 - (क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।
 - (ख) हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।
 - (ग) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाम एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।
 - (घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाम एवं हानि खाता नकदी

प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

- (ड) कंपनी कार्य विभाग ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 को जारी अधिसूचना संख्या 8/5/2001-सी.एल.वी के माध्यम से अधिसूचित किया है कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (च) हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (टिप्पणी संख्या-34) और व्याख्यात्मक लेखा-विवरण (टिप्पणी संख्या-35) के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित सूचना को अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :-
 - (i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति का;
 - (ii) लाम एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाम का;
 - (iii) नकदी प्रवाह के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का, और
 - (iv) निर्माण के दौरान व्यय लेखा के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के व्यय का।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(लिंडा क्षेत्रीयमयम)

भागीदार

सदस्यता सं.511337

स्थान - इम्फाल

दिनांक: 18 मई 2013

लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित)

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
- (ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, क्योंकि सत्यापन का एक तय कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप के अनुरूप है। इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नज़र नहीं आयी।
- (ग) चूंकि इस अवधि के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू महत्त्व आधार पर वित्तीय विवरण को तैयार किया जाना, इससे प्रभावित नहीं हुआ है।
2. (क) हमें स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा मालसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है।
- (ख) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया-विधि कंपनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के संबंध में तर्कसंगत और पर्याप्त है।
- (ग) कंपनी माल-सूचियों का उचित रिकार्ड रख रही है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार माल-सूचियों के भौतिक सत्यापन में लेखा-बहियों के रिकार्ड की तुलना में कोई विसंगति नहीं पायी गई है।
3. (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते हैं।
- (ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड (3) के उप खंड (ड), (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।
4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। परियोजना निर्माणाधीन होने के कारण इस अवधि में वस्तु एवं सेवाओं की कोई बिक्री नहीं की गई।
5. (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।
- (ख) उपरोक्त उप-खंड (क) को देखते हुए यह उप-खंड लागू नहीं होता।
6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
7. कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है।
8. कंपनी निर्माणावस्था में है इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अपेक्षित लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
9. (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार लेखा-परीक्षाधीन अवधि में भविष्य निधि अंशदानों की जानकारी नियमित रूप से इसकी धारक कंपनी, एनएचपीसी लिमिटेड के कारपोरेट कार्यालय को भेजी जा रही है ताकि उसे एनएचपीसी कर्मचारी भविष्य निधि में जमा कराया जा सके और हमें दी गयी जानकारी के अनुसार ये अंशदान जमा कराने की वास्तविक तारीख देय होने की तारीखों के भीतर रही है तथा जहां तक पीएफ और ईडीएलआई पर प्रशासनिक प्रभार का प्रश्न है, वे देय होने पर निर्धारित तारीख से पहले उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा कराए गए हैं और जैसा कि हमें जानकारी दी गई है वर्ष के लिए आय कर को छोड़ कर, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, बिक्री कर, संपदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयों के संबंध में कोई राशि बकाया नहीं है।
- (ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विवाद के कारण आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सम्पदा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा उपकर की कोई राशि देय नहीं है, जो जमा न करायी गई हो।
10. आदेश का खंड 4(x) कंपनी पर लागू नहीं होता।
11. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है। अतः आदेश का खंड 4(xi) कंपनी पर लागू नहीं होता।
12. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने शेयर तथा ऋणपत्र एवं अन्य प्रतिभूतियां रेहन रखकर प्रतिभूति के आधार पर अन्यो को कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है।
13. कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(xiii) कंपनी पर लागू नहीं होता।
14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खंड 4(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।
15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अन्यो द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।
16. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।
17. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनी ने अल्पावधि आधार पर किसी धन की उगाही नहीं की है।
18. कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
19. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
20. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू से धन उगाही नहीं की है।
21. हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी प्रकाश में नहीं आयी है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(लिंडा क्षेत्रीमयम)

भागीदार

सदस्यता सं.511337

स्थान - इम्फाल

दिनांक: 18 मई 2013

अनुलग्नक - V

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड, के वित्तीय ब्यौरे तैयार करने का दायित्व निगम की प्रबंधन समिति का है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक का दायित्व है कि वह कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय ब्यौरों पर अपने व्यावसायिक निकाय इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुसार की गयी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करे। यह कार्य लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18 मई, 2013 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिये पूरा किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक, कारपोरेशन के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय ब्यौरों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कागजात देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है। इसे मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षण और कम्पनी कार्मिकों की जांच तक सीमित रखा गया है। इसमें कुछ चुने हुए लेखा रिकॉर्डों की परीक्षा भी की गयी है। अपनी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण मामले को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आया है और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और सम्बद्ध लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनिवार्य है।

तुलन पत्र

आस्तियां

चालू आस्तियां

अल्पावधि ऋण और अग्रिम (टिप्पणी संख्या 14)- रु . 729.66 लाख।

उपरोक्त के अंतर्गत रु. 106.95 लाख की राशि शामिल है जो लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के स्थलाकृति सर्वेक्षण कार्य के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अग्रिम के रूप में दिए गए थे। कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 4.3 के अनुसार, सर्वेक्षण और अन्वेषण संबंधी कार्यों पर व्यय, परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची-6 की निर्देशन टिप्पणी के पैरा 8.7.3 के अनुसार उक्त अग्रिम को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम' के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

इससे रु. 106.95 लाख की राशि 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम' शीर्ष के अंतर्गत कम रिपोर्ट की गई है जबकि यह राशि 'अल्पावधि ऋण और अग्रिम' में अधिक रिपोर्ट की गई है।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 18 जुलाई 2013

(नैना ए. कुमार)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-3,
नई दिल्ली

31 मार्च, 2013 के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	(राशि रुपये में)	
		31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	1176923090	984615400
(ख) आरक्षित और अधिशेष	3	101905875	55977496
(2) लंबित आबंटन संबंधी शेयर आवेदन निधि	4		50000000
(3) गैर वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	5	-	-
(ख) स्थगित कर देयता	6	-	-
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	7	-	-
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	8	-	-
(4) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	5	-	-
(ख) व्यापार प्राप्त	9	1606736	783379
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	10	333560622	84048472
(घ) अल्पावधि प्रावधान	8	60791020	40143725
कुल		1674787343	1215568472
II. आस्तियां			
(1) गैर वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तियां	11.1	9157674	9330395
(ii) अगोचर आस्तियां	11.2	1	2618
(iii) चालू पूंजी कार्य	12.1	482873089	418015182
(iv) विकासार्थी अगोचर आस्तियां	12.2	-	-
(ख) गैर वर्तमान निवेश	13	-	-
(ग) स्थगित कर आस्तियां	6	-	-
(घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	14	8245241	987089
(ङ) अन्य गैर वर्तमान आस्तियां	15	-	-
(2) चालू आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	16	-	-
(ख) माल सूची	17	-	-
(ग) व्यापार प्राप्त	18	-	-
(घ) नकदी एवं बैंक शेष	19	1064626215	674033614
(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	14	72966249	50882639
(च) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	20	36918874	62316935
कुल		1674787343	1215568472
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण	31		
टिप्पणी संख्या 1 से 31 लेखों का अभिन्न भाग हैं			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम

भागीदार

सदस्य संख्या - 511337

(कंवर सिंह)

निदेशक

डीआईएन-05351047

(विजय कुमार)

निदेशक

डीआईएन-03021294

(रंजन मित्रा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एलडीएचसीएल

स्थान : इम्फाल

दिनांक : 18 मई 2013

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

31 मार्च, 2013 के अनुसार लाभ एवं हानि का वितरण

(राशि रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 का
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	21	-	-
ii) अन्य आय	22	68113307	60719161
कुल राजस्व		68113307	60719161
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	23	126660	724396
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	24	-	-
iii) वित्त लागत	25	-	-
iv) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	26	-	-
कुल व्यय		126660	724396
पूर्व अवधि मर्दों, विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा सतत् प्रचालन से कर पूर्व लाभ		67986647	59994765
पूर्व अवधि समायोजन निवल	27	-	-
विशिष्ट और असाधारण मर्दें तथा कर पूर्व लाभ		67986647	59994765
असाधारण मर्दें		-	-
असाधारण मर्दें और कर पूर्व लाभ		67986647	59994765
असाधारण मद		-	-
कर पूर्व लाभ		67986647	59994765
कर संबंधी व्यय	28		
वर्तमान कर		22058268	19465302
कर संबंधी कुल व्यय		22058268	19465302
सतत् प्रचालन से वर्ष के लिए लाभ		45928379	40529463
गैर प्रचालन कार्यों से लाभ		-	-
गैर प्रचालन कार्यों पर व्यय		-	-
गैर प्रचालन कार्यों से कर उपरान्त लाभ		-	-
वर्ष के लिए लाभ		45928379	40529463
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)			
मूल			
तनुकृत			
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक विवरण	31		
टिप्पणी संख्या 1 से 30 लेखों का अभिन्न भाग हैं			

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम

भागीदार

सदस्य संख्या - 511337

(कंवर सिंह)

निदेशक

डीआईएन-05351047

(विजय कुमार)

निदेशक

डीआईएन-03021294

(रंजन मित्रा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एलडीएचसीएल

स्थान : इम्फाल

दिनांक : 18 मई 2013

टिप्पणी संख्या - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का इस्तेमाल करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं है, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई है।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।
- 2.7 कंपनी प्रत्येक तुलन पत्रक की तारीख को आंतरिक/बाहरी संकेतकों के आधार पर नकदी सृजित करने वाली यूनिट (सीजीयू) की क्षीणता का मूल्यांकन करती है। यदि ऐसे संकेत दिखाई देते हैं, तो कम्पनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। नकदी सृजित करने वाली इकाई की आगे ले जायी जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होने की स्थिति में क्षीणता हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है। वसूली योग्य राशि में परिवर्तन होने अथवा ऐसी हानि के विद्यमान न होने अथवा कम होने की स्थिति में क्षीणता हानि को परिवर्तित किया जाता है।

3. मशीनरी कलपुर्जे

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जे को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होता है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जे के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्ते इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जे" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 प्रचालनाधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुक्षण, उन्नयन पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।

- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाईयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों और पद्धति का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाईयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-

(i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	11.25 प्रतिशत
(ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण	30 प्रतिशत
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में मूल्यह्रास उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) किया जाता है और उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रम्या लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रुपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रुपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रुपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रम्या लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिसाब में ली जाती हैं।
- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाईयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाईयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यह्रास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यह्रास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यह्रास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत,

- अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जा की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रुपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेख पर प्रभाषित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बट्टेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनिमय अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01.04.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभाषित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की

स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी ठेकों/लागत जमा संविदाओं के संदर्भ में राजस्व की गणना अनुबंध की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्यों की मात्रा के आधार पर की जाती है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रादुर्भाव आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अभिभार को प्राप्ति पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 50,000 रुपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और अधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

टिप्पणी संख्या 2 शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को		31 मार्च 2012 को	
	संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य 10/- रुपये)	230000000	2300000000	230000000	2300000000
ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर)	117692309	1176923090	98461540	984615400
ग) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी:				
बकाया शेयरों की प्रारंभिक संख्या	98461540	984615400	60000000	600000000
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/ शेयर पूंजी	19230769	192307690	38461540	384615400
घटाएं : शेयरों की संख्या/ शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	117692309	1176923090	98461540	984615400
घ) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या	संख्या में	प्रतिशत में	संख्या में	प्रतिशत में
एनएचपीसी लिमिटेड	87092309	74.00%	72861540	74.00%
मणिपुर सरकार	30600000	26.00%	25600000	26.00%
कुल	117692309		98461540	
च) नकदी से इतर आवंटन के लिए विचारार्थ शेयरों की कुल संख्या				
शेयर धारकों के अधिकार/शर्तें				
एनडीएचसीएल लिमिटेड और मणिपुर सरकार द्वारा 26.9.2008 को हस्ताक्षरित प्रोमोटर करार के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर विभिन्न प्रकार की शर्तें लगाई गई हैं। कोई भी शेयर हस्तांतरण तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह पूर्ण रूप से उक्त प्रोमोटर समझौते के अनुरूप न हो।				

टिप्पणी संख्या 3 आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
अधिशेष*		
कुल	101905875	55977496
*अधिशेष		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	45928379	40529463
अग्रेणीत शेष	55977496	15448033
जोड़:		
पूँजी आरक्षी से पश्च लिखित	-	-
बॉण्ड विमोचन आरक्षी पश्च लिखित	-	-
अन्य आरक्षी पश्च लिखित	-	-
स्व बीमा निधि से पश्च लिखित	-	-
लाभांश पर कर पश्च लिखित	-	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध शेष		
पूँजी आरक्षी को अंतरित	-	-
बॉण्ड विमोचन आरक्षी को अंतरित	-	-
स्व-बीमा निधि को अंतरित	-	-
सामान्य आरक्षी को अंतरित	-	-
लाभांश :		
- अंतरिम	-	-
- प्रस्तावित	-	-
- अंतिम	-	-
लाभांश पर कर		
- अंतरिम	-	-
- प्रस्तावित	-	-
अग्रेणीत शेष	101905875	55977496

टिप्पणी संख्या 4 शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
शेयर पूँजी जमा		50000000
अग्रेणीत शेष		50000000
मणिपुर सरकार	50000000	
1 प्रति शेयर रु. 10/- मूल्य के इक्विटी शेयर मौजूदा शेयरधारकों के समरूप उपरोक्त शेयरधारकों को जारी किए जाने हैं।		
2 प्रति शेयर रु. 10/- के मूल्य के 5000000 इक्विटी शेयर उपरोक्त शेयरधारकों को जारी किया है।		
3 कंपनी की प्रधिकृत शेयर पूँजी 230 करोड़ रुपये है जो उपरोक्त शेयर आवेदनों में से शेयरों के आवंटन पर शेयर पूँजी राशि कवर करने के लिए पर्याप्त है।		

टिप्पणी संख्या - 5 ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल

टिप्पणी संख्या 6 स्थगित कर देयताएं/आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को

टिप्पणी संख्या 7 अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

टिप्पणी संख्या 8 प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
ख) वेतन संशोधन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	923402		-	9628128	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	650047		-	923402	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	9628128	
अंतिम शेष	-	1573449		-	923402	
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	1573449		-	923402	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
ग) कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान/प्रोत्साहन						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	3847910		-	1267304	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	2952527		-	2580606	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	3339250		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	508660		-	-	
अंतिम शेष	-	2952527	2952527	-	3847910	3847910
घटाएं : अग्रिम कर	-	-	-	-	198738	198738
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	2952527	2952527	-	3649172	3649172
घ) सेवा निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	2513507		-	2513507	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	1799179		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	1842673		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	670834		-	-	
अंतिम शेष	-	1799179	-	-	2513507	2513507
ड) अन्य						
i) कराधान के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	-	33981046		-	10605870	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	22058268		-	19465302	
वर्ष के दौरान समायोजन	-			-	3909874	
अंतिम शेष	-	56039314	56039314	-	33981046	33981046
कुल	-	60791020	58991841	-	40143725	40143725

व्याख्यात्मक टिप्पणी:-

- “वेतन संशोधन के लिए प्रावधान” के अंतर्गत “कार्मिक समायोजन वेतन (उपयुक्तता लाभ)” के लिए रु. 0.065 करोड़ (संचयी प्रावधान रु. 0.157 करोड़) का प्रावधान किया गया है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अभाव में तत्संबंधी निपटान लंबित है। इस मद में अदा की गई रु. 0.157 करोड़ की राशि को “अग्रिम भुगतान” के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 9 व्यापार देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए	1606736	783379
	1606736	783379

टिप्पणी संख्या 10 अन्य चालू देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
जमा/धारण राशि	192566	60753
होलिडिंग कंपनी को देय	-	80905882
सांविधिक देयताएं	1403608	1320256
अन्य देयताएं	8324673	1761581
जमा कार्यों के प्रति अग्रिम	323639775	-
घटाएं : जमा कार्यों पर व्यय की गई राशि	-	-
	323639775	-
	333560622	84048472

टिप्पणी संख्या 11.1 गोचर परिसंपत्तियां											
क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यहास			
		01.04.2012	संवर्द्धन	संवर्द्धन	कमी	अन्य	अन्य	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	निवल ब्लाक
			अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2013
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0						0		0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0						0		0	0
iii)	सड़कें और पुल	4763741						694136	159109	853245	3910496
iv)	भवन	5607531						2549363	130052	2679415	2928116
v)	रेलवे साइडिंग्स	0						0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	0						0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0						0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	0						0	0	0	0
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइनें	0						0	0	0	0
x)	संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	94554						69182	4992	74174	20380
xi)	निर्माण उपकरण	7472225						6763182	0	6763182	709043
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0						0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0						0	0	0	0
xiv)	वाहन	4230770						3807693	0	3807693	423077
xv)	विमान / नौकाएं	0						0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	1146054	58359		60000			878987	-21899	900015	244398
xvii)	कम्प्यूटर	1424968	443897		48500			1153169	123447	1289854	530511
xviii)	संचार उपकरण	120654	5490		12199			96039	4412	104737	9208
xix)	कार्यालय उपकरण	781445	26000		29875			565550	40701	609800	167770
xx)	अनुसंधान और विकास	0						0	0	0	0
xxi)	अन्य आस्तियां	1261992	8697					996993	59812	1056805	213884
xxii)	उन आस्तियों पर पूंजी खय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं हैं।	0						0	0	0	0
xxiii)	गौण मूल्य की अवल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	1518393	98213		5000			1517638	28490	1610815	791
xxiv)	अप्रचलित /अधिशेष आस्तिया	0						0	0	0	0
	कुल	28422327	640656	0	155574	0	0	19091932	27664	19749735	9157674
	पिछले वर्ष	29005228	0	816577	0	1399478	0	19420929	905407	19091932	9330395

टिप्पणी संख्या 11.2 अगोचर परिसंपत्तियां											
क्र. सं.	विवरण	सकल ब्लाक						मूल्यहास			
		01.04.2012	संवर्द्धन	संवर्द्धन	कमी	अन्य	अन्य	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	निवल ब्लाक
			अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अन्य	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2013
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल का अधिकार	0						0	0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	7850						5232	2617	7849	1
	कुल	7850	0	0	0	0	0	5232	2617	7849	1
	पिछले वर्ष	7850	0	0	0	0	0	2616	2616	5232	2618

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

टिप्पणी संख्या 12.1 चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
i) सड़कें और पुल	1948004		(1948004)		-
ii) भवन	-	-	-		-
iii) रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मेकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सबस्टेशन	-				-
vii) संयंत्र तथा मशीनरी - ट्रांसमिशन लाइने	-				-
viii) संयंत्र तथा मशीनरी - अन्य	-				-
ix) निर्माण उपकरण	-				-
x) जलापूर्ति प्रणाली/ नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi) संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य आस्तियां	-				-
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो एनएचपीसी के स्वामित्व में नहीं है।	-				-
xiii) भारत सरकार की 5 किलोमीटर योजना के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी - आस्तियां	-				-
xiv) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	32716247	23045729			55761976
xv) प्रतिपूरक वन रोपण पर व्यय	-				-
xvi) निर्माण के दौरान खर्च*	383222733	43760182			426982915
घटाएं : प्रावधान	-				-
उप जोड़ (क)	417886984	66805911	(1948004)	-	482744891
* वर्ष के दौरान संवर्धन टिप्पणी संख्या 29 देखें					
	01.04.2012	Adjustment			31.03.2013
निर्माण भंडार	257198	-			257198
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	129000	-			129000
उपजोड़ (ख)	128198	-			128198
कुल	418015182	66805911	(1948004)	-	482873089
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 12.2 विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
i) विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 13 गैर वर्तमान निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को

टिप्पणी संख्या - 14 ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
पूँजी अग्रिम						
अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के बदल	-	-	-	-	-	-
- अन्य	7914833		7914833	-		-
अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	151747		151747	151747		151747
घटाएं : उपयोग प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा वाले व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	151747		151747	151747		151747
संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	3799162	3799162	-	-	-
अन्य ऋण और अग्रिम						
कर्मचारी (प्रोदभूत ब्याज सहित)						
- प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	330408	-	330408	500589	148013	648602
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	1341262	1341262	486500	747110	1233610

टिप्पणी संख्या - 14 ऋण एवं अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को			31 मार्च 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
- अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
- बैंक गारंटी के प्रति		-	-	-	-	-
- अन्य		10909035	10909035	15483735	15483735	
- अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)		56916790	56916790	34503781	34503781	
अग्रिम कर और स्रोत पर काटा गया कर						
	8245241	72966249	81211490	987089	50882639	51869728
			-			-
टिप्पणी संख्या 13 के संबंध में व्याख्यात्मक नोट:-						
i) निदेशकों की ओर बकाया ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा वर्ष के दौरान देय			31.03.2013 को शून्य			31.03.2012 को शून्य
ऐसे प्रतिष्ठानों या प्राइवेट कंपनियों, जिनमें कंपनी का कोई निदेशक भागीदार या निदेशक अथवा सदस्य हो, द्वारा देय अग्रिमों की राशि शून्य (पिछले वर्ष शून्य)						

टिप्पणी संख्या - 15 अन्य गैर वर्तमान आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को

टिप्पणी संख्या 16 - गैर वर्तमान निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को

टिप्पणी संख्या 17 - माल सूची

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को

टिप्पणी संख्या 18 - व्यापार प्राप्य

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को

टिप्पणी संख्या 19 - नकदी और बैंक शेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
क नकदी और नकदी समकक्ष		
i) हस्तगत नकदी	24074	20727
(रु. 24074/- मूल्य के स्टैम्प शामिल हैं, पिछले वर्ष रु. 20727/-)		
ii) बैंकों में शेष राशि		
• अनुसूचित बैंकों में		
- चालू खाते में	325728900	2016896
ख अन्य बैंकों के साथ शेष		
i) (3 महीने से अधिक किंतु 12 महीने से कम/तक परिपक्वता अवधि)		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
- जमा खाते में	663873241	671995991
ii) 12 महीने से अधिक परिपक्वता अवधि		
- सावधि जमा	75000000	-
	1064626215	674033614

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

टिप्पणी संख्या 20 अन्य चालू आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
निम्नांकित पर प्रोदभूत ब्याज :		
जमा राशियां	36826661	62208315
प्राप्य दावे	92213	108620
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	- 92213	- 108620
	36918874	62316935

टिप्पणी संख्या 21 प्रचालन से राजस्व

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

टिप्पणी संख्या 22 अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) दीर्घावधि निवेश से आय		
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
- जमा राशियां - इंडियन बैंक	68113307	60627878
- कर्मचारी ऋण और अग्रिम	-	91283
ii) देयताएं/प्रावधान जिनके पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं है #	1179494	89640
iii) अन्य	152990	112516
कुल	69445791	60921317
घटाएं : ईडीसी को अंतरित आय	1332484	202156
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	68113307	60719161
देयताएं/प्रावधान जिनके पश्चलेखन की आवश्यकता नहीं है		
पीआरपी/प्रोत्साहन/उत्पादकता सहयोजित प्रोत्साहन हेतु प्रावधान	508660	-
सेवानिवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान	670834	-
अन्य	-	89640
	1179494	89640

टिप्पणी संख्या 23 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) मरम्मत एवं अनुरक्षण		
- भवन	1359184	586020
- मशीनरी	17449	23133
- अन्य	1014837	596310
ख) प्रशासनिक व्यय		
किराया	645538	283484
दरें और कर	21730	40060
बीमा	71550	55579
विद्युत प्रभार	10452	11000
यात्रा एवं वाहन	1315266	1000213
वाहनों पर व्यय	888269	358710
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	144082	113204
विज्ञापन एवं प्रचार	-	496520
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	19119	37962
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	143786	91651
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	210	3198
परामर्शी प्रभार-स्वदेशी	66500	13450
अन्य सामान्य खर्च	1315696	968652
लेखा परीक्षा व्यय	99521	146015
उप जोड	7133189	4825161
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	7006529	4100765
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	126660	724396

टिप्पणी संख्या 23 उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) लेखा परीक्षा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-		
i) सांविधिक लेखा - परीक्षक	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
लेखा परीक्षक के रूप में		
लेखा परीक्षा शुल्क	22472.00	55562.00
कर लेखा परीक्षा शुल्क	-	55562.00
खर्चों की अदायगी	77049.00	90453.00
कुल लेखा परीक्षा व्यय	99521.00	146015.00

टिप्पणी संख्या 24 कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते	28957544	29720796
उपदान, भविष्यनिधि एवं पेंशन योजना में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	5920030	5945877
कर्मचारी कल्याण व्यय	2573145	2647069
कुल	37450719	38313742
घटाएं : ईडीसी में अंतरित कर्मचारी लागत अंतरित	37450719	38313742
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	-	-
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कर्मचारियों के आवासीय इस्तेमाल के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किए जाने हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कर्मचारियों के वेतन, दिहाड़ी और भत्तों के लिए 12.73 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10.83 लाख रुपये) का प्रावधान लीज भुगतान, कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के लिए भवनों के वास्ते किया गया है।		
2) ग्रेजुइटी, भविष्यनिधि और पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नांकित शामिल हैं :	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
i) कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	2210091	1768085
ii) सेवानिवृत्ति योजना के लिए कर्मचारियों का परिभाषित अंशदान	1979576	2668243

टिप्पणी संख्या 25 वित्त लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
अन्य ऋण लागत		
अन्य वित्त प्रभार	2662	2674
उप जोड़	2662	2674
कुल	2662	2674
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	2662	2674
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 26 मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्यहास और परिशोधन	632756	908023
कुल	632756	908023
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्यहास और परिशोधन व्यय	632756	908023
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 27 पूर्व अवधि मर्दे (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
उप जोड़	-	-
व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	-	(20939829)
उप जोड़	-	(20939829)
कुल	-	(20939829)
घटाएं : ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	(20939829)
घटाएं पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	-	-

लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

(एनएचपीसी लिमिटेड एवं मणिपुर सरकार का संयुक्त उद्यम)

टिप्पणी संख्या 28 कर व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आय कर प्रावधान	22058268	19465302
	22058268	19465302

टिप्पणी संख्या 29 संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

टिप्पणी संख्या 30 वर्ष के लिए निर्माण के दौरान व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी, भत्ते	28957544	29720796
ग्रेज्युइटी और भविष्यनिधि में अंशदान (प्रशासनिक शुल्क सहित)	5920030	5945877
कर्मचारी कल्याण व्यय	2573145	2647069
उप जोड़	37450719	38313742
ख. मरम्मत एवं रख रखाव		
भवन	1382945	586020
मशीनरी	17449	23133
अन्य	991076	596310
उप जोड़	2391470	1205463
ग. प्रशासन और अन्य व्यय		
किराया	645538	283484
दरें और कर	13920	13560
बीमा	71550	55579
सुरक्षा व्यय	-	-
विद्युत प्रभार	10452	11000
यात्रा एवं वाहन	1315266	964900
वाहनों पर खर्च	888269	358710
टेलीफोन, टैलेक्स और डाक टिकटें	144082	113204
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	143786	91651
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	-	32472
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार:		
- स्वदेशी	-	13450
अन्य सामान्य व्यय	1382196	957292
उप जोड़	4615059	2895302
घ. वित्त लागत		
अन्य वित्त लागत	2662	2674
उप जोड़	2662	2674
ड. प्रावधान		
उप जोड़	-	-
च. मूल्यहास और परिशोधन		
उप जोड़	632756	908023
ज. पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	(20939829)
घटाएं : पूर्व अवधि आय	-	-
उप जोड़	-	(20939829)
झ. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
क) विद्युत उत्पादन से आय-कमिशनिंग पूर्व		
ख) अन्य		
विविध प्राप्तियां	152990	112516
प्रावधान/देयताएं जिनके पश्चात् लेखन की आवश्यकता नहीं है	1179494	89640
किराया प्रभार/प्लॉट एवं मशीनरी पर आउट टर्न	-	202156
उप जोड़	1332484	202156
ज. कारपोरेट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय:		
उप जोड़	-	-
कुल जोड़ (क+ख+ग+ड+च+छ+ज+झ)	43760182	22183219

नोट संख्या-31 लेखों का व्याख्यात्मक विवरण

1. क) आकस्मिक देयताएं :-

विवरण	(राशि रुपए में)	
	1/04/2012 को अंतिम शेष	31/03/2013 को अंतिम शेष
निम्नलिखित के संबंध में कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है-		
-पूँजीगत कार्य	शून्य	शून्य
-भूमि मुआवजा मामले	शून्य	शून्य
-अन्य	शून्य	शून्य
विवादित आयकर मांग	शून्य	शून्य
विवादित बिक्री कर मांग	शून्य	शून्य
विवादित सेवा कर मांग	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

- ख) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा और अन्य मामलों के संबंध में लंबित मामलों और अन्य मामले जहाँ राशि को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सका है, के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं।
- ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितता को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।
- घ) निगम को उक्त आकस्मिक देयताओं के प्रति 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) की प्रतिपूर्ति होने की संभावना है।
- ड) उक्त आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में 'शून्य' रुपए (पिछले वर्ष 'शून्य' रुपए) अदा किए गए हैं, जिन्हें चालू आस्तियों के रूप में दिखाया गया है।

2. मणिपुर सरकार और एनएचपीसी लिमिटेड (कारपोरेशन) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) की शर्तों के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना 22 अक्टूबर, 2009 को इसकी सभी चालू आस्तियों (रोकड़ एवं बैंक शेष सहित) और चालू देयताओं के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी (कारपोरेशन की अनुषंगी कंपनी) के रूप में परिवर्तित कर दी गयी, जिसका निगमीकरण 23 अक्टूबर, 2009 को चालू महत्व आधार पर लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड के नाम एवं शैली के अंतर्गत किया गया। 22 अक्टूबर, 2009 के अनुसार कारपोरेशन की लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना की आस्तियों और देयताओं का सकल मूल्य कंपनी द्वारा 23 अक्टूबर, 2009 को उसे हस्तांतरित आस्तियों के सकल मूल्य के रूप में समाहित किया गया। मूल्यहास का सकल मूल्य भी, जहां कहीं लागू हो, 22.10.2009 तक एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा कंपनी को हस्तांतरित मूल्यहास के सकल मूल्य के रूप में दर्शाया गया है।
3. पूँजीगत लेख पर निष्पादन हेतु शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि शून्य रुपये है।
4. क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशि, बीमा दावों सहित वसूली योग्य दावे, पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम, विविध कर्जदार, संविदाकर्ताओं के अग्रिम, विविध ऋणदाताओं, और संविदाकर्ताओं से प्राप्त जमा/अग्रिम राशि समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन है। वसूली योग्य दावों के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में अन्य एजेंसियों को सौंपी गई या सौंपने का निर्णय की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं।
- ख) प्रबंधन की राय में सामान्य कार्य व्यापार के अंतर्गत वसूल की जाने वाली चालू परिसंपत्तियों की कीमत, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाए गए उनके मूल्य से कम नहीं होगा।
5. वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी को इस्टिड्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (आईसीएआई की ईएसी) से यह राय प्राप्त हुई कि निर्माण के दौरान व्यय संबंधी दिशा-निर्देश टिप्पणी को वापस लिए जाने के बाद, ऐसी परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, पर व्यय को सम्बद्ध वर्ष

के लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाना चाहिए। कंपनी ने इस राय के विरुद्ध आईसीएआई की ईएसी को प्रतिवेदन दिया है जिसमें कहा गया है कि ऐसे व्यय चूंकि किसी जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए अनिवार्य होते हैं, इसलिए उनके पूँजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी का यह भी मानना है कि ऐसे व्यय के पूँजीकरण का समर्थन आईसीएआई द्वारा एएस-10 में सीमित संशोधन संबंधी प्रकटीकरण मसौदे और दर विनियमित कंपनी के बारे में दिशा निर्देश टिप्पणी से भी होता है। ईएसी से आगे किसी राय/सूचना के लंबित रहते, प्रचलित लेखांकन पद्धतियों/नीतियों के अनुसार लेखांकन व्यवहार जारी रखा गया है।

6. (क) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव का प्रभाव निम्नानुसार है -

	(राशि रुपए में)	
	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2012 तक
(i) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(ii) मूल्यहास के अतिरिक्त लाभ एवं हानि लेखे को प्रभारित राशि (ऋण लागत के रूप में)	शून्य	शून्य
(iii) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) चालू पूँजीगत कार्य को प्रभारित राशि (एफईआरवी के रूप में)	शून्य	शून्य
(iv) अचल परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि को जोड़ने पर समायोजित राशि	शून्य	शून्य

7. 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निम्नलिखित लेखांकन नीतियों में संशोधन/शाब्दिक परिवर्तन किया गया/को हटाया गया :

लेखांकन नीति	परिवर्तन	प्रभाव
नीति संख्या 10.2	बेहतर प्रकटीकरण के लिए शाब्दिक संशोधन किए गए हैं।	कोई प्रभाव नहीं

8. लेखांकन मानक-15 (संशोधित 2005) के अनुसार 31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।
9. विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात् संविदा, परियोजना प्रबंधन एवं परामर्शी कार्य इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा खंड रिपोर्टिंग के बारे में जारी लेखांकन मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने के योग्य खंड के तहत नहीं आते हैं।
10. इस्टीमेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के बारे में जारी लेखांकन मानक-18 के अनुसार अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है -

क) संबंधित पक्ष

- (i) संयुक्त उद्यम कम्पनियां कोई संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।
- (ii) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री जी साइ प्रसाद	अध्यक्ष
श्री राजेश अग्रवाल	निदेशक
श्री राजीव कुमार गुप्ता	निदेशक
श्री कंवर सिंह	निदेशक
श्री विजय कुमार	निदेशक

ख) उपरोक्त क (i) पर वर्णित संबंधित पार्टों के साथ किया गया कारोबार

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
निवेश	-	-

11. समूह शीर्ष "अन्य वर्तमान देयताएं" के अंतर्गत 'जमा कार्य के प्रति अग्रिम' के रूप में मणिपुर सरकार से रु. 32,36,39,775/- दिनांक 30.03.2013 को प्राप्त हुए थे। यह राशि जमा कार्य "बैराज निर्माण" के लिए दी गई थी। लेकिन चूंकि यह कार्य तत्काल अपेक्षित नहीं था, इसलिए मणिपुर सरकार के पत्र संख्या 11/32/एसई(पीडी)/2010-ईडी/111-19 दिनांक 4 अप्रैल, 2013 के तहत राज्य सरकार द्वारा वापस ले ली गई। तदनुसार 06.04.2013 को यह धन लौटा दिया गया।

12. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु लिए गए तत्व निम्नानुसार हैं :

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
अंश के रूप में प्रयुक्त कर-पश्चात् निवल लाभ (करोड़ रुपये में)	4.59	4.05
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
आधारभूत	117692309	98461540
कम की गई	112311909	98502636
प्रति शेयर अर्जन (रुपये) - आधारभूत	0.39	00.41
- कम किया गया	0.41	00.41
प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रुपये)	10	10

13. संयुक्त उद्यम में हित :-

कंपनी का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
	31.03.2013	31.03.2012
	-	-

14. निम्नांकित के संदर्भ में जानकारी -

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
क)* सीआईएफ आधार पर आकलित आयत का मूल्य :		
i) पूंजीगत वस्तुएं	शून्य	शून्य
ii) कलपुर्जे	शून्य	शून्य
ख)* विदेशी मुद्रा में व्यय :		

(राशि रुपए में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान
i) जानकारी	शून्य	शून्य
ii) ब्याज	शून्य	शून्य
iii) अन्य विविध मामले	शून्य	शून्य
ग)* प्रचालन इकाइयों में इस्तेमाल किए गए कल पुर्जों और घटकों का मूल्य:	शून्य	शून्य
i) आयातित	शून्य	शून्य
ii) देशीय	शून्य	शून्य
घ)* विदेशी मुद्रा में आय :		
i) ब्याज	-	-
ii) अन्य	-	-

* प्रोद्भव आधार पर

15. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं-

(i)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए उपरोक्त (i) पर वर्ष में प्रोद्भवन तथा चुकाया न गया ब्याज।	शून्य
(iii)	31.03.2013 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान सेवाएं वितरण/प्रदान करने की तारीख से सहमत समय अथवा 15 दिन से अधिक देरी से भुगतान की गई मूल राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
(iv)	31.03.2013 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान मूल राशि पर देय लेकिन अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृत के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

16. परियोजना के सर्वेक्षण कार्यों की सुविधा के लिए अस्थायी सड़क के निर्माण पर रु. 19,48,004/- और अस्थायी ढांचे के निर्माण पर रु. 2,85,383/- खर्च किए गए। सर्वेक्षण कार्य पर व्यय को 'पूंजी कार्य प्रगति पर' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। अतः उपरोक्त व्यय भी 'पूंजी कार्य प्रगति पर' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

17. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारंभिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः निर्धारित किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम

भागीदार

सदस्य संख्या - 511337

स्थान - इम्फाल

दिनांक- 18 मई 2013

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(कंवर सिंह)

निदेशक

डीआईएन-05351047

(रंजन मित्रा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एलडीएचसीएल

(विजय कुमार)

निदेशक

डीआईएन-03021294

नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
कराधान पूर्व निवल लाभ	67986647	59994765
समायोजन		
- ब्याज/अन्य आय	(68113307)	(60719161)
- बट्टे खाते डाले गए प्रारंभिक व्यय		
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले प्रचालनगत लाभ	(1,26,660)	(7,24,396)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
ऋणों और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(293,41,762)	(352,81,241)
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	253,98,061	(380,47,831)
चालू देयताओं में (वृद्धि)/कमी	2503,35,507	(44,13,588)
प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	206,47,295	1895384
प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित नकदी	2669,12,441	(765,71,672)
अदा किया गया आयकर	220,58,268	(139,18,794)
प्रचालन क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (क)	2448,54,173	(904,90,466)
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	1,75,338	(816577)
चालू पूंजी कार्य में वृद्धि	(648,57,907)	(27474951)
भंडार एवं कलपुर्जों में वृद्धि		
ब्याज आय	68113307	60719161
ब्याज आय (पूर्व अवधि)		
निवेश क्रियाकलापों से सृजित निवल नकदी प्रवाह (ख)	34,30,738	324,27,633
ग) वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
विविध आय	142307690	50000000
शेयर आवंटन/आवेदन राशि से प्राप्तियां		
अनुदान के प्रति प्राप्तियां		
वित्त पोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	1423,07,690	500,00,000
नकदी और नकदी तुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)	3905,92,601	(80,62,833)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी तुल्य	6740,33,614	6820,96,447
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी तुल्य	10646,26,215	6740,33,614

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते कुंजाबी एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(एफ पंजीकरण संख्या -309115ई)

लिंडा क्षेत्रीमयम

भागीदार

सदस्य संख्या - 511337

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(कंवर सिंह)

निदेशक

डीआईएन-05351047

(रंजन मित्रा)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

एलडीएचसीएल

(विजय कुमार)

निदेशक

डीआईएन-03021294

स्थान - इम्फाल

दिनांक- 18 मई 2013

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

आपके निदेशक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम

कंपनी ने अभी कोई प्रचालन प्रारंभ नहीं किया है/नियंत्रण में नहीं लिया है।

2. सीवीपीपी की स्थिति

जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और भारत सरकार की पहल पर एनएचपीसी (49 प्रतिशत), जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत) और पीटीसी (2 प्रतिशत) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया है ताकि चिनाब नदी की विस्तृत जल क्षमता का दोहन किया जा सके। तदनु रूप 10.10.2008 और 21.12.2010 को क्रमशः समझौता ज्ञापन एवं प्रोत्साहक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कंपनी का गठन 13.06.2011 को "चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" के नाम और स्टाइल के साथ किया गया।

कंपनी प्रारंभ में 2220 मेगावाट क्षमता की पकलदुल जलविद्युत परियोजना (1000 मेगावाट), क्वार जलविद्युत परियोजना (560 मेगावाट) और किरु जलविद्युत परियोजना (660 मेगावाट) का विकास करेगी।

- कंपनी के बोर्ड की तीसरी बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार, तीनों प्रोत्साहकों से अनुरोध किया गया है कि वे सीवीपीपी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 500 करोड़ से बढ़ा कर रु. 2700 करोड़ करने के बारे में अपनी सहमति व्यक्त करें। इस बारे में पीटीसी (आई) लिमिटेड ने अपनी सहमति दे दी है। एनएचपीसी ने पत्र संख्या एनएच/सीबीडी-जेबी/1602 दिनांक 29.12.2011 के तहत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से सहमति/अनुमोदन की मांग की है ताकि एनएचपीसी सीवीपीपी में अपनी आनुपातिक अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ा सके।
- पकल दुल जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण 06.04.2012 से सीवीपीपी ने एनएचपीसी से अपने हाथ में ले लिया है।
- इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने दुलहस्ती जलविद्युत परियोजना के दूसरे चरण के बारे में केबिनेट उप समिति की रिपोर्ट पर अपने निर्णय की जानकारी दे दी है, जो इस प्रकार है :

"जहां तक दुलहस्ती एचईपी के दूसरे चरण के कार्यान्वयन का प्रश्न है, इस बारे में एनएचपीसी के साथ नए सिरे से बातचीत की जा सकती है। चूंकि यह परियोजना चिनाब वैली में पड़ती है, इसलिए श्रेष्ठ उपाय यह होगा कि इस परियोजना को सीवीपीपी लिमिटेड के जरिए कार्यान्वित किया जाए, जिसमें राज्य सरकार की शेयर पूंजी 49 प्रतिशत (एनएचपीसी के बराबर) होगी। तथापि, राज्य के हित में इस आशय का फैसला तत्काल किया जा सकता है।"

तदनु रूप सीवीपीपी ने कंपनी के प्रोत्साहकों से अनुरोध किया था कि वे कंपनी द्वारा दुलहस्ती एचईपी फेज-II का नियंत्रण लिए जाने के बारे में अपनी सहमति से अवगत करा दें और कंपनी के सभी प्रोत्साहकों से सहमति प्राप्त हो गई है। परियोजना बूम आधार पर निष्पादित और संचालित की जाएगी तथा इसके लाभों में हिस्सेदारी सीवीपीपी के साथ हुए समझौता ज्ञापन एवं प्रोत्साहक अनुबंध के आधार पर होगी।

- क्वार जलविद्युत परियोजना (560 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और 25.07.2012 को सीईए को सौंप दी गई ताकि सीईए और अन्य मंजूरीयां हासिल की जा सकें। इस परियोजना के अंतर्गत 109 मीटर ऊंचे बांध और भूमिगत पावर हाउस का निर्माण शामिल है जिसकी चार यूनिटें होंगी और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 140 मेगावाट होगी।
- किरु जलविद्युत परियोजना (660 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई और 08.08.2012 को टीईए और अन्य मंजूरीयां हासिल करने के लिए सीईए को सौंप दी गई। इस परियोजना के अंतर्गत 135 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण और भूमिगत पावर हाउस का निर्माण शामिल है, जिसकी चार यूनिटें होंगी और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 165 मेगावाट होगी।
- बैली सस्पेंशन ब्रिज के लिए आपूर्ति का आर्डर मैसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता, को 02 अगस्त, 2012 को सौंप दिया गया और 25.08.2012 को उसके निर्माण, परीक्षण और कमिशनिंग का आर्डर दिया गया।
- सीवीपीपी के कॉरपोरेट कार्यालय के निर्माण के लिए जम्मू में 4 कनाल भूमि का कब्जा कंपनी द्वारा ले लिया गया है। कॉरपोरेट कार्यालय की योजना को अंतिम रूप देने के लिए वास्तुकार मैसर्स सतपति असोसिएट्स को नियुक्त किया गया है।
- दुलहस्ती पावर स्टेशन और पकल दुलजलविद्युत परियोजना के लिए एनएचपीसी द्वारा सृजित परिसंपत्तियां सीवीपीपी द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई हैं।
- पकल दुल, किरु और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि के पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू किया गया है ताकि भूमि की आवश्यकता और पीएएफ संख्या कम की जा सके।
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपी) के कैप कार्यालय -एवं-ट्रांजिट कैम्प की स्थापना श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर में की गई है।
- सीडब्ल्यूसी/सीईए द्वारा परियोजना के ले आउट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद क्वार जलविद्युत परियोजना हेतु प्री-क्वालिफिकेशन प्रक्रिया के लिए निविदा जारी करने और अन्य गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपी) के शिविर कार्यालय की स्थापना फरीदाबाद (हरियाणा) में की गई है।

- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारों के प्रत्यायोजन की मंजूरी 29.09.2012 से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गई है।
- किरु और क्वार जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में सीवीपीपी लिमिटेड द्वारा सीईए, जीएसआई, सीडब्ल्यूसी आदि के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण 15.10.2012 को किया गया, ताकि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के लिए तकनीकी मुद्दों की जानकारी दी जा सके और उन पर विचार विमर्श किया जा सके। इसके बाद सीईए/जीएसआई/सीडब्ल्यूसी और सीवीपीपी/एनएचपीसी अधिकारियों के बीच अनेक बैठकें आयोजित की गईं ताकि तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक पर रखा जा सके।
- चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी देने के लिए 06.11.2012 को उनके समक्ष एक प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें परियोजना से संबंधित मुद्दों, जैसे पकल दुल जलविद्युत परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की घोषित करना, भूमि अधिग्रहण, पकल दुल एचईपी को पीआईबी मंजूरी आदि पर विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने सीवीपीपी अधिकारियों को आश्वासन दिया कि वे इन मुद्दों को अधिकारियों के साथ उठाएंगे ताकि उनका निपटारा तेजी से किया जा सके।
- पकल दुल जलविद्युत परियोजना के लिए बांध स्थल और पावर हाउस स्थल के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए जम्मू कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1990 की धारा 4(1) के अंतर्गत अपेक्षित अधिसूचना 17.12.2012 को जारी की गई। इसके अतिरिक्त, जम्मू कश्मीर सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 25 आरडी, 2013 दिनांक 31.07.2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से सम्बद्ध कलेक्टर, एसीआर, किशतवाड़ को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत निर्देश दिया गया है कि वे भूमि अधिग्रहण का आदेश जारी करें।
- पकल दुल, किरु और क्वार जलविद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कराने का आवेदन पत्र संख्या सीवीपीपी/ईडी/पीएलजी/पीडी/डीसी/13/45 दिनांक 31.01.2013, सीवीपीपी/ईडी/पीएलजी/किरु/डीसी/13/38 दिनांक 19.01.2013 और सीवीपीपी/ईडी/पीएलजी/क्वार/डीसी/13/37 दिनांक 19.01.2013 आयुक्त/सचिव, पीडीडी, जम्मू कश्मीर सरकार को भेजे गए हैं।
- पकल दुल जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में मेगा पावर के दर्जे की समीक्षा का प्रस्ताव पत्र संख्या सीवीपीपी/एमडी/पीडी/2013/72 के तहत जम्मू कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग को सौंपा गया है।
- पकल दुल जलविद्युत परियोजना के कार्य अनुबंध को निष्पादित करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह अर्थ मूर्विग मशीनों (नई खरीदी गई और किराए पर ली गई) पर आयात शुल्क में छूट के प्रावधान पर विचार करें।
- डाउन स्ट्रीम परियोजनाओं में अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए अधीनस्थ ऋण की मंजूरी और राज्य को 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली प्रदान करने के दायित्व से सीवीपीपी को छूट प्रदान करने और राज्य

करों, डब्ल्यूसीटी, वैट और एंटी टैक्स आदि से माफी दिए जाने का अनुरोध जम्मू कश्मीर सरकार के बिजली विकास विभाग से किया गया है।

- इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर सरकार के विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के पत्र संख्या पीडीडी/IV/34/2008 दिनांक 03.07.2013 के तहत बताया गया है कि राज्य को 12 प्रतिशत निःशुल्क बिजली के बारे में उपाय करने, एंटी टैक्स और डब्ल्यूसीटी से छूट देने, कंपनी को आसान शर्तों पर 2500 करोड़ रुपये का ऋण देने के मामलों को केंद्र सरकार के साथ उठाने, जैसे मुद्दों पर जम्मू कश्मीर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।
- इसके अतिरिक्त पत्र संख्या पीडीडी/IV/34/2008 दिनांक 27.05.2013 के तहत पकल दुल परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित करने के मामले को भी जम्मू कश्मीर सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के सचिव के साथ अर्ध-शासकीय स्तर पर उठाया गया है।
- पुनः निविदा जारी किए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। संभावित बोलीदाताओं के साथ बोली पूर्व बैठक 25.07.2013 को आयोजित की गई। बोली पूर्व बैठक के बाद 06.08.2013 को शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसमें तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (स्टेज-I) जमा कराने की तारीख 20.09.2013 और बोली मूल्य (स्टेज-II) की तारीख 30.10.2013 निर्धारित की गई। परियोजना को पूरा करने की अवधि संशोधित करते हुए साढ़े पांच वर्ष की गई, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 6 वर्ष थी।

सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) का अनुमोदन

एनएचपीसी द्वारा इक्विटी (एनएचपीसी द्वारा इक्विटी में निवेश की जाने वाली राशि 500 करोड़ से अधिक होने को देखते हुए) के निवेश की मंजूरी और संयुक्त उद्यम के गठन की पूर्व प्रभाव से अनुमति हेतु सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के लिए नोट एनएचपीसी द्वारा विद्युत मंत्रालय में जमा कराया गया। इस मुद्दे पर संयुक्त सचिव (हाइड्रो), विद्युत मंत्रालय/सीएमडी एनएचपीसी के साथ विचार विमर्श किया गया और तदनुरूप एनएचपीसी को सलाह दी गई कि वह पकल दुल जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समेकित पीआईबी ज्ञापन तैयार करें। एनएचपीसी ने 31.08.2012 को समेकित पीआईबी ज्ञापन विद्युत मंत्रालय को पहले ही सौंप दिया है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना के लिए पीआईबी ज्ञापन 30.11.2012 को प्रचालित किया गया था। पीआईबी के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मूल्यांकन समूहों द्वारा उठाए गए मुद्दों/की गई टिप्पणियों के जवाब/स्पष्टीकरण पहले ही जमा कराए जा चुके हैं।

पीआईबी बैठक 8 मई, 2013 को हुई, जिसमें कंपनी के गठन की पूर्व प्रभाव से अनुमति और एनएचपीसी, जेकेएसपीडीसी और पीटीसी के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन और एनएचपीसी द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी (मैसर्स सीवीपीपी यानी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) में 500 करोड़ रुपये से अधिक का इक्विटी निवेश करने और पकल दुल जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश की मंजूरी जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। पीआईबी ने प्रस्ताव पर विचार किया और विचार विमर्श के बाद पीआईबी ने यह महसूस किया कि परियोजना की लागत बहुत अधिक है, जिसकी परिणति प्रथम वर्ष टैरिफ के रूप में 9.74 रुपये प्रति यूनिट बैठती है, जो व्यवहार्य नहीं है। इसी

प्रकार पूर्णता लागत पर औसत टैरिफ स्तर 8.22 रुपये प्रति यूनिट बैठता है, जो बहुत अधिक है। वास्तव में पीआईबी ने पत्र संख्या पीएफ II आईडी संख्या 15(12)/पीएफ-II/2012 दिनांक 09.05.2013 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह निम्नांकित सिफारिशों का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव को पुनः तैयार करे :

- 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि इक्विटी की लागत तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है;
- जम्मू कश्मीर सरकार भूमि की लागत कम करने और राज्य करों में कमी लाने के उपायों पर विचार करे;
- वर्तमान मूल्यों के स्तर पर लगाए गए अनुमानों के संदर्भ में लागत में वृद्धि हो सकती है, जिसकी पुनः समीक्षा की जानी चाहिए;
- परियोजना पूर्ण होने की अवधि कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं, जो वर्तमान में 6 वर्ष प्रस्तावित है।

परियोजना लागत अनुमान

सीईए द्वारा की गई संवीक्षा के अनुसार पकल दुल परियोजना के अद्यतन लागत अनुमान जून, 2011 के मूल्यों के स्तर पर रु. 8847.81 करोड़ के हैं, जिनमें 1258.85 करोड़ आईडीसी और 46.45 करोड़ रुपये एफसी शामिल है जबकि जुलाई, 2005 के मूल्यों के स्तर पर यह लागत 5088.86 करोड़ रुपये आंकी गई थी जिसमें 545.58 करोड़ रुपये के आईडीसी और 28.49 करोड़ रुपये के एफसी शामिल थे। बढ़ोतरी फार्मूले के आधार पर परियोजना की लागत जून 2012 के मूल्यों के स्तर पर बढ़ कर 9697.47 करोड़ रुपये हो गई है जिसमें 1538.71 करोड़ रुपये के आईडीसी और 50.91 करोड़ रुपये के एफसी शामिल हैं। प्रथम वर्ष और औसत टैरिफ क्रमशः 7.46 रुपये प्रति यूनिट और 6.30 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है।

परियोजना की लागत में बढ़ोतरी के मुख्य कारण निम्नांकित हैं :-

- पिछले वर्षों में परियोजना की लागत में बढ़ोतरी हुई क्योंकि इसके लिए एनएचपीसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा कराए जाने की तारीख के बाद वन्य जीव मंजूरी मिलने में करीब 6 वर्ष का समय लगा।
- जम्मू कश्मीर सरकार ने डब्ल्यूसीटी 4.2 प्रतिशत से बढ़ा कर 10.5 प्रतिशत कर दिया।
- भूमि की प्रति यूनिट लागत में वृद्धि।
- पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी लागत (वन्य जीव)।

सीवीपीपी ने परियोजना लागत में कमी लाने के लिए निम्नांकित उपाय किए हैं :-

- भूमि की जरूरत में संशोधन/कमी।
- अग्रिम इक्विटी आधार पर आईडीसी की गणना।
- स्थापना प्रभारों में कमी।
- पकल दुल परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव और इस प्रावधान के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना।
- पकल दुल जलविद्युत परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव।

सड़कों और अन्य कार्यों की स्थिति

धरणधुरण में बांध स्थल से संपर्क कायम करने के लिए पहाड़ियों को काट कर सड़क बनाई गई है। इस पर और सुधार कार्यों की आवश्यकता है। दुल में बैली सस्पेंशन ब्रिज पर पावर हाउस साइट के निर्माण की स्थिति इस प्रकार है :-

- आधार का डिजाइन तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है और डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया जारी है।
- बैली सस्पेंशन ब्रिज के लिए इस्पात का आर्डर मैसर्स जीआरएसई लिमिटेड को दिया गया है और सामग्री वितरण के लिए तैयार है तथा बिक्री कर पंजीकरण की प्रतीक्षा है।
- हल्की कंक्रीट बिछाए जाने के साथ दोनों आधारों के लिए जगह खाली कराए जाने का काम पूरा कर लिया गया है।

3. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षक रिपोर्ट

मैसर्स केआरए एंड असोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कटुआ, जम्मू कश्मीर को वर्ष 2012-13 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी की लेखा परीक्षा हेतु "सांविधिक लेखा परीक्षक" नियुक्त किया गया।

वार्षिक खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और उस पर और टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां रिपोर्ट के अनुलग्नक 'क' में संलग्न हैं।

4. पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान कंपनी की प्रदत्त पूंजी रु. 5.0 करोड़ से बढ़ कर रु. 122.55 करोड़ पर पहुंच गई। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 500.00 करोड़ है।

5. लाभांश

आपके निदेशकों ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

6. सांविधिक रिपोर्ट

क) कार्मिक :

वर्ष के दौरान कंपनी का कोई कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2-ए) और कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियम 1975, यथा संशोधित, के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

ख) कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट के ब्यौरे का प्रकटीकरण) नियम 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ड) के अनुपाल में अपेक्षित जानकारी।

i) ऊर्जा संरक्षण

कंपनी ने कोई विनिर्माण गतिविधियां चूंकि अभी शुरू नहीं की हैं इसलिए ऊर्जा के संरक्षण संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

ii) **प्रौद्योगिकी आमेलन, अंगीकरण एवं नवाचार**

कंपनी ने कोई अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। किन्तु, वह उद्योग में अद्यतन और सर्वोत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की प्राप्ति एवं इस्तेमाल के प्रति निरंतर सक्रिय रहती है।

iii) **विदेशी मुद्रा में आय और व्यय**

विदेशी मुद्रा आय : शून्य

विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

ग) **निदेशकों के उत्तरदायित्व सम्बन्धी विवरण**

आपकी कंपनी के निदेशक एतद् द्वारा निम्नांकित की पुष्टि करते हैं :

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में प्रचलित लेखांकन मानकों का इस्तेमाल किया गया है।
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं, जिनके आधार पर वित्त वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ के बारे में सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश की जा सकी है।
- निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य

अनियमितताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने पर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है।

- निदेशकों ने सतत सरोकार के आधार पर वार्षिक लेख तैयार किए हैं।

7. जमा राशियां

कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

8. आभार

कम्पनी का निदेशक मंडल अपने शेयरधारकों और उपभोक्ताओं से मिले सहयोग एवं समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है। बोर्ड कंपनी के सभी स्तरों के कर्मचारियों की ईमानदारी और उत्साह के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(एम. वाई. खान)
अध्यक्ष

स्थान : जम्मू
तारीख : 25.09.2013

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हमने चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 के अनुसार संलग्न तुलन-पत्र और उससे सम्बद्ध 31 मार्च, 2013 की अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखे की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में आमतौर पर मान्य लेखा-परीक्षण मानदंडों के अनुसार की है। इन मानदंडों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षण की योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय विवरणों में कोई महत्वपूर्ण गलत बयानी नहीं की गई है। लेखा-परीक्षा में परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरण में दी गई राशियों और घोषणाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाणों की जाँच का कार्य भी शामिल है। लेखापरीक्षण में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे मत हेतु एक तर्कसंगत आधार मुहैया करवाती है, और हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप-धारा (4ए) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (यथा संशोधित) की अपेक्षानुसार, हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ (4) तथा (5) में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न किया है।
2. उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित अनुबंध में की गई टिप्पणियों के अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क. हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किये, जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अनिवार्य थे।

- ख. हमारी राय में, इन बहियों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि कंपनी ने कानूनी रूप में अपेक्षित समुचित लेखा बहियों का अनुरक्षण किया है।
- ग. इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखा, लेखा बहियों के अनुरूप है।
- घ. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता नकदी प्रवाह विवरण और निर्माण के दौरान व्यय लेखा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।
- ङ. हमारे मतानुसार और हमें दी गई सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे तत्संबंधी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और संलग्न टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अपेक्षित सूचना को सही तरीके से प्रस्तुत करते हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही तथा स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं :-
 - i) तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2013 को कंपनी की स्थिति का;
 - ii) लाभ एवं हानि लेखे के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का;
 - iii) नकदी प्रवाह के मामले में उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह का।

कृते केआरए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(सीए अजय कुमार)

भागीदार

सदस्यता सं.-503015

स्थान - जम्मू

दिनांक - 17 मई, 2013

“अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षा के बारे में रिपोर्ट” शीर्षक के अंतर्गत हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अनुलग्नक

1. (क) कम्पनी ने अचल परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड अनुरक्षित किए हैं जिसमें अचल परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे तथा अवस्थिति सहित पूर्ण ब्योरे दर्शाए गए हैं।
(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया, क्योंकि सत्यापन का एक तय कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कम्पनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों के स्वरूप के अनुरूप है। इस सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नजर नहीं आयी।
(ग) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी बड़े भाग का निपटान नहीं किया गया है।
2. कम्पनी पर मालसूचियों का भौतिक सत्यापन लागू नहीं होता, अतः खंड 2 (क) से (ग) के प्रावधानों पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
3. (क) हमारे द्वारा लागू की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया विधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों या अन्य प्राइवेट पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, नहीं दिए हैं या नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड 4 (3) (क) से (घ) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते अतः उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
(ख) दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण नहीं लिए हैं। उक्त के मद्देनजर खण्ड 4 (3) के उप खंड (ड) से (छ) लागू नहीं होते अतः उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है।
4. हमारे मतानुसार तथा हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार कम्पनी के आकार तथा इसके व्यापार की प्रकृति के अनुरूप माल-सूची और अचल परिसंपत्तियों के क्रय के बारे में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है।
5. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया है जिसकी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी हो।
6. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए तथा 58एए और अन्य संगत प्रावधानों में कवर होने वाले किसी जमा को स्वीकार नहीं किया है।
7. कम्पनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके आकार एवं व्यापार के स्वरूप के अनुरूप है।
8. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने कम्पनी की गतिविधियों के लिए लागत रिकार्डों के अनुरक्षण संबंधी प्रावधान निर्धारित नहीं किए हैं।
9. (क) कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर सहित अन्य सभी महत्वपूर्ण सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करा रही है।
(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के अंत में भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों की कोई अविवादित राशि, देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं थी।
10. वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की कोई संचित हानि नहीं है और कम्पनी को चालू तथा उससे तत्काल पिछले वित्त वर्ष के दौरान कोई नकदी हानि नहीं उठानी पड़ी है।
11. अपनी लेखा प्रक्रिया के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी यह राय है कि कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या डिबेंचर धारकों के देयों का पुनर्भुगतान करने में कोई चूक नहीं की है।
12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे सामने प्रस्तुत किए गए दस्तावेज एवं रिकार्ड के आधार पर कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को बंधक रख कर कोई ऋण अथवा अग्रिम मंजूर नहीं किए हैं।
13. हमारी राय में कम्पनी एक चिटफंड अथवा एक निधि/परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। इसलिए आदेश का खंड 4(xiii) (लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आदेश 2003, यथा संशोधित) कम्पनी पर लागू नहीं होता।
14. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी शेयर, प्रतिभूतियों, ऋण पत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार अथवा व्यापार नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खंड 4(xiv) (लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आदेश 2003, यथा संशोधित) कम्पनी पर लागू नहीं होता।
15. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी ने अन्यों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए किसी ऋण हेतु कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कंपनी ने किसी सावधि ऋण का उपयोग नहीं किया।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलन पत्रक के समग्र परीक्षण के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर उगाहे गए किसी धन को दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया है।
18. कम्पनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किए गए पक्षों तथा कम्पनियों को शेयरों का कोई अधिमानी आवंटन नहीं किया है।
19. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लेखा-परीक्षाधीन अवधि में कोई ऋणपत्र जारी नहीं किया है।
20. कम्पनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू से धन उगाही नहीं की है।
21. हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास तथा हमें प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा अथवा कंपनी के साथ कोई धोखा-धड़ी प्रकाश में नहीं आयी है अथवा रिपोर्ट नहीं की गई है।

कृते केआरए एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म पंजीकरण संख्या 309115 ई)

(सीए अजय कुमार)

भागीदार

सदस्यता सं.-503015

स्थान - जम्मू

दिनांक - 17 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
I. इक्विटी और देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधि			
(क) शेयर पूंजी	2	1225500000	50000000
(ख) आरक्षी और अधिशेष	3	21305093	(49902)
(ग) शेयर आवेदन निधि			
लंबित आबंटन	2(ख)	50000000	-
(2) गैर-वर्तमान देयताएं			
(क) दीर्घावधि ऋण	4	-	-
(ख) स्थगित कर देयताएं	5	-	-
(ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	6	70800	11896
(घ) दीर्घावधि प्रावधान	7	16657	-
(3) वर्तमान देयताएं			
(क) अल्पावधि ऋण	4	-	-
(ख) व्यापार प्राप्य	8	542653	352765
(ग) अन्य वर्तमान देयताएं	9	1793297495	236220129
(घ) अल्पावधि प्रावधान	7	18432874	4837020
(4) सी.ओ. से निधि	2(क)	-	-
कुल		3109165572	291371908
II. आस्तियां			
(1) गैर-वर्तमान आस्तियां			
(क) अचल आस्तियां			
(i) गोचर आस्तिया	10.1	119494492	20931057
(ii) अगोचर आस्तियां	10.2	-	-
(iii) चालू पूंजी कार्य	11.1	1989285648	50429447
(iv) विकासाधीन अगोचर आस्तियां	11.2	-	-
(ख) गैर-वर्तमान निवेश	12	-	-
(ग) स्थगित कर आस्तियां	5	-	-
(घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	199495	5871
(ङ) अन्य गैर-वर्तमान आस्तियां	14	-	-
(2) वर्तमान आस्तियां			
(क) वर्तमान निवेश	15	-	-
(ख) माल सूचियां	16	-	-
(ग) व्यापार प्राप्य	17	-	-
(घ) नकदी और बैंक शेष	18	928258470	208878842
(ङ) अल्पावधि ऋण और अग्रिम	13	36573366	1847750
(च) अन्य चालू आस्तियां	19	35354101	9278941
कुल		3109165572	291371908
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	30		
टिप्पणी संख्या 1 से 30 लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।			
सही प्रमाणित किया गया			

कृते केआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 020266एन

सीए अजय कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 503015

(एम वाई खान)
अध्यक्ष

(सुधीर आनंद)
कंपनी संचिव

(एस सी गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

(एल एन भारद्वाज)
मुख्य (वित्त)

स्थान : जम्मू

दिनांक: 17-05-2013

वर्ष 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का ब्यौरा

(राशि रुपये में)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2013 को	31 मार्च 2012 को
आय			
i) प्रचालन से राजस्व	20	-	-
ii) अन्य आय	21	27665196	3856182
कुल राजस्व		27665196	3856182
व्यय			
i) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	22	-	1626108
ii) कर्मचारी लाभ व्यय	23	-	-
iii) वित्त लागत	24	-	718
iv) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	25	-	1038946
कुल व्यय		-	2665772
पूर्व अवधि मदों, विशिष्ट और असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ,		27665196	1190410
पूर्व अवधि मदें (निवल)	26	(2665772)	-
विशिष्ट और असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ		30330968	1190410
विशिष्ट मदें		-	-
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ		30330968	1190410
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		30330968	1190410
कर व्यय	27		
i) वर्तमान कर		8975973	1240312
ii) पूर्व अवधियों से संबंधित समायोजन		-	-
iii) स्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		8975973	1240312
वर्ष के लिए लाभ		21354995	(49902)
प्रति शेयर अर्जन (इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य रु 10/- प्रति शेयर मूल			
तनुकृत		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
लेखों से संबंधित अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां	30		
टिप्पणी संख्या 1 से 30 लेखों का अभिन्न हिस्सा हैं।			
सही प्रमाणित किया गया।			

कृते केआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 020266एन

सीए अजय कुमार
भागीदार
सदस्य संख्या 503015

(एम वाई खान)
अध्यक्ष

(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव

(एस सी गुप्ता)
प्रबंध निदेशक

(एल एन भारद्वाज)
मुख्य (वित्त)

स्थान : जम्मू
दिनांक: 17-05-2013

टिप्पणी संख्या-1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन संबंधी परम्पराएं

निगम के लेखे, लेखांकन की प्रोद्भव विधि का प्रयोग करते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत बनाए गए हैं।

2. अचल परिसंपत्तियां

- 2.1 अचल परिसंपत्तियां अधिग्रहण/निर्माण लागत आधार पर बताई गई हैं। जिन मामलों में ठेकेदारों के बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, लेकिन सम्पत्ति पूर्ण और इस्तेमाल के लिए तैयार है, वहां पूंजीकरण आवश्यक समायोजन करते हुए अनुमान के आधार पर किया गया है और इनमें अंतिम निपटान वाले वर्ष (वर्षों) में पंचाट/अदालती मामलों के निपटारे से उत्पन्न मामले भी शामिल हैं।
- 2.2 ऐसी भूमि, जो कारपोरेशन की नहीं हैं, पर सृजित परिसंपत्ति अचल परिसंपत्ति के अंतर्गत शामिल की गई हैं।
- 2.3 जहाँ न तो भूमि और न ही परिसंपत्तियों पर कंपनी का स्वामित्व है, वहाँ परिसंपत्तियों पर पूंजीगत खर्च को अवधि के पूरा होने तक चालू पूंजीगत कार्य में एक अलग मद के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इसके बाद इसे अचल परिसंपत्तियों में दिखाया गया है।
- 2.4 भूमि के प्रति मुआवजे और अन्य व्ययों के संबंध में अंतिम रूप से किए गए भुगतान को भूमि की लागत के रूप में माना गया है।
- 2.5 राज्य सरकार से इस्तेमाल के लिए ली गई भूमि (स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना) और राहत व पुनर्वास तथा भूमि से बेदखल किए गए लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधाएं जुटाने के लिए या वर्तमान सुविधाओं के पानी में डूब जाने और जहाँ इस तरह की वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजना के अधिग्रहण की विशिष्ट पूर्व-शर्त हो, वहाँ इन पर होने वाले खर्च को अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल का अधिकार के अंतर्गत लेखांकित किया गया है, जिसे परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 30 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाना होता है।
- 2.6 अधिशेष घोषित अचल परिसंपत्तियों को बही-मूल्य से कम लागत पर और शुद्ध वसूली मूल्य पर दिखाया जाता है।
- 2.7 कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को विभागीय/बाहरी संकेतकों के आधार पर यह मूल्यांकन करती है कि नकदी सृजित करने वाली इकाई (सीजीयू) को कोई हानि होने का संकेत तो नहीं है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो, तो कंपनी सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि नकदी सृजित करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि अग्रेणीत की जाने वाली राशि से अधिक हो, तो क्षति को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया जाता है। यदि वसूली योग्य राशि में कोई बदलाव होता है, तो आकलित क्षति या तो समाप्त हो जाएगी अथवा उसमें कमी आएगी।

3. मशीनरी कलपुर्जे

- 3.1 (क) संयंत्र और मशीनरी के साथ खरीदे गए या बाद में हासिल किए गए मशीनों के कलपुर्जों को जिनका इस्तेमाल अनियमित रूप से होना है, अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता हो तो उनका पूंजीकरण अलग से किया जाता है और उनके पूंजी ह्रास को संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार उनके शेष उपयोगी जीवन काल में बांट दिया जाता है। अगर इस तरह के पुर्जों की कीमत पता न हो, विशेष रूप से जब उन्हें मूल संयंत्र के साथ खरीदा गया हो, तो उनका पूंजीकरण और पूंजी ह्रास संबंधित संयंत्र और मशीनरी के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों और पद्धति के अनुसार मूल संयंत्र के साथ किया जाता है।
- (ख) कलपुर्जों के डब्ल्यूडीवी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है जिसमें ये कलपुर्जे मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बशर्त इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो। इसी तरह किसी खास वर्ष में खरीदे और मरम्मत किए गए कलपुर्जों के स्थान पर इस्तेमाल में लाए गए कलपुर्जों के मूल्य को उसी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में भारित किया जाता है, बशर्त इस तरह मरम्मत किए गए कलपुर्जों की कोई उपयोगिता न रह गयी हो।
- (ग) जब संबंधित अचल परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन समाप्त हो जाता है और परिसंपत्तियां सक्रिय उपयोग से हटा ली जाती हैं, तो ऐसे कलपुर्जों की लागत, शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, में से, जो भी कम हो, उसके आधार पर आंकी जाती है। लेकिन, अगर इस्तेमाल में नहीं आ रही परिसंपत्तियों को हटाया नहीं जाता तो संबंधित कलपुर्जों की डब्ल्यूडीवी में ये निस्तारणीय मूल्य को कम करके बटटेखाते में डाल दिया जाता है।
- 3.2 अन्य कलपुर्जों को "भंडार एवं कलपुर्जे" माना जाता है और जब उन्हें जारी किया जाता है तो उन्हें वस्तु सूची और खर्च का हिस्सा माना जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

- 4.1 प्रचालनाधीन परियोजनाएं और अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। परियोजना के चालू होने पर अचल परिसंपत्तियों के निमित्त होने वाले प्रशासनिक और सामान्य ऊपरी खर्चों की पहचान की जाती है और उन्हें भूमि तथा अवसरचलात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों पर व्यवस्थित आधार पर आवंटित किया जाता है।
- 4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं के अंतर्गत समान जन-सुविधाओं के अनुरक्षण, उन्नयन आदि पर व्यय को "निर्माण के दौरान व्यय" (ईडीसी) पर प्रभारित किया जाता है।
- 4.3 परियोजनाओं के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण पर व्यय को चालू पूंजीगत कार्य के रूप में किया जाता है। ऐसे व्यय को या तो परियोजना का निर्माण पूरा होने पर परियोजना की लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है अथवा उसे ऐसी परियोजना को त्यागने का निर्णय लिए जाने वाले वर्ष में व्यय माना जाता है।

5. मूल्यह्रास तथा परिशोधन

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों में संवर्धन/से कमी का मूल्यह्रास उसी वर्ष के दौरान उस तारीख से/तक यथानुपात आंका जाता है, जिस वर्ष वे इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।
- 5.2.1 कंपनी की प्रचालनगत इकाईयों की अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए प्रत्यक्ष पद्धति आधार प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.2 कंपनी की प्रचालनगत इकाईयों से इतर अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अधिसूचित दरों का पालन करते हुए परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है। किन्तु, नीचे 5.2.3 में वर्णित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास उस नीति में उल्लिखित दरों से प्रभारित किया जाता है।
- 5.2.3 निम्नांकित परिसंपत्तियों के संदर्भ में मूल्यह्रास, प्रत्येक के सामने वर्णित मूल्यह्रास की दर से, परिसंपत्ति की लागत के 90 प्रतिशत की सीमा तक प्रत्यक्ष पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है:-
 - (i) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी : 11.25 प्रतिशत
 - (ii) कम्प्यूटरों तथा उनसे संबंधित उपकरण : 30 प्रतिशत
- 5.2.4 अस्थायी निर्माणों के संदर्भ में उनके अधिग्रहण/पूंजीकरण के वर्ष में पूर्ण रूप से (शत-प्रतिशत) मूल्यह्रास किया जाता है और उनका नियंत्रण के प्रयोजन के लिए उनका डब्ल्यूडीवी 1/- रूपया लगाया जाता है।
- 5.3 5000/- रूपए या इससे कम मूल्य की लेकिन 750/- रूपए से अधिक मूल्य की ऐसी वस्तुओं को (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) जिनका लिखित मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में 5000/- रूपए या इससे कम है, उन्हें वर्ष के दौरान पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका मान लिया जाता है और उनका अधिशेष मूल्य एक रूपया लगाया जाता है।
- 5.4 कम लागत की वस्तुएं जो परिसंपत्ति के रूप में (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रूपए तक है उनका पूंजीकरण नहीं किया जाता है और राजस्व के अंतर्गत हिस्सा में ली जाती है।

- 5.5 साफ्टवेयर पर खर्च को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है और उनका परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि या तीन वर्ष, जो भी पहले हो, के बाद किया जाता है। अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर इस्तेमाल करने के अधिकार की कानूनी अवधि के बाद किया जाता है परंतु, यह परिशोधन अवर्गीकृत भूमि/इस्तेमाल के अधिकार से संबद्ध भूमि को छोड़कर किया जाता है।
- 5.6.1 प्रचालन इकाईयों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है और इसमें सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियम 2009 के तहत अधिसूचित दरों और पद्धति का अनुसरण किया जाता है।
- 5.6.2 प्रचालन इकाईयों से इतर यूनिटों के मामले में पट्टे पर धारित भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या 35 वर्ष, इनमें जो भी कम हो, के बाद किया जाता है।
- 5.7 पट्टे पर धारित भूमि पर बनाई गई अचल परिसंपत्तियों का मूल्यहास भूमि के पट्टे की अवधि में मूल लागत के 90 प्रतिशत तक अथवा ऐसी परिसंपत्ति के लिए सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत लागू मूल्यहास की दर और पद्धति, इनमें जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.8 नीति 2.3 में उल्लिखित पूंजीगत व्यय का ऋण शोधन परियोजना की पहली इकाई के वाणिज्यिक आधार पर कार्य करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि में और इसके बाद उस वर्ष से संबंधित परिसंपत्ति के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होने तक माना जाता है।
- 5.9 जहाँ वर्ष के दौरान मुद्रा संबंधी उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, शुल्कों में परिवर्तन या ऐसे ही अन्य घटकों के कारण दीर्घावधि देयताओं में कमी/वृद्धि हुई है वहाँ ऐसी परिसंपत्तियों के अमूल्यशोधित अधिशेष को भविष्य में शेष जीवनकाल के लिए मूल्यहास माना जाता है और इसकी गणना सीईआरसी विनियमों के अंतर्गत अधिसूचित मूल्यहास की दर और पद्धति के आधार पर की जाती है।
- 5.10 जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण के कारण जब किसी परिसंपत्ति का जीवन काल और/या सक्षमता में बढ़ोतरी होती है, तो उस पर किए गए व्यय और अमूल्यशोधित मूल्यहास योग्य राशि को, भविष्य में तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संशोधित/शेष उपयोगी जीवन काल, के लिए प्रभारित किया जाता है।

6. निवेश

निवेश लम्बी अवधि के लिए होते हैं और लागत आधार पर किए जाते हैं। ऐसे निवेश के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़ कर, के लिए प्रावधान किया जाता है।

7. माल सूची

- 7.1 भंडार सामग्री और हिस्से पुर्जों का आकलन लागत, निर्धारित या भारित औसत, अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य, इनमें जो भी कम हो, के अनुसार किया जाता है।
- 7.2 व्यवस्थित आधार पर पहचान की गई बेकार और अप्रचलित भण्डार वस्तुओं तथा कलपुर्जों की क्षति के लिए लेखों में प्रावधान किया जाता है।
- 7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए छुट-पुट औजार जिनका मूल्य प्रति औजार 5000 रूपए अथवा उससे कम है तो उन्हें उपभोग लेखों पर प्रभारित किया जाता है और अन्य मामलों में 5 समान वार्षिक किश्तों में बटटेखाते में डाला जाता है।

8. विदेशी मुद्रा में कारोबार

- 8.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को प्रारम्भ में कारोबार की तिथि पर विद्यमान विनियम दरों पर दर्ज किया जाता है। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि को विदेशी मुद्रा में दर्शाया गई मौद्रिक मदों को तुलन-पत्र तिथि पर विद्यमान विनियम दरों में परिवर्तित किया जाता है।
- 8.2 विनियम अंतरों को उनके उत्पन्न होने वाली अवधि में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनशील स्टेशनों के मामले में लाभ एवं हानि लेखों में और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में ईडीसी में दर्शाया जाता है। तथापि, 01/04/2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्यों के संबंध में देयताओं से संबंधित विनियम अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

- 9.1 कर्मचारी लाभों के बारे में लेखांकन मानक-15 (2005) में परिभाषित 'सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान' वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान बहियों में वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 9.3 सैद्धिचिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन पर व्यय को घटित होने वाले वर्ष में राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

10. राजस्व

- 10.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखांकन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ अधिसूचित नहीं किया गया है, बिक्री को उचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों और पद्धति के आधार पर गणना की गई अनंतिम दरों पर बिल किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋण और आयकर के प्रति वसूली के संबंध में विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के संदर्भ में वसूली/धन वापसी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) प्रोत्साहनों / हतोत्साहनों की गणना टैरिफ अधिसूचनाओं के आधार पर की जाती है। ऐसे विद्युत स्टेशन के मामले में जहाँ टैरिफ को अधिसूचित नहीं किया गया है, प्रोत्साहनों की गणना अनंतिम आधार पर उक्त की स्वीकृति की संभावना के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।
- (ग) वैश्विक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्पन्न होने वाले समायोजनों, भले ही वे वास्तविक न हों, को अंतिम रूप दिए जाने के सम्बद्ध वर्ष में प्रभावी किया जाता है।
- (घ) पिछले वर्षों में विलंबित आय के रूप में समझे गए मूल्यहास के प्रति अग्रिम को परियोजना से उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 12 वर्ष बाद समाप्त हो रहे वर्ष की 31 मार्च के बाद शेष उपयोगी जीवन के लिए प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर बिक्री में शामिल किया जाता है, जिसमें परियोजना की कुल उपयोगी जीवन अवधि 35 वर्ष समझी जाती है।
- 10.2 परियोजना प्रबंधन/निर्माण अनुबंधों और परामर्शी अनुबंधों के संदर्भ में राजस्व की गणना कार्य पूरा करने की पद्धति के प्रतिशत के रूप में की जाती है। पूर्ण कार्य के प्रतिशत का निर्धारण "रिपोर्ट करने की तारीख पर व्यय लागत" और "सम्बद्ध परियोजना प्रबंधन/निर्माण अनुबंधों और परामर्शी अनुबंध को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत" के अनुपात के आधार पर किया जाता है।
- 10.3 निवेश पर ब्याज को प्रोद्भव आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.4 ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले ब्याज/अधिभार को प्राप्त पर अथवा वसूली की उपयुक्त निश्चितता होने पर आय के रूप में माना जाता है।

11. विविध

- 11.1 परिवहन के दौरान वस्तुओं/किए जा चुके लेकिन प्रमाणित नहीं हुए पूंजीगत कार्यों संबंधी देयताओं के लिए तब तक कोई प्रावधान नहीं किया जाता जब तक कि निगम द्वारा निरीक्षण और स्वीकृति का काम पूरा नहीं कर दिया जाता।
- 11.2 50,000 रूपए और इससे कम के पहले से अदा किए गए खर्चों और अवधि-पूर्व खर्चों/आमदनी को सामान्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत हिसाब में लिया जाता है।
- 11.3 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. ऋण लागत

अचल परिसंपत्तियों के निर्माण/मरम्मत और आधुनिकीकरण के दौरान आने वाली ऋण लागत का पूंजीकरण किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को उस अवधि के लिए एक खर्च माना जाता है जिसमें ये ऋण लिए गए थे।

13. आय पर कर

वर्तमान अवधि हेतु आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

विलंबित कर की पहचान वर्ष हेतु लेखांकन आय और कर योग्य आय के मध्य समय अंतरालों के रूप में की जाती है और इसे तुलन-पत्र की तारीख को अधिनियमित अथवा प्रभावी कर दरों और कानूनों का उपयोग करके मात्रात्मक रूप दिया जाता है। विलंबित कर परिसंपत्तियों को उसी सीमा तक लिया तथा अग्रणीत किया जाता है जहाँ इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति विलंबित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकेगा। विलंबित कर प्राप्ति समायोजन लेखों को उस सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है जिस सीमा तक कर व्यय वास्तविक भुगतान आधार पर आने वाले वर्षों में लाभग्राहियों से प्रभावी है।

टिप्पणी संख्या 2 शेयर पूंजी

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का		31 मार्च, 2012 का	
	संख्या में	(राशि रुपये में)	संख्या में	(राशि रुपये में)
क) प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये)				
ख) जारी, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये)	122550000	1225500000	5000000	50000000
ग) परिशोधित इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी				
बकाया शेयरों की अधिशेष संख्या	5000000	50000000		-
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी	117550000	1175500000	5000000	50000000
घटाएं : शेयरों की संख्या/शेयर पूंजी में कमी	-	-	-	-
बकाया शेयरों की अंतिम संख्या	122550000	1225500000	5000000	50000000
घ) कंपनी में पांच प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या और शेयरों की निर्दिष्ट संख्या				
एनएचपीसी लिमिटेड (49%)	100000000	1000000000	2450000	24500000
जेकेएसपीडीसी लिमिटेड (49%)	22450000	224500000	2450000	24500000
ड) पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान				
अनुबंध के अनुपालन में पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित इक्विटी शेयरों की कुल संख्या		31.03.2013 का		31.03.2012 का
नकद भुगतान के बिना बोनस शेयरों के रूप में आवंटित पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या		शून्य		200000
वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या		शून्य		शून्य

टिप्पणी संख्या 2 ख : शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
शेयर आवेदन निधि बकाया आवंटन	50000000	0
कुल	50000000	0

टिप्पणी संख्या 3 : आरक्षित एवं अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
सामान्य आरक्षी		
पिछले तुलन पत्रक के अनुसार	-	-
जोड़ें : अधिशेष से अंतरित	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान पश्चलिखित	-	-
घटाएं : वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
तुलन पत्रक की तारीख को	-	-
अधिशेष *	21305093	(49902)
कुल	21305093	(49902)
* अधिशेष		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	21354995	(49902)
अग्रणीत शेष	(49902)	-
आगे ले जाया गया शेष	21305093	(49902)

टिप्पणी संख्या 4 : ऋण

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का			31 मार्च, 2012 का		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
बांड						
-प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
सावधि ऋण						
• बैंकों से						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
• अन्य पार्टियां से						
- प्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
- अप्रतिभूत	-	-	-	-	-	-
कुल दीर्घावधि ऋण	-	-	-	-	-	-
घटाएं : दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी संख्या 5 : स्थगित कर देयताएं/आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
स्थगित कर देयता		
i) मूल्यहास		
घटाएं : स्थगित कर आस्तियां		
संचित आमेलित न किया गया मूल्य हास	-	-
संदिग्ध ऋणों, माल सूची और अन्य के लिए प्रावधान		
कर्मचारी लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान		
स्थगित कर देयता	-	-
घटाएं : वसूली योग्य	-	-
स्थगित कर देयता (निवल)	-	-

टिप्पणी संख्या 6 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
क) व्यापार देय	-	-
ख) अन्य		
जमा राशियां/धारण निधि/प्राप्त किए गए अग्रिम	70800	11896
अग्रिम प्राप्त आय	-	-
	70800	11896

टिप्पणी संख्या 7 : प्रावधान

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का			31 मार्च, 2012 का		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान						
i) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	16657			-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	16657	-	16657	-	-	-
ख) मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	932823		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	2258605		-	932823	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-			-	-	
सेवा निवृत्ति/पेंशन निधि को अंतरित राशि	-			-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
अंतिम शेष	-	3191428		-	932823	
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	3191428		-	932823	
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	-	-	-	-	-
ग) निष्पादन/प्रोत्साहन संबंधी भुगतान के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	2855656		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	5476494		-	2855656	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	148534		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-			-	-	
अंतिम शेष	-	8183616	8183616	-	2855656	2855656
घटाएं : अदा किया गया अग्रिम	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष (अग्रिम का निवल)	-	8183616	8183616	-	2855656	2855656
घ) सेवा निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	741052		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-			-	741052	
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान से अंतरित राशि	-			-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	426679		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	314373		-	-	
अंतिम शेष	-	-	-	-	741052	741052

टिप्पणी संख्या 7 : प्रावधान (जारी)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का			31 मार्च, 2012 का		
	दीघावधि	अल्पावधि	कुल	दीघावधि	अल्पावधि	कुल
ड) अन्य						
i) कराधान के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	1240312		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	8975973		-	1240312	
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	-	10216285	10216285	-	1240312	1240312
iv) प्रावधान -अन्य (सम्पदा कर)						
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान संवर्धन	-	32973		-	-	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	-	-		-	-	
वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित राशि	-	-		-	-	
अंतिम शेष	-	32973	32973	-	-	-
कुल	16657	18432874	18449531	-	4837020	4837020

व्याख्यात्मक टिप्पणी

- “वेतन संशोधन के लिए प्रावधान” शीर्ष के अंतर्गत “व्यक्तिगत समायोजन वेतन (फिटमेंट लाभ) के लिए रु 0.22 करोड़ (संचयी प्रावधान रु 0.32 करोड़) का प्रावधान किया गया है। इसका निपटारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अभाव में लंबित है। इस मद में 0.22 करोड़ रु. अदा किए गए हैं और इस राशि को “अग्रिम भुगतान” के रूप में दर्शाया गया है।
- समूह प्रावधान-अन्य के अंतर्गत किए गए प्रावधानों में से विरोध के तहत शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) राशि जमा कराई गई है और इसे टिप्पणी संख्या 13 में “जमा राशियां” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 8 : व्यापार देय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
वस्तुओं और सेवाओं के लिए	542653	352765
	542653	352765

टिप्पणी संख्या 9 : अन्य वर्तमान देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 का	31 मार्च, 2012 का
पूँजी कार्य/आपूर्तियों के प्रति देयता	5647463	4405062
जमा राशियां/धारण निधि	1236463	-
संवैधिक देयों का भुगतान	6239822	4176569
अन्य देयताएं	1780173747	227638498
जमा कार्य के प्रति अग्रिम	-	-
घटाएं : जमा कार्य पर खर्च की गई राशि	-	-
	1793297495	236220129

व्याख्यात्मक टिप्पणी :-

- अन्य देयताओं के अंतर्गत एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा नियंत्रण में ली गई पकल दुल परियोजना के खाते में 175.59 करोड़ रुपये की राशि शामिल हैं।

टिप्पणी संख्या 10.1 : गोचर आस्तियां

(राशि रुपये में)

		सकल ब्लाक						मूल्य हास				निवल ब्लाक		
क्र स	विवरण	01.04.2012	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	अवधि के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2012
			अंतरण	अन्य	अंतरण	अन्य								
i)	भूमि-फ्रीहोल्ड	0						0	0			0	0	0
ii)	भूमि-लीजहोल्ड	0		60000000				60000000	0	1014481	0	1014481	58985519	0
iii)	सड़कें और पुल	0		553280				553280	0	18480	99634	118114	435166	0
iv)	भवन	0		29936165				29936165	0	319933	12344179	12664112	17272053	0
v)	रेलवे साइडिंग्स	0						0	0	0	0	0	0	0
vi)	हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली, हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	0						0	0	0	0	0	0	0
vii)	उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	0						0	0	0	0	0	0	0
viii)	संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	961277		114903				1076180	3900	57625	21	61546	1014634	957377
ix)	संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	1648167						1648167	7371	87023	0	94394	1553773	1640796
x)	संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	512660		990336				1502996	4029	66946	256762	327737	1175259	508631
xi)	निर्माण उपकरण	0		7811602				7811602	0	842088	5972438	6814526	997076	0
xii)	जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	0						0	0	0	0	0	0	0
xiii)	विद्युतीय संस्थापनाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xiv)	वाहन	3169654		6463762				9633416	201300	450516	2593938	3245754	6387662	2968354
xv)	विमान/नौकाएं	0						0	0	0	0	0	0	0
xvi)	फर्नीचर और फिक्सचर	8899889		10665143		55500		19509532	91072	1107811	464078	1662961	17846571	8808817
xvii)	कम्प्यूटर	688745		4150382				4839127	143949	674113	1434073	2252135	2586992	544796
xviii)	संचार उपकरण	360570		94847				455417	9251	27613	23285	60149	395268	351319
xix)	कार्यालय उपकरण	4674634		4975733		23000		9627367	55011	618363	163526	836900	8790467	4619623
xx)	अनुसंधान और विकास	0						0	0	0	0	0	0	0
xxi)	अन्य आस्तियां	537990		3077438		15800		3599628	6884	225368	1314317	1546569	2053059	531106
xxii)	उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	0						0	0	0	0	0	0	0
xxiii)	गौण मूल्य की अचल आस्तियां >750 और <5000 रुपये।	632462		1711280				2343742	632224	733041	977484	2342749	993	238
xxiv)	अप्रचलित / अधिशेष आस्तियां	0						0	0			0	0	0
	उप-जोड़ (क)	22086048	0	130544871	0	94300	0	152536619	1154991	6243401	25643735	33042127	119494492	20931057
	पिछले वर्ष (क)	0	489854	21700959	23775	80990	0	22086048	0	1038946	116045	1154991	20931057	0

टिप्पणी संख्या 10.2 अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

		सकल ब्लाक						मूल्यहास				निवल ब्लाक		
क्र स	विवरण	01.04.2012	संवर्द्धन		कमी		अन्य समायोजन	31.03.2013	01.04.2012	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.2013	31.03.2013	31.03.2012
			आई यूटी	अन्य	आई यूटी	अन्य								
i)	भूमि-अवर्गीकृत/इस्तेमाल अधिकार	0						0	0	0		0	0	0
ii)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0		105394				105394	0	0	105394	105394	0	0
	उप-जोड़ (ख)	0	0	105394	0	0	0	105394	0	0	105394	105394	0	0
	पिछले वर्ष (ख)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (क+ख)	22086048	0	130650265	0	94300	0	152642013	1154991	6243401	25749129	33147521	119494492	20931057
	पिछले वर्ष (क+ख)	0	489854	21700959	23775	80990	0	22086048	0	1038946	116045	1154991	20931057	0

व्याख्यात्मक टिप्पणी :

- 6.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष शून्य) मूल्य की 4 कनाल (पिछले वर्ष शून्य) भूमि के संदर्भ में विलेख/टाइटल अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। पंजीकरण संबंधी स्टैम्प ड्यूटी आदि पर खर्च किए जाने के बाद उसे हिसाब में लिया जायेगा।

टिप्पणी 11.1-चालू पूंजी कार्य

(राशि रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
i) सड़कें और पुल	-	780810	30333794		31114604
ii) भवन	-	-	824837		824837
iii) रेलवे साइडिंग्स	-				-
iv) हाइड्रोलिक कार्य (बांध, जल कंडक्टर प्रणाली हाइड्रो मैकेनिकल गेट, सुरंग)	-				-
v) उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	-				-
vi) संयंत्र तथा मशीनरी - सब-स्टेशन	-				-
vii) संयंत्र तथा मशीनरी -ट्रांसमिशन लाइनें	-				-
viii) संयंत्र तथा मशीनरी -अन्य	-				-
ix) निर्माण उपकरण	-				-
x) जलापूर्ति प्रणाली/नालियां और सीवर प्रणाली	-				-
xi) संस्थापना प्रतीक्षारत अन्य परिसंपत्तियां	-				-
xii) उन आस्तियों पर पूंजी व्यय जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं हैं।	-				-
xiii) सीडब्ल्यूआईपी-भारत सरकार की 5 केएम योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियां	-				-
xiv) सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्शी और पर्यवेक्षण प्रभार	-	174094	61599963		61774057
xv) प्रतिपूरक वन-रोपण पर व्यय	-				-
xvi) निर्माण के दौरान व्यय *	50429447	186674460	1658301904	-	1895405811
घटाएं : प्रावधान के लिए	-				-
उप-जोड़ (क)	50429447	187629364	1751060498	-	1989119309
* वर्ष के लिए संवर्द्धन के बारे में टिप्पणी संख्या 29 देखें					
	01.04.2012		समायोजन		31.03.2013
निर्माण भंडार	-			166339	166339
घटाएं : निर्माण भंडार के लिए प्रावधान	-			-	0
उप-जोड़ (ख)	0			166339	166339
कुल योग	50429447	187629364	1751226837	-	1989285648
पिछले वर्ष	-	50429447	-	-	50429447

टिप्पणी संख्या :11.2 विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	01.04.2012	संवर्धन	समायोजन	पूँजीकृत	31.03.2013
विकास के अधीन अगोचर परिसंपत्तियां					-
कुल	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-

टिप्पणी 12- गैर वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	शेयर/ बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बांड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बांड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)
क. व्यापार -उद्धृत	शून्य	शून्य	शून्य			
व्यापार -अनुद्धृत						
उप-जोड़ (क)			-			-
ख. गैर-व्यापार -उद्धृत						
उप-जोड़ (ख)			-			-
कुल (क+ख)			-			-

टिप्पणी 13- ऋण और अग्रिम

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल	दीर्घावधि	अल्पावधि	कुल
पूंजी अग्रिम						
-अन्य	199495		199495	-		-
जमा राशियां	-	15500	15500	-	-	-
-अन्य ऋण और अग्रिम						
कर्मचारी (प्रोद्भूत ब्याज सहित)						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	-	-	-	-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)	-	1518841	1518841	5871	1171881	1177752
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)	-	-	-	-	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम						
-प्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)						
-बैंक गारंटी के बदले		-	-		-	-
-अन्य		24822196	24822196		290250	290250
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अन्य अग्रिम						
-अप्रतिभूत (अच्छे समझे गए)		-	-		-	-
-अप्रतिभूत (संदिग्ध समझे गए)						
अग्रिम आय कर और स्रोत पर कर कटौती		10216829	10216829		385619	385619
	199495	36573366	36772861	5871	1847750	1853621

टिप्पणी संख्या 14 : अन्य वर्तमान आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	-	-

टिप्पणी संख्या 15 : वर्तमान निवेश

विवरण	31 मार्च, 2013 को			31 मार्च, 2012 को		
	शेयर/ बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बांड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)	शेयर/ बांड/ प्रतिभूतियों की संख्या	प्रति शेयर/ बांड/ प्रतिभूति का अंकित मूल्य (रुपये में)	राशि (करोड़ रुपये में)
दीर्घावधि निवेश की वर्तमान परिपक्वताएं	शून्य	शून्य	शून्य			
व्यापार - अनुद्धृत						
कुल			-			-

टिप्पणी संख्या 16 : माल सूचियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
	-	-

टिप्पणी संख्या 17 : व्यापार प्राप्य

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
-------	-------------------	-------------------

टिप्पणी संख्या 18 : नकद और बैंक शेष

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क नकद और नकदी समकक्ष		
i) हस्तगत नकदी (हस्तगत स्टैम्प शून्य, पिछले वर्ष शून्य)	70243	-
ii) हस्तगत चेक, ड्रॉफ्ट	-	-
iii) बैंकों में शेष		
• अनुसूचित बैंकों के साथ		
-अन्य	5189979	8878842
-जमा खाते में	-	-
• अन्य बैंकों के साथ		
ख अन्य बैंक शेष		
	928258470	208878842

टिप्पणी संख्या 19 : अन्य वर्तमान आस्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2013 को	31 मार्च, 2012 को
क) निम्नांकित पर प्रोद्भूत ब्याज :		
i) जमा राशियां		
- अन्य जमा	8751484	2978136
ख वसूली योग्य दावे	26258306	6300805
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	-
	26258306	6300805
ग) अन्य	344311	-
	35354101	9278941

टिप्पणी संख्या 20 : प्रचालनगत कार्यों से राजस्व

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क बिक्री		
उप-जोड़ क	-	-
ख मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम		
उप-जोड़ ख	-	-
ग अन्य प्रचालनगत आय		
उप-जोड़ ग	-	-
कुल (क+ख+ग)	-	-

टिप्पणी संख्या 21 : अन्य आय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) गैर वर्तमान निवेश से आय		
ख) अन्य आय		
i) ब्याज		
-जमा खाता - इंडियन बैंक	27665196	3856182
ii) देयता/प्रावधान जिनके पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है #	325001	-
iii) अन्य	5858241	3234763
कुल	33848438	7090945
जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	33848438	7090945
घटाएं : इंडीसी को अंतरित आय	6183242	3234763
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	27665196	3856182
देयता/प्रावधानों का ब्यौरा जिनके लिए पक्ष लेखन की आवश्यकता नहीं है #		
सेवा निवृत्ति/पेंशन निधि के लिए प्रावधान	314373	-
अन्य	10628	-
	325001	-

टिप्पणी संख्या 22 : उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. उत्पादन व्यय		
ख. संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्यों पर प्रत्यक्ष व्यय	-	-
ग. मरम्मत और अनुरक्षण		
-भवन	6096605	2108564
-मशीनरी	598635	127668
-अन्य	112921	49532
घ. प्रशासन व्यय		
किराया	13863831	1129916
दरें और कर	20659126	-
बीमा	337623	25780
विद्युत प्रभार	2117142	38568
यात्रा एवं वाहन	3717767	2456570
वाहनों पर व्यय	313728	93984
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकट	1027201	254420
विज्ञापन एवं प्रचार	1649804	810513
मनोरंजन एवं आतिथ्य सत्कार खर्च	233100	86534
दान	-	-
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2143070	309835
पुस्तकें व पत्रिकाएं	31211	9489
परामर्शी प्रभार - स्वदेशी	18424862	12237241
आस्तियों की बिक्री पर हानि	30358	-
बटटेखाते डाली गई आस्तियां/दावे	-	1168190
अन्य सामान्य व्यय	291766	285615
लेखा परीक्षा व्यय (ब्योरा नीचे देखें)	87375	11050
उप जोड़	71736125	21203469
जोड़ें/घटाएं : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
उप-जोड़	71736125	21203469
घटाएं : ईडीसी को अंतरित राशि	71736125	19577361
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
कुल (क)	-	1626108
ड. प्रावधान		
कुल (ख)	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल		
कुल (क)+(ख)	-	1626108
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
1) लेखा परीक्षा व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :-		
i) सांविधिक लेखा परीक्षक	31.03.2013 को	31.03.2012 को
लेखा परीक्षक के तौर पर		
लेखा परीक्षा शुल्क	0.01	0.00
लेखा परीक्षा शुल्क कर	- 0.01	- 0.00
व्यय की अदायगी	0.00	-
कुल लेखा परीक्षा व्यय	0.01	0.00

2) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथिगृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (ऑपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किए जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। कार्यालयों और अतिथिगृहों तथा ट्रांजिट कैम्पों के संदर्भ में लीज भुगतान किराए के रूप में दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 23 : कर्मचारी लाभ व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते	93023781	27946942
उपदान, भविष्यनिधि एवं पेंशन योजनाओं में अंशदान (प्रशासनिक व्यय सहित)	12785316	3251592
कर्मचारी कल्याण व्यय	6368385	2888315
अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	-	-
कुल	112177482	34086849
जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	112177482	34086849
घटाएं : ईडीसी को अंतरित कर्मचारी लागत	112177482	34086849
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	-	-
व्याख्यात्मक टिप्पणी :-		
क) कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था कार्यालयों, अतिथिगृहों और मार्ग शिविरों (ट्रांजिट कैम्प्स) के लिए परिचालन पट्टों (ऑपरेटिंग लीजिंग) के संदर्भ में है। ये लीजिंग व्यवस्थाएं, जो रद्द न किए जाने योग्य हों, सामान्यतः परस्पर सहमति पर आधारित शर्तों के अनुसार नवीकरणीय हैं। वेतन, मजदूरी, भत्तों के अंतर्गत कर्मचारियों के आवासीय इस्तेमाल के संदर्भ में लीज भुगतान के रूप में रु 0.30 करोड़ (पिछले वर्ष रु 0.18 करोड़) की राशि शामिल है।		
ख) उपदान, भविष्यनिधि एवं पेंशन योजना में अंशदान के अंतर्गत निम्नांकित शामिल है :	31.03.2013 को	31.03.2012 को
i) कर्मचारी भविष्यनिधि के लिए	0.58	0.16
ii) सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत परिभाषित कर्मचारी अंशदान	0.44	0.01

टिप्पणी संख्या 24 : वित्त लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क) अन्य ऋण लागत		
अन्य वित्त प्रभार	34922	718
उप जोड़	34922	718
कुल	34922	718
जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	34922	718
घटाएं : ईडीसी को अंतरित वित्त लागत	34922	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	-	718

टिप्पणी संख्या 25 : मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
मूल्य ह्रास और परिशोधन	6243401	1038946
जोड़ें/(घटाएं) : निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	6243401	1038946
घटाएं : ईडीसी को अंतरित मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	6243401	-
लाभ एवं हानि खाते को ले जाया गया कुल	-	1038946

टिप्पणी संख्या 26 : पूर्व अवधि मर्दे (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
आय		
विद्युत की बिक्री	-	-
जोड़ें : मूल्य ह्रास के प्रति अग्रिम पश्च लिखित	-	-
ऋण कर्ताओं से प्राप्त ब्याज/अधिभार	-	-
अन्य	-	-
उप जोड़	-	-

टिप्पणी संख्या 26 : पूर्व अवधि मदें (निवल)

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
व्यय		
वेतन एवं मजदूरी	-	-
मरम्मत और अनुरक्षण	-	-
वित्त लागत	-	-
मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
अन्य	-	-
उप जोड़	-	-
कुल	-	-
जोड़ें/घटाएं : निगम मुख्यालय सी.ओ./क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	-	-
कुल	-	-
घटाएं : ईडीसी को अंतरित पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	2665772	-
घटाएं : पूर्व अवधि आय	-	-
कुल	2665772 (2665772)	-
घटाएं : जमा कार्यों से वसूली योग्य	-	-
लाभ एवं हानि खाते में ले जाया गया कुल	(2665772)	-

टिप्पणी संख्या 27 : कर व्यय

(राशि रुपये में)

	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
आयकर प्रावधान	8975973	1240312
पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन	-	-
स्थगित कर	-	-
घटाएं : वसूलियां	-	-
	8975973	1240312

टिप्पणी संख्या 28 : संविदा, परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रत्यक्ष व्यय	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय		
ख. मरम्मत और अनुरक्षण		
ग. प्रशासन एवं अन्य व्यय		
घ. मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
ङ. वित्त लागत	-	-
निर्माण अनुबंधों पर हानि	-	-
च. प्रावधान	-	-
छ. निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
कुल व्यय	-	-
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां	-	-
वर्ष के दौरान निवल व्यय	-	-
झ. पूर्व अवधि समायोजन	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी संख्या 29 : वर्ष के दौरान निर्माण व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. कर्मचारी लाभ व्यय		
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते	39058612	27946942
ii) उपदान और भविष्यनिधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	4473308	3251592
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	1008677	2888315
iv) अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	6537	-
उप जोड़	44547134	34086849
ख. मरम्मत एवं अनुरक्षण		
i) भवन	213460	2108564
ii) मशीनरी	18117	127668
iii) अन्य		
उप जोड़	39936	49532
ग. प्रशासन और अन्य व्यय	271513	2285764
i) किराया	973343	1129916
ii) दरें और कर	34084	-
iii) बीमा	6752	-
iv) सुरक्षा व्यय	-	-
v) विद्युत प्रभार	218603	38568
vi) यात्रा और वाहन	342622	2456570
vii) वाहनों पर व्यय	70759	93984
viii) टेलीफोन, टेलेक्स और डाक खर्च	89287	254420
ix) विज्ञापन और प्रचार	815814	729508
x) मनोरंजन और आतिथ्य सत्कार व्यय	7580	-
xi) मुद्रण और लेखन सामग्री	208114	309835
xii) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	4309	-
डिजाइन और परामर्शी प्रभार		
xiii) - स्वदेशी	17259113	12215141
xiv) आस्तियों की बिक्री पर हानि	607	-
xv) अन्य सामान्य व्यय	653184	63655
उप जोड़	20684171	17291597
घ. वित्त लागत		
अन्य वित्त प्रभार	28432	-
उप जोड़	28432	-
ङ. प्रावधान	-	-
उप जोड़	-	-
च. मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	1584035	-
उप जोड़	1584035	-
छ. पूर्व अवधि व्यय		
पूर्व अवधि व्यय	-	-
घटाएं : पूर्व अवधि आय	-	-
उप जोड़	-	-
ज. घटाएं : प्राप्तियां और वसूलियां		
क) विद्युत उत्पादन से आय - कमीशनिंग पूर्व	-	-
ख) अन्य		
i) ऋण और अग्रिम पर ब्याज	-	-
ii) विविध प्राप्तियां	4715933	3234763
iii) आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-	-
iv) विनिमय दर अंतर (क्रेडिट)	-	-
v) प्रावधान/देयता जिसके पश्चात् लेखन की आवश्यकता नहीं है।	2121	-
vi) प्लांट और मशीनरी का किराया प्रभार/आउट टर्न	4718054	3234763
उप जोड़	4718054	3234763
झ. निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय व्यय :		
i) अन्य आय	(1465188)	-
ii) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	50780441	-
iii) कर्मचारी लाभ व्यय	67630348	-
iv) मूल्य ह्रास और परिशोधन व्यय	4659366	-
v) वित्त लागत	6490	-
vi) प्रावधान	-	-
i) पूर्व अवधि समायोजन (निवल)	2665772	-
उप जोड़	124277229	-
कुल जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+झ-ज)	186674460	50429447

टिप्पणी संख्या 30 लेखों से सम्बद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणियां :-

क) निम्नांकित पर आकस्मिक देयताएं :-

(करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01-04-2012 को	अंतिम शेष 31-03-2013 को
निम्नांकित के संदर्भ में कंपनी के प्रति दावे जो ऋण स्वीकार नहीं किए गए		
-पूँजी काय	शून्य	3.19
-भूमि मुआवजा मामले	शून्य	0.03
-अन्य	शून्य	शून्य
-विवादित आय कर मांग	शून्य	शून्य
-विवादित बिक्री मांग	शून्य	शून्य
-विवादित सेवा कर मांग	शून्य	शून्य
-अन्य	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	3.22

ख) उपरोक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों से संबंधित लंबित मामले और अन्य देयताएं शामिल नहीं हैं, जिनमें राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

ग) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को प्रकट करना व्यावहारिक नहीं है।

1. पूँजी खाते में निष्पादित न किए गए ठेकों की अनुमानित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया - रु 6.33 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) है।
2. समय अंतरालों को देखते हुए, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना के अंतर्गत आय लंबी अवधि के बाद होगी, स्थगित कर देयता/आस्तियों के लिए बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
3. क) वसूली योग्य दावों, अन्यो को अग्रिम, विविध लेनदारों और ठेकेदारों से जमा/अग्रिम धनराशि के अंतर्गत दर्शाए गए शेष समाधान/पुष्टि और नतीजतन सम्बद्ध समायोजनों के अधीन है।
ख) प्रबंधन की राय में चालू अस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य व्यापार अवधि में उनकी वसूली के बाद उतने मूल्य से कम नहीं होगा जितना कि तुलन पत्रक में दर्शाया गया है।
4. लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) के अनुसार 31.3.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान एनएचपीसी द्वारा किया गया है; किंतु समरूप व्यय लेखा बहियों में अंतरित और दर्ज किया गया है।
5. विद्युत उत्पादन कंपनी का प्रमुख क्रियाकलाप है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा खंड रिपोर्टिंग के बारे में जारी लेखांकन मानक - 17 के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य खंड कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
6. लेखांकन मानक-18 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक का ब्यौरा इस प्रकार है :-

* श्री एमवाई खान, अध्यक्ष, सीवीपीपीपी

* श्री एससी गुप्ता, प्रबंध निदेशक, सीवीपीपीपी

7. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं-

(रुपये में)

(i)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को चुकाई न गई शेष मूल राशि	शून्य
(ii)	सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए उपरोक्त (i) पर वर्ष में प्रोद्भवन तथा चुकाया न गया ब्याज।	शून्य
(iii)	31.03.2013 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान सेवाएं वितरण/प्रदान करने की तारीख से सहमत समय अथवा 15 दिन से अधिक देरी से भुगतान की गई मूल राशि के साथ अदा किए गए ब्याज की राशि।	शून्य
(iv)	31.03.2013 को समाप्त हुए 9 महीनों के दौरान मूल राशि पर देय लेकिन अदा न किया गया ब्याज	शून्य
(v)	परवर्ती वर्षों में भी देय एवं भुगतान योग्य अतिरिक्त ब्याज, उस तारीख तक जब तक कि लघु उद्यम को अस्वीकृति के प्रयोजन से कटौती योग्य व्यय के रूप में उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में अदा नहीं कर दिया जाता।	शून्य

8. वर्ष के दौरान पकल दुल जल विद्युत परियोजना का अधिग्रहण सीवीपीपीपी लिमिटेड द्वारा किया गया और निम्नांकित व्यय आस्तियां और देयताएं एनएचपीसी लिमिटेडको अंतरित की गईं।

अचल आस्तियां (सकल ब्लॉक)	रु 3,20,70,556	टिप्पणी संख्या 10.1	रु 64,00,911
घटाएं : मूल्य ह्रास	रु 2,56,69,645		
निवल ब्लॉक	रु 64,00,911		
सीडब्ल्यूआईपी (16.05.2012 तक)		टिप्पणी संख्या 11.1	रु 175,10,60,498
भंडार और कलपुर्जे		टिप्पणी संख्या 11.1	रु 2,76,464
अन्य चालू आस्तियां		टिप्पणी संख्या 19	रु 3,13,995
वर्तमान देयताएं		टिप्पणी संख्या 8	रु 3,10,057

9. पिछले वर्ष के आंकड़ों/प्रारंभिक शेष को आवश्यकतानुसार, पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते केआरए एंड कंपनी

(एम वाई खान)

(एस सी गुता)

सनदी लेखाकार

अध्यक्ष

प्रबंध निदेशक

एफआरएन : 020266एन

सीए अजय कुमार

(सुधीर आनंद)

(एल एन भारद्वाज)

भागीदार

कंपनी संचिव

मुख्य (वित्त)

सदस्या संख्या 503015

स्थान : जम्मू

दिनांक : 17-05-2013

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलन-पत्र साथ संलग्न

(राशि रुपये में)

विवरण	31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ	27665196	1190410
जोड़ें :		
मूल्यहास (पूर्व अवधि सहित)	-	1038946
घटाएं :		
ब्याज आय	27665196	3856182
	-27665196	-2817236
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-1626826
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		
माल-सूचियों में (वृद्धि)/कमी	-	-
अन्य आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	-60800776	-11126691
व्यापार एवं अन्य प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	1570863108	1510062332
करों से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1510062332	228656397
घटाएं : कर	-8975973	-1240312
पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह (क)	1501086359	227416085
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद और निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान व्यय सहित)	-98563435	-21970003
ब्याज आय	27665196	3856182
लाभांश प्राप्त/पूजी अग्रिम/स्टाफ को फर्नीचर के लिए अग्रिम।	-193624	-5871
निर्माण के दौरान (ईडीसी) व्यय	-1936173772	-50429447
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)	-2007265635	-68549139
ख. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
जारी, अभीदत्त और चुकता पूंजी वाले इक्विटी शेयर	1225500000	50,000,000
धरोहर राशि/धारण राशि	58904	11,896
वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	1225558904	50011896
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल (वृद्धि)/कमी	719379628	208878842
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	208878842	0
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	928258470	208878842

नोट :

नकदी और नकदी समकक्ष राशि वर्ष के अंत में रु 92,78,22,248/- थी, जिसमें 3 से 4 महीने की अवधि के लिए कारपोरेट लिक्विड टर्म डिपोजिट के रूप में रुपये 92,29,98,248/- शामिल थे।

हमारी समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते केआरए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 020266एन

सीए अजय कुमार
भागीदार
सदस्या संख्या 503015

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

(एम वाई खान)
अध्यक्ष

(एस सी गुता)
प्रबंध निदेशक

(सुधीर आनंद)
कंपनी सचिव

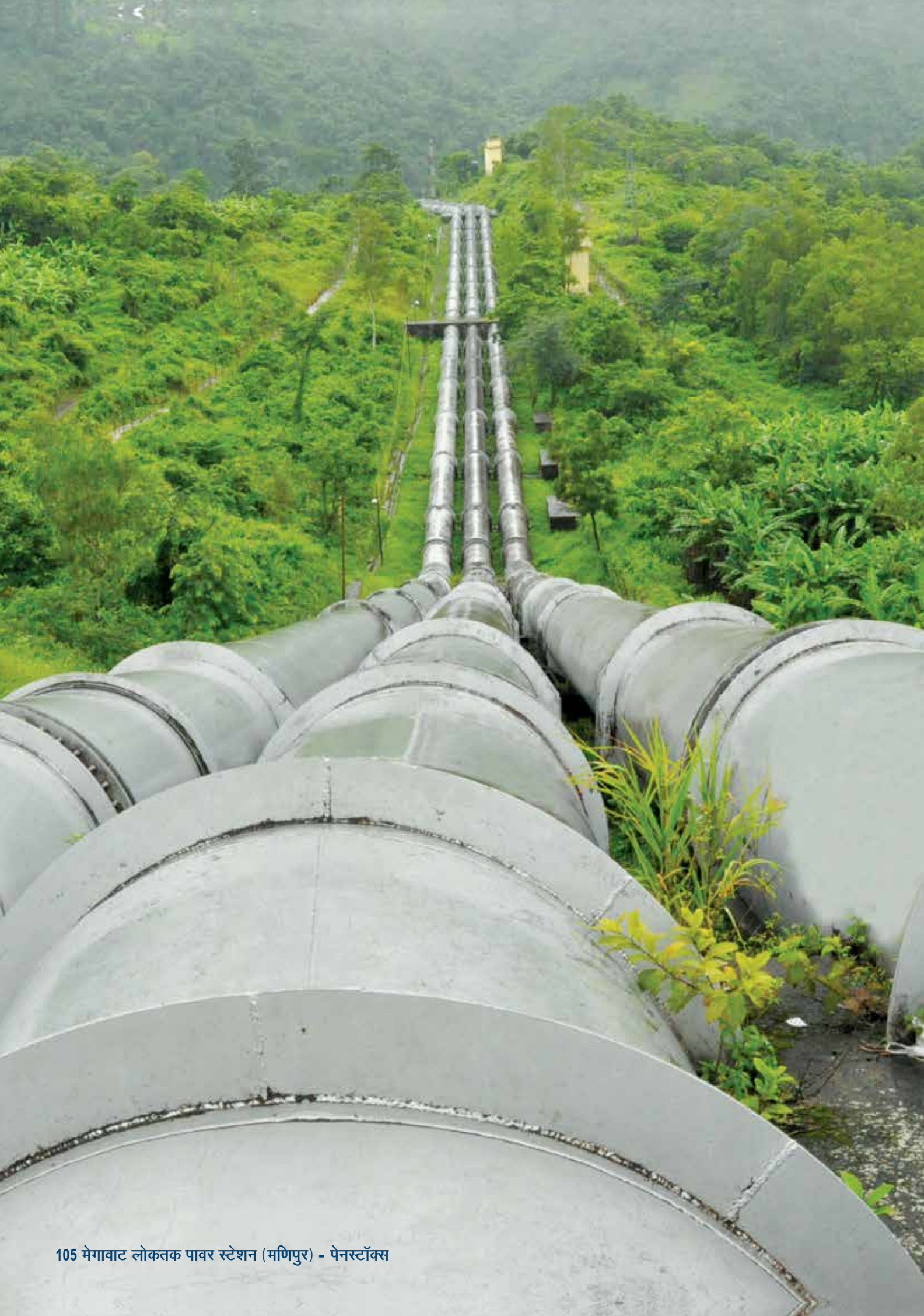
(एल एन भारद्वाज)
मुख्य (वित्त)

स्थान : जम्मू

दिनांक : 17-05-2013

[illegible]

[illegible]



105 मेगावाट लोकतक पावर स्टेशन (मणिपुर) - पेनस्टॉक्स

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)



NHPC Limited
(A Government of India Enterprise)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा (भारत) वेबसाइट : www.nhpcindia.com
NHPC Office Complex, Sector - 33, Faridabad - 121003, Haryana (India) Website : www.nhpcindia.com
EPABX : 0129-2278421 / 422 / 423